त्रयोदश माला, खंड 2, अंक 9

गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1999
18 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1999/18 अग्रहायण, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (i)	8	तारांकित प्रश्न संख्या 164 और 180	तारांकित प्रश्न संख्या 164 से 180
58	10	जी, हाँ	(क) जी, हाँ
118	13	श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी
118	14	श्री अशोक ना॰ मोहोल	श्री अशोक ना॰ मोहोल

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

किरण साहनी
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

प्रेम बमराड़ा
सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सहायक सम्पादक

जे०एस० रावत
सहायक सम्पादक

अशीत भूषण
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1999/18 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 163	1–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 164 और 180	32–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 1571 से 1624, और 1626 से 1729	59–187
सभा पटल पर रखे गए पत्र	187–192
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव विधेयक पुरःस्थापित	194–196
(एक) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक	222
(दो) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक	223
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश राज्य से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के शीघ्र गठन हेतु विधान लाये जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नु लाल मोहले	224
(दो) मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नया गांव में सीमेन्ट एककों के कार्यकरण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	224
(तीन) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों विशेषत: पंजाब में, की कठिनाइयों को दूर करने के लिए समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री जे०एस० बराड़	224
(चार) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, रामागुंडम को नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड में विलय करने की आवश्यकता	
डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी	225
(पांच) शुगर मिल कर्मियों के लिए वैज बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	225
(छह) क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में संशोधन किए जाने और उसे अद्यतन बनाये जाने की आवश्यकता	
डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा	225
(सात) महाराष्ट्र में कुर्दूवाड़ी—लातूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को त्वरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले	226

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(आठ) असम के कारबी एंग्लोंग और नार्थ कछार हिल्स को मिला कर स्वशासी राज्य बनाये जाने की आवश्यकता	
डा० जयन्त रंगपी	226
(नौ) बिहार के सारन जिले में "वाटरशेड" के विकास और प्रबंध के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री राजीव प्रताप रूडी	227
(दस) रांची, बिहार में बाईपास के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	227
(ग्यारह) असम राज्य में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री नेपाल चन्द्र दास	227
(बारह) चेन्नई पत्तन के कन्टेनर टर्मिनल और एन्नौर पत्तन के बीच समुद्री कटाव को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री सी० कुप्पुसामी	228
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक,	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मणि शंकर अय्यर	228
श्री विजय गोयल	234
कुमारी मायावती	236
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	240
श्री मोहन रावले	241
श्री सुदीप बंधोपाध्याय	244
श्री जी०एम० बनातवाला	245
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	248
श्री रघुनाथ झा	249
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	250
खण्ड 2, 3 और 1	255
पारित करने के लिए प्रस्ताव	255
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)	
श्री मणिशंकर अय्यर	259
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	269
श्री रुपचन्द पाल	272

श्री रामपाल सिंह 276
श्री चन्द्र भूषण सिंह 277
श्री बिक्रम केशरी देव 280
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 282
श्री त्रिलोचन कानूनगो 284
श्रीमती गीता मुखर्जी 287
श्री हरीभाऊ शंकर महाले 288
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह 289
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर 291
श्री रामदास आठवले 292
श्री शमशेर सिंह दूलो 294
डा० नीतिश सेनगुप्ता 296
श्री रवि प्रकाश वर्मा 297
श्री एम०ओ०एच० फारूक 300
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 301
श्री यशवन्त सिन्हा 305

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 315
श्री यशवन्त सिन्हा 315
खण्ड 2, 3 और 1 316
पारित करने के लिए प्रस्ताव 316

लोक सभा

गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1999/18 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति

+

*161. श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान भारी घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति को फिर से सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान, एयर इंडिया को क्रमश: 181.01 करोड़ रु० तथा 174.48 करोड़ रु० का घाटा हुआ जबकि इंडियन एयरलाइन्स ने लाभ अर्जित किया।

एयर इंडिया को हुए घाटे की वजह से नए विमानों पर ब्याज के कारण व्यय में वृद्धि तथा मूल्यह्रास, बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा प्रचालन लागत की वजह से लाभ में कमी, वेतनबिल तथा अन्य स्टाफ खर्चों में वृद्धि और अवतरण, हैंडलिंग एवं दिक्चालन संबंधी प्रभारों, रुपए की कीमत में गिरावट आदि हैं।

(ग) एयर इंडिया ने अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है, (2) लाभप्रद मार्ग पर बल देते हुए नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन करना, (3) विमानों की बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से और अधिक आंतरिक मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना, (4) विदेश में एयर इंडिया के भारतीय अधिकारियों के अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं, (5) गैर-प्रचालन श्रेणियों में बाहरी भर्ती पर रोक, (6) दो स्वैच्छिक योजनाएं अधिसूचित की गई हैं यथा अपेक्षाकृत छोटा कार्य सप्ताह योजना तथा दो वर्ष की समयावधि तक बिना वेतन/भत्ता छुट्टी योजना जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और (7) आटोमेटेड रिवेन्यू यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स (एआरएमएस) और विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार बजट में कटौती प्रणाली शुरू की गई।

विनिवेश आयोग ने एयर इंडिया पर अपनी 8वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ 1000 करोड़ रु० की सरकारी इक्विटी-व्यवस्था करने तथा विश्व-व्यापी बोलियों के आधार पर उपयोगी भागीदार को शामिल करने के संबंध में सिफारिश की हैं। आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

इंडियन एयरलाइंस ने भी अपनी वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से, विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें विमानों का उपयोग और अधिक समय तक करना, आर्थिक और यातायात मांग के मानदंडों पर क्षमता को लगाना, विपणन प्रोत्साहन, ग्राहक सेवाओं में सुधार तथा पूंजीगत व्यय पर रोक लगाकर व्यय में कमी लाने की दृष्टि से विभिन्न खर्चों में कटौती, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार थोड़ा सा अंग्रेजी की गिटपिट से हटकर के धरती से जुड़े हुए व्यक्ति को देश का नागर विमानन मंत्री बनाया है। धरती से जुड़ करके वे आने वाले दिनों में इस एयर लाइंस को हवा में अच्छे ढंग से उड़ाने का प्रयास करेंगे। महोदय, इंडियन एयर लाइंस के बारे में बताया गया है कि यह एयर लाइंस थोड़े बहुत मुनाफे में चल रही है और एयर इंडिया के बारे में कुछ बताना ही नहीं है क्योंकि आजादी के बाद की कुछ अवधि को छोड़कर वह वर्षों से घाटे में चल रही है। इंडियन एयर लाइंस में डायरेक्टरों की संख्या 30 है, जनरल मैनेजर्स की संख्या 50 है। इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पदाधिकारी भरे हुए हैं। जिस-जिस डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर प्लानिंग बना दिया गया है उसके नीचे 10 कर्मचारी हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली-मुम्बई के बीच मैट्रो शटल प्रमोशन स्कीम को शुरू किया गया और उसमें इतने ज्यादा कम्प्लीमेंटरी टिकट दिये गये कि अगले छह महीने तक सिंगापुर और बैंकाक के लिए कोई भी प्राइवेट आदमी टिकट खरीदकर वहां नहीं जा सकता है। विदेशों में नॉन ऑपरेटिंग स्टेशनों में रूट्स बेचकर अपने पदाधिकारियों को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के द्वारा भुगतान के लिए वहां पद स्थापित करते हैं। इसके बारे में भी मुझे कोई विशेष चर्चा नहीं करनी है। मैं आपके माध्यम से एक विषय की ओर और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1996 में एलाइंस एयर की स्थापना की गयी और उसके पीछे यह मकसद था कि:

[अनुवाद]

'एलायंस एयर का ढांचा छोटा और सुव्यवस्थित होगा जिसमें पूंजी निवेश, ज्यादा-स्टाफ अथवा अवसंरचनात्मक लागत का भार कम

से कम होगा तथा एलायंस एयर की कार्मिक नीति के अंतर्गत इंडियन एयर लाइंस के स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि इंडियन एयर लाइंस से कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की नियुक्ति ठेके पर की जाएगी।''

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री राजीव प्रताप रूडी : संक्षिप्त पृष्ठभूमि के बाद में सीधे अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। यह सर्वविदित है कि सरकारी उपक्रमों में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा है। एलायंस एयर का गठन 1996 में हुआ था। 1996 से अब तक एलायंस एयर में ठेके पर 600 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि आपको याद होगा कि 1990 और 1995 के बीच देश में निजी एयर लाइंस आयी थी और हमारे अधिकांश पायलट और अन्य कर्मचारी उनमें जाने लगे थे। बाद में या तो इन पायलटों को निकाल दिया गया या कंपनियां बन्द हो गई। क्या मंत्री जी बताएंगे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जरूर बताएंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उस अवधि में इंडियन एयरलाइंस को छोड़ कर जो पायलट प्राइवेट एयरलाइन्स में गए थे क्या उनको वापस किसी न किसी रूप से एलायन्स एयर में कॉन्ट्रेक्चुअल एपायंटमेंट देकर रखा गया ? क्या कभी सुना गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्यांटी रखा जाता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है ? क्या आपने कभी सुना है कि किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल सुपरवाइजर बहाल किया हो और आने वाले दिनों में मैनेजर बनाया गया हो ? क्या कभी सुना है किसी विभाग का वकैंसी को बिना पब्लिक इंटरप्राइसेज ब्यूरो की एप्रूवल के घोषित किया गया हो और विभाग के भीतर ही एपायंटमेंट किया गया हो। मैं एलाइंस एयर की घटनाओं के बारे में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी अनेक माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अभी मेरी इस विषय पर शुरूआत ही नहीं हुई है। यह इतना बड़ा मामला है कि जहां एक तरफ पूरा ब्लैकैंट बैन है, एक नए तरीके से सबसिडीअरी स्थापित करके, अपने चाहे जिस प्रकार के लोग हों, उन्हें इस विभाग में भरने के लिए 1996 से एक नई प्रक्रिया शुरू की गई। मैं माननीय मंत्री जी से एलाइंस एयर की गतिविधियों के बारे में जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय इस बारे में क्या करना चाहते हैं ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत से सवाल पूछे लेकिन एक प्वाइंटेड क्वश्चन जो किया है, वह है एलाइंस एयर के बारे में। निश्चित तौर पर एलाइंस एयर के बारे में कई तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं लेकिन एलाइंस एयर में पायलट और केबिन क्रू कॉन्ट्रेक्ट पर लिए गए हैं। यह सारा स्टाफ इंडियन एयरलाइंस से डैपुटेशन पर लिया गया है। माननीय सदस्य ने जिन सवालों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, निश्चित तौर पर उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। जो भी एलाइंस एयर में अनियमितताएं हुई हैं और जिस तरह कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर कर्मचारी लिए गए थे, उनका प्रमोशन हो या दूसरी चीजें हो, इन सारी चीजों पर उन्होंने जो बात कही है, उनको गंभीरता से देखा जाएगा और जिस मकसद से वह बनाई गई है, उसके लिए तैयार किया जाएगा। इतना मैं उनको एश्योर करना चाहता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से अवगत होंगे कि देश में सात हजार से अधिक सी.पी.एल. लाइसेंस होल्डर नौकरी के अभाव में भटक रहे हैं। एलाइंस एयर के भीतर कई पायलट्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर गाउंड डयूटी पर रखा गया। फिर उनको इंटरनल एम्पलाई बताते हुए पायलट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जब वह हैदराबाद एलाइंस एयर के खर्चे पर गए तो कहा गया कि इनके वेतन से वह खर्चा काटा जाएगा और इंडियन एयरलाइंस की बहाली में लिखा गया कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर विद ट्विन इंजन एंड 25 ऑवर एक्सपीरियेंस। इंडियन एयरलाइन्स ने विज्ञापन दिया कि ऐसे पायलट्स जिन को 25 घंटे का अनुभव हो वे इसमें एप्लाई कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर में किस प्रकार एक नियम का उल्लंघन करते हुए देश में टोटल जितने अनएम्पलायड पायलट्स हैं, उनको नजर अन्दाज करते हुए एक तरीका बैक डोर का बनाया गया और उसके साथ ऐसे मापदंड लगाए गए कि देश के तमाम नौजवान पायलट्स जिन का इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में एक्सेस नहीं है, उनको उस बहाली से वंचित रखा गया।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर सबसे उच्चतम जांच बैठाकर इस योजना को बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इसमें जिस तरह की अनियमितताएं या गड़बड़ियां हैं, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हिन्दुस्तान में 2000 पायलट ट्रेंड हैं और बहुत अनएम्पलायमेंट हैं। एक-एक पायलट ट्रेंड करने के लिये निजी तौर पर और सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। इसमें किसी तरह की अनियमितता या किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ है। इसमें निश्चित तौर पर गंभीरता से देखेंगे। यदि माननीय सदस्य के पास इन अनियमितताओं की कोई सूची हो तो किसी से जांच कराने की जरूरत नहीं क्योंकि हम स्वयं उन चीजों को दुरुस्त करने में सक्षम हैं। यदि माननीय सदस्य प्रामाणिक तौर पर कोई चीज रखेंगे तो उसकी जांच होगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी मौका देंगे तो निश्चित तौर पर अपनी तरफ से सभी सूचना उपलब्ध करा दूंगा जिससे उच्चतम जांच की आपसे आशा करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री 'राउडी' कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं 'राउडी' नहीं हूं, रूडी हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्षमा करें, श्री रूडी।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं। मैं न तो 'राबड़ी' हूं और न ही 'राठडी' हूं। मैं रूडी हूं। मैं राजीव प्रताप रूडी हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझसे भूल हो गई है श्री रूडी आप व्यर्थ ही नाराज न हों और रूखे न हों।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : वे कभी भी रूखे नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त श्री रूडी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे माननीय मंत्री जी और इस सदन के समक्ष रखे हैं। मंत्री जी ने इस बारे में जो जवाब दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं। इसके अलावा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि एयर इंडिया की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन उठाये गये कदमों से अनुमानित कितने नुकसान में कमी आई है अथवा कितना नुकसान कम करने में गत 6 महीने में मदद मिली है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दोनों एयरलाइन्स में वर्तमान वेस्टफुल खर्च कम हो, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस में पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की पहली छमाही में कितना लाभ हुआ है ? इसके अलावा इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विमानों की संख्या क्या है, उनमें कितने पुराने हैं और कितने नये हैं ? नये विमान खरीदने का क्या प्रोपोजल है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या नया विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है। यह उनका पूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, हमारे पास छोटे हवाई जहाज नहीं हैं, जितने जहाज हैं, वे उमरदराज हैं उनमें कुछ जहाज ताजा, मजबूत और ठीक हैं जो चलते हैं। सरकार नये विमान खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केलकर समिति ने सिफारिश की है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। नये एयरक्राफ्ट्स खरीदने का प्रावधान है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहां तो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ट्राली चलाते थे, कहां हवाई जहाज चलाने पहुंच गये ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, श्री मुलायम सिंह जी ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं और ये चीजें आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल की हैं। ये चीजें हमारे हाथ में आ गई हैं तो उससे आपको लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम यह कह रहे हैं कि हम कहां आ गये ? ट्रेक्टर ट्राली चलाने वाले कहां जहाज चलाने पहुंच गये ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, बैलगाड़ी और ट्रेक्टर चलाने के साथ-साथ हम इंजीनियरिंग कालेज में पहुंच गए, क्या करें। इसलिए इस जगह भी आ गए। निश्चित तौर पर बैलगाड़ी भी ठीक चलाएंगे और इसको भी ठीक चलाएंगे। *(व्यवधान)* अब वह तो हमारे हाथ में नहीं है।

माननीय सदस्य ने दो चार बातें पूछी थीं। एयर इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि इसका घाटा पहले बहुत था, धीरे-धीरे उसमें गिरावट आई है। मैं थोड़ी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1995-96 में 272 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, 1996-97 में 269 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, 1997-98 में यह घटकर 181 करोड़ हो गया। 1998-99 में 174 करोड़ हुआ, यानी थोड़ा और घटा। अनुमान है कि 1999-2000 में यह घाटा लगभग 125 करोड़ तक नीचे आएगा। मैं मानता हूं कि इस घाटे के कई कारण हैं। जो पिछला वेतन आयोग है, उसमें काफी बड़ा अमाउंट एयर इंडिया को कर्मचारियों पर खर्च करना पड़ रहा है। एयर इंडिया के लाभ के जो कारण थे, उनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि गल्फ में हमारी एयरलाइन्स चलती थी। अब इंडियन एयरलाइन्स का भी बड़ा शेयर उसमें हो गया है और इंडियन एयरलाइन्स की फाइनेन्शियल स्थिति उसके चलते सुधरी है, लेकिन एयर इंडिया की बिगड़ी है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि एयर इंडिया की हालत अच्छी नहीं है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए। उस पर बहस और विचार करके आपके सामने आने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इंडियन एयरलाइन्स भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। लाभ में है लेकिन वह लाभ खींचतान कर किया है। सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है। एयर इंडिया की हालत निश्चित तौर पर नाजुक है। उसके कई कारण हैं। उसमें सुधार करने का काम हमने कई तरह से किया है। एक तो अनप्रॉफिटेबल रूट्स हमें कई जगह बंद करने पड़े। एयर इंडिया बहुत पुरानी संस्था है और किसी जमाने में इसका बहुत नाम था। यह बहुत पुरानी संस्था है, इसका इतिहास ग्लोरियस है। हमने कई महत्वपूर्ण रूट्स बंद किये हैं और जो रूट्स अभी भी चला रहे हैं, वह कोई बहुत प्रॉफिट में नहीं हैं। निश्चित तौर पर इस सारी समस्या को सुधारने के लिए हम हिकमत लगा रहे हैं कि कैसे इसको बचाया जाए और वायेबल बनाया जाए। इस पर विचार-विमर्श चल रहा है और जब विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कैबिनेट के सामने और आपके सामने आने का काम करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष जी, कुछ वर्ष पूर्व ओपन स्काई पॉलिसी को क्रियान्वित क्रियेट किया गया था ताकि प्रतियोगिता के कारण सक्षमता बढ़े और जो उपभोक्ता है, उसको एक बेहतरीन वायुसेवा प्राप्त हो। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि काफी कुछ सफलता मिली है और आज कंज्यूमर इज किंग जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वह पूर्व में नहीं था। लेकिन एक बात हमने उस समय की थी कि अगर ऐवियेशन में कोई आना चाहे तो उसको खुली छूट हो ताकि दबाव के कारण इंडियन एयरलाइन्स की भी सक्षमता बढ़े। मात्र एक बात पर हमने जोर दिया था और उस बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा सेफ्टी ऑडिट का प्रावधान पूरी तरह से रखा जाए क्योंकि विशेषकर अलायंज एयर में आपके विमान बहुत पुराने हो गए हैं। वे विमान 19, 20, 22 और 23 साल पुराने हो गये हैं।

उनका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, जो इस कारपोरेशन से अलग एक सेमी आटोनोमस हो, जो रेन्डम इंस्पैक्शन और वार्षिक इंस्पैक्शन कर सके। ताकि सेफ्टी ऑडिट जब तक पास न हो, चाहे वह प्राइवेट या गवर्नमैंट की एयरलाइन हो। जब तक उन्हें सेफ्टी ऑडिट का सर्टिफिकेट न मिले, तब तक वह वायु सेवा जारी न रख पाये। क्या इसके बारे में आपने कोई प्रबंध किया है अथवा विचार किया है। चूंकि यह बहुत आवश्यक है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को इस विभाग का बहुत अनुभव है और उन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर मंत्रालय में विचार चल रहा है और मैं आपको इतना जरूर एश्योर करना चाहूंगा कि आपने जो सुझाव दिया है, वह इन सारी एयरलाइंस के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक वाजिब कदम होगा और निश्चित तौर पर आपने जो विचार किया था, उसे हम ठोस शक्ल देने का काम जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं *(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य श्री सिंधिया जी ने जो पूछा था, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है, लेकिन उसकी ऑटोनोमस बॉडी का जो आपका सुझाव है, उस पर हम जरूर ख्याल करेंगे और उसे ठोस शक्ल देने का काम होगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलतः यह प्रश्न इंडियन एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस की जो आज आर्थिक स्थिति है, उसके अनेक कारण हैं। उसकी व्यवस्था में जो विसंगतियां हैं, वह भी एक प्रमुख कारण है। मैं एक उदाहरण दूंगा उसके बाद प्रश्न करूंगा। खजुराहो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात एक बड़ा पर्यटक केन्द्र है और इस पर्यटक केन्द्र को मुम्बई से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव पिछले वर्षों में आया और दो बार एयरलाइंस ने एक ऐसी फ्लाइट उस रूट के ऊपर ऑपरेट की। लेकिन आपने यह प्लानिंग नहीं की कि जो पर्यटन स्थल के लिए पर्यटक जाते हैं, अगर कम से कम छः महीने पहले वह रूट घोषित कर दे तो अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल एजेन्सीज हैं, वह उनके नोटिस में रहे और वे उसी के अनुसार इटीनिरेरी बना सकें और जब वह उसके अनुसार इटीनेरी बनायेंगे तो छः महीने बाद फिर उस रूट पर पर्यटक मिल पायेंगे। हमने आज रूट घोषित किया और कल ऑपरेट करना शुरू कर दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद हमने कहा कि इकोनोमिकली यह रूट वॉयबल नहीं है और उसके बाद हमने वह रूट बंद कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चाहे वह खजुराहो का रूट हो या अन्य रूट्स हों, क्या प्लानिंग के स्तर पर आप कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करेंगे, जिसमें रूट वायबल होते हुए भी अनवॉयबल घोषित न किया जा सके और क्या खजुराहो को मुम्बई से जोड़ने के लिए आप छः महीने पहले ट्रैवल एजेन्सीज और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल एजेन्सीज को सूचित करने के बाद जो अगला टूरिस्ट सीजन है, उसके बाद मुम्बई से यह एक फ्लाइट जोड़ने का प्रयास करेंगे ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला हमारे संज्ञान में लाने का काम किया है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने जो सुझाव दिया है, मैं खजुराहो के बारे में सोचता हूं कि यह हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक तरह का कमाल है, जिसे हमारे दस्तकारों ने धरती पर उतारा है। इसमें बहुत पोटेंशियल है और हम यह भी सोच रहे हैं कि पूरे देश भर में जो हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करना है, उसमें जो आर्कियोलोजिकल सैंटर्स हैं, उनमें एक सबसे बड़ा सैंटर खजुराहो है। एक सर्किट बनाकर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी हमारा मन है कि इसे अपग्रेड किया जाए। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, मैं आपको केवल एक चीज स्मरण दिला दूं कि खजुराहो मंदिरों का एक हजारवां वर्ष मिलेनियम ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। जिस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया है। इसके महत्व को देखते हुए आप इस पर विशेष रूप से विचार करें।

श्री शरद यादव : यह हमारे फॉरेन रिजर्व के लिए भी एक ऐसी बहुत बड़ी चीज बन सकती है।

यानी एक ऐसी चीज बन सकती है जो अपने आप में एक मिसाल होगी। चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, आगरा और खजुराहो जाया जाए। खजुराहो ही नहीं मध्य प्रदेश में बहुत जगह हैं, राजस्थान में बहुत जगह हैं, पूरे देश में अनेक स्थल हैं कोणार्क तक जाया जा सकता है, उनका प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष जी, पर्यटन मंत्री से भी इस बारे में विशेष सुझाव लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इंडियन एयर लाइंस से संबंधित है न कि टूरिज्म से।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, पर्यटन मंत्री खजुराहो का भूत हैं और मैं भविष्य हूं।

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : भूत बहुत देर से उतरता है, इस बात का ध्यान रखना।

[अनुवाद]

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, विगत में एयर इण्डिया लाभ कमा रही थी पर अब घाटे में चल रही है। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये जाने के बारे में बताया है। उन्होंने यह बताया है कि विनिवेश आयोग ने एयर इंडिया के बारे में आठवें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि 1000 करोड़ रुपये की सरकारी इक्विटी लगायी जाये और अन्तर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर एक महत्वपूर्ण सहभागी को शामिल किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस समिति की क्या सिफारिश है और सरकारी इक्विटी लेने और क्या अन्तर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर एक सहभागी को सम्मिलित करने के बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जो बात माननीय सदस्य ने कही है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार चल रहा है और मैंने पहले ही कहा है कि एयर इंडिया का स्वास्थ्य ठील नहीं है, उसे देखा जा रहा है।

एयर इंडिया को दुरुस्त करने में स्ट्रैटेजिक पार्टनर का क्या रोल है, उन सारी बातों पर विचार चल रहा है और जब पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको पूरी बात बताने में सक्षम होऊंगा।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, मंत्री जी को जानकारी होगी कि जिन मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस और प्राइवेट लाइन्स भी चल रही हैं, उन लाइनों पर यात्री इंडियन एयरलाइंस के विमानों में यात्रा करने से हिचकिचाते हैं और प्राइवेट एयर लाइनों से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या ऐसा है और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी खींच-खांच कर आपने इंडियन एयरलाइंस का मुनाफा बढ़ा दिया है, तो क्या बताएंगे कि इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट एयर लाइन्सें की तुलना में लाभ में है या नुकसान में ?

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य ने लाभ-हानि के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1993-94 में 258 करोड़ का लाभ हुआ, फिर 188 करोड़ का और 1995-96 में 109 करोड़ का लॉस हुआ।

श्री विजय गोयल : आप कहीं एयर इंडिया का तो नहीं बता रहे हैं ?

श्री शरद यादव : मैं इंडियन एयरलाइंस का ही बता रहा हूं। 1996-97 में 14 करोड़ का लॉस हुआ और 1997-98 में 47 करोड़ का लाभ हुआ। 1998-99 में 14 करोड़ का लाभ हुआ।

श्री विजय गोयल : मंत्री जी, इसका मतलब लॉस हुआ। 1997-98 में आपने 47 करोड़ का लाभ बताया और 1998-99 में 14 करोड़ का लाभ, यानी पिछले वर्ष मुनाफा कम हुआ अर्थात् घाटा हुआ।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में इस समय तक लाभ है और अप्रैल तक लगभग 14 करोड़ का लाभ है, अक्तूबर, नवंबर तक यह लाभ 30 करोड़ रुपए का हो जाना चाहिए, हमारी ऐसी सोच है।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से प्राइवेट एयर लाइन और इंडियन एयरलाइंस की तुलनात्मक स्थिति के बारे में भी पूछा है, लेकिन मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्राइवेट एयर लाइन्स के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस की जो हालत पहले थी और जब से प्राइवेट एयरलाइन्स आई हैं, तब से इंडियन एयरलाइंस में कोई सुधार नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं०177 भी इस विषय से संबंधित है। क्या प्रश्न संख्या 161 और 177 दोनों को एक साथ ले लिया जाए ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उसमें बहुत सुधार हुआ है और हमारी कोशिश है कि यह सुधार जारी रहे यानी व्यवहार में या और चीजों में सुधार जारी रहे जैसे ट्रंक रूट्स हैं, मुम्बई में लगातार एक घंटे में फ्लाईट जा रही है। पहले जो हालत थी। ... *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : मैंने आपसे इसका तुलनात्मक अध्ययन मांगा है। अगर अभी आपके पास वह जानकारी नहीं है तो क्या आप मुझे बाद में भिजवा देंगे ?

श्री शरद यादव : मैं आपको भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, इस क्वेश्चन को आधा घंटा हो गया है।

(व्यवधान)

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, आप कोई समय नियत कर दीजिए। ... अभी दूसरे सवाल भी हैं। ... *(व्यवधान)* आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, क्या आप इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं ?

श्री शरद यादव : मैं तैयार हूं लेकिन मुझे राज्य सभा में भी जवाब देना है। ... *(व्यवधान)* इसलिए मैं आपको बाद में सूचित करूंगा। अभी मैं सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, केवल एक पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अन्य प्रश्न भी हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप तो बोल सकते हैं लेकिन हमें सब मैम्बर्स को मौका देना है।

श्री शरद यादव : एयर होस्टैस की ड्रेसेस की प्राइवेट एयर लाइंस के साथ मुकाबला करने का सवाल है तो हम उनकी ड्रेसेस में भी चेंज करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आधे घंटे की कोई चर्चा नहीं होगी।

स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

+

***162. श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री रामदास आठवले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम ने ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार सम्पन्न बनाने अथवा कम से कम उन्हें पारिश्रमिक पर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ट्राइसेम के अंतर्गत राज्य-वार कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या ट्राइसेम द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या की तुलना में स्व-रोजगार सम्पन्न व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण के पश्चात् राज्य-वार कितने लोगों को स्व-रोजगार सम्पन्न बनाया गया;

(ङ) क्या नौंवीं योजना के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य को बढ़ाने और अधिकाधिक युवाओं को स्व-रोजगार सम्पन्न बनाने के लिए कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ग) स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) की योजना वर्ष 1979 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को मूलभूत तकनीकी और उद्यम से संबंधित कौशल उपलब्ध कराना था ताकि वे स्वरोजगार (और 1983 से मजदूरी रोजगार भी शामिल है) शुरू करने योग्य बन सकें। किन्तु ट्राइसेम के तीव्र मूल्यांकम (जून-अगस्त, 1993) से पता चला कि 47 प्रतिशत ट्राइसेम लाभार्थी बेरोजगार थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1997-98 के समवर्ती मूल्यांकन के चौथे दौर से यह पता चला कि केवल 3.02 प्रतिशत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाभार्थियों ने ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

(ख) और (घ) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) और (च) स्वरोजगार कार्यक्रमों के पुनर्गठन के संदर्भ में ट्राइसेम 1.4.1999 से अस्तित्व में नहीं है। 1.4.1999 से एक नया व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम — स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना — शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 4-5 प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रत्येक गतिविधि के लिए न्यूनतम दक्षता आवश्यकताएं निर्धारित की जानी हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिन लोगों को सहायता प्रदान की जानी है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और जहां उनके पास न्यूनतम अपेक्षित कौशल नहीं होगा, उन्हें इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। केवल ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिन्हें स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता हेतु चुना जायेगा। जिससे प्रशिक्षण के प्रयास व्यर्थ न जाएं। निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को सहायता प्रदान करने का है।

अनुबंध

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित और स्वरोजगार प्राप्त युवाओं की राज्यवार वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97			1997-98			1998-99		
		प्रशिक्षित युवा	स्व-रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा	प्रतिशत	प्रशिक्षित युवा	स्व-रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा	प्रतिशत	प्रशिक्षित युवा	स्व-रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	83716	40557	48.45	20850	5186	24.87	12933	2853	22.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	739	203	27.47	698	436	62.46	370	211	57.03
3.	असम	6277	1123	17.89	7302	1145	15.68	6714	1987	29.59
4.	बिहार	34477	7281	21.12	33337	5643	16.93	32504	4543	13.98
5.	गोवा	3863	987	25.55	1769	550	31.09	2463	388	15.75
6.	गुजरात	9371	2207	23.55	7284	2958	40.61	6560	2542	38.75
7.	हरियाणा	3519	1072	30.46	1541	345	22.39	938	139	14.82
8.	हिमाचल प्रदेश	803	313	38.98	857	293	34.19	721	161	22.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू और कश्मीर	4294	—	—	2252	198	8.79	3045	—	—
10.	कर्नाटक	18096	4900	27.08	15914	3163	19.88	10603	2924	27.58
11.	केरल	5036	1234	24.50	3846	1068	27.77	2995	989	33.02
12.	मध्य प्रदेश	39806	13703	34.42	14125	7884	55.82	12094	9193	76.01
13.	महाराष्ट्र	21447	6128	28.57	13843	4086	29.52	18580	3368	18.13
14.	मणिपुर	362	107	29.56	836	330	39.47	—	—	—
15.	मेघालय	352	105	29.83	361	75	20.78	271	181	66.79
16.	मिजोरम	445	186	41.80	552	139	25.18	401	36	8.98
17.	नागालैंड	486	122	25.10	832	186	22.36	245	43	17.55
18.	उड़ीसा	18555	7422	40.00	14951	4588	30.69	11614	4040	34.79
19.	पंजाब	1824	694	38.05	1656	380	22.95	2058	584	28.38
20.	राजस्थान	5766	812	14.08	7381	779	10.55	5691	2050	36.02
21.	सिक्किम	660	—	—	216	—	—	217	84	38.71
22.	तमिलनाडु	7687	1742	22.46	10972	454	4.14	10682	883	8.27
23.	त्रिपुरा	2597	1395	53.72	3503	658	18.78	2894	339	11.71
24.	उत्तर प्रदेश	69272	30090	43.44	65875	25567	38.81	64829	28636	44.17
25.	प. बंगाल	24199	8420	34.79	19970	7192	36.01	12673	5562	43.89
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	486	9	1.85	293	13	4.44	150	—	—
27.	दमन और द्वीव	75	—	—	151	—	—	58	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	107	—	—	82	—	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	12	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	8	—	—	138	42	30.43	128	55	—
	अखिल भारत	364337	130812	35.90	251387	73358	29.18	222431	71791	32.28

"—" अनुपलब्ध

[अनुवाद]

श्री पी०डी० एलानगोवन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नये कार्यक्रम अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पिछड़े वर्गों के लाभ के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी चाही है। राज्य सरकार और बैंकों के सलाह-मशविरा के बाद ट्राइसेम, सिटरा, गंगा कल्याण और ड्वाकरा आदि 10 लाख कुओं की योजना आदि योजनाओं को 1.4.1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यक्रम में मिला दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का उद्देश्य गरीब

ग्रामीणों की पारिवारिक आय में सुधार करना तथा उसी समय स्थानीय आवश्यकताओं को संसाधनों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन की व्यावहारिता प्रदान करना है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई में बताया है कि 1998-99 में ट्राइसेम की जो योजना थी, उसमें 2,22,431 नौजवानों को प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया गया है। मेरा सवाल है कि गांवों में रोजगार नहीं मिलता है इसलिए बहुत सारे नौजवान शहरों में आ रहे हैं। बहुत सारे नौजवान मिलिटैंसी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं या उनके मन में सरकार के खिलाफ भावना उत्पन्न हो रही है। आज देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। क्या आप एक साल में 10 या 15 लाख नौजवानों को रोजगार देने के बारे में, उनको ट्रेनिंग देने के बारे में कोई योजना बना रहे हैं ? इसी तरह आपने 1997 में जो ट्राइसेम की योजना शुरू की थी, वह 1.4.1999 को बंद कर दी है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार को सरकार ने शुरू किया है। उत्तर में बताया गया है कि एक ब्लाक में 4 या 5 गतिविधियों पर ध्यान दिया जायेगा। केवल इन 4 या 5 गतिविधियों पर ध्यान देने से बेरोजगारी हटने वाली नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले तो एक साल में कम से कम 10 या 15 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देने के बारे में कोई योजना बनानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके बारे में कोई योजना बनाई है ? इन्हीं लोगों के वोट देने से ही आप सत्ता में आये हैं। अगर सरकार इन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो वे उनको हटाने का भी प्रयत्न करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई योजना है ?

श्री सुभाष महरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि ट्राइसेम योजना को बन्द किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ट्राइसेम योजना के तहत पहले 110 करोड़ रुपये ट्रेनिंग के लिए खर्च किये जाते थे, लेकिन अब ट्राइसेम योजना को स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना के तहत लेकर 123.13 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने ट्रेनिंग के लिये रखा है। उसके साथ ही 246 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, जिसके तहत हम गरीब नौजवानों को, युवाओं को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसमें जो ट्रेनिंग किये हुए लोग होंगे, ट्रेनिंग किये हुए जो बेरोजगार युवक होंगे, उनके साथ-साथ लगाने के लिये लोन एवं सब्सिडी की व्यवस्था मिलेगी। ट्राइसेम योजना के तहत जहां पहले काम चला, वहां पर हमारे करीब 45 लाख में से 18.5 लाख बेरोजगार नौजवान स्वरोजगार से पोषित हुए। लेकिन 45 लाख में से वे नौजवान मात्र छः लाख ही रहे जिन्हें स्वरोजगार मिला। इस योजना के तहत जहां हमने स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना में जो हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य में से पहले से निश्चित रूप से ड्योढ़ी बढ़ोत्तरी होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल आपका नहीं है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपको प्रश्न करना नहीं आता है। प्लीज, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : हम तो बैठेंगे ही, लेकिन हमारा प्रश्न रह जायेगा।

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय का वक्तव्य जो सभापटल पर रखा गया है में यह स्वीकार किया गया है कि ट्राइसेम के 47 प्रतिशत लाभार्थी बेरोजगार थे। इसका मतलब यह है कि ट्राइसेम के अन्तर्गत शेष 53 प्रतिशत लोगों जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया था को लाभ मिला है और इसका पूरे देश में स्वागत हुआ है। वर्ष 1979 से ही यह योजना चल रही थी और 20 वर्ष बाद अर्थात् पिछली लोकसभा के भंग होने से ठीक पहले यह खत्म हो गई। दोनों योजनाओं में अन्तर यह है कि ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत बिना किसी प्रकार के आश्वासन के स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है परन्तु यदि यह स्वरोजगार योजना है उन्हें स्वयं ही कहीं नकदी रोजगार मिल जायेगा। जो नई योजना इस सरकार ने आरम्भ की है अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके अन्तर्गत केवल उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिन्हें सहायता दी जाती है और इससे प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित हो गया है। आप लोगों को प्रशिक्षण देने से वंचित नहीं कर सकते हैं और केवल उन्हीं लोगों को ही प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है जो रोजगार पा सकें। अतः इसमें अन्तर अवश्य है। बेरोजगारी व्याप्त है। स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। क्या सरकार सारी स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद इस पर पुनर्विचार करेगी ?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा कि ट्राइसेम के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उस ट्रेनिंग के तहत जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली, जिन नौजवान युवाओं ने ट्रेनिंग ली उनमें से करीब 54 प्रतिशत ही उससे लाभान्वित हो पाये और तीन प्रतिशत से कुछ ज्यादा नौजवान उस योजना में गये हैं, जहां पर उनके लिए विभिन्न योजनाएं स्वरोजगार के लिए और रोजगार के लिए थीं। स्वर्ण जयन्ती की जो हमारी योजना है, इस योजना के तहत हमारे जो ट्रेनिंग सैण्टर्स पहले से रखे हुए हैं, उन ट्रेनिंग सैण्टर्स को हम काम में लेंगे। उन पर उन नौजवानों को ट्रेनिंग देने की पूरी व्यवस्था रखी गई है, उनके लिए ट्रेण्ड टीचर्स का भी प्रावधान है। उसके लिए जो पहले का प्रावधान था, वह आज भी चालू है, लेकिन जो नौजवान मात्र ट्रेनिंग करने के लिए छः महीने तक आएंगे, उनको जहां 300 रुपये पहले दिये जाते थे परन्तु अब यह स्टाईपेन्ड समाप्त कर दिया गया है। अब 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 450 रुपये तक इन नौजवानों को ट्रेनिंग के लिये ट्रेनिंग सेन्टर्स इत्यादि को दिये जायेंगे और रोजगार के भी पर्याप्त साधन इस योजना में उपलब्ध रहेंगे, यह मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं।

श्री रामसागर : अध्यक्ष महोदय, जो ट्राइसेम योजना है, इसमें देखने में आया है कि जो उद्यमी या यूनिट्स ट्रेनिंग देती हैं, वह स्टाइपेंड लेने के लिए तमाम लोगों के नाम इसमें शामिल करके भ्रष्टाचार करती हैं, जबकि वास्तव में इतने लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसलिए इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें मूल्यांकन करने का प्रावधान है, जिससे यह मालूम हो सके कि वास्तव में कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं या केवल स्टाइपेंड लेने के लिए ही यह योजना चलाई जा रही है ?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, ट्राइसेम योजनाओं के तहत ऐसा नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। इन योजनाओं के तहत हमने पूरे देश में 1996-97 में 3.64 लाख नौजवानों को ट्रेंड किया है। 1997-98 में 2.51 लाख नौजवानों को ट्रेंड किया है और 1998-99 में 2.22 लाख नौजवानों को ट्रेंड किया है।

श्री रामसागर : क्या कोई फर्जी यूनिट पाई गई है, इसकी जांच कराई है ?

श्री सुभाष महरिया : मैंने सभा पटल पर स्टेटमेंट रखा है, उसमें सभी राज्यों का विवरण संलग्न है। इसके अलावा अलग से आप कोई विवरण पूछना चाहें तो वह भी हम बताने को तैयार हैं। पहले इन संस्थाओं को 300 रुपए दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया गया है।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 1.4.99 से उन्होंने पहले की ट्राइसेम और ड्वाकरा योजना को बंद करके अब स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू की है। क्या सरकार राज्य सरकारों को या संबंधित अभिकरणों को इस बात का आदेश देगी कि भारत गांवों का देश है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग धंधों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि ज्यादा लाभ बेरोजगार लोगों को प्राप्त हो सके और वे स्वावलम्बी बन सकें ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि छः महीने हो गए हैं, पूरे हिन्दुस्तान में सरकार ने कितना धन इसके लिए आबंटित किया है, क्या इसका मूल्यांकन कराया है ?

श्री सुभाष महरिया : 1979 से लेकर 83 तक और 1998-99 तक का पूरा विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकारों के साथ और बैंकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा किया गया है। उसके बाद सारी योजनाएं ट्राइसेम, सिटरा, गंगा कल्याण योजना और ड्वाकरा को 1.4.99 से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत लिया है। इसके तहत जिन नौजवानों को हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उनकी तादाद में बढ़ोत्तरी होगी। इन सारी योजनाओं के तहत उनको रोजगार देने में सुविधा होगी और देश के सभी राज्यों के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि यह कार्यक्रम बंद कर दिया है, यह चालू है और इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है।

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देश देंगे ?

श्री सुभाष महरिया : उनसे जानकारी लेकर हम निश्चितरूप से ऐसे आदेश और निर्देश भिजवाएंगे।

श्री अनन्त गुढे : मंत्री जी ने कहा है कि 47 प्रतिशत लाभार्थी बेरोजगार रहे हैं। मैं अपने सवाल को दो भागों में पूछना चाहता हूं। पहला भाग यह है कि जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए आपका विभाग में कोई दूसरी योजना शुरू की गई थी और क्या उसमें रोजगार दिलाने का प्रावधान था ? यह जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, आपको ऐसा लगता है कि इसके तहत ट्रेनिंग लेने के बाद यहां का लाभार्थी बेरोजगार नहीं होगा, क्या इसके बारे में सोचा है ?

क्या इसके बारे में आपने सोचा है या आगे चलकर यह योजना भी बन्द हो जाएगी ? आज देहातों में इस योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर जो नौजवान बाहर आयेंगे, उनको रोजगार मिले, इसके बारे में आपके विभाग ने कोई प्रावधान किया है या नहीं ?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, ट्राइसेम में ट्रेनिंग का प्रावधान है। ट्रेनिंग लेने के बाद अपना रोजगार या दूसरे प्रोफैशन में जाना उनका खुद का मानना है कि वे इस रोजगार में जायेंगे या नहीं। उनको खुद लाभान्वित करने के लिए सरकार तैयार थी। सरकार ने लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनायें चलाईं, लेकिन योजनाओं में मात्र ट्रेनिंग लेकर दूसरे कार्य में चले गए, उनके लिए सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि उनको बुलवा सके। लेकिन सरकार ने इस योजना को एक सुन्दर रूप दिया कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें विभिन्न योजनाओं के जरिए हम रोजगार देंगे और साधन भी मुहैया करायेंगे। इन सब चीजों को योजना में रखा गया है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में खुद माना है कि 43 प्रतिशत नौजवान ट्रेनिंग लेने के बाद भी बेरोजगार रहे। सन् 1979 में यह योजना चली और एक अच्छी भावना से चली, लेकिन सरकार यह मानती है और यह सही भी है कि वह योजना फेल हुई, क्यों फेल हुई, उसके आंकड़ों को आप देख सकते हैं। अब माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अब वे इस योजना को दोबारा स्वर्ण जयन्ती रोजगार के रूप में 1.4.99 से शुरू की है। मेरा मानना है, जब तक यह ट्रेनिंग या फालो-अप-एक्शन नहीं होगा, उनको रोजगार देने के लिए आर्थिक मदद से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप ट्रेनिंग देते रहेंगे और 300 रुपए से 450 रुपए वजीफा बढ़ाते जायेंगे, उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय तथा एग्रो-बेस्ड उद्योग व बैंकों से संबंध बनाना होगा, अन्यथा जो ट्रेनिंग लेकर लोग बाहर निकलेंगे, वे बेरोजगार ही रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि नौजवान ट्रेनिंग लेकर बाहर निकले, उनको बैंकों से लोन लेने की सुविधा को जोड़ दें, जब तक आप बैंकों से लोन की सुविधा को नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह योजना सफल नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है या सरकार का इस बारे में कदम उठाने का मन है ? या आप आंकड़े देकर खुश करते रहेंगे और जहां दस हजार की संख्या है, वहां एक हजार बतायेंगे और जहां परसेंटेज हाई होगा, वहां का परसेंटेज दे देंगे। इस योजना को सच्चे मन से लागू करना होगा और क्रेडिटकार्ड से जोड़ना होगा।

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा पायलट जी ने कहा है, इस बार एस जी एस वाई में लाभार्थियों का सिलैक्शन किया जाएगा, उसके बाद उन्हें ट्रेण्ड किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को प्रशिक्षण देंगे और उनको ऋण की व्यवस्था का भी प्रावधान रखा गया है। इसको मोनिटर करके इसकी व्यवस्था पूरे देश में किया जाता है।

[अनुवाद]

राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

\+
*163. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, चावल और लेवी की चीनी आवंटित की गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन वस्तुओं के आवंटन में वृद्धि किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) **गेहूं और चावल :** 1999-2000 (फरवरी, 2000) तक के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आपदा राहत के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से आवंटित गेहूं और चावल की मात्रा अनुबन्ध-I में दी गई है।

लेवी चीनी : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की आपूर्ति के मानदंड अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित हैं, जो 1991 की जनगणना पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, सरकार त्यौहार कोटे के रूप में प्रति वर्ष लगभग एक लाख टन चीनी भी रिलीज करती है, जिसका आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाता है। लेवी चीनी का राज्य-वार मासिक कोटा और वार्षिक त्यौहार कोटा अनुबन्ध-II पर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) **गेहूं और चावल :** जून, 1997 से शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की मासिक पात्रता इस प्रकार निर्धारित की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को विशेष सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किए जा सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों के औसत वार्षिक उठान और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की पात्रता के बीच के अंतर के बराबर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का अस्थायी आवंटन भी किया जाता है। मासिक आवंटन का गेहूं और चावल में विभाजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पसन्द के अनुसार किया जाता है।

आवंटन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के ब्यौरे और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया अनुबन्ध-III में दी गई है।

लेवी चीनी : जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण केरल, मिजोरम, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान से लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए थे। लेवी चीनी की अपर्याप्त उपलब्धता की दृष्टि में उनके अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

अनुबन्ध-I

1999-2000 (अप्रैल, 99-फरवरी, 2000) के दौरान आपदा राहत सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित चावल और गेहूं की राज्य-वार मात्रा बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल				गेहूं			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अतिरिक्त	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अतिरिक्त	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	415.58	1693.12	0.00	2108.70	0.00	88.00	40.00	128.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.70	64.46	27.94	100.10	0.77	5.83	0.00	6.60
3.	असम	209.66	215.34	185.00	610.00	0.00	183.30	10.00	193.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	377.96	87.12	0.00	465.08	566.94	130.68	100.00	797.62
5.	दिल्ली	0.00	141.79	0.00	141.79	0.00	444.40	220.00	664.40
6.	गोवा	2.86	39.27	27.50	69.63	1.32	18.59	11.00	30.91
7.	गुजरात	90.00	198.00	0.00	288.00	130.00	324.50	220.00	674.50
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	80.63	7.92	55.00	143.55
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	57.53	77.00	134.53	46.86	35.20	48.51	130.57
10.	जम्मू और कश्मीर	51.71	137.61	211.73	401.05	16.27	80.96	236.94	334.17
11.	कर्नाटक	253.00	407.00	165.00	825.00	63.25	101.75	220.00	385.00
12.	केरल	168.85	1209.67	220.00	1598.52	0.00	249.92	165.00	414.92
13.	मध्य प्रदेश	264.00	113.85	0.00	377.85	322.74	139.15	0.00	461.89
14.	महाराष्ट्र	232.76	246.18	220.00	696.94	432.30	455.18	220.00	1107.48
15.	मणिपुर	14.30	31.46	69.24	115.00	0.00	18.81	0.99	19.80
16.	मेघालय	15.73	104.83	69.72	190.28	0.00	11.00	1.46	12.46
17.	मिजोरम	5.83	74.91	33.91	114.65	0.00	11.11	0.95	12.06
18.	नागालैंड	8.47	94.93	11.30	114.70	2.09	16.94	1.00	20.03
19.	उड़ीसा	435.51	40.92	495.04	971.47	0.00	0.00	390.00	390.00
20.	पंजाब	7.48	3.08	0.00	10.56	39.82	16.61	0.00	56.43
21.	राजस्थान	2.75	8.19	3.89	14.83	235.95	343.14	0.00	579.09
22.	सिक्किम	3.74	32.67	44.00	80.41	0.00	1.10	0.79	1.89
23.	तमिलनाडु	503.69	422.84	723.00	1649.53	0.00	0.00	330.00	330.00
24.	त्रिपुरा	25.41	100.32	55.57	181.30	0.00	14.08	0.52	14.60
25.	उत्तर प्रदेश	346.50	123.20	208.00	677.70	704.00	243.87	454.00	1401.87
26.	प. बंगाल	242.71	118.03	115.00	475.74	260.15	711.70	0.90	972.75
27.	अं. और नि. द्वीप समूह	1.65	25.85	0.00	27.50	0.77	7.48	0.00	8.25
28.	चण्डीगढ़	0.22	1.87	1.21	3.30	1.76	10.67	7.37	19.80
29.	दादरा और नगर हवेली	1.32	1.98	2.75	6.05	0.33	0.55	1.87	2.75
30.	दमन और दीव	0.22	1.21	5.17	6.60	0.11	0.44	1.65	2.20
31.	लक्षद्वीप	0.22	5.56	0.00	5.78	0.00	0.46	0.00	0.46
32.	पांडिचेरी	7.15	3.19	11.66	22.00	0.00	0.22	8.03	8.25
	जोड़	3696.98	5805.98	2983.63	12486.59	2906.06	3673.56	2745.98	9325.60

अनुबन्ध-II

लेवी चीनी का कोटा और त्यौहार कोटे को दर्शाने वाला विवरण
(1.1.96 से प्रभावी, 1991 की जनगणना की जनसंख्या पर आधारित)

(आंकड़े टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य मासिक कोटा	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	28267	7614
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	282	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	366	94
4.	असम	9524	2896
5.	बिहार	36707	10078
6.	चंडीगढ़	391	112
7.	दादरा व नगर हवेली	60	14
8.	दिल्ली	11973	2316
9.	गोवा	508	150
10.	दमन	26	12
11.	दीव	17	0
12.	गुजरात	17557	4878
13.	हरियाणा	6996	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2197	608
15.	जम्मू और कश्मीर	3567	868
16.	कर्नाटक	19117	5350
17.	केरल	12368	3600
18.	लक्षद्वीप	81	22
19.	मध्य प्रदेश	28127	7536
20.	महाराष्ट्र	33550	9014
21.	मणिपुर	782	208
22.	मेघालय	752	200
23.	मिजोरम	293	78
24.	नागालैंड	542	128
25.	उड़ीसा	13456	3730
26.	पांडिचेरी	360	64
27.	करैकाल	86	18
28.	माहे	18	4
29.	यनम	8	2
30.	पंजाब	8619	2392
31.	राजस्थान	18704	5092
32.	सिक्किम	174	50
33.	तमिलनाडु	23741	6790
34.	त्रिपुरा	1173	302
35.	उत्तर प्रदेश	59122	15936
36.	पश्चिम बंगाल	28934	7796
	जोड़	368445	99950

अनुबन्ध-III

गेहूं और चावल के आवंटन में वृद्धि करने के लिए 1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के ब्यौरे और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	की गई मांग	लिया गया निर्णय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्राकृतिक आपदाओं के लिए 100000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के मासिक कोटे में क्रमशः 4900 और 5400 टन की वृद्धि करना	सहमत नहीं

1	2	3	4
3.	असम	(i) बाढ़ राहत के लिए 20000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	20,000 टन चावल आवंटित
		(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं के मौजूदा आवंटन में क्रमश: 30640 टन और 21700 टन की वृद्धि करना	सहमत नहीं
		(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं के मासिक कोटे में क्रमश: 50000 टन और 21700 टन की वृद्धि करना	सहमत नहीं
		(iv) गेहूं कोटे को बढ़ाकर 30,300 टन करना	विचाराधीन
4.	बिहार	बाढ़ राहत के लिए 195000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन	1,00,000 टन गेहूं आवंटित
5.	जम्मू और कश्मीर	सूखा राहत के लिए सितम्बर 99 से गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू मूल्य पर प्रतिमाह 7789 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत
6.	महाराष्ट्र	सितम्बर 99 और इसके बाद प्रतिमाह 2000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन	सहमत नहीं
7.	मणिपुर	(i) सूखा राहत के लिए जून, जुलाई और अगस्त, 99 के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर प्रतिमाह 1000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत
		(ii) सूखा राहत के लिए सितम्बर 99 और अक्तूबर 99 के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर प्रतिमाह 1000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत
8.	मेघालय	(i) मई, 99 और इसके बाद 1460 टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन को बहाल करना	सहमत नहीं
		(ii) अतिरिक्त आवंटन के रूप में प्रतिमाह 1460 टन गेहूं का आवंटन	सहमत नहीं
9.	मिजोरम	(i) मई, 1999 और इसके बाद 950 टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन	सहमत नहीं
		(ii) को बहाल करना	
		(iii) 1083 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन	विचाराधीन
10.	नागालैण्ड	(i) "मोआत्सु" त्यौहार के लिए अप्रैल, 99 से 6000 टन साधारण चावल का अतिरिक्त आवंटन	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू मूल्य पर 300 टन चावल आवंटित
		(ii) मई, 99 और इसके बाद 1000 टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन को बहाल करना	सहमत नहीं
		(iii) मई, जून और जुलाई, 99 के लिए प्रतिमाह 5000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत नहीं
		(iv) जुलाई और अगस्त, 99 के लिए प्रतिमाह 5000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत नहीं

1	2	3	4
		(v) सूखा राहत के लिए जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 99 के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर 2000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत नहीं
		(iv) क्रिसमस त्यौहार के लिए गरीबी रेखा से नीच की आबादी के लिए लागू मूल्य पर 3000 टन चावल और 3000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन	विचाराधीन
11.	उड़ीसा	(i) उड़ीसा के आठ के.बी.के. जिलों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर प्रतिमाह 14000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	उड़ीसा के केवल आठ के.बी.के. जिलों के लिए राज्य को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर प्रतिमाह 10686 टन चावल का आवंटन किया जा रहा है।
		(ii) उड़ीसा के चौदह जिलों में चक्रवात से प्रभावित जनता के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर 219540 टन चावल और 50000 टन गेहूं का विशेष अतिरिक्त आवंटन	सहमत
		(iii) चक्रवात राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य पर 96710 टन चावल का और अतिरिक्त आवंटन	विचाराधीन
12.	सिक्किम	मई, 99 और इसके बाद 790 टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन को बहाल करना	सहमत नहीं
13.	तमिलनाडु	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर जुलाई, 1999 से अप्रैल, 2000 तक प्रतिमाह 56000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत
14.	उत्तर प्रदेश	मई, 1999 से मार्च, 2000 तक भूकम्प राहत के लिए 4300 टन साधारण चावल और 1400 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन	निम्नलिखित मांग से सहमत-गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर मई, 99 से जून, 99 तक और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू दरों पर जुलाई, 1999 से मार्च, 2000 तक
15.	पश्चिम बंगाल	बाढ़ राहत के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर अक्तूबर 99 के लिए 5000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन	सहमत

[अनुवाद]

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी का आवंटन 1991 की जनगणना पर आधारित है। क्या जनसंख्या में वृद्धि पर विचार करते हुये मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों को चीनी के आवंटन में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी देना तय है। जितनी लेवी चीनी हम प्राप्त करते हैं उसमें और अधिक बढ़ना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को चावल और गेहूं का अतिरिक्त आवंटन करने के लिये अब सरकार द्वारा किस मानदण्ड का अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, बी.पी.एल. के अन्तर्गत दिया जाता है, ए.पी.एल. के अन्तर्गत दिया जाता है और इसके अतिरिक्त अगर विशेष प्राकृतिक आपदा हो तो भी दे दिया जाता है। बिना कारण के यदि कोई डिमांड आती है तो उसे देखते हैं। अभी नार्थ-ईस्ट स्टेट की डिमांड आई थी, लेकिन जब वहां के मंत्री और मुख्य मंत्री ने कहा कि क्रिसमस के लिए वहां आवश्यकता है तो क्रिसमस के लिए भी कर दिया गया है। जहां विशेष आपदा हो, उसके आधार पर कर दिया जाता है। जहां कोई कारण न हो और अतिरिक्त मांग आ जाती है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। जहां कारण होता है वहां सदा स्वीकार किया गया है।

श्री दिन्शा पटेल : अध्यक्ष जी, राज्यों को गेहूं, चावल और चीनी आज भी 1991 की सेंसस पर दिया जाता है। गुजरात में 1991 की जनगणना के हिसाब से लो-पावर्टी-फैमली 33 लाख हैं। लेकिन केन्द्र सरकार केवल 20 लाख फैमलीज के लिए गेहूं, चावल और चीनी देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल और चीनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। गुजरात सरकार ने इसके बारे में कोई खत लिखा है या नहीं लिखा है। उत्तर से तो ऐसा लगता है कि गुजरात का खत नहीं मिला है। मेरे पास गुजरात सरकार का खत है कि उन्होंने 20 अक्टूबर को केन्द्र सरकार को खत लिखा है लेकिन केन्द्र सरकार ने जवाब दिया है कि खत मिला ही नहीं है। सही बात क्या है, गुजरात सरकार की बात सही है या केन्द्र सरकार की बात सही है। वह खत कहां गुम हो गया, यह बात मैं जानना चाहता हूं।

श्री शान्ता कुमार : जैसा मैंने पहले कहा कि गेहूं, चावल और चीनी का एलोकेशन एक तो बी.पी.एल. फैमलीज हैं जिनका निर्धारण योजना आयोग, लकड़वाला ग्रुप की सिफारिशों पर हुआ है। लगभग 6 करोड़ परिवार और 30 लाख लोग उसमें आते हैं। उन लोगों के लिए 10 किलो प्रति परिवार के हिसाब से एलोकेशन हो आता है। जो पावर्टी लाइन से ऊपर हैं उनके बारे में निर्णय हुआ था कि जिस प्रदेश ने पिछले दस वर्षों में जितना अनाज उठाया है उसकी एवरेज, माइनस बी.पी.एल. फैमिली रिक्वायरमेंट, यह उनका तय हुआ था। इसी आधार पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कोई विशेष कारण होता है तो उसके आधार पर भी मांग को पूरा दिया जाता है। गुजरात के बारे में जो इन्होंने कहा है उसको देखकर बताएंगे।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं और चावल किसानों से जितनी मात्रा में लिया जाता है, गोदामों में पहुंचने के उपरांत जब वह फैयर प्राइस की दुकानों पर जाता है तो काफी मात्रा में उसमें कमी हो जाती है। बीच में वह कितना चोरी या गायब हो जाता है, मैं यह पूछना चाहता हूं।

दूसरा जो बी-पार्ट है वह यह है कि आज भी एफ.सी.आई. के गोदामों में राइस और गेहूं कागजों में रखा हुआ है लेकिन वास्तव में वहां बहुत कम है। केवल कागजों में दिखा दिया जाता है कि इतना है लेकिन वास्तव में वह उतना होता नहीं है। मंत्री जी इसके बारे में स्पष्ट करें। लेकिन वह अन्दर कागजों में तो है, एक्चुअली वह है नहीं। मंत्री जी इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, वैसे तो इसके लिए अलग प्रश्न माननीय सदस्य करें लेकिन यह सत्य है कि कुछ नुकसान होता है, डैमेजेस होते हैं। इतना अधिक अनाज प्रक्योर करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें कुछ तो होगा। लेकिन ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि कई जगह कुछ अधिक होता है। उसे रोकने की कोशिश की जाएगी।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ राज्यों ने प्राकृतिक आपदा के कारण अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था जिनमें से कुछ राज्यों का अनुरोध मान लिया था तथा कुछ राज्यों का अनुरोध नहीं माना गया था। 15 राज्य जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, उनमें से केवल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और तमिलनाडु को केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त आवंटन दिया गया। आंध्र प्रदेश ने सूखा और तूफान दोनों के अलावा 1 लाख मीट्रिक टन तक के अतिरिक्त आवंटन की मांग की थी, परन्तु उन्हें इस उद्देश्य के लिये कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं दिया गया।

पहले भी लकरावाला वर्गीकरण में आंध्र प्रदेश के साथ घोर अन्याय हुआ था। आंध्र प्रदेश में पड़े अप्रत्याशित सूखे के बावजूद हमारे राज्य को कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है।

अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त आवंटन करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आवंटन क्यों नहीं किया गया है? महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक बार किसी न किसी कारण से आंध्र प्रदेश के साथ यह भेदभाव किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो सूखा वहां पड़ा क्या वह प्राकृतिक आपदा के बराबर नहीं था। अन्य राज्यों जिन मामले ने केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त आवंटन किया था क्या वहां स्थिति प्राकृतिक आपदा के बराबर थी। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि जहां कुछ विशेष कारण रहा है, वहां भेज दिया गया है। यह आन्ध्र प्रदेश की बात कह रहे हैं। उसे देख लिया जाएगा और आवश्यकता होगी तो दे दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : गरीबी रेखा के नीचे जो आबादी है, उसके लिए संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय यह तय हुआ था कि विशेष सबसिडी से खाद्यान्न की सप्लाई की जाएगी। अभी 10 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न दिया जाता है। यह काफी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो मीनिमम मांग है उसे 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रति परिवार किया जाए। हमारा बफर स्टाक काफी ज्यादा है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार लाने की जब बात आई और टारगेटिड पी.डी.एस. हुआ जिस में बो.पी.एल. और ए.पी.एल. की बात आई। उस समय यह तय हुआ था कि जो ऊपर के लोग हैं, उनको इससे बाहर निकाला जाए लेकिन प्रदेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए अभी दस किलो चल रहा है। अधिक अनाज तो है लेकिन अधिक अनाज देने पर सबसिडी पर इनवाल्वड होगी। इस समय दस हजार करोड़ रुपए की सबसिडी सरकार को देनी पड़ रही है। अनाज तो है और दे भी सकते हैं लेकिन उसे देने में और विशेष कर बी.पी.एल. में सबसिडी इनवाल्वड है, इसलिए अभी ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

श्री प्रकाश वी० पाटील : गेहूं और चावल का प्रक्योरमैंट करते समय बफर स्टाक किया जाता है लेकिन जब चीनी का प्रक्योरमैंट करते हैं तो बफर स्टाक नहीं करते हैं। इससे गन्ना उत्पादकों और कारखानों को बहुत नुकसान होता है। इस डिसपैरिटी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कम रेट पर चीनी प्रक्योरमैंट करती है, उसमें गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों को नुकसान होता है। जो सबसिडी की बात कर रहे हैं, वह उत्पादकों को है, सरकार को नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, चीनी में 40-60 के हिसाब से लेवी में लेते हैं। उसके लिये बफर स्टॉक रखने की आवश्यकता इसलिये नहीं होती है क्योंकि चीनी मिल से चीनी लेवी में सरकार उठाती है और उसमें से फ्री चीनी सेल के लिये रिलीज की जाती है, उसका निर्णय भी सरकार करती है। चूंकि चीनी का भंडार चीनी मिलों के पास सुरक्षित रहता है इसलिये आवश्यकतानुसार चीनी उठा ली जाती है। इस प्रकार फ्री सेल के लिये जितनी आवश्यकता होती है, हम उठाकर रिलीज कर देते हैं। बफर स्टाक रखने की आवश्यकता नहीं रहती। चूंकि आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन : समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय सरकार राजसहायता हटाने वाली है। इससे केरल में घबराहट फैल गयी है। केरल देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सरकारी राशन प्रणाली आरम्भ की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल में धान की खेती में वर्ष दर वर्ष उतरोत्तर कमी आ रही है। अधिकांश किसान नकदी फसलों की खेती की तरफ जा रहे हैं। सरकार को यहां से विदेशी मुद्रा का लाभ प्राप्त होता है। इस विशेष स्थिति पर विचार करते हुये क्या सरकार खाद्य राजसहायता प्रदान करेगी और सरकारी राशन प्रणाली को सुदृढ़ करेगी।

श्री शान्ता कुमार : इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अत: घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा का उत्पादन

***164. श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुन:प्रयोज्य ऊर्जा के उत्पादन की संभावना क्या है; और

(ख) नौवीं योजना के दौरान पुन: प्रयोज्य ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) देश में अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोतों की अनुमानित संभाव्यता संलग्न विवरण-I में दी गई है। सरकार ने नौवीं योजना के दौरान अक्षय स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य और बजटीय आबंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में अक्षय ऊर्जा की अनुमानित संभाव्यता

क्र.स.	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता
1.	पवन विद्युत	20,000 मे.वा.
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय	20 मे.वा./वर्ग कि.मी.
3.	सौर तापीय	35 मे.वा./वर्ग कि.मी.
4.	बायोमास विद्युत	17,000 मे.वा.
5.	खोई आधारित सह-उत्पादन	3500 मे.वा.
6.	लघु पन बिजली (15 मे.वा. तक)	10,000 मे.वा.
7.	अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति	1700 मे.वा.
8.	बायोगैस संयंत्र (सं.)	120 लाख
9.	उन्नत चूल्हा (सं.)	12 करोड़

मे.वा. = मेगावाट वर्ग कि.मी. = वर्ग किलोमीटर
वर्ग.मी. = वर्गमीटर

विवरण-II

नवीं योजना के दौरान वास्तविक और बजटीय आवंटनों का कार्यक्रमवार विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम/योजना	(वित्तीय) (रु. करोड़ में) नौवीं योजना आवंटन	(वास्तविक) नौवीं योजना का वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
1.	बायोगैस	286.00	10 लाख

1	2	3	4
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	30.00	800 सं०
3.	उन्नत चूल्हा	84.00	150 लाख
4.	बायोमास/गैसीफायर	25.00	40 मे.वा.
5.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	53.00	660 (पुराने ब्लॉक) 200 (नये ब्लॉक)
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रदर्शन	219.00	
	एसपीवी घरेलू रोशनी		2 लाख
	एसपीवी लालटेन		3 लाख
	एसपीवी विद्युत संयंत्र		1.6 मे.वा.
7.	एसपीवी पम्प	46.50	4000 सं.
8.	एसपीवी अनुसंधान एवं विकास	25.00	
9.	सौर तापीय ऊर्जा	34.00	
	सौर जल तापन प्रणालियां (वर्ग. मी. संग्राहक क्षेत्र)		1.5 लाख
	सौर कुकर		1.5 लाख सं.
10.	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणाली	8.00	1000 सं. 250 कि.वा.
11.	पवन विद्युत	63.00	1000 मे.वा.
12.	लघु पन बिजली (एसएचपी)	187.00	
	(लघु पन बिजली)		130 मे.वा.
	(पन चक्कियां)		700 सं.
	(मरम्मत एवं रखरखाव)		65 मे.वा.
13.	बायोमास विद्युत	226.00	314 मे.वा.
14.	सौर विद्युत	63.00	141.5 मे.वा.
15.	शहरी एवं औद्योगिक तथा राष्ट्रीय बायोऊर्जा बोर्ड	62.00	42 मे.वा.
16.	अनुसंधान व विकास तथा अन्य सहायता कार्यकलाप	150.64	
17.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)		
	क. इक्विटी	250.00	
	ख. तकनीकी वाणिज्यिक निधियां	10.00	
	कुल घरेलू बजटीय स्रोत (डीबीएस)	1822.14	
18.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)	300.00	
	कुल सकल बजटीय स्रोत (जीबीएस)	2122.14	
19.	आंतरिक व अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)	1678.00	
	कुल परिव्यय	3800.14	

मे.वा. = मेगावाट, कि.वा. = किलोवाट, वर्गमी. = वर्गमीटर

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

*165. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान और चालू वित्तवर्ष के दौरान अब तक विभिन्न राज्य सरकारों से आमान परिवर्तन हेतु राज्य-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी मीटर गेज और छोटी रेल लाइनों को योजनाबद्ध तरीके से बड़ी लाइनों में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन मीटर गेज लाइनों और छोटी लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है और इनके पूरा होने की तारीख सहित संभावित व्यय का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(च) अपने मूल निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप मूल लागत में वृद्धि होने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन रेल लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) 1996-97, 1997-98, 1998-99 और चालू वर्ष में अभी तक आमान परिवर्तन के लिए राज्यों से कई अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। इन पर की गई कार्रवाई सहित इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	अनुरोधों की सं.	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई		
		स्वीकृत कार्य	प्रतिफल की दर अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की तंगी के कारण रोक दी गई	चल रहे सर्वेक्षण
आंध्र प्रदेश	1	1		
असम - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2	1		1
गुजरात	9	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	1			1
कर्नाटक	1	1		
मध्य प्रदेश	1		1	
उड़ीसा	1	1		
राजस्थान	5	3		2
तमिलनाडु	4	4		
उत्तर प्रदेश	2	1	1	
पश्चिम बंगाल	1	1		
जोड़	28	15	5	8

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) जिन आमान परिवर्तन परियोजनाओं को आरंभ किया गया है, उनकी प्रगति धन की उपलब्धता के अनुसार विनियमित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष परिचालनिक और सामरिक प्राथमिकता और बजट में आमान परिवर्तन कार्यों के लिए मुहैया कराई गई राशि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सभी कार्य इन लक्ष्यों के अनुसार प्रगति कर रहे हैं।

विवरण

आमान परिवर्तन के चालू कार्य

*उन परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट करता है जिनके लिए लक्ष्य तिथि प्रत्येक वर्ष परिचालनिक तथा सामरिक महत्व तथा बजट आवंटन के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी।

रेलवे	परियोजना	लागत (करोड़ रुपयों में)	पूरा होने की तिथि
1	2	3	4
मध्य	मिरज-लातूर	339	*कुर्दूवाडी से पंढरपुर तक आंशिक खंड को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है
पूर्वोत्तर	मथुरा-अछनेरा	33.7	*
	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	268	*
	समस्तीपुर-खगड़िया	70	*
	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	233	*
	मानसी-सहरसा-फारबिसगंज चरण-I	210	*
	आनंदनगर-नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप लाइन	250	*
	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ चरण-I	48	*
	कानपुर-कासगंज-मथुरा	395	*
	काशीपुर-लालकुआं	44.5	मार्च, 2000
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार-जोगबानी	137	*
	न्यूजलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी	536	*
	लमडिंग-सिलचर	648	*
	लमडिंग-डिब्रूगढ़ शाखा लाइनों सहित	652	*

1	2	3	4
	कटखल-बैराभी	200	*
उत्तर	श्रीगंगानगर-सरूपसर	68.7	*
	लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव	240	*
	वरीमगाम-जोधपुर, भिलड़ी-समदड़ी	185	*
	फुलेरा-जोधपुर-पिपार रोड-बिलाड़ा	45.7	*
	रिवाड़ी-सादुलपुर	198	*
दक्षिण-मध्य	मुदखेड-आदिलाबाद	170	*
	धर्मावरम-पकाला	251	*
	काटपाडी-पकाला-तिरुपति	113	*
	गुंटूर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लूरु	506	*गुंटूर से गुंतकल पूरा हो गया है।
	सिकंदराबाद-मुदखेड और जनकमपेट-बोधन	276	*
	सोलापुर-गदग	266	*
दक्षिण-पूर्व	नौपाड़ा-गुनुपुर	46.5	*
	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा	193	*
	रूपसा-बांगरीपोसी	58	*
	बांकुड़ा-दानोदर नदी रेलवे लाइन	100	*
	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	386	*
दक्षिण	विल्लुपुरम-पांडिचेरी	30	*
	कोल्लम-तिरुनेलवेल्ली-त्रिचेन्दूर एवं तेनकाशी-विरुदुनगर	280	*
	मदुरै-रामेश्वरम	240	*
	वृद्धाचलम के रास्ते कुड्डालूर-सेलम	199	*
	तिरुचिरापल्ली-नागोर-कराईकल	139	*
	तंजावूर-विल्लुपुरम-मुख्य लाइन	223	*
	बेंगलूरू-हुबली-बिरूर-शिमोगा	451	*
	आरसीकेरे-हसन-मैंगलूरू	218	*
	मैसूर-हसन	212	दिसंबर, 2000
	मैसूर-चामराजनगर	175	*
पश्चिम	आगरा-बांदीकुई	161	*
	गांधीधाम-पालनपुर	318	*
	अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	262	*
	राजकोट-वेरावल	100	*
	गांधीधाम-भुज	41.0	जून, 2000
	वांकानेर-मलिया-मियाना	82.5	*
	सुरेन्द्रनगर-भावनगर	356	*
	ध्रांगधरा-कुडा साइडिंग	8.77	दिसंबर, 2000
	नीमच-रतलाम	117	*
	भिलडी-वीरमगाम	59.9	*

[हिन्दी]

रक्षा बजट

*166. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री राम पाल सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रक्षा सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग व्यय किया जा रहा है;

(ख) चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देश अपनी-अपनी रक्षा सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग व्यय कर रहे हैं;

(ग) क्या देश की सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर रक्षा सेवाओं पर भारत का खर्च पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो रक्षा सेवाओं को और अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में भारत में चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले दस वर्षों के दौरान रक्षा व्यय इस प्रकार रहा है :-

वर्ष	बाजार-मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में रक्षा व्यय
1	2
1990-1991	2.65
1991-1992	2.44

1	2
1992-1993	2.29
1993-1994	2.49
1994-1995	2.24
1995-1996	2.20
1996-1997	2.09
1997-1998	2.26
1998-1999 (संशोधित अनुमान)	2.33
1999-2000 (बजट अनुमान)	2.28

2. रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान हमारे पड़ोसी देशों का सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में रक्षा व्यय निम्नवत् था :-

भारत के पड़ोसी देशों द्वारा रक्षा पर व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दर्शाने वाली तालिका

देश/वर्ष	1994	1995	1996	1997	1998
बांग्लादेश	1.82	1.68	1.75	1.90	उपलब्ध नहीं
चीन	4.05	3.44	3.56	3.90	4.05
म्यांमार	12.85	7.60	7.69	7.86	उपलब्ध नहीं
नेपाल	1.07	0.88	0.88	0.88	उपलब्ध नहीं
पाकिस्तान	5.55	5.32	5.30	4.85	4.32
श्रीलंका	4.41	5.14	6.24	5.95	उपलब्ध नहीं

तथापि, सैन्य व्यय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रक्रिया दस्तावेज के अनुसार भारत तथा पड़ोसी देशों द्वारा रक्षा पर व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता इस प्रकार है :

("सिप्री" वार्षिकी 1998 के अनुसार)

देश/वर्ष	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
बांग्लादेश	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6	1.6	—
चीन*	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
म्यांमार	2.2	3.3	3.6	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9	—
नेपाल	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
पाकिस्तान	6.5	6.2	6.2	6.2	6.4	6.2	5.7	5.4	5.6
श्रीलंका	2.1	1.6	2.1	2.8	3.0	3.1	3.4	5.1	6.0
भारत	3.4	3.2	2.9	2.7	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5

*ये सरकारी आंकड़े हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि इन्हें कम करके दर्शाया जाता है।

3. देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा आन्तरिक क्षेत्रों तक फैले हुए भू-सामरिक, भू-आर्थिक, सामाजिक तथा प्रौद्योगिकीय कारक जैसे जटिल और आपस में जुड़े हुए विभिन्न कारकों आदि सभी पहलुओं की लगातार समीक्षा की जाती है तथा सरकार द्वारा सुरक्षा सेनाओं के लिए आबंटन करते समय इनका ध्यान रखा जाता है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उपलब्ध संसाधनों, स्वदेशी क्षमताओं तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा सेनाओं को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सरकार निरंतर उनकी आवश्यकताओं की समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा सेनाओं की युद्धक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वे हमारी सीमाओं, प्रादेशिक द्वीपों, अपतटीय परिसंपत्तियों और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। पिछले तीन वर्षों के दौरान यह आबंटन 29505 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45694 करोड़ रुपए, अर्थात् 54.86% बढ़ोत्तरी, कर दिया गया है। संघ के बजट में रक्षा सेनाओं के लिए किए गए आबंटन के अतिरिक्त सरकार द्वारा जरूरत पड़ने पर वर्ष के दौरान भी बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में अधिक सूचना देना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

विकलांगों को रोजगार

*167. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के लिए बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान अलग-अलग मण्डल-वार कितने विकलांग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

रेल मंत्री (श्रीमती ममता बनर्जी) : (क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देने के मामले में रेल मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग के अनुदेशों का पालन करता है, जो इस प्रयोजन के लिए नोडल विभाग है। अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती कोटे में शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है (दृष्टिहीन, बधिर और विकलांग व्यक्तियों, प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत) ये नियुक्तियां उनके लिए उपयुक्त पाए जाने वाले पदों पर की जाती हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।

(ख) 1997, 1998 और 1999 (31.10.99 की स्थिति के अनुसार) के दौरान रेलों पर मंडल-वार विकलांग व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया :-

रेलवे	मंडल	1997	1998	1999 (31.10.99 तक)
1	2	3	4	5
मध्य	मुंबई	5	12	कोई नहीं
	भुसावल	7	14	12
	नागपुर	1	कोई नहीं	कोई नहीं
	सोलापुर	1	4	कोई नहीं
	जबलपुर	1	1	कोई नहीं
	झांसी	10	4	1
	मुख्यालय	कोई नहीं	कोई नहीं	4
	कुल	25	35	17
पूर्व	आसनसोल	कोई नहीं	1	कोई नहीं
	हावड़ा	कोई नहीं	1	कोई नहीं
	मुख्य कार्य प्रबंधक/जमालपुर	कोई नहीं	1	कोई नहीं
	मंडल भंडार नियंत्रक/हावड़ा	कोई नहीं	1	कोई नहीं
	मुख्यालय/कलकत्ता	कोई नहीं	3	कोई नहीं
	कुल	कोई नहीं	07	कोई नहीं
उत्तर	इलाहाबाद	कोई नहीं	13	कोई नहीं
	बीकानेर	01	02	13
	लखनऊ	09	05	05
	मुरादाबाद	कोई नहीं	13	कोई नहीं
	जोधपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	11
	फिरोजपुर	03	कोई नहीं	कोई नहीं
1	2	3	4	5
	दिल्ली	कोई नहीं	06	04
	कारखाने	कोई नहीं	कोई नहीं	11
	कुल	13	39	44
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	लखनऊ	कोई नहीं	01	01
	वाराणसी	02	04	03
	सोनपुर	04	कोई नहीं	कोई नहीं
	समस्तीपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	01
	गोरखपुर मुख्यालय	कोई नहीं	कोई नहीं	17
	कुल	06	05	22
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	कोई नहीं	20	कोई नहीं
	अलीपुरद्वार	कोई नहीं	03	10
	लमडिंग	कोई नहीं	15	कोई नहीं
	तिनसुकिया	कोई नहीं	13	कोई नहीं
	मुख्यालय मालीगांव	कोई नहीं	05	कोई नहीं
	न्यू बोंगाईगांव कारखाना	कोई नहीं	01	कोई नहीं
	डिब्रूगढ़ कारखाना	कोई नहीं	01	कोई नहीं
	कुल	कोई नहीं	58	10
दक्षिण	पालघाट	कोई नहीं	कोई नहीं	01
	बेंगलूरू	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	त्रिवेन्द्रम	कोई नहीं	कोई नहीं	02
	कुल	कोई नहीं	कोई नहीं	03
दक्षिण मध्य	हैदराबाद	08	05	14
	हुबली	13	04	कोई नहीं
	विजयवाड़ा	कोई नहीं	15	22
	सिकंदराबाद	कोई नहीं	01	29
	गुंतकल	कोई नहीं	02	कोई नहीं
	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	कोई नहीं	कोई नहीं	11
	कुल	21	27	76

1	2	3	4	5
दक्षिण	आद्रा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
पूर्व	खड़गपुर	कोई नहीं	12	30
	वाल्तेरू	—	कोई नहीं	कोई नहीं
	बिलासपुर	कोई नहीं	04	10
	चक्रधरपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	संबलपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	नागपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	खुर्दा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	मुख्यालय कलकत्ता	कोई नहीं	07	कोई नहीं
	खड़गपुर कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं	04
	रायपुर कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
	मंचेश्वर कारखाना	कोई नहीं	03	कोई नहीं
	कुल	कोई नहीं	26	44
पश्चिम	रतलाम	04	कोई नहीं	कोई नहीं
	राजकोट	कोई नहीं	06	कोई नहीं
	वड़ोदरा	कोई नहीं	04	06
	अजमेर	कोई नहीं	कोई नहीं	14
	मुख्यालय/मुंबई	कोई नहीं	कोई नहीं	14
	अजमेर कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं	14
	कुल	04	10	48
क्षेत्रीय रेलवे कुल :		69	207	264
उत्पादन इकाइयां	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	20	01	कोई नहीं
	डीजल कलपुर्जा कारखाना	01	कोई नहीं	कोई नहीं
*97-98 के लिए आयोजित संयुक्त चयन	डीजल रेल इंजन कारखाना	कोई नहीं	14*	कोई नहीं
	सवारी डिब्बा कारखाना	04	कोई नहीं	01
	रेल डिब्बा कारखाना	कोई नहीं	03	03
	पहिया एवं धुरा कारखाना	कोई नहीं	01	कोई नहीं
	कुल	25	19	04
	कुल जोड़	94	226	268

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राजसहायता

***168. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने राजसहायता के किसी अन्य विकल्प पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजसहायता कम करने की स्थिति में किस सीमा तक मूल्य वृद्धि होगी ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों अर्थात् खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल को मुहैया कराने में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता की राशि निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	खाद्यान्न	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल	जोड़
1996-97	5166	900	50	6540	12656
1997-98	7500	400	20	5820	13740
1998-99	8700	400	105	5770	14975

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने यह अनुमान नहीं लगाया है कि राजसहायता को कम करने की स्थिति में मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी।

पर्यटन संवर्धन सामग्री की धुलाई

***169. श्री रावैया मल्याला : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1999 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''आडिट आर्डर्ड इनटू टूरिज्म मिनिस्ट्रीज व्हाइट एलीफेंट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित प्रत्येक मुद्दे के संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अधिक सुचारू ढंग से कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कार्यनिष्पादन की निगरानी निरंतर की जा रही है। किए गए अन्य उपाय संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं :-

1. महालेखा नियंत्रक द्वारा पुनरीक्षा और मूल्यांकन
2. आन्तरिक लेखा परीक्षा
3. मंत्रालय के अधिकारियों तथा अधिकारियों की समिति द्वारा पुनरीक्षण
4. मंत्रालय में वार्षिक पुनरीक्षा बैठक

विवरण

बिन्दु-1 : पिछले सालब्यूनस आयर्स से केवल 17 लोग ही भारत आए। इसके अलावा, अर्जेन्टाइना में पिछले साल पर्यटन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यालय पूरे उपकरणों के साथ खोला गया।

तथ्य : वर्ष 1998 के दौरान अर्जेन्टाइना से भारत आए पर्यटकों की संख्या 3776 थी। अर्जेन्टाइना स्थित कार्यालय एक अधिकारी तथा एक स्थानीय कर्मचारी वाला बहुत छोटा कार्यालय है। इस प्रकार यह रिपोर्ट प्रामाणिक नहीं है।

बिन्दु-2 : हवाई अड्डों पर पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कागजात कुछ मामलों में पिछले दो वर्षों से रुके पड़े हैं क्योंकि एयर इण्डिया ने इन कागजातों को विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों तक नि:शुल्क पहुंचाने के लिए हाल ही में मना कर दिया है।

तथ्य : एयर इण्डिया अपने नामित एवं आन लाइन स्टेशनों तक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले साहित्य को नियमित रूप से पहुंचाता रहा है। हमारे पर्यटक कार्यालय इन कागजातों को नियमित रूप से प्राप्त कर रहे हैं।

बिन्दु-3 : पर्यटन मंत्रालय के 160 करोड़ रुपए के बजट का लगभग आधा भाग विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों पर व्यय किया जाता है, जबकि आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ कार्यालय खुलने के बाद पर्यटक आवागमन में कमी आई है।

तथ्य : पर्यटन मंत्रालय के योजनागत बजट का लगभग 40% विदेशों में पर्यटन मार्किट को बढ़ावा देने पर व्यय किया जाता है। वर्ष 1996 के बाद से जो-जो नए कार्यालय खोले गए हैं वे हैं — तेल अवीब (1996), मास्को (1997), जोहन्सबर्ग (1997) और ब्यूनस आयर्स (1998)। इन क्षेत्रों से पर्यटक आवागमन की स्थिति इस प्रकार है :-

देश	पर्यटक कार्यालय का स्थान स्थिति	देश से पर्यटक आगमन			जनवरी से जुलाई, 99 के दौरान वर्ष 98 की इसी अवधि की तुलना में पर्यटक आगमनों में सुधार का %
		1997	1998	1999 (जुलाई तक)	
इजरायल	तेल अवीव	20162	21103	11740	14.4%
सी.आई.एस.	मास्को	32190	29493	20481	23.1%
दक्षिण अफ्रीका	जोहन्सबर्ग	22218	20397	12429	30.3%
अर्जेन्टीना	ब्यूनस आयर्स	3202	3776	3168	58.8%

बिन्दु-4 : ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों की "आकस्मिक लेखा परीक्षा" आडिट कराने का आदेश देने का निर्णय लिया है।

तथ्य : विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों की "आकस्मिक लेखा परीक्षा" (आडिट) कराने संबंधी आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जाने से, पर्यटन मंत्रालय अवगत नहीं है।

बिन्दु-5 : क्या भारत स्थित 17 पर्यटक कार्यालय भी वही काम कर रहे हैं जो राज्य सरकारें कर रही हैं ?

तथ्य : राज्य सरकार की पर्यटक सेवाएं राज्य विशेष तक ही सीमित हैं जब कि भारत सरकार पर्यटक कार्यालय की सेवाएं पूरे देश भर के लिए हैं जिन्हें केन्द्रीय योजनाओं को भी लागू करना होता है। इसलिए कुल मिलाकर दोनों की कार्यप्रणाली अलग है।

बिन्दु-6 : दस (10) बड़े पर्यटक कार्यालय बन्द करने संबंधी वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव, पर्यटन मंत्रालय को 15 जुलाई को मिला है ?

तथ्य : यह गलत है।

बिन्दु-7 : पर्यटन मंत्रालय विदेश में और अधिक पर्यटक कार्यालय खोलना चाहता है और वित्त मंत्रालय से इसके लिए धन की अधिक मांग करता आ रहा है।

तथ्य : नए कार्यालय खोलने का अनुरोध नहीं किया गया है।

बिन्दु-8 : पर्यटन मंत्रालय विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के लिए प्रतिवर्ष 75 करोड़ रुपए खर्च करता है। इन छोटे कार्यालयों में भी महानिदेशक के कार्यालय से जो कर्मचारी आए हैं, उनकी संख्या 4 से भी कम नहीं है।

तथ्य : विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के लिए वर्ष 1998-99 के लिए कुल योजनागत और गैर योजनागत व्यय की राशि 65 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों की कार्यालय-वार स्थिति इस प्रकार है :-

कार्यालय	महानिदेशक कार्यालय से लिए गए कर्मचारियों की संख्या
न्यूयार्क	3
लासऐंजलिस	2
टोरंटो	2
लंदन	3
फ्रैंकफर्ट	3
एमस्टरडम	2
पेरिस	3
मैड्रिड	1
मिलान	1
स्टाकहोम	1
मास्को	1
तेल अवीब	1
सिडनी	3
सिंगापुर	2
दुबई	2
जोहन्सबर्ग	1
टोकियो	2
ब्यूनस आयर्स	1

रक्षा प्रयोगशाला में बेकार पड़ा इलेक्ट्रानिक अलार्म सिस्टम

*170. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्रों से दुश्मनों की घुसपैठ का पता लगाने में सहायक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम रक्षा प्रयोगशाला में गत कई वर्षों से धूल चाट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा बलों द्वारा इलेक्ट्रानिक अलार्म सिस्टम की खरीद न किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) इस चूक के लिए कौन उत्तरदायी है और भविष्य में किसी घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसे प्रणाली को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्वदेश में ही विकसित इलेक्ट्रानिक अलार्म प्रणाली पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी प्रभावी नहीं है। भू-कम्पीय, चुम्बकीय और निष्क्रिय आई०आर० सेंसरों का इस्तेमाल करके कार्मिकों और वाहनों का पता लगाने में सक्षम "अनअटेंडिड ग्राउंड सेंसर" की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास योजना

*171. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने जिलों को ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास योजना के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से महाराष्ट्र से कितने जिलों को शामिल किये जाने की संभावना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1999 में नवम्बर माह तक प्रत्येक राज्य को योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार क्या-क्या वास्तविक उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) देश के सभी जिलों को ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया था।

(ख) डवाकरा 1.4.99 से अस्तित्व में नहीं है। 1.4.99 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक एक नया व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के जिलों सहित देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) डवाकरा के अंतर्गत विगत दो वर्षों (1997-98 और 1998-99) के लिए राज्यवार आबंटन और वास्तविक उपलब्धियों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान डवाकरा की राज्यवार प्रगति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1997-98			1998-99		
		आबंटन		उपलब्धि	आबंटन		उपलब्धि
		केन्द्र	राज्य	बनाए गए समूहों की संख्या	केन्द्र	राज्य	बनाए गए समूहों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	362.25	362.25	7178	414.29	414.29	2557
2.	अरूणाचल प्रदेश	22.55	22.55	154	21.42	21.42	20
3.	असम	143.01	143.01	1256	561.20	561.20	369
4.	बिहार	383.29	383.29	2354	1357.52	1357.52	4834
5.	गोवा	4.54	4.54	36	1.01	1.01	12
6.	गुजरात	130.16	130.16	1375	155.99	155.99	1365
7.	हरियाणा	73.84	73.84	553	91.73	91.73	366
8.	हिमाचल प्रदेश	38.30	38.30	348	38.56	38.56	295
9.	जम्मू और कश्मीर	110.88	110.88	695	47.88	47.88	659
10.	कर्नाटक	195.05	195.05	2243	312.98	312.98	1364
11.	केरल	90.72	90.72	1355	140.36	140.36	1397
12.	मध्य प्रदेश	352.17	352.17	2717	688.21	688.21	3290
13.	महाराष्ट्र	288.29	288.29	2324	618.41	618.41	2763
14.	मणिपुर	30.87	30.87	247	37.55	37.55	0
15.	मेघालय	55.44	55.44	261	42.08	42.08	33
16.	मिजोरम	8.57	8.57	136	9.58	9.58	25
17.	नागालैंड	15.37	15.37	104	28.98	28.98	121
18.	उड़ीसा	204.50	204.50	1730	473.76	473.76	2379
19.	पंजाब	83.54	83.54	529	44.60	44.60	338
20.	राजस्थान	155.99	155.99	360	237.64	237.64	90
21.	सिक्किम	21.92	21.92	126	10.84	10.84	138
22.	तमिलनाडु	245.83	245.83	2041	366.41	366.41	2292
23.	त्रिपुरा	11.34	11.34	182	68.04	68.04	220
24.	उत्तर प्रदेश	512.57	512.57	6098	1493.35	1493.35	9205
25.	प. बंगाल	227.56	227.56	1986	526.68	526.68	1440

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अं. व नि. द्वीप समूह	7.31	—	28	2.52	—	14
2.	दादरा और नगर हवेली	4.03	—	0	2.02	—	0
3.	दमन व द्वीव	3.53	—	0	0.50	—	0
4.	लक्षद्वीप	4.03	—	6	0.50	—	6
5.	पांडिचेरी	4.03	—	14	2.52	—	7

सशस्त्र बलों में एच०आई०वी० के संक्रमण का निवारण

*172. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के कार्मिकों की आवधिक मेडिकल जांच करने के लिए जिम्मेदार भारतीय मेडिकल कोर के चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य लोगों को एच०आई०वी० से संक्रमित पाए जाने वाले कार्मिकों के परिवारों को इस संक्रमण के बारे में सूचना देनी होती है;

(ख) क्या व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऐसे रहस्यों को प्रकट करना चिकित्सा नीतिशास्त्र के विपरीत है और इससे ऐसे कार्मिकों का पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन बरबाद होता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आदेशों का ब्यौरा क्या है तथा सशस्त्र बलों के कार्मिकों में एच०आई०वी० के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अन्य क्या रोकथाम के उपाय उपयुक्त समझे गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के एच आई वी संक्रमण सहित स्वास्थ्य संबंधी गुप्त बातें उनके परिवार के सदस्यों को बताने की जरूरत नहीं है। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों में एच आई वी/एड्स फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. एच आई वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को दृश्य — श्रव्य तथा अन्य माध्यमों से तेज कर दिया गया है। ऐसे कार्यकलाप चिकित्सा, परिचर्या तथा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों और सभी स्तरों पर कमांडरों एवं धर्म गुरुओं द्वारा भी चलाए जाते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज द्वारा विशेष रूप से सशस्त्र सेना के कार्मिकों में एच आई वी/एड्स के कारणों तथा उसकी रोकथाम को दर्शाने वाली एक विडियो फिल्म तैयार की गई है और इसे प्रदर्शन के लिए सभी यूनिटों को वितरित कर दिया गया है।

2. सैन्य कार्मिकों तथा उनके परिवारों के रक्ताधान के लिए एच आई वी संक्रमण मुक्त रक्त ही इस्तेमाल किया जाता है।

3. यूनिटों में सैन्य कार्मिकों को निरोध मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं।

4. जिन सैन्य कार्मिकों में एच आई वी के निश्चित लक्षण पाये जाते हैं उनकी जांच बार-बार की जाती है तथा ऐसे कार्मिकों से संक्रमण न फैले इसके लिए निवारक उपाय किए जाते हैं।

रेल आरक्षण में भ्रष्टाचार

*173. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने दिल्ली में नवम्बर, 1999 के तीसरे सप्ताह में विभिन्न रेल जोनों के महाप्रबंधकों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आरक्षण करवाने में अत्यधिक भ्रष्टाचार और घपले हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे भ्रष्टाचार और घपलों में लिप्त रेलवे कर्मचारियों, दलालों और माफिया एजेंटों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) रेलवे में ऐसे भ्रष्टाचार, घपलों और गैर-कानूनी कार्य न होने देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों का एक सम्मेलन 30.10.1999 को आयोजित किया गया था न कि नवंबर, 99 के तीसरे सप्ताह में।

(ख) और (ग) सुरक्षा, यात्री सुविधाएं, संरक्षा और उत्पादन इकाइयों सहित क्षेत्रीय रेलों के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था और सभी प्रकार के सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें दिशानिर्देश दिए गए थे।

(घ) आरक्षण में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं।

(ङ) पकड़े गए कर्मचारियों और दलालों/ट्रेवल एजेंटों के नामों से संबंधित विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, अप्रैल से सितंबर, 1999 की अवधि के दौरान 1454 दलाल पकड़े गए थे; टिकट हस्तांतरण के 10981 मामले पकड़े गए थे, आरक्षण, बुकिंग तथा टिकट जांच के व्यापक जनसंपर्क वाले क्षेत्रों में कार्यरत 4171 कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई की गई थी।

(च) निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

1. रेल परिसरों में दलालों को पकड़ने के लिए रेल सुरक्षा बल, सतर्कता तथा वाणिज्य विभागों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

2. अप्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों पर राजकीय रेलवे पुलिस तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो की मदद से संयुक्त रूप से छापे मारे जाते हैं।

3. प्राधिकृत रेल ट्रेवल एजेंटों के परिसरों में यह देखने के लिए जांच की जाती है कि उनके द्वारा कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही हैं।

4. रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से बुकिंग तथा आरक्षणों में अनियमितताओं और कदाचारों के मामलों को पकड़ने के लिए सतर्कता द्वारा गुप-चुप तरीके से निवारक जांच की जाती है। ग्रीष्मकाल और महत्वपूर्ण त्यौहार और वर्ष के समापन की भीड़-भाड़ के दौरान ये जांच और छापे गहन कर दिए जाते हैं। जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

5. रेलों ने व्यस्त अवधि के दौरान नई गाड़ियां चलाकर, मौजूदा गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर और विशेष गाड़ियां चलाकर गाड़ियों में आरक्षित स्थान की सप्लाई और मांग के बीच अंतर की समस्या को कम करने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण गाड़ियों के सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 24 सवारी डिब्बे की गई है।

6. संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से कुछ आरक्षण कार्यालयों में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे भी संस्थापित किए गए हैं।

विदेशी एयरलाइनों द्वारा छूट दिया जाना

***174. श्री कृष्णमराजू :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी एयरलाइनों द्वारा एजेंटों को अतिरिक्त कमीशन और भारी छूट दी जा रही है जिसके कारण एयर इंडिया को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) छूट दिया जाना एक सामान्य एयरलाइन प्रक्रिया है जो मार्ग पर यातायात संभाव्यता, प्रतिस्पर्धा, मौसम संबंधी परिस्थितियों आदि जैसे कारकों पर आधारित एयरलाइनों की मूल्य-निर्धारण संबंधी रणनीतियों पर निर्भर करती है। आयटा द्वारा प्रकाशित किरायों पर छूट भिन्न-भिन्न किराया किस्मों तथा भिन्न-भिन्न सेक्टरों के संबंध में अलग-अलग होती है। भारी छूट देने से निस्संदेह लाभ में कमी आती है और इससे एयर इंडिया समेत सभी एयरलाइनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) भारतीय विमानकंपनी प्रतिनिधि बोर्ड में भारत में प्रचालन करने वाली सभी विमानकंपनियां शामिल हैं जिसने छूट देने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और उनका हल निकालने के उद्देश्य से खाड़ी तथा पश्चिमी देशों वाले मार्गों के संबंध में लाभ-सुधार कार्यक्रम समितियों का गठन किया है।

धनराशि के अभाव में रेल सुरक्षा प्रौद्योगिकी के उन्नयन कार्य का ठप होना

***175. श्री नरेश पुगलिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1999 के ''द हिंदुस्तान टाइम्स'' में ''फंड क्रंच डिरेलिंग अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी फार रेलवे सेफ्टी'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि समाचार की विषयवस्तु से सामान्यतः सहमति जताई जा सकती है, तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि रेल परिचालनों में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है जिसमें सिगनल एवं दूरसंचार में सुधार लाने सहित रेल कार्यप्रणाली के सभी पहलू शामिल होते हैं।

1950-51 और 1998-99 के बीच यात्री किलोमीटर में वृद्धि का प्रतिशत 507% रहा है। रेलपथ किलोमीटर तथा शुद्ध टन किलोमीटर (राजस्व यातायात) में वृद्धि से संबंधित तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 37% और 649% हैं। पिछले पांच वर्षों की दुर्घटनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि 67.12% दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की और 15.35% दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्त्ताओं की गलती के कारण हुई थी।

जहां तक बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा सुनिश्चित करने का संबंध है, मुख्य रूप से इसकी जिम्मेवारी सड़क उपयोगकर्ताओं की है। बहरहाल, बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के कारण

होने वाले व्यवधानों की लागत तथा जनहानि की मात्रा को देखते हुए रेलों ने जरूरत के आधार पर और चरणबद्ध तरीके से ऐसे कई समपारों पर चौकीदार तैनात करने की योजना शुरू की है।

(ग) प्रौद्योगिकी का अपग्रेडेशन तथा रेलों का आधुनिकीकरण एक सतत् और आवश्यकता पर आधारित प्रक्रिया है जिसमें इसकी सेवाओं के अपग्रेडेशन तथा संरक्षा के बेहतर मानक सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। यद्यपि भारतीय रेल में रेलपथ परिपथन, सहायक चेतावनी प्रणाली, ड्राइवर और गार्ड के बीच सचल संचार, रेलपथ का मशीनीकृत अनुरक्षण, रूट रिले अंतर्पाशन/सॉलिड स्टेट अंतर्पाशन, समपारों पर संरक्षा यंत्र, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, गाड़ी संसूचक प्रणाली, उच्च गति वाले डीजल तथा बिजली के रेल इंजन, उच्च धुरा वाले मालडिब्बे, आधुनिक रेलपथ आदि के रूप में आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल की गई है तथापि, सिमुलेटर आदि जैसी बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके परिचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के रूप में मानव संसाधनों के अपग्रेडेशन में भी लगातार निवेश किया जा रहा है। इन उपायों से रेलों के संरक्षा स्तरों में और अधिक सुधार आने की संभावना है। बहरहाल, संसाधनों की कठिनाई बनी हुई है। इस संबंध में योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ लगातार प्रयास जारी हैं। धनराशि की उपलब्धता में आगे और वृद्धि करने के उद्देश्य से, विपणन संबंधी बेहतर प्रयास, रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी तथा भूमि और आकाशीय क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग, संचार चैनलों को पट्टे पर देने आदि जैसे अन्य नवीन उपायों के जरिए राजस्व जुटाने पर और अधिक बल दिया जा रहा है। रेलों के वित्त में सुधार करने के लिए खर्च में प्रभावशाली कटौती करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इंटरनेट के जरिए रेलवे बुकिंग

*176. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार इंटरनेट के जरिए रेल टिकट बुकिंग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली हेतु अब तक क्या कार्यविधि तैयार की गई है;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में आरक्षण की सभी श्रेणियों के लिए बुकिंग इंटरनेट पर उपलब्ध होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में उन ग्रामीण लोगों की यात्रा को भी ध्यान में रखा है जिनकी देश के इंटरनेट और कंप्यूटरीकरण तक बहुत कम पहुंच होती है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। बहरहाल, विभिन्न संबद्ध मुद्दों यथा सुरक्षा, अनुमत की जाने वाली प्लास्टिक की मुद्राएं, सेवा उपलब्ध रहने का समय, इंटरनेट पर रद्दकरण तथा धनवापसी, यात्रियों को टिकटों की सुपुर्दगी आदि के संबंध में कार्रवाई करने के लिए इस प्रस्ताव की गहराई से जांच की जा रही है। साइबर नियमों के संबंध में अभी संसद द्वारा कानून बनाए जाने हैं और इन पर कार्रवाई होने के बाद ही उपर्युक्त मुद्दों का अंतिम रूप से समाधान किया जा सकता है।

(ग) जैसे ही यह प्रस्ताव कार्यान्वित हो जाएगा, सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध रूप से आरक्षण बुकिंग उपलब्ध होगी।

(घ) से (ङ) इंटरनेट के जरिए आरक्षण उपलब्ध कराने के तौर-तरीकों का निर्धारण करते समय आम जनता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

विमानों की खरीद

*177. **श्री किरीट सौमैया :**
श्री अनन्त गंगाराम गीते :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने नए विमानों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बाद बोलीदाताओं के साथ वार्ता शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने नागर विमानन मंत्रालय को अनुदेश जारी किए हैं कि वह नए विमानों की खरीद के लिए निविदा पश्चात् कोई भी बातचीत न करें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम निविदाकार के अलावा निविदा-पश्चात् बात-चीत करने की मनाही है। विमानों की खरीद के संबंध में निविदा-पश्चात् बात-चीत करने में छूट देने संबंधी मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ उठाया गया था लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुआ।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता

*178. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को राशन की दुकानों पर विशिष्ट खाद्य सामग्रियां सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छी गुणवत्ता की इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) सर्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य

सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की वसूली भण्डारण और केन्द्रीय गोदामों तक इनकी ढुलाई तथा इन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों के लिए यह भी अपेक्षित है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए दोष रहित व्यवस्था तैयार करें और इसे क्रियान्वित करें। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेल का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक माह से अधिक समय पूर्व कर दिया जाता है ताकि इन्हें उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शायद विश्व में अपने प्रकार का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है जिसमें 4.5 लाख उचित दर दुकानें हैं जिसमें लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य सरकारों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, उचित दर दुकानों सहित बहुत सी एजेंसियों के साथ जुड़े हुए इतने बड़े पैमाने वाले प्रचालन के अंतर्गत कभी-कभार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं न पहुंचने के मामलों से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों वाले खाद्यान्नों के विशेष राजसहायताप्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार मूल्यों के बीच, काफी अधिक अंतर होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य से जुड़े कुछ बेईमान व्यक्तियों में खाद्यान्नों को खुले बाजार में भेजने (डाइवर्ट) प्रवृत्ति होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जिला/तालुक स्तर के अधिकारियों के लिए उचित दर दुकानों की निरीक्षण अनुसूची तैयार करें। इसके अलावा, कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्याओं और बाधाओं की समीक्षा की जाए। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों की पहचान करने के काम में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को जोड़ें। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक जोड़ने के लिए जून, 1999 में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ताकि सामाजिक लेखा परीक्षा के रूप में इस प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की वसूली कड़ाई से एक समान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप की जाती है। भण्डारण के दौरान इन खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जो खाद्यान्न जारी किए जाते हैं वे खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप होते हैं और पीड़क जन्तुबाधा से मुक्त होते हैं।

रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

***179. श्री पी०सी० थॉमस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) रेलगाड़ियों में कौन-कौन सी अन्य नई सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में एक कार्ययोजना बनाई जा रही है।

(घ) रेलों ने कुछ चुनिंदा गाड़ियों में यात्रियों के आराम के लिए सुविधाओं को अपग्रेड किया है जिसमें बेहतर सवारी डिब्बे, स्वच्छता संबंधी प्रबंध, ऑन बोर्ड अनुरक्षण कर्मचारी तथा खान-पान की बेहतर सेवाएं शामिल होंगी।

[हिन्दी]

"वाई-2-के" समस्या

***180. डा० अशोक पटेल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों को "वाई-2-के" समस्या से पूर्णतः मुक्त रखने संबंधी कोई आपात योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विमानपत्तनों पर लगी प्रणाली तथा उपस्कर संबंधी वाई-2-के की सभी तैयारी, विक्रेताओं के वाई-2-के प्रणाली के अनुपालन की पुष्टि के प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रभावित प्रणालियों के आवश्यक नवीकरण तथा अपनाए गए सम्यक वाई-2-के निर्धारण के उपरांत पूरी कर ली गई हैं। इसके उपरांत बाह्य एजेंसियों द्वारा प्रणालियों का आंतरिक परीक्षण और आडिट किया गया और यह कार्य भी पूरा हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद, कलकत्ता तथा गुवाहाटी विमानपत्तनों पर लगे राडार सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तरराष्ट्रीय एवं घरेलू विमानपत्तनों पर यात्री सुविधा सेवाएं तथा सभी संचार, दिक्चालन अवतरण एवं निगरानी प्रणालियां वाई-2-के की समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं। विमानपत्तनों तथा विमान यातायात सेवाएं तथा मार्गों से संबंधित आकस्मिकता योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा कार्मिकों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका

है ताकि रोल-ओवर अवधि के दौरान उड़ानों को नियमित एवं सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) निम्नलिखित तत्वों को समाविष्ट करने वाली कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं :-

1. उपस्करों एवं प्रणालियों का निर्धारण तथा इंवेंटरी लिस्टिंग कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूरा कर लिया गया।

2. नवीकरण/प्रतिस्थापन कार्य मार्च, 1999 तक पूरा कर लिया गया।

3. विक्रेताओं के प्रमाणीकरण संबंधी कार्य जून, 1999 तक पूरा कर लिया गया।

4. आंतरिक परीक्षण कार्य सितम्बर, 1999 तक पूरा कर लिया गया।

5. इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बाह्य आडिट संबंधी कार्य अक्तूबर, 1999 में पूरा किया गया। इकाओ विशेषज्ञ द्वारा बाह्य आडिट संबंधी कार्य 29 नवम्बर, 1999 को शुरू किया गया तथा यह कार्य 14 दिसम्बर, 1999 तक पूरा हो जाएगा।

6. आकस्मिकता योजनाएं सितम्बर, 1999 तक तैयार की गई और कार्मिकों का प्रशिक्षण संबंधी कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

चीन द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन

1571. **श्री जी०एस० बसवराज :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 चीनी अधिकारियों और 102 सैनिकों को ले जा रहे 7 भारी वाहनों ने जुलाई 1999 के प्रथम सप्ताह में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा को पार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में बीजिंग को अपना विरोध जताया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच सीमा का समाधान होना शेष है। जम्मू तथा कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र सहित भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भी दोनों पक्षों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार भारत-चीन सीमा पर गश्त करते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के मामले राजनयिक माध्यमों और सीमा कार्मिकों की बैठकों/फ्लैग बैठकों के जरिए उठाए जाते हैं। हमारे द्वारा व्यक्त विरोधों के संदर्भ में चीनियों की सामान्य प्रतिक्रिया यह रही है कि उनके सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी ओर ही कार्रवाई की थी।

2. भारत और चीन दोनों ही सीमा के समाधान के मुद्दे पर संयुक्त कार्य दल की व्यवस्था के अंतर्गत विचार-विमर्श कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों ने बातचीत के जरिए सीमा के प्रश्न का उचित, युक्तिसंगत एवं पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के उद्देश्य को दोहराया है। 1993 में हस्ताक्षरित भारत-चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ शांति और अमन बनाए रखने संबंधी समझौते और 1996 में हस्ताक्षरित भारत-चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ सैन्य क्षेत्र में परस्पर विश्वास कायम करने संबंधी समझौते भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति एवं अमन बनाए रखने के लिए संस्थागत ढांचा मुहैया करवाते हैं।

3. सरकार सतर्क रहती है और भारत की संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को धनराशि

1572. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 58 उप-मिशन परियोजना, समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का आबंटन वर्ष के शुरू में किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किस्तों में जारी की जाती है। सब-मिशन परियोजनाओं तथा समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के लिए निधियां प्रगति एवं आवश्यक कागजात के प्रस्तुत किए जाने पर परियोजना आधार पर जारी की जाती हैं। बजट संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार को अतिरिक्त निधियां जारी करना संभव नहीं होगा।

चक्रवात के कारण बीजू पटनायक हवाई अड्डे को क्षति

1573. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17, 18, 29 और 30 अक्टूबर, 1999 को चक्रवात से उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे और अन्य हवाई अड्डों को कितनी क्षति हुई; और

(ख) वहां विमान सेवाएं पुन: आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उड़ीसा राज्य के दो विमानपत्तनों अर्थात् बीजू पटनायक विमानपत्तन, भुवनेश्वर तथा झार्सुगुडा की प्रबंध-व्यवस्था करता है। झार्सुगुडा विमानपत्तन को कोई क्षति नहीं हुई। बीजू पटनायक विमानपत्तन को हुई क्षति का अनुमान 25 लाख रु० लगाया गया। विमान यातायात नियंत्रण टावर तथा टर्मिनल में विभिन्न संचार, उपस्कर, फर्नीचर तथा जुड़नार को क्षति पहुंची है।

(ख) विमान सेवाएं दिनांक 1.11.99 से बहाल कर दी गई और तभी से इंडियन एयरलाइंस तथा राहत उड़ानें भुवनेश्वर विमानपत्तन के लिए/वहां से प्रचालित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

1574. श्री अशोक प्रधान : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) अब तक बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण क्या हैं;

(ग) सरकार ने गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का भुगतान कराने के लिए क्या योजना तैयार की है; और

(घ) नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालण में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 30.9.99 तक चीनी मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, चीनी मौसम 1998-99 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की गन्ना बकाये की कुल बकाया राशि 288.64 करोड़ रुपये थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की मिलों से संबंधित 37.87 करोड़ रुपये भी शामिल है।

(ख) से (घ) गन्ना मूल्य बकाये के संचय हो जाने के कई कारण हो सकते हैं जैसे चीनी मिलों की खराब वित्तीय स्थिति, उत्पादन की उच्च लागत, राज्य द्वारा सुझाये गए मूल्य अत्यधिक होना, अपर्याप्त बिक्री वसूली आदि।

गन्ना मूल्य बकाये का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना राज्य सरकारों का दायित्व है, जिनके पास ऐसे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्तियों और क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। तथापि, केन्द्र सरकार यह मामला राज्य सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाने के साथ-साथ खुली बिक्री चीनी के विवेकपूर्ण रिलीज के माध्यम से घरेलू बाजार में चीनी मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने तथा इसके स्थायित्व को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करती रही है। साथ ही किसानों के गन्ना मूल्य बकाये के निपटान के उपाय के रूप में वांछनीय विशिष्ट मामलों में उच्चतर खुली बिक्री चीनी कोटा भी प्रदान करती रही है।

पंचायती राज अधिनियम

1575. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पंचायती राज संस्थानों के लिए बिहार को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई; और

(घ) बकाया राशि कब तक जारी कर दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी प्रकार की निधियां आवंटित नहीं करता है। तथापि, दसवें वित्त आयोग ने 1996-97 से 1999-2000 की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने हेतु बिहार राज्य को 507.19 करोड़ रुपए का अनुदान अधिनिर्णीत किया था इस राशि में से 126.80 करोड़ रुपए 1996-97 में जारी किए गए। तत्पश्चात् बाद के वर्षों में आगे और किस्तें जारी नहीं की गई।

(घ) अनुदान जारी करने के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा बनाये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संविधान के अन्तर्गत जहां चुनी हुई पंचायतों का गठन अनिवार्य है उन राज्यों में पंचायतों का गठन अवश्य होना चाहिए। बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं इसलिए वहां पंचायतों का गठन नहीं हुआ है। बिहार के लिए निधियों की रिलीज पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य में चुनाव कराए जाएं और संदर्भाधीन दिशा-निर्देशों में बनाई गई शर्तों को पूरा कर लिया जाए।

[अनुवाद]

एयरबस के टायर फटना

1576. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1999 में चेन्नई में उतरते समय मुंबई-चेन्नई-सिंगापुर के मार्ग पर चलने वाली ए-310 एयरबस, जिसमें 189 यात्री सवार थे, के चार टायर फट गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) विमानचालक के गलत निर्णय के कारण 24 जून, 1999 को चेन्नई में एयर इंडिया की एयरबस ए-310 विमान के चार टायर अवतरण

करते समय क्षतिग्रस्त हो गए थे। विमान धावनपथ से पहले उतर गया तथा उसके पहिये धावनपथ के रख-रखाव के लिए वहां पर रखी वस्तुओं से टकराये।

(ग) घटना के बाद लगभग छः महीने के लिए इसमें अंतर्ग्रस्त विमानचालक को उड़ान के लिए नहीं भेजा गया था और उन्हें उड़ान पर भेजने से पूर्व पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया था और नेमी जांच सहित जांच की गई थी। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि धावनपथ का चिन्हांकन अद्यतन इकाओ अनुबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने धावनपथ और एप्रन चिन्हांकन हेतु कड़ाई से अनुपालन के लिए एक समय में निरीक्षण कार्य भी आरंभ किया है।

भारतीय मानक ब्यूरो

1577. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो का विचार नोएडा में एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब से काम करने की संभावना है; और

(घ) गुणवत्ता मानकों का काम देखने वाले व्यावसायिकों के प्रबोधन हेतु संस्थान द्वारा क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और गुणता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान पहले ही वर्ष 1995 में स्थापित कर दिया है। यह प्रशिक्षण संस्थान इस समय नई दिल्ली स्थित ब्यूरो के परिसर में काम कर रहा है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संस्थान के भवन का निर्माण करने के लिए नोएडा में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। भारत सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस स्कीम के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि दे रही है। नोएडा में संस्थान के भवन और उसकी आधारढांचे संबंधी सुविधाएं तैयार हो जाने पर यह प्रशिक्षण संस्थान वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण संस्थान उद्योग, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के व्यावसायियों को गुणता प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। ये कार्यक्रम आई.एस.ओ. 9000 — गुणता प्रबंधन, आई.एस.ओ. 14000 — पर्यावरण प्रबंधन, प्रयोगशाला प्रबंधन आदि से संबंधित है।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लिए नए मार्ग

1578. **श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा शुरू किए गए नए मार्गों/सेवाओं का वर्षवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटे में चल रहे मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विगत तीन वर्षों में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा शुरू किए गए नए मार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) घाटा होने वाले मार्गों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विमानकंपनियों ने इन मार्गों को लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

एयरइंडिया

(1) अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन प्रयासों में तेजी लाई गई है।

(2) लाभप्रद मार्ग पर जोर देते हुए नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन करना।

(3) क्षमता की अनुकूलतम उपयोगिता सुनिश्चित करना।

(4) स्वचालित राजस्व उत्पाद प्रबंधन प्रणालियां (ए.आर.एम.एस.) शुरू करना और विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार बजट में कटौती।

इंडियन एयरलाइन्स

इंडियन एयरलाइन्स ने भी विमानों की बढ़ी हुई उपयोगिता, अर्थव्यवस्था और यातायात मांग के मापदंड की आधार पर क्षमता लगाया जाना, विपणन संबंधी कार्रवाई शुरू करना, ग्राहक सेवाओं में सुधार जैसे विभिन्न कदम उठाये हैं।

विवरण

(क) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित नए मार्ग निम्न प्रकार से हैं :-

एयर इंडिया

1997 : मुम्बई/दिल्ली/हांगकांग/सियोल और वी.वी, जयपुर/जैसलमेर

1998 : हैदराबाद और सिंगापुर

1999 : कोचि और प्वाइंट्स इन दि गल्फ/आबू-धाबी/मस्कट/बहरीन/दोहा/देहरान

इंडियन एयरलाइंस

1997 : अगाती-गोवा, जयपुर-जैसलमेर, दिल्ली-जैसलमेर, बेंगलोर-सिंगापुर, कलकत्ता-सिंगापुर, यंगून-सिंगापुर, त्रिची-कुवैत, कोयम्बटूर-शारजाह, अमृतसर-शारजाह।

1998 : दिल्ली-विजाग, मुम्बई-जैसलमेर, मुम्बई-रायपुर, अहमदाबाद-पुणे, कलकत्ता-पुणे, मुम्बई-वाराणसी, एजवाल-इम्फाल।

1999 : दिल्ली-शिमला, दिल्ली-कुल्लु, मुम्बई-लखनऊ, मुम्बई-पटना, मुम्बई-रांची, दिल्ली-कोयम्बतूर, दिल्ली-कालीकट, लखनऊ-

वाराणसी, दिल्ली-जबलपुर, जबलपुर-भोपाल, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-धर्मशाला, बेंगलूर-कोयम्बतूर, ग्वालियर-जबलपुर, मुम्बई-जम्मू, मुम्बई-श्रीनगर, मुम्बई-पुणे, लखनऊ-शारजाह, बेंगलोर-कुआलालम्पुर, कोचीन-शारजाह, बेंगलोर-बैंकॉक, कोच्चीन मस्कट, कोच्चीन-कुवैत।

(ख) घाटा होने वाले मार्ग निम्न प्रकार से हैं :

वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए अनुसूचित सेवाओं की मार्ग-वार लाभप्रदता के अनुसार यू.एस.ए., यू.के., कन्टीनेन्ट, रूस, हांगकांग, जापान, जकार्ता, सिंगापुर सेक्टरों पर प्रचालनात्मक घाटा हुआ है। घरेलू प्रचालन तथा हब और स्पोक प्रचालनों में भी घाटा हुआ है।

इंडियन एयरलाइंस (अप्रैल से सितम्बर, 1999 (अनंतिम) :-

मुम्बई वडोदरा, हैदराबाद तिरुवनन्तपुरम, मद्रास-हैदराबाद, मद्रास-कोयम्बतूर, कलकत्ता-गुवाहाटी, दिल्ली-गुवाहाटी, चेन्नई-बेंगलोर, चेन्नई कालीकट गुवाहाटी-अगरतला, मुम्बई-भावनगर कलकत्ता-अगरतला, चेन्नई तिरुचिरापल्ली, जम्मू-लेह, मद्रास-कोयम्बतूर-कोचीन मद्रास काठमांडू।

सुपर बाजार में सतर्कता के मामले

1579. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान सुपर बाजार में सतर्कता के कितने मामले हुए; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार में वर्ष 1999 के दौरान अब तक 10 सतर्कता संबंधी मामले सामने आए हैं।

(ख) 18 में से 2 मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है और सुपर बाजार की सेवा और आचरण नियमावली के अनुसार दण्ड लगाए गए हैं। अन्य मामलों में जांच चल रही है।

[हिन्दी]

सम्पर्क सड़कों का निर्माण

1580. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सम्पर्क सड़कों के विकास के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) कर्नाटक में सड़कों से जोड़े गए अथवा जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या कितनी है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पनामा के नौभार पोत को पकड़ना

1581. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया का 8000 टन भार क्षमता वाला नौभार पोत, जिसे 15 समुद्री दस्यु ले जा रहे थे, को 16 नवंबर, 1999 को भारतीय नौसेना और तटीय रक्षक बल ने 12 घंटे के नाटकीय संयुक्त प्रयास द्वारा गोवा से 270 मील की दूरी पर पकड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) तटरक्षक और नौसेना द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में जलदस्युओं द्वारा लूटा गया जलयान "एम वी एलोंड्रा रेनबो", जो पनामा में पंजीकृत था, 16 नवंबर, 1999 को हिन्द महासागर में जलदस्युओं सहित पकड़ा गया था। यह जलयान और जलदस्यु जांच-पड़ताल के लिए पुलिस को सौंप दिए गए हैं।

रक्षा विभाग में कंप्यूटरों पर इंटरनेट सुविधा

1582. **श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में कम्प्यूटरों पर इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है और इसके लिए श्रेणी-वार/पद-वार कौन से अधिकारी अर्ह बनाए गए हैं;

(ग) राष्ट्र की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) ऐसे संवेदनशील कार्यालयों में यह सुविधा प्रदान करने का औचित्य क्या है और इस सुविधा का दुरुपयोग न होने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं में चुनिंदा अफसरों को भी आवश्यकता के आधार पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

(ग) और (घ) इंटरनेट के सभी पर्सनल कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं (उन्हें एल ए एन/डब्ल्यु ए एन या अन्य किसी कंप्यूटर से नहीं जोड़ा गया है)। इन कंप्यूटरों में वर्गीकृत श्रेणी की कोई सूचना एकत्र नहीं की गई है। उन कंप्यूटरों में केवल वही सूचना उपलब्ध है जो केवल इंटरनेट से ली जाती है। सुरक्षा संबंधी किसी भी जोखिम से बचने के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। इंटरनेट व्यापक सूचनाओं वाला एक

सर्वाधिक बहुमुखी स्रोत है जिसके माध्यम से अत्यंत सस्ती कीमत पर तत्काल सूचना उपलब्ध हो जाती है। इससे रक्षा संबंधी मामलों पर विभिन्न विदेशी संस्थानों, निजी संस्थानों और राष्ट्रीय एजेंसियों से सूचना प्राप्त करना संभव है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति

1583. **श्री लाल बिहारी तिवारी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी का वितरण समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित गेहूं का मूल्य इन दिनों इसके बाजार मूल्य से अधिक होने के कारण इसकी कीमत को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय निर्गम मूल्य को कम करने से खाद्य सब्सिडि के बिल में अनियंत्रणीय स्तर तक वृद्धि हो जाएगी।

[अनुवाद]

गोदाम का निर्माण

1584. **श्री एम०जी० रामुलू : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कर्नाटक के कोप्पल में प्रस्तावित गोदाम के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोदाम का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 1985 में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम की संयुक्त भंडारण समिति ने कर्नाटक स्थित कोप्पल नामक स्थान, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया था, सहित पूरे देश भर में गोदामों के निर्माण के लिए एक अनंतिम योजना तैयार की थी। तत्पश्चात् निधि की कमी और अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थलों पर गोदामों के निर्माण की आवश्यकता के कारण निर्माण योजना की समीक्षा की गई थी। वहां पर ब्राड गेज रेलवे साइडिंग नहीं है इसलिए कोप्पल में गोदाम निर्माण संबंधी प्रस्ताव को प्रचालनात्मक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान उतारने और उड़ान भरने संबंधी उपस्कर

1585. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों को उतारने और उड़ान भरने में प्रयोग में लाए जाने वाले उपस्कर बेकार पड़े हैं;

(ख) इन उपस्करों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन उपस्करों को कब तक काम में लाया जायेगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेल यात्री सेवा एजेंट

1586. **श्री विजय संकेश्वर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रेल यात्री सेवा एजेंटों की संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) कितने रेल यात्री सेवा एजेंटों ने अपनी एजेंसियां वापस कर दी है तथा इनका मंडलवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके स्थान पर नए रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे नए आर.टी.एस.ए. की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) दक्षिण मध्य रेलवे के कुछ स्थानों पर रेल यात्री सेवा एजेंटों के आवंटन के लिए की गई मांग है। छ: रेल यात्री सेवा एजेंटों, हुबली में एक और विजयवाड़ा मंडल में 5 रेल यात्री सेवा एजेंटों ने अपने लाइसेंस अभ्यर्पित कर दिए हैं। जब कभी रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी तब रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

धान की खरीद

1587. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री राजो सिंह :
श्री किशन सिंह सांगवान :
श्री कान्तिलाल भूरिया :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष धान, चावल और गेहूं की खरीद का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी एजेंसियों ने निर्धारित कोटे से कम खरीद की है;

(ग) यदि हां, तो कम खरीद के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्यों में भविष्य के लिए खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 1999-2000 के लिए कितनी खरीद का अनुमान है;

(छ) क्या देश में खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित भंडार मौजूद हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) पिछले तीन वर्षों में हुई धान, चावल और गेहूं की राज्यवार वसूली के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। चूंकि किसानों के लिए वसूली प्रचालन स्वैच्छिक होते हैं इसलिए खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) हाल ही में सरकार ने "खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली" योजना को अनुमोदित कर दिया है जिसके तहत नामित राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इंगित आवंटनों के अनुसार खाद्यान्नों की वसूली, इनका भंडारण और इन्हें जारी कर सकते हैं।

इस योजना के अधीन पश्चिम बंगाल में 1997-98 से चावल की वसूली शुरू हुई जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं के लिए यह योजना रबी विपणन मौसम 1999-2000 से शुरू की गई है। गुजरात, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर आदि जैसे अन्य राज्यों से उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। तथापि, राजस्थान और तमिलनाडु इस योजना के पक्ष में नहीं हैं।

(च) खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 में लगभग 14 मिलियन टन चावल की वसूली होने का अनुमान है।

(छ) जी, हां। 1.7.99 और 1.10.99 को अपेक्षित बफर मानदण्डों के प्रति केन्द्रीय पूल में स्टाक निम्नानुसार था :-

(लाख टन में)

निम्न तारीख को स्थिति	बफर मानदण्ड		केन्द्रीय पूल में स्टाक	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
01.07.1999	100.00	143.00	107.35	216.35
01.07.1999	65.00	116.00	88.18	204.05

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लोकसभा में दिनांक 9.12.99 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 1587 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित उपाबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई चावल, धान और गेहूं की कुल मात्रा के राज्य-वार ब्यौरे

चावल विपणन मौसम : (अक्तूबर-सितम्बर) गेहूं विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च)

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई चावल, धान और गेहूं की कुल मात्रा											
	1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000 (3.12.99 तक)		
	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	4503.59	31.90	0	3854.53	0.05	0	5051.66	16.43	0	542.47	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0.39	0	6.08	24.87	0.02	0	0	0.44	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0.09	0	0.16	7.61	4.19	0	1.55
हरियाणा	1057.26	220.70	2021.66	1160.86	161.45	2290.28	223.03	115.58	3157.66	423.20	347.25	3865.23
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	1.70	0	0	0.41
कर्नाटक	82.73	0	0	91.87	0	0	100.44	0	0	1.19	0	0
मध्य प्रदेश	543.76	54.45	4.45	623.24	605.74	107.44	271.91	235.95	530.14	54.12	46.01	541.71
महाराष्ट्र	32.35	0.06	0	31.52	0.17	0	5.02	0.28	0	4.85	0	0
उड़ीसा	469.05	11.16	0	683.83	24.80	0	480.87	0	0	35.69	0	0
पंजाब	787.99	5164.70	5641.68	1328.62	7060.42	5960.74	413.67	5955.07	6146.49	819.28	8269.73	7831.09
राजस्थान	3.17	0	228.95	1.76	6.60	319.81	3.08	0.60	566.62	6.22	24.42	636.78
उत्तर प्रदेश	910.43	0.01	260.71	1064.62	13.03	617.44	861.24	10.34	2140.94	247.06	10.81	1261.16
प० बंगाल	158.85	0	0	203.20	0	0	140.63	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	1.56	3.23	0	7.62	0.16	0	8.29	1.20	0	1.40	0	0
चंडीगढ़	13.95	0	0	10.88	0	1.77	0	8.06	0	0	17.18	0
तमिलनाडु	0	1084.57	0	0	1837.65	0	0	1094.65	0	0	160.19	0
अखिल भारत	8565.55	6571.17	8157.45	9068.63	9734.94	9297.59	7559.84	7438.37	12651.78	2139.67	8875.59	14137.93

जबलपुर सेना बेस-कार्यशाला में नियुक्तियां

1588. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 506 सेना बेस-कार्यशाला, जबलपुर में जनवरी, 1998 से श्रेणीवार कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई;

(ख) इस भर्ती के लिए क्या कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया;

(ग) क्या चयन की प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार कितने पद रिक्त हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, जबलपुर में जनवरी, 1998 से भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या श्रेणी-वार इस प्रकार है :-

आशुलिपिक	=	01
श्रमिक	=	22
फायरमैन	=	01
इंस्ट्रूमेन्ट मैकेनिक	=	02
टेलीकॉम मैकेनिक	=	04
स्टोर कीपर	=	01
चौकीदार	=	01
रबड़ तथा प्लास्टिक मोल्डर	=	01

(ख) ये नियुक्तियां सरकार द्वारा निर्धारित संगत भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं।

(ग) और (घ) टेलीकॉम मैकेनिकों को बिना परीक्षा के नियुक्त किए जाने के बारे में प्रशिक्षुओं द्वारा एक मामला केन्द्रीय

प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर में दायर किया गया है। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

(ङ) वर्तमान में 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में निम्नलिखित पद रिक्त हैं :

श्रमिक	=	16
फायरमैन	=	03
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	=	06
टेलीकॉम मैकेनिक	=	26
स्टोर-कीपर	=	07
चौकीदार	=	07

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि

1589. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1999 को "द आब्जर्वर" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "प्राइमरी आर्टिकल्स पुश्ड-अप द लिविंग कॉस्ट ऑन 1998-99" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि के कारण वर्ष 1998-99 के दौरान परिवारों के बजट का बोझ अत्यधिक बढ़ गया;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जीवन यापन खर्च में उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998-99 के दौरान सब्जियों, अनाजों जैसी कुछ प्राथमिक वस्तुओं और खाद्य तेल जैसे विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 के दौरान दालों, सब्जियों और खाद्य तेलों जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: कृषि क्षेत्र में कमी के कारण कम उत्पादन, प्रतिकूल और बेमौसम की बरसात के कारण फसलों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन वस्तुओं की अनुपलब्धता तथा ऊंचे मूल्यों के कारण कम आयात किए जाने के कारण हुई। इस स्थिति से निपटने तथा आम आदमी पर पड़ रहे भार को कम करने के लिए सरकार ने दालों और प्याज का शून्य प्रतिशत शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति देने तथा खाद्य तेलों के शुल्क में कमी करने जैसे कुछ उपाय किए हैं ताकि इन वस्तुओं की उपलभ्यता में वृद्धि की जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त सरकार ने आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली में तथा कुछ राज्य सरकारों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर प्याज का वितरण किया।

इच्छापुर, पश्चिम बंगाल स्थित राइफल फैक्ट्री में ठेका कार्य

1590. **डा० बलिराम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइफल फैक्ट्री इच्छापुर (पश्चिम बंगाल) का अधिकांश कार्य ठेकेदारों के जरिए पूरा कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ठेकेदारों के जरिए कराये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फैक्ट्री के कर्मचारी अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप ठेका प्रणाली की आवश्यकता पड़ जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मौजूदा ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह निर्माणी सीमित और अपरिहार्य क्षेत्रों में ही ठेकेदारों के जरिए काम कराती है, जो कि निर्माणी के आकार और कार्य क्षेत्र को देखते हुए सामान्य है।

(ग) निर्माणी के कुल कारोबार के 15 से 19% तक की कच्ची सामग्री और कुछ संघटकों/उप-एसेम्बलियों जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति बाहरी स्रोतों अर्थात् स्वदेशी उद्योगों से की जाती है।

(घ) जी, नहीं। निर्माणी के सभी कामगार उत्पादन कार्यकलापों में पूरी तरह से लगे हुए हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में पेयजल योजनाएं

1591. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भूमिगत जल के स्तर के नीचे चले जाने के कारण करोड़ों रुपयों की पेयजल योजना रुक गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नए जल स्रोतों को बनाने के लिए चिरस्थायी स्रोतों जैसे इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा बांध परियोजना से पानी लाने तथा मौजूदा जल स्रोतों को पुन: प्रयोज्य बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि कोई भी योजना पूर्णत: बंद नहीं पड़ी हुई है। जिन भूजल स्रोतों का जल स्तर कम हो गया है, उनमें या तो गहरी खुदाई करके अथवा वैकल्पिक स्रोत खोदकर वृद्धि की गई है जिससे योजनाओं को लाभ पहुंचा है।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्थान सरकार चिरस्थायी स्रोत अर्थात् इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा बांध परियोजना से जल लाने पर विचार कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार संभाव्यता रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

1592. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच कलैन्डर महीनों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ;

(ख) पर्यटकों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी पर्यटकों को भारत में आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) पिछले पांच कलैन्डर महीनों के दौरान पर्यटक आगमन निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

महीना	पर्यटक अगम
जुलाई	189045
अगस्त	184808
सितम्बर	169200
अक्तूबर	219442
नवम्बर	257251 (अ.)
कुल	1019746

अ.—अनन्तिम

(ख) पर्यटक आगमन में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) भारत में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :- अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, विपणन प्रयासों का सुदृढ़ीकरण और निरन्तर मानव संसाधन विकास तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

[हिन्दी]

भोपाल और इन्दौर के लिए एयर बस सेवा

1593. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से हवाई अड्डे हैं जहां से एयर बस सेवा शुरू की जा सकती है; और

(ख) भोपाल और इन्दौर के लिए एयर बस सेवा कब से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, रायपुर, खजुराहो तथा ग्वालियर (सिविल एन्कलेव) में एयरबस-320 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए आधारिक संरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) यातायात संभाव्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विमानों की उपलब्धता के आधार पर विमानकंपनी प्रचालक एयरबस सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

नंदुरबार में सड़क उपरि पुल का निर्माण

1594. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर में रेलवे फाटक पर एक सड़क उपरि पुल का निर्माण करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नगर निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, प्रस्ताव की योजना और शर्तें एवं निबंधन को रेलवे ने पहले ही सन् 1996 में नन्दुरबार नगर परिषद को स्वीकृति के लिए भेज दिया था। मंजूरी अभी मिलनी बाकी है।

(ख) कार्य पर 2.84 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान (रेलवे का हिस्सा) है।

(ग) इस समय कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में हवाई पट्टियों का प्रयोग

1595. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० येरननायडू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हवाई यातायात नेटवर्क में सुधार लाने और पड़ोसी राज्यों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु कुड्डप्पा, वारंगल, राजामुंद्री, आदिलाबाद और नागार्जुन सागर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटपड़गंज में ऊपरि पुल का निर्माण

1596. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से पटपड़गंज रेलवे फाटक, दिल्ली में सड़क उपरि पुल बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू हुआ और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आई और इसे पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ग) निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इस पर कितना खर्च होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के निक्षेप कार्य के रूप में मधुबन चौक पटपड़गंज में ऊपरी सड़क पुल के स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य को 1993-94 में मंजूरी दी गई थी।

(ख) नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्य में बाधक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के केबिलों, दिल्ली विद्युत बोर्ड की केबिलें और पानी की मुख्य पाइप लाईनें स्थानांतरित करने के बाद इस निचले पुल का निर्माण 1997 में आरंभ किया गया था। इस कार्य के रेलवे भाग की अनुमानित लागत 775.39 लाख रुपये है और 31.3.2000 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने रेल हिस्से के कार्य को पूरा करने के लिए 219.07 लाख रुपये की शेष राशि जमा नहीं कराई है। नगर निगम द्वारा अभी तक पहुंच मार्गों पर भी कार्य शुरू नहीं किया है।

(घ) रेलवे के हिस्से के कार्य के 31.3.2000 तक पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि नगर निगम द्वारा रेलों के पास पूरी धनराशि जमा करा दे। अभी तक 555.73 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

[अनुवाद]

कुमारघाट-अगरतला रेल लाइन का निर्माण

1597. **श्री बसुदेव आचार्य** :
श्री बाजू बन रियान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत कुमारघाट से अगरतला नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत अगरतला से सबरूम में नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उक्त कार्यों की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अपेक्षित 929 एकड़ भूमि में से 560 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। मैदानी इलाकों में 42 कि.मी. की लंबाई तक मिट्टी संबंधी कार्य एवं छोटे पुलों के निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है। पहाड़ी इलाकों में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और जैसे ही संरेखण की पहचान हो जाती है और भूमि उपलब्ध हो जाती है, कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) सर्वेक्षण प्रगति पर है और रिपोर्ट 31.3.2000 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही परियोजना पर अग्रिम कार्रवाई संभव हो सकेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों की संख्या में कमी

1598. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1999 के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों से देश में अधिक संख्या में पर्यटक भेजने में कोई सहायता मिल सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यालयों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जिन उपायों का प्रस्ताव रखा गया है, वे इस प्रकार हैं :-

- विपणन कवरेज पर अधिक ध्यान देना,
- पर्यटक सूचना के प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना,

— सेमीनार, कार्यशालाएं और मार्ग प्रदर्शन आदि का आयोजन करने के माध्यम से भारत का एक पर्यटक गन्तव्य-स्थल के रूप में संवर्धन करना, और

— यात्रा उद्योग के साथ सांझे रूप से पर्यटन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना।

भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत

1599. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के किसी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित 16 नवम्बर, 1999 को एक स्वतंत्रता सेनानी की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शिकायत पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्सल पोर्टर के रूप में कार्यरत एक रेल कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। यह आरोप लगाया गया है कि वह बुकिंग करते समय गैर कानूनी ढंग से 50 रुपए प्रति मद वसूल कर रहा है, उसके घर चोरी के अनेक चीजें हैं और रेल उपयोगकर्त्ताओं को भयभीत करने के लिए असामाजिक तत्वों को आश्रय दे रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि वह गैर कानूनी रूप से शराब लाता है और रेलवे स्टेशन पर बेचता है और उसके स्थानीय पुलिस और रेल कर्मियों से सीधे संबंध हैं।

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सर्वप्रथम शिकायत की सत्यता का सत्यापन करना होता है जो अब कर लिया गया है और जांच चल रही है।

हवाई अड्डों पर श्रेणी-II और III "इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम"

1600. **श्री सी० कुप्पुसामी :**
डा० अशोक पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं जहां श्रेणी-III इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम लगे हुए हैं;

(ख) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर आई.एल.एस. श्रेणी-II का श्रेणी-III में उन्नयन करने का कार्य चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) केवल इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली ही श्रेणी-II उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) से सज्जित है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह कार्य सितम्बर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।

आमान परिवर्तन हेतु धनराशि का आवंटन

1601. **श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत लालकुआं-बरेली और भोजीपुर-टनकपुर रेल मार्ग का सर्वेक्षण करने और उसे बड़ी लाइन में बदलने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाइनों को कब तक बड़ी लाइन में बदल देने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) लालकुआं-बरेली और भोजीपुर-टनकपुर रेल लाइनों का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए आमान परिवर्तन सर्वेक्षण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। परियोजनाओं की अलाभप्रद प्रकृति तथा धन के तीक्ष्ण अभाव के कारण इस परियोजना को इस समय शुरू करना संभव नहीं पाया गया है।

जवाहर रोजगार योजना

1602. **श्री जी०जे० जावीया :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पंचमहल जिले में किन-किन नगरों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वानिकी और बागवानी विकास के लिए चुना गया है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक ऐसी कितनी योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है साथ ही ऐसी योजनाओं के चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या योजना का कार्यान्वयन करते समय इनकी उपलब्धि और सफलता की संभाव्यता पर भी विचार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या जवाहर रोजगार योजना को गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए देश के सभी भागों में कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) भूतपूर्व जवाहर रोजगार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार का सृजन करना था, को देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना था।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वानिकी तथा बागवानी विकास के लिए अलग से कोई निधि निर्धारित नहीं की जाती थी।

कार्यान्वयन एजेंसियां विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों, जिसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप वानिकी एवं बागवानी विकास जैसे कार्य भी शामिल थे, को शुरू करने तथा कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र थीं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से लेकर 1998-99 तक खर्च की गई राशि 30155.65 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जवाहर रोजगार को पुनर्गठित कर दिया गया है तथा 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर आधारित सामुदायिक ग्रामीण ढांचा सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है तथा केन्द्र एवं राज्य द्वारा इसका व्यय 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

पोर्ट ब्लेयर में तैनात तटरक्षकों के लिए रियायती हवाई किराया

1603. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य सैन्य बलों के समान पोर्ट ब्लेयर में तैनात तटरक्षकों को इस टापू से मुख्य भूमि के लिए हवाई किराये में 50 प्रतिशत रियायत देने का प्रस्ताव है जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तटरक्षकों की यह मांग कब तक मान ली जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में तैनात तटरक्षक कार्मिकों को हवाई किराए में रियायत दिए जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) तटरक्षक कार्मिक सशस्त्र सेनाओं के सदस्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

रूस से टी-90 टैंक

1604. **श्री के० येरननायडू :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस से टी-90 टैंक खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विशिष्टताएं क्या हैं; और

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं और इसकी सुपुर्दगी की समयावधि क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार ने रूस से खरीदे जाने वाले टी-90 एस टैंकों के परीक्षण मूल्यांकन से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) परीक्षण मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है तथा मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस टैंक की विशिष्टताएं खरीदे जा सकने वाले विश्व के समकालीन मुख्य युद्धक टैंकों के अनुरूप हैं।

(ग) यह करार केवल परीक्षण मूल्यांकन से संबंधित है, सुपुर्दगी कार्यक्रम इस करार का हिस्सा नहीं था।

चीनी का निर्यात

1605. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों को चीनी का निर्यात किया जा रहा है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार चीनी का निर्यात नहीं करती है। तथापि, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कलकत्ता के आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान देशवार चीनी का निर्यात दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा टन में) (मूल्य रुपये/लाख में)

वित्तीय वर्ष		1996-97		1997-98	
क्र. सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपये/लाख में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपये/लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	3	0.21	—	—
2.	आस्ट्रेलिया	13	1.81	33	5.89
3.	ऑस्ट्रिया	26	2.98	—	—
4.	बहरीन	14	2.35	39	8.29
5.	बंगला देश	12821	1662.36	99	12.19
6.	बेल्जियम	—	—	9	2.60
7.	बारबाडोस	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	ब्राजील	—	—	—	—
9.	भूटान	2434	285.81	2429	258.01
10.	कनाडा	281	41.49	344	55.08
11.	चिली	—	—	—	—
12.	चाइनीज तेइपी	68	7.30	—	—
13.	चीन पीआरपी	20	2.70	—	—
14.	चेकोस्लावाकिया गणराज्य	—	—	एन.आर.	0.01
15.	डेनमार्क	2	0.26	—	—
16.	एथोपिया	62	8.29	—	—
17.	इजीप्ट ए. आरपी	—	—	—	—
18.	फ्रांस	11009	3026.03	10032	2779.23
19.	फ्रिजी आइ एस	—	—	—	—
20.	जर्मन एफ गणराज्य	74	16.44	14	11.02
21.	ग्रीस	—	—	—	—
22.	गयाना	—	—	72	10.03
23.	हांग कांग	—	—	—	—
24	इंडोनेशिया	154646	18739.55	—	—
25.	इसराइल	8	1.37	3	0.88
26.	इटली	5	2.95	8	1.13
27.	आइवरी कोस्ट	—	—	—	—
28.	आयरलैण्ड	—	—	9	2.84
29.	जापान	1	0.13	9	3.31
30.	जोर्डन	3306	442.29	—	—
31.	केनिया	40015	5094.20	16	5.83
32.	कीरीवाटी गणराज्य	—	—	—	—
33.	कोरिया आरपी	—	—	—	—
34.	कुवैत	12	2.96	42	9.14
35.	मालावी	2	0.29	22	3.12
36.	मलेशिया	22105	2497.16	2689	315.31
37.	मालदीव	643	83.78	—	—
38.	माले	46	4.83	—	—
39.	मॉरीशस	—	—	—	—
40.	म्यांमार	—	—	2550	297.53
41.	मेक्सिको	—	—	—	—
42.	नेपाल	4444	418.12	45	9.69
43.	नीदरलैण्ड	—	—	52	5.32
44.	न्यूजीलैण्ड	9	1.77	41	9.28
45.	ओमान	122	19.83	61	12.41
46.	पाकिस्तान	232666	30821.00	103250	13269.67
47.	फिलीपिन्स	—	—	1	0.10
48.	पुर्तगाल	—	—	10500	1619.21
49.	कतार	26	4.72	42	7.89
50.	रशिया	46375	6413.86	12500	1815.39
51.	रियूनियन	—	—	—	—
52.	सऊदी अरब	74	17.66	54	11.25
53.	सैशल्स	2	0.24	2	0.31
54.	सिंगापुर	292	29.03	157	25.29
55.	सोमालिया	32275	3436.39	—	—
56.	साउथ अफ्रीका	21	5.87	10	2.08
57.	स्पेन	—	—	49	6.60
58.	श्रीलंका	72705	8953.87	9633	1072.77
59.	सूडान	1	0.06	—	—
60.	स्विटजरलैण्ड	एन.आर.	0.08	—	—
61.	तनजानिया गणराज्य	एन.आर.	0.03	2	0.21
62.	त्रिनिदाद	—	—	—	—
63.	थाईलैण्ड	—	—	—	—
64.	तुर्की	—	—	—	—
65.	यू.ए.ई.	19572	2791.76	568	108.38
66.	यू.के.	7766	799.05	681	135.65

1	2	3	4	5	6
67.	यूकरन	—	—	—	—
68.	यू.एस.ए.	582	86.01	17160	2543.19
69.	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	—	—	—	—
70.	यमन गणराज्य	3689	343.30	55	8.52
71.	जाम्बिया	37	9.84	—	—
72.	जिम्बाब्वे	—	—	—	—
	कुल	667274	86080.03	173282	24444.65

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता, वाणिज्य मंत्रालय।

वितीय वर्ष 1998-99 के दौरान देशवार चीनी का निर्यात और इसके मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपये/लाख में)
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	4	0.45
2.	बहरीन	346	70.18
3.	बंगला देश	60	7.35
4.	बेल्जियम	20	3.93
5.	बारबाडोस	6	1.12
6.	ब्राजील	200	37.15
7.	भुटान	2040	229.67
8.	कनाडा	131	24.01
9.	चिली	10	3.43
10.	चाइनीज तेइपी	14	2.22
11.	इजीप्ट ए आरपी	131	25.21
12.	फ्रांस	11	5.57
13.	फिजी आई एस	20	3.35
14.	जर्मन एफ गणराज्य	31	4.43
15.	इटली	98	17.99
16.	जापान	50	3.19
17.	कीनीया	18	3.58
18.	कोरिया आरपी	61	16.15
19.	कुवैत	96	29.15
20.	मालावी	3	0.52
21.	मलेशिया	4065	429.77
22.	नेपाल	147	22.92
23.	न्यूजीलैण्ड	25	3.53
24.	ओमान	120	24.80
25.	पाकिस्तान	351	39.24
26.	पुर्तगाल	137	18.41
27.	कतार	21	3.83
28.	रियूनियन	2	0.44
29.	सऊदी अरब	139	24.04
30.	सेशल्स	11	4.40
31.	सिंगापुर	102	16.50
32.	दक्षिण अफ्रीका	46	10.23
33.	स्पेन	एन.आर.	0.12
34.	श्रीलंका	73	16.87
35.	स्विटजरलैण्ड	200	53.65
36.	तनजानिया गणराज्य	84	16.02
37.	थाइलैण्ड	एन.आर.	0.33
38.	यू.ए.ई.	1124	181.92
39.	यू.के.	329	58.39
40.	यूक्रेन	50	8.84
41.	यू.एस.ए.	593	107.33
42.	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	50	5.21
43.	यमन गणराज्य	271	44.50
	कुल	11290	1579.94

(आंकड़े अनंतिम हैं)

स्रोत : डी जी सी आई, एंड एस, कलकत्ता, वाणिज्य मंत्रालय।

कापार्ट में सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठन

1606. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण विकास कार्यों में संलिप्त हैं;

(ख) क्या सरकार को धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

1607. श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री रामसागर रावत:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक किन-किन आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण किया गया है और इनका वर्तमान कार्य निष्पादन कैसा है;

(ख) शेष आयुध कारखानों का कब तक आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा;

(ग) इनकी क्षमता उपयोग में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का निकट भविष्य में किस स्थान पर आयुध कारखाना खोलने का विचार है और उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके लिए किए गए उपायों में पुराने संयंत्र एंव मशीनरी का नवीकरण और प्रतिस्थापन तथा नई मशीनों और प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है। सभी उन्तालीस आयुध निर्माणियों में वर्ष 1998-99 और चालू वर्ष 1999-2000 के दौरान इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत निवेश अलग-अलग मात्रा में किया गया है।

(ग) क्षमताओं के उपयोग में कोई कमी नहीं आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी सामान का कुल मूल्य और चालू वर्ष (1999-2000) में जारी किए जाने के लिए नियोजित सामान का मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	जारी सामान का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996-97	2564
1997-98	3056
1998-99	4066
1999-2000	5309.71 (नियोजित)

(घ) बिहार के नालंदा जिले में एक आयुध निर्माणी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विस्तुत रिपोर्ट तैयार की गई है और भू-अधिग्रहण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आई.आर.ई.डी.ए. द्वारा बनाई गई फिल्में

1608. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का एक उपक्रम भारतीय पुन:प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी (आई. आर. ई. डी. ए.) अपने क्रियाकलापों के संबंध में गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं द्वारा वृत्तचित्र का निर्माण कराता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय पुन:प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कितनी फिल्मों का निर्माण कराया गया है तथा इसके निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन वृत्तचित्रों के निर्माण पर भारतीय पुन:प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा वर्षवार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी हां, पिछले पांच वर्षों के दौरान इरेडा ने मैसर्स टेली आई कम्यूनिकेशन्स, मैसर्स प्राइम टाइम न्यूज नेटर्वक और मैसर्स इंडो विजन मीडिया से एक-एक और मैसर्स प्राइम इमेजेज प्राइवेट लिमिटेड से दो अर्थात् कुल मिलाकर पांच फिल्में बनवाई हैं।

(ग) इरेडा द्वारा इन फिल्मों के बनाने में वर्षवार किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	व्यय
1994-95	शून्य
1995-96	4 लाख रुपये
1996-97	12 लाख रुपये
1997-98	शून्य
1998-99	5.6 लाख रुपये

[अनुवाद]

जंक्शन का डिवीजन में परिवर्तन

1609. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जंक्शन को डिवीजन में परिवर्तित करने के लिए क्या मानदण्ड नियत किये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान कितने जंक्शन डिवीजन में परिवर्तित किए गये;

(ग) क्या दक्षिणी रेल के अन्तर्गत सलेम जंक्शन को डिवीजन में परिवर्तित करने के लिए सरकार से कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जंक्शन को मंडल में बदलने के लिये सरकार ने कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है।

(ख) सरकार से आठ नये मंडल स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है जिनके मुख्यालय अहमदाबाद, आगरा, गुंटूर, पुणे, रायपुर, रंगिया, राँची तथा सिंगरौली जंक्शन हैं।

(ग) जी हां, सेलम में नया मंडल स्थापित करने के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं।

(घ) मितव्ययता और कार्यकुशलता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आकार, कार्यभार, पहुंच, यातायात के स्वरूप आदि जैसे कारकों और अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए मंडलों की स्थापना की जाती है। इन आधारों पर सेलम में नये मंडल की स्थापना की मांग को परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

ट्रेनों में पेयजल

1610. **डॉ. वी. सरोजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे कम्पार्टमेंट के अंदर ही यात्रियों को नि:शुल्क सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति मटका, नल पानी की चल ट्रालियों, कूलरों प्याऊ और जल शीतकों के माध्यम से की जाती है। गाड़ियों में खाने के साथ-साथ पानी के पाउच नि:शुल्क सप्लाई किए जाते हैं। राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी यात्रियों को बोतलों में भी पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। फिलहाल रेल कंपार्टमेंट में यात्रियों को पीने के पानी की सप्लाई की अन्य कोई योजना नहीं है।

के. पी. सिंह देव समिति की रिपोर्ट

1611. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों/प्रादेशिक सेना की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए श्री के. पी. सिंह देव समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक जिन सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की गई है, उनकी स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें विचार प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं और उन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बंजरभूमि और वन भूमि का आवंटन

1612. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों के वृक्ष और वृक्षारोपण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों या भूमिहीनों को बंजरभूमि और वन भूमि आवंटित करने हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए भी धनराशि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो क्षेत्र के बीच विमान सेवा

1613. **श्री शिवराज चौहान** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो के बीच विमान सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नगर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता पर विचार करते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर

विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने *मार्ग संवितरण* संबंधी मार्गदर्शी-सिद्धांत बनाए हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाओं का प्रबन्ध करना विमानकंपनियों पर निर्भर करता है जो मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुपालन के अध्ययधीन होगा।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

1614. **डॉ० जयन्त रंगपी :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) निजी और सहकारी क्षेत्र द्वारा ऐसी कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) लघु जल विद्युत परियोजनाओं से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होता है; और

(घ) विद्युत उत्पादन के रूप में इस क्षेत्र में राज्यवार क्या संभावनाएं हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) देश में, अब तक 202.37 मेगावाट की समग्र क्षमता की 263 लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं (3 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक की) स्थापित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इनमें से, 42.55 मेगावट क्षमता की 24 परियोजनाएं निजी क्षेत्र मे स्थापित की गई हैं।

(ग) लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं से अनुमानित औसतन विद्युत उत्पादन लगभग 600 मिलियन इकाई प्रतिवर्ष है।

(घ) देश में, 3 मेगावाट तक की लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 2852 मेगावाट की समग्र क्षमता वाले 3349 संभावित स्थलों की पहचान की गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में 3 मे.वा. स्टेशन क्षमता तक की स्थापित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मे.वा. में)
1	2	3	4
1.	हरियाणा	1	0.20
2.	हिमाचल प्रदेश	26	11.60
3.	जम्मू व कश्मीर	17	8.37
4.	पंजाब	8	9.90
5.	राजस्थान	6	4.85
6.	उत्तर प्रदेश	65	31.39
7.	गोवा	1	0.05
8.	गुजरात	1	2.00
9.	मध्य प्रदेश	6	5.66
10.	महाराष्ट्र	6	7.03
11.	आंध्र प्रदेश	19	29.76
12.	कर्नाटक	15	20.95
13.	केरल	5	5.52
14.	तमिलनाडु	3	4.75
15.	बिहार	5	0.05
16.	उड़ीसा	3	1.26
17.	सिक्किम	8	9.25
18.	पश्चिम बंगाल	9	7.98
19.	अरुणाचल प्रदेश	30	21.05
20.	असम	2	2.20
21.	मणिपुर	6	4.10
22.	मेघालय	1	1.51
23.	मिजोरम	13	8.76
24.	नागालैंड	5	3.17
25.	त्रिपुरा	2	1.01
	कुल	263	202.37

विवरण-II

देश में 3 मे.वा. क्षमता की पहचान की गई लघु जल विद्युत संभाव्यता

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थलों की संख्या	संभाव्यता (मे.वा. में)
1	2	3	4
1.	हरियाणा	21	24.05
2.	हिमालय प्रदेश	166	216.03
3.	जम्मू व कश्मीर	106	145.52

1	2	3	4
4.	पंजाब	78	65.26
5.	राजस्थान	49	27.26
6.	उत्तर प्रदेश	310	326.63
7.	गुजरात	283	113.33
8.	मध्य प्रदेश	99	74.63
9.	महाराष्ट्र	183	123.57
10.	आंध्र प्रदेश	271	114.88
11.	कर्नाटक	181	166.11
12.	केरल	167	199.10
13.	तमिलनाडु	131	141.92
14.	बिहार	158	199.37
15.	उड़ीसा	152	88.76
16.	सिक्किम	52	56.25
17.	पश्चिम बंगाल	141	153.87
18.	अरूणाचल प्रदेश	433	382.31
19.	असम	38	50.00
20.	मणिपुर	91	59.75
21.	मेघालय	83	41.00
22.	मिजोरम	73	42.32
23.	नागालैंड	67	26.89
24.	त्रिपुरा	8	9.85
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	1.15
26.	गोवा	3	2.60
	कुल	3349	2852.41

[हिन्दी]

रेल कर्मचारियों का निलंबन

1615. **श्री अजित सिंह :**
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैसल रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना के बाद रेलवे के पांच उच्च पदस्थ अधिकारियों को उनकी ड्यूटी में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध किस तिथि को निलंबन आदेश जारी किए गए थे;

(ग) क्या उपरोक्ता सभी अधिकारियों को अक्तूबर, 1999 के प्रथम सप्ताह में पुनः बहाल कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (1) श्री एस.बी. भट्टाचार्य, मुख्य परिचालन प्रबंधक, पू. सी. रेलवे।

(2) श्री एस. एन. मुखर्जी, मंडल रेल प्रबंधक/कटिहार मंडल/पू. सी. रेलवे।

(3) श्री आर. के. यांगा, मुख्य संरक्षा अधिकारी/पू. सी. रेलवे।

(4) श्री हरि राम राव, मंडल संरक्षा अधिकारी/कटिहार मंडल/पू. सी. रेलवे।

(5) श्री वी. आर. लेनिन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक कटिहार मंडल, पू. सी. रेलवे।

उपरोक्त उल्लिखित सभी अधिकारी 4.8.99 को निलंबित कर दिए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई सांविधिक जांच की अंतरिम जांच रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया गया है।

[अनुवाद]

फर्रूखाबाद और शिकोहाबाद के बीच रेलवे लाइन

1616. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रूखाबाद और शिकोहाबाद के बीच की रेलवे लाइन निर्धारित मानदंड से निम्न स्तर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग रेल लाइन के सुधार पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या रेल विभाग को इस संबंध में पहले कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) कानपुर-फर्रूखाबाद रेल लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तल्प में मिट्टी डालने एवं पुलों से संबंधित कार्य अच्छी प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।

पर्यटन संबंधी पत्रिका

1617. **श्री पी॰एस॰ गढ़वी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा पर्यटन से संबंधित कौन-कौन सी विशेष पत्रिकाओं को विज्ञापन सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान स्मारिकाओं और पुस्तिकाओं को बड़ी संख्या में विज्ञापन जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संगठनों के नाम, दरें आदि क्या हैं; और

(घ) विज्ञापनों संबंधी सहायता देकर पर्यटन संबंधी लघु पत्रिकाओं को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन भारत पर्यटन विकास निगम ही एकमात्र निजी सार्वजनिक क्षेत्र है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा जिन विशिष्ट पर्यटन पत्रिकाओं में विज्ञापन सहायता की सूचना दी गई है उन्हें संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिए गए विज्ञापनों की संख्या और इस संबंध में स्मारिकाओं और ब्रोशरों पर किए गए व्यय की सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा बड़ी और छोटी पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के लिए प्रचार सहायता दी जाती है ताकि पर्यटन एंव इसके सामाजिक तथा आर्थिक लाभों के संबंध में जागरूकता पैदा हो।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान पर्यटन पर विशिष्ट पत्रिकाओं भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिए गए विज्ञापनों की सूची

1997-98

1. ट्रैक्स ट्रेन्डस
2. ट्रैव टाक
3. क्लेर्ड आफ ट्रेवल एण्ड टूरिज्म
4. ट्रेवल टाइडिंग्स
5. एक्सप्रैस ट्रेवल एण्ड टूरिज्म
6. एक्सप्रैस होटलियर एण्ड केटरर्स
7. सफारी इंडिया
8. एशियन पैनोरमा
9. ट्रेवल सीन एशिया
10. इन्दामा
11. वोयेज
12. सी इंडिया
13. टूरिज्म एण्ड वाइल्ड लाइफ
14. होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट इंडिया
15. होटल एण्ड फूड सर्विस रिव्यू
16. परफैक्ट मीडिया
17. टोप टूरिज्म
18. स्टेट ट्रेड टाइम्स
19. ट्रेवल मार्किट इंडिया
20. ट्रेवल ओबजरवर
21. ग्लोबल ट्रेवल एक्सप्रैस
22. ब्यूटीफुल राजस्थान
23. होस्पीटीलिटी इंडिया
24. राजस्थान अतिथि
25. टू-डेज ट्रेवलर
26. टाइम आउट इंडिया
27. प्लाजा टाइम्स
28. ट्रेवल मेल
29. टीएएआई डायरेक्टरी
30. पैसेज
31. होटल्स गाइड आफ इंडिया
32. फोर्ट एन गंगाज ट्रेवलर्स गाइड
33. इंडियन होटल गाइड 1998
34. उड़ीसा रिफरेंस एनुवल
35. सार्क एनफो बैंक
36. ट्रेवल प्लानर 1998

37. इंडिया बेस्ट आफ बेस्ट 1998
38. इंडिया ट्रेवल गाईड 1998
39. होटल एण्ड रेस्टोरेंट गाइड 98
40. कान्फ्रैंस प्लानर
41. इंडियन होटल डायरेक्ट्री
42. एम.सी.आई.टी. प्लानर
43. आई.ए.टी.ओ. मेनुअल
44. स्काई फ्लायर

1998-99

1. ट्रेवल ट्रेन्डस
2. टूडेज ट्रेवलर
3. ट्रेव टाक
4. क्लर्ड आफ ट्रेवल एण्ड
5. एक्सप्रेस ट्रेवल एण्ड टूरिज्म
6. एक्सप्रेस होटलियर एण्ड केटरर्स
7. सफारी इंडिया
8. एशियन पैरोनमा
9. डेस्टिनेशन इंडिया
10. इन्दरामा
11. वोयेज
12. सी इंडिया
13. टूरिज्म वाइल्ड लाइफ
14. होटल एण्ड रेस्टोरेंट एण्ड इंडिया
15. होटल एण्ड फूड सर्विस रिव्यू
16. प्रफैक्ट इंडिया
17. टोप टूरिज्म
18. स्टेट ट्रेड टाइम्स
19. ट्रेवल ओबजरवर
20. ग्लोबल ट्रेवल एक्सप्रेस
21. ब्यूटीफुल राजस्थान
22. होस्पिटलीटी इंडिया
23. प्लाजा टाइम्स
24. ट्रेवल मेल
25. होटल एण्ड रेस्टोरेंट गाइड
26. आई.ए.टी.ओ. मेनुवल
27. होस्पीटीलीटी इंडिया
28. डेस्टिनेशन केरल
29. होलिडे ट्रेवल इंडिया
30. ट्रेवल प्लानर 1999
31. इंडिया बेस्ट आफ बेस्ट
32. कान्फ्रैंस प्लानर 1999
33. इंडियन होटल डायरेक्ट्री 99
34. होटल एण्ड रेस्टोरेंट गाईड इंडिया एण्ड नेपाल 1999
35. हेमकुन्त पब्लिशर्स
36. ललित आर्ट मीडिया फाइनेस्ट होटल्स इन इंडिया 1999
37. फेडरेशन एण्ड होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एशो. आफ इंडिया-पाकेट गाइड
38. पाथ फाइन्डर-होटलिस्ट
39. मीटिंग एण्ड इन्सेंटीव्स ट्रेवल टेवलाइड

विवरण-II

वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान स्मारिकाओं (सोवेनीयर)/ ब्रोशरों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए प्रचार तथा उन पर आई-लागत-की-सूची

1997-98 (लागत रुपयों में)

1.	पीस चाइल्ड इंडिया-ब्रोशर	3000/-
2.	पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी आफ इंडिया-सोवेनीयर	3000/-
3.	असम एशोशिएशन दिल्ली सोवेनीयर	10000/-
4.	इंडियन नेशनल ट्रेड युनियन कांग्रेस-सोवेनीयर	7500/-
5.	फाउंडेशन फार एविएशन एण्ड सस्टेनेविल टूरिज्म-न्यूज लेटर	12000/-
6.	जनरल आफ पीस एण्ड गांधीयन स्टडीज-स्पेशल इश्यू	4000/-
7.	लाइंस क्लब इन्टरनेशनल-डायरेक्ट्री	3000/-

8.	बुद्धीस्ट मोनूमेंट डिवलेपमेंट काउंसिल–स्पेशल वालयूम	5000/-
9.	परो युद्धन भारती इन्टरनेशनल-स्पेशल इश्यू	3000/-
10.	बंगाल एशोसिएशन-लिटरेरी मैग्जीन	4500/-
11.	दिल्ली सिम्फैनी सोसायटी-सोवेनीयर	10000/-
12.	आईआईटी-मद्रास एलोमिनी एशोएिशन सोवेनीयर	10000/-
13.	उट्टारायन-सोवेनीयर	2500/-
14.	डूइंग बिजनेशन बीद मंगौलिया-ब्रौशर	5000/-
15.	काइस्ट चर्च नोयडा-सोवेनीयर	5000/-
16.	विजय कृष्ण मोडक मैमोरियल ट्रस्ट-सोवेनीयर	3000/-
17.	एसोचेम-सोवेनीयर	7000/-
18.	आल इंडिया जोवेनिल एण्ड यूथ फैस्टिवल-स्पैशल इश्यू	10000/-
19.	वसुन्धरा एन्कलेव पूजा समिति-सोवेनीयर	7000/-
20.	बुद्धीस्ट मानुमेन्टस डेवलोपमेंट काउंसिल-ब्रोशर	10000/-
21.	सोसायटी फार परमोशन आफ रिकरियेशनल टूरिज्म एण्ड स्पोर्ट्स	15000/-
22.	नई दिल्ली कालीबाडी	5000/-
23.	सी आर पार्क काली मन्दिर सोसायटी-पूजा इश्यू	1200/-
24.	धर्मशीला कॆंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर-सोवेनीयर	5000/-
25.	पूर्वोशिरी महिला समिति-एनुवल इश्यू	1000/-
26.	सप्तऋषि-सोवेनीयर	1500/-
27.	पश्चिम बिहार बंगाल एसोशिएशंन-सोवेनीयर	1100/-
28.	प्रान्तीक-सोवेनीयर	750/-
29.	दक्षिण दिल्ली कालीबाडी-सोवेनीयर	2000/-
30.	अन्जुमन-स्पेशल इश्यू	10000/-
31.	ग्राम शहर	5000/-
32.	श्री हट्टा सम्मेलीनी	5000/-
33.	द इस्पास्तिक सोसायटी आफ नार्दन इंडिया	14000/-
34.	दक्षिण पल्ली दुर्गा पुजा समिति-सोवेनीयर	3000/-
35.	इंडियन सोसायटी आफ एनेस्थीस्टीट्स-सोवेनीयर	10000/-
36.	प्रेस क्लब आफ इंडिया-सोवेनीयर	15000/-
37.	आल इंडिया स्पोर्टस काउंसिल आफ डैफ-स्पेशल इश्यू	2000/-
38.	इंडियन कल्चरल सोसायटी-सोवेनीयर	3500/-
39.	वोली बाल होम, उड़ीसा-सोवेनीयर	5000/-
40.	अमेटर एशोसिएशन आफ आई ए-सोवेनीयर	5000/-
41.	आईसर सीआई मैप	27500/-
42.	एशोसिएशन आफ ब्रिटिश स्कोलर्स-सोवेनीयर	5000/-
43.	मित्र मण्डली तरून समाज	7000/-
44.	कार्टुनिस्ट रंगाज एग्जीविशन-सोवेनीयर	8000/-
45.	होटल एयरपोर्ट अशोक एम्पलाईज को-आपरेशन क्रेडिट सोसायटी	1000/-

1998-99

1.	नेशनल सूनियन आफ जर्नलिस्ट-इंकवर्ल्ड सोवेनीयर	10,000/-
2.	जनशक्ति वाहिनी-सोवनीयर	20,000/-
3.	गीतांजलि कल्चरल शो	2,500/-
4.	रोटरी क्लब आफ गुड़गांव, कुतुब एन्क्लेव-सोवेनीयर	2,500/-
5.	इंडियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन-सोवेनीयर	10,000/-
6.	इंडो-जर्मन चेम्बर आफ कॉमर्स डिस्काउंट वेल्यू सर्बिस बुक	16,000/-
7.	सी.एस.आई.आर-रिजनल रिसर्च लैब, त्रिवेन्द्रम-सोवेनीयर	5,000/-
8.	सोसायटी फार प्रोमोशन आफ रिक्रिएशनल टूरिज्म एण्ड स्पोर्ट्स-सोवेनीयर	15,000/-
9.	श्रीराम भारतीय कला केन्द्र-सोवेनीयर	1,500/-
10.	हेल्पेज इंडिया-सोवेनीयर	5,000/-
11.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल आल इंडिया रैंक्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट	25,000/-
12.	मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति, चित्तरंजन पार्क-सोवेनीयर	1,500/-

13.	दक्षिण पाली दुर्गा पूजा समिति, चित्तरंजन पार्क-सोवेनीयर	17,000/-
14.	प्रांतिक राजौरी गार्डन-सोवेनीयर	1,000/-
15.	वसुंधरा एन्क्लेव पूजा समिति पर्यटन विहार-सोवेनीयर	7,000/-
16.	दक्षिण दिल्ली काली बाड़ी एसोसिएशन	3,000/-
17.	मैत्री मंदिर सरबोजनिन दुर्गा पूजा समिति-सोवेनीयर	2,000/-
18.	सी.आर. पार्क काली मंदिर सोसाइटी चित्तरंजन पार्क-सोवेनीयर	1,500/-
19.	चाणक्यपुरी पूजा समिति-सोवेनीयर	5,000/-
20.	वसंत कुज सरबोजनिन दुर्गा पूजा-सोवेनीयर	3,000/-
21.	न्यू दिल्ली काली बाडी-सोवेनीयर	2,000/-
22.	रामाकृष्णन मिशन आश्रम-सोवेनीयर	5,000/-
23.	आल इंडिया स्पोर्टस काउंसिल आफ डीफ-सोवेनीयर	3,000/-
24.	श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन-समरप्रीत साधिका	10,000/-
25.	सरबोजनिन दुर्गा पूजा कमेटी-सोवनीयर	2,000/-
26.	सरबोजनिन पूजा समिति, 98 काली पूजा सोवेनीयर	1,200/-
27.	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारन ट्रेड सोवेनीयर	4,000/-
28.	धर्मशिला कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर-सोवेनीयर	5,000/-
29.	क्रिसेन्थेनम सोसाइटी आफ इंडिया-सोवेनीयर	2,500/-
30.	लायन्स क्लब आफ दिल्ली-सोवेनीयर	3,000/-
31.	ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएन्स-सोवेनीयर	3,000/-
32.	इंडियन स्काउट एण्ड गाइड फैलोशिप-सोवेनीयर	5,000/-
33.	स्टील क्लब, भिलाई-ट्रैवल, 99-सोवेनीयर	10,000/-
34.	एयरलाइंस कल्चरल आर्गनाइजेशन-सोवेनीयर	10,000/-
35.	मित्र मंदिर तरूण समाज समिति	7,000/-
36.	जनयुग कल्चरल ससोसिएन-सोवेनीयर	900/-
37.	उत्कालिनी-सोवेनीयर	2,000/-
38.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी-सोवेनीयर	3,500/-
39.	आई.टी.पी.ओ-इंडियन एक्जीबिशन 'हिन्द एक्स्पो, 99'-फेयर कैटालॉग	3,500/-
40.	दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन आफ दि डीफ	5,000/-
41.	श्री दक्षिण दिल्ली गुजरात मण्डल-सोवेनीयर	1,000/-
42.	इंडियन वूमेन्स प्रेस कोर्प्स-ब्रोशर	15,000/-
43.	दिल्ली इंटरलाइन क्लब-सोवेनीयर	3,000/-
44.	इंडो-जर्मन चैम्बर आफ कॉमर्स-ब्रोशर	9,000/-
45.	ध्रुपद समारोह-सोवेनीयर	5,000/-
46.	सकल क्लब-सोवेनीयर	12,000/-
47.	इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट टैक्नोलोजी	5,000/-
48.	पूबोश्री महिला समिति-सोवेनीयर	2,000/-
49.	श्रीहट्टा सम्मिलानी, दिल्ली-सोवेनीयर	2,000/-

विदेशों में पर्यटन कार्यालय

1618. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेंटीना में एक बड़े पर्यटक कार्यालय भवन के बावजूद ब्यूनस आयर्स से केवल 17 लोगों ने भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में पर्यटक कार्यालय पर खर्च राशि पर्यटकों से मिली विदेशी मुद्रा आय के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे पर्यटक कार्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव है, जो पर्यटन को बढ़ावा नहीं देते; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष ब्यूनस आयर्स से केवल 17 पर्यटक ही भारत आए। अर्जेंटीना से वर्ष 1998 के दौरान 3776 पर्यटक आए।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पवन चक्की/सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन

1619. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में पवनचक्की/सौर ऊर्जा/महासागर ऊर्जा के माध्यम से और अधिक विद्युत का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अपशिष्ट पदार्थों को उपयोग में लाकर तमिलनाडु में डिण्डीगुल नामक स्थल पर विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी हां, मंत्रालय को तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टी ई डी ए) से तमिलनाडु में 3 सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके विवरण इस प्रकार हैं :-

– लघु औद्योगिक विकास निगम (सिडको के) तमिलनाडु मुख्यालय, चेन्नई में 31 किवा. पी. क्षमता के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र।

– चेन्नई में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के कार्यालयों में 1 किवा. पी. क्षमता के 2 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र।

– पवन क्षेत्र में, लगभग 50 मेगावाट की समग्र क्षमता वाले प्रस्ताव तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टी एन ई बी) के आवश्यक अनुमोदन के लिए विचाराधीन हैं।

– तमिलनाडु में महासागरीय ऊर्जा से और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टी ई डी ए) ने मंत्रालय की वित्तीय सहायता से तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कृषि-अवशेषों (कृषि अपशिष्टों) की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किया है। इस जिले में पहचाने गए कृषि अपशिष्टों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए इच्छुक निजी उद्यमियों को प्रस्ताव तैयार/प्रस्तुत करने के लिए टी ई डी ए द्वारा अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियां प्रदान की गई है। आज की स्थिति के अनुसार, किसी भी उद्यमी द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपभोक्ता न्यायालय

1620. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ताओं को त्वरित और कम खर्च पर न्याय उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, ताकि उपभोक्ता न्यायालयों में सुधार किया जा सके; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अब तक निपटाए गए मामलों में से लगभग 50% मामले उपभोक्ता संरक्षण नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए गए हैं। देश में उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान अपर्याप्त आधार ढांचे, बार-बार स्थगन, उपभोक्ता न्यायालयों में अध्यक्षों/सदस्यों के पदों को न भरने से प्रभावित होता है। इन अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछेक इस प्रकार हैं :-

(1) उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए 61.8 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ता न्यायालयों में अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों को समय से भरें।

(3) केंद्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लिखा है कि वे मामलों के निपटान पर निगरानी रखने तथा उन्हें तेजी से निपटाने हेतु उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों के साथ समय-समय पर बैठकें करें।

(4) केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

(5) केंद्रीय सरकार उपभोक्ता न्यायालयों के गैर न्यायिक सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है ताकि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और नियमों तथा अन्य संगत कानूनों से अवगत कराया जा सके।

(6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में भी एक बार 1991 में और पुनः 1993 में संशोधन किया गया है। अधिनियम में और संशोधन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, ताकि उपभोक्ता न्यायालय मामलों को तेजी से निपटा सके तथा साथ ही अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके।

भारतीय जनता पार्टी की बैठक में रक्षा कर्मियों की उपस्थिति

1621. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो उच्च पद पर आसीन रक्षा कर्मियों ने सोमवार, 31 मई, 1999 को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने किस हैसियत तथा परिस्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज की?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए शुरू की गई सशस्त्र सेना संक्रियाओं की जटिलता एंव प्रभावकारिता को समझने व उनके सही आकलन में मदद करने के वास्ते वरिष्ठ रक्षा

कार्मिकों द्वारा प्रश्न में उल्लिखित बैठक सहित विभिन्न मंचों, के समक्ष स्थिति स्पष्ट की गई थी।

कोचीन-सऊदी अरब के बीच अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1622. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हज अवधि के दौरान कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सऊदी अरब के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन विमानपत्तन पर इस आशय से विचार किया जा रहा है कि हज 2000 से आगे के वर्षों हेतु केरल के हज यात्रियों के लिए इसे आरोहण स्थल बना दिया जाए।

तेजपुर से अधिक उड़ानें

1623. **श्री एम. के. सुब्बा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजपुर से जाने वाली और तेजपुर आने वाली कितनी उड़ानें हैं;

(ख) क्या सरकार के पास वहां से उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नगर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सिर्फ इंडियन एयरलाइन्स ही प्रति सप्ताह कलकत्ता-तेजपुर-दीमापुर-कलकत्ता सेक्टर में दो उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ख) से (घ) प्रचालकगण अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर, मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन जिसमें उत्तर-पूर्व तथा कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में कतिपय न्यूनतम प्रचालन का प्रावधान है, के अध्यधीन किसी भी मार्ग/स्थान तक प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के स्वरोजगार के अवसर

1624. **श्री श्रीपाद येसो नाईक :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गोवा में कौन सी परियोजनायें चलायी गई हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के माध्यम से कितने लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय गोवा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों जिसमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के स्वरोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा था। 1.4.1999 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित कर व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम—स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई.) किया गया है। 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि तथा उन लोगों की संख्या, जिन्हें गोवा में स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपए में)	वास्तविक उपलब्धि (संख्या)		
		कुल	अनु.जाति	अनु.जनजाति
1996-97	49.03	1982	6	0
1997-98	53.97	897	11	0
1998-99	24.43	895	3	0

सकरी-हसनपुर रेल लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण

1626. **श्री रामजीवन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरी-हसनपुर रेल लाइन को बरौनी जंक्शन तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण कराने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल लाइन के विस्तार हेतु कब तक सर्वेक्षण शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) हसनपुर से बरौनी नई रेल लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के अलाभप्रद होने तथा धन की तंगी के कारण इस परियोजना को फिलहाल शुरू करना संभव नहीं है।

अम्लीय धुआं के कारण रेलवे उपस्करों को खतरा

1627. **श्री मोहन रावले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों से निकलने वाली अम्लीय तथा संक्षारीय धुआं से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा गाजियाबाद के बीच रेल सिगनेलिंग उपस्कर विद्युतीकृत ऊपरी तार तथा रेलवे लाइन को जंग लग रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली-गाजियाबाद खंड पर अम्लीय/संक्षारीय धुएं से सिगनलिंग उपस्करों यथा रिले कांटेक्ट, टर्मिनलों, सर्किट ब्रेकरों, सिगनल ट्रांसफार्मर आदि, शिरोपरी कर्षण उपस्कर यथा इंसुलेटर, स्टील/जस्तायुक्त मास्ट और फिटिंगें, तांबे के तार आदि, रेलपथ और रेलपथ फिटिंगों में जंग लग रहा है। प्रभावित उपस्करों की गहन निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक होने पर इन्हें बदला जाता है।

उत्तर रेलवे ने अम्लीय धुआं और अन्य संक्षारिय धुआं छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों को निवारक संबंधी उपाय करने के लिए कहा है। बहरहाल, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की गयी हो, प्रतीत नहीं होता है।

उत्तर रेलवे ने प्रदूषण के लिए दोषी पाए गए फैक्ट्रियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क किया है। परिणामस्वरूप, एक मामले में जिला मजिस्ट्रेट/गाजियाबाद के ''आदेशों'' पर एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था।

रेलपथ के संबंध में साहिबाबाद और गाजियाबाद के बीच दो फैक्ट्रियां जो रेलपथ की ओर क्षारिय पदार्थ निकाल रही थीं को कोर्ट के आदेशों से ऐसा करने से रोक दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप रेलपथ उपस्करों में जंग लगने से रोक लगी है। जंग लगी रेलपथ फिटिंगों को बदल दिया गया है।

विदेश में रेल परियोजनाएं

1628. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विदेश में और रेल लाइनें बिछाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रेलें विदेशों में परियोजनाएं निष्पादित नहीं करती हैं। बहरहाल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटिड, रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम, विदेशों में रेल परियोजनाएं संबंधित रेलवे प्रशासनों के साथ संविदा के आधार पर निष्पादित करता है। इन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है। इरकॉन द्वारा विदेश में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(1) लगभग 520 करोड़ रुपए लागत की पेलाबुहान तानजंग पेलेपास जोहर, मलेशिया रेलवे लाइन का निर्माण।

(2) 14 करोड़ रुपए लागत के प्रस्तावित कुआआ लमपुर सैंट्रल स्टेशन, मलेशिया के लिए रेलपथ की संस्थापना।

(3) लगभग 107 करोड़ रुपए लागत की शाहरूद-मशाड़ खंड, ईरान में सिगनल परियोजना।

(4) लगभग 242 करोड़ रुपए लागत की बंगाबंधु (जमुना) ब्रिज रेलवे लिंक परियोजना, बांग्लादेश।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

इरकॉन

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1997-98	43.46 करोड़ रुपये
1998-99	43.93 करोड़ रुपये
1999-2000	30.09.1999 तक लगभग 12.00 करोड़ रुपये

राइट्स

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1997-98	47.09 करोड़ रुपये
1998-99	41.39 करोड़ रुपये
1999-2000	30.11.1999 तक लगभग 18.97 करोड़ रुपये

महाराष्ट्र में चीनी मिल स्थापित किया जाना

1629. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलें राज्य में समस्त गन्ना उत्पादन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में अधिक चीनी मिलों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) गन्ने का उपयोग गुड़, बीज और चूसने तथा चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में वर्ष 1999-2000 के दौरान गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष 1998-99 के दौरान 435.41 लाख टन की तुलना में 540.00 लाख टन आंका गया है। चीनी मौसम 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने की अधिकतम मात्रा 514.57 लाख टन थी। तत्पश्चात् राज्य में 9.258 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता को सृजित किया गया। 49.12 लाख टन की वर्तमान संस्थापित क्षमता के साथ यह अनुमान है कि पेरने के लिए उपलब्ध रु. प्स्त गन्ने को राज्य के सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा उपभोग किया जाएगा।

आगे और कितने चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और इस प्रकार वर्तमान चीनी मिलें अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों से 15 कि॰ मी॰ की दूरी बनाए रखें।

[हिन्दी]

जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1630. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर देश के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या जयपुर में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब तक बना लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जबकि जयपुर विमानपत्तन को सीमा शुल्क सुविधाओं सहित आदर्श विमानपत्तन के रूप में विकसित किया है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हवाई अड्डों में सुरक्षा व्यवस्था

1631. **श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हवाई अड्डों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में किसी विधेयक का प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विधेयक को संसद में कब तक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विश्व में विभिन्न हवाई अड्डों में सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। वायुयान अधिनियम, 1934 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन ही विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था विनियमित की जाती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अमेरिका से रेल इंजनों का आयात

1632. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने चार हजार अश्व शक्ति वाले अमरीकी, डीजल रेल इंजनों की खरीद के क्रयादेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतयेक इंजन की कीमत क्या है;

(ग) क्या सभी इंजनों को उस प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, जिसके लिये उनकी खरीद की गयी थी और उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं, अथवा उनका उपयोग छोटे-मोटे कार्यों हेतु किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। अक्तूबर, 1995 में मैं. जनरल मोटर्स कारपोरेशन/यू. एस. ए. को 21 अदद 4000 अश्वशक्ति डीजल बिजली माल रेल इंजनों (13 पूरी तरह से सुसज्जित रेल इंजन और 8 रेल इंजन आंशिक रूप से खुले) को आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया गया था। ठेके की फ्री ऑन बोर्ड कीमत 41.17 मिलियन अमरीकी डालर (175.96 करोड़ रुपये) थी। ये इंजन भारत में मार्च-अगस्त, 99 के दौरान आए थे। पूरी तरह से सुसज्जित रेल इंजनों को दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली, डीजल रेल इंजन शेड में ठहराया गया है। आंशिक रूप से खुले 8 रेल इंजनों में से 2 को पहले ही चालू कर दिया गया है और हुबली शेड में हैं। शेष 6 रेल इंजनों को डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में सुसज्जित किया जा रहा है। इसके आलावा, मै० जनरल मोटर्स कारपोरेशन यू.एस.ए. को 10 डीजल बिजली पैसेंजर रेल इंजनों के प्रापण के लिए आदेश दिया गया है। ठेके की फ्री ऑन बोर्ड कीमत 23.99 मिलियन अमरीकी डालर (103.15 करोड़ रुपये) है। इन रेल इंजनों के 2001-2002 के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं। 13 पूरी तरह से सुसज्जित और 2 आंशिक रूप से खुले हुए रेल इंजन प्राप्त हुए थे जिन्हें डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में सुसज्जित किया गया है। इस समय ये सेवा में हैं और साधारण परिचालन में लगे हैं जिनके लिए उन्हें खरीदा गया था।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

रोहतक और पानीपत से दैनिक रेल यात्री

1633. **श्री किशन सिंह सांगवान : क्या रेल मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा विशेषकर रोहतक और पानीपत रेलवे स्टेशनों से दिल्ली की यात्रा करने वाले दैनिक रेल यात्रियों को वर्तमान रेलगाड़ियों में जगह की कमी के कारण ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अक्सर रेल डिब्बों की छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अत्यंत ही जोखिम भरा काम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और रेल गाड़ियां चलाने का है या वर्तमान रेल गाड़ियों में ही और साधारण डिब्बों को जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रोहतक/पानीपत-दिल्ली क्षेत्रों में अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने के संबंध में समय-समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जाँच की गयी है। रोहतक/पानीपत-दिल्ली क्षेत्रों सहित भारतीय रेलों पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू करना और अतिरिक्त सवारी डिब्बों को लगाकर गाड़ियों के भार में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है जो अवसंरचनात्मक सीमा पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

जमालपुर कारखाने में डिब्बों का निर्माण

1634. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बे निर्माण संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को मानने के बजाय सिर्फ डिब्बों की मरम्मत के लिए ही सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार डिब्बा निर्माण संबंधी सिफारिशों पर एक बार फिर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जमालपुर कारखाने में सवारी डिब्बे की मरम्मत नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्थायी समिति ने जमालपुर कारखाने में सवारी डिब्बों के विनिर्माण के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि संबंधी रिकार्ड

1635. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भूमि रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में भूमि के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करना एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि राजस्व अधिकारी भूमि की बिक्री, उत्तराधिकार, दान, आवधिक पुनरीक्षण बंदोबस्त, कृषि जोतों की चकबंदी आदि के जरिए स्वामित्व में होने वाले परिवर्तनों को समाविष्ट करके भूमि रिकार्डों को लगातार अद्यतन बनाए रखते हैं। तथापि, डाटा एन्ट्री और विधिमान्यकरण की प्रक्रिया को नौवीं योजना के अंत तक पूरा करने तथा इस योजना को सभी तालुकों/तहसीलों में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

रांची विमानपत्तन का नाम परिवर्तन

1636. श्रीमती आभा महतो : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महान स्वतंत्रता सेनानी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में रांची विमानपत्तन के नाम को बदलकर बीरसा मुंडा विमानपत्तन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) रांची विमानपत्तन का नाम बदलकर बिरसा मुण्डा विमानपत्तन रखने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

बिहार में चीनी मिलों को बन्द होना

1637. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के अन्तर्गत बनमाखी पुर्णिया सहित 15 चीनी मिलों के बन्द होने के कारण गन्ना उत्पादकों और मिल मजदूरों में भारी असंतोष है;

(ख) क्या चीनी प्रौद्योगिकी मिशन के विशेषज्ञों ने मोतीपुर और गोरौल चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उन्हें पुनःशुरू करने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई या किये जाने प्रस्ताव है; और

(घ) बनमाखी चीनी मिल सहित शेष चीनी मिलों को फिर से चालू करने के संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

अपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद) : (क) भारत सरकार को बिहार में बनमाखी (पूर्णिया) सहित 15 चीली मिलों के बन्द होने के बारे में जानकारी है। चूंकि ये चीनी मिलें बिहार राज्य चीनी निगम लि., जो राज्य सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, के अधीन है।

अत: इनके पुनरूत्थान/पुनर्स्थापन के लिए बिहार सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(ख) से (घ) चीनी प्रौद्योगिकी मिशन के विशेषज्ञों ने मोतीपुर और गोरौल चीनी मिलों के पुनर्स्थापन/पुनरूत्थान के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार को भेज दी गई थी। जहाँ तक बनमाखी सहित अन्य बाकी चीनी मिलों का संबंध है, यह कहा जाता है कि चूँकि ये इकाइयाँ बिहार राज्य चीनी निगम लि. के अधीन हैं, अत: बिहार राज्य सरकार के परामर्श से उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

लातूर-कुर्डुवाडी रेल लाइन का आमान-परिवर्तन

1638. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातूर से मुंबई तक सीधा संपर्क बनाने के लिए लातूर-कुर्डुवाडी रेल लाइन के आमान-परिवर्तन को काफी पहले मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब, और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस बीच इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 1993-94 में मिराज-लातूर-लातूर रोड (374 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का कार्य अनुमोदित हो चुका था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 339 करोड़ रुपये है।

(ग) कुर्डुवाडी-पंढरपुर (52 कि.मी.) लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। लातूर-लातूर रोड (42 कि.मी.) लाइन पर पुलों सहित तत्य संबंधी कार्य अच्छी प्रगति पर है।

औमालुर टर्मिनल का सुधार

1639. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेलम जिले के औमालुर घरेलू एयर टर्मिनल को सुधारने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) किसी भी आपरेटर ने सेलम जिले के औमालुर विमानपत्तन से प्रचालन हेतु अपनी योजना का उल्लेख नहीं किया है। अत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का इस विमानपत्तन का स्तरोन्नयन करने की कोई योजना नहीं है।

रेल परियोजनाएं

1640. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलापुर-पनवेल, थाणे-तुरभी, नेरूल-वाशी और बेलापुर-नेरूल रेल लाइनों की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वाशी-नेरूल-बेलापुर के बीच एक दोहरी लाइन है और बेलापुर-पनवेल के बीच एक इकहरी लाइन है। इस क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं की प्रगति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	परियोजना की नाम	प्रत्याशित लागत		31.3.99 तक व्यय	1999-2000 के लिए परिव्यय	टिप्पणी/लक्ष्य तिथि
1.	पूर्व-पश्चिम गलियारे के भाग के रूप में बेलापुर पनवेल दोहरी लाइन।	रेलवे	92.50	64.45	12.60	यह कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को चालू करने का लक्ष्य न्यूनतम स्टेशन सुविधाओं सहित मार्च, 2001 है।
		सिडको	187.81	40.77	13.74	
		जोड़:-	280.31	105.22	26.74	
2.	ठाणे-तुरभे-नेरूल/वाशी-न्यू मुंबई में गलियारा सं. 2 का भाग	रेलवे	131.47	67.87	15.30	इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना को चालू करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2001 है। सिडको के सामने आ रही वित्तीय तंगी के कारण इस कार्य में व्यवधान पड़ रहा है। ठाणे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में भी विलंब हो रहा है।
		सिडको	271.92	38.18	65.77	
		जोड़:-	403.39	106.05	81.07	

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का कार्यकरण

1641. श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नगर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी हां, कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एयर इंडिया और इन्डियन एयरलाइंस ने निम्नलिखिति कदम उठाए हैं :-

1. एयर इंडिया विपणन संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है।
2. लाभप्रद मार्ग पर जोर देते हुए नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन करना।
3. विमानों की वाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए और अधिक इन-हाउस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना।
4. विदेश में एयर इंडिया के भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।
5. गैर-प्रचालनात्मक श्रेणियों में बाहरी भर्ती पर रोक और लागत में कटौती करने के अन्य उपाय।

विनिवेश आयोग ने एयर इंडिया संबंधी अपनी आठवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ 1000 करोड़ रुपये की सरकारी इक्विटी के प्रक्षेपण ओर विश्व-व्यापी निविदाओं के आधार पर रणनीतिक हिस्सेदार की प्रविष्टि की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

इंडियन एयरलाइन्स

1. आफ-लाइन स्टेशनों को बंद किया जाना और बुकिंग कार्यालयों की संख्या में कमी।
2. जब तक प्रचालनात्मक कारणों से अत्यावश्यक न हो, भर्ती पर रोक।
3. कार्यालय भवन के व्यय में अत्यधिक कटौती।
4. प्रचालनात्मक कारणों से जब तक पूर्णत: आवश्यक नहीं हो, पूंजी व्यय पर रोक।
5. घाटा होने वाले मार्गों की आवृति में कटौती।

कर्नाटक में हवाई अड्डे

1642. श्री जी० एस० बसवराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में निजी क्षेत्र, राज्य सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आरंभ किए जाने वाले नए संभावित हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मैसूर, बेल्लारी, हुबली तथा बेलगाम के वर्तमान हवाई अड्डे कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन हवाई अड्डों पर छोटे विमान (सेवा) आरंभ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) बेंगलूर के समीप देवनहाली में राज्य सरकार द्वारा एक नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।

(ख) हुब्ली और बेलगांव विमानपत्तन प्रचालनरत हैं और मैसूर विमानपत्तन गैर-प्रचालनात्मक है। बेल्लारी विमानपत्तन कर्नाटक राज्य सरकार के अधीन है और यह भी प्रचालनात्मक नहीं है।

(ग) और (घ) विमानकंपनी प्रचालक यातायात संभाव्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विमानों की उपलब्धता के आधार पर अपेक्षाकृत छोटे विमानों के प्रचालन हेतु स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनों का निर्माण

1643. श्री सुरेश चंदेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कालका से परवानू और ऊना से तलवाड़ा तक बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या योजना आयोग ने निम्न प्राथमिकता के आधार पर इसे धनराशि आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण की गई भूमि हेतु उनके मंत्रालय पर कुछ धनराशि बकाया है;

(छ) यदि हां, तो इसके भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ज) रेलवे द्वारा हिमाचल प्रदेश को उक्त धनराशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1999-2000 के बजट में कालका-परवानू नई लाइन के लिए 2.00 करोड़ रुपये और नांगल डैम-तलवाड़ा के लिए 8.00 करोड़ रुपए की राशि आंबटित की गयी थी।

(ख) और (ग) कालका-परवानू नई रेल लाइन के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां 27.01.1999 को प्राप्त हुई थी। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। नांगल डैम-तलवाड़ा लाइन पर कार्य भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चल रहा है। यह कार्य ऊना-चुरारू तकराला (16 किलामीटर) के बीच प्रगति पर है जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। इस टुकड़े में दो बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है और 2000-2001 में पूरा हो जाएगा।

(घ) और (ङ) योजना आयोग परियोजना-वार धन आंबटित नहीं करता है। यह संसद के अनुमोदन से रेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक रेल बजट में आबंटित किया जाता है।

(च) से (ज) रेलों द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए कोई भुगतान लंबित नहीं है। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 104 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए रेलों से 2.5 करोड़ रुपए जमा कराने का अनुरोध किया है ताकि वे भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई पूरी कर सकें। इस कार्य के लिए विस्तृत अनुमान की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है और अनुमान स्वीकृत हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को इस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण

1644. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बालावाली में, गंगा नदी पर एक नए रेल पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर वर्तमान रेल पुल को सड़क पुल के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा पुल का उपयोगी जीवन पूरा हो गया है। आगे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।

कोचीन हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को सुविधाएं

1645. श्री पी. सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों की कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों में कोचीन हवाई अड्डे से होकर उड़ान भरने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन-किन विमान-मार्गों को प्राथमिकता दी है; और

(ग) वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को कब तक अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ओमान, सऊदी अरब और यमन गणराज्य ने उनकी नामित विमान कंपनियों के लिए कोचीन को अवतरण-स्थल के रूप में रखने का अनुरोध किया है।

(ग) कोचीन विमानपत्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों की सुविधाएं उपलब्ध है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स पहले से ही कोचीन से होकर अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रही हैं।

तिलहन और तेल का व्यापार

1646. श्री सु..ान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या उपभोक्ता मामले ..और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठ तिलहनों और तेलों तथा इसकी खलियों को वायदा व्यापार करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसल की कमी और फसल के समय मूल्य अस्थिरता के कम होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) आठ तिलहन, तेल और इसकी खलियां निम्नलिखित है :-

(1) रेपसीड/सरसों के बीज

(2) मूंगफली

(3) सूरजमुखी

(4) चावल की भूसी

(5) बिनौला

(6) नारियल

(7) तिल

(8) कुसुम

(ग) जी, हां।

(घ) तिलहनों का वायदा व्यापार करने की अनुमति हाल ही में दी गई है। इसके प्रभाव को महसूस करने में कुछ समय लगेगा।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

1647. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई गैर-सरकारी संगठनों ने भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित संशोधन विधेयक भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का ही पुन: तैयार प्रारूप है; और

(ग) यदि हां, तो इसे संसद में कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ 21.01.99 को एक बैठक की थी और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति में संशोधन करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए थे। उनके सुझावों की जांच की गई थी और जहां कहीं संभव हुआ है उन्हें प्रस्तावित भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक में शामिल किया गया है। सरकार द्वारा संशोधनों को जैसे ही अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है प्रस्तावित विधेयक को संसद में पुर:स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय परती भूमि बोर्ड

1648. श्री राजैया मल्याला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परती भूमि बोर्ड की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बोर्ड द्वारा सहायता प्रदत्त/स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में परती भूमि के विकास बोर्ड के वर्तमान कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भूमि संसाधन विभाग में राष्ट्रीय बंजरभूमि बोर्ड के नाम से कोई बोर्ड नहीं है, परन्तु इस विभाग में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड के नाम से एक बोर्ड है। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का कार्य बायोमास विशेष रूप से जलाऊ लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वनेतर बंजरभूमि को सतत् रूप से उपयोग हेतु विकसित करना है।

बोर्ड के तहत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

1. समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं।
2. गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता।
3. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना।
4. निवेश संवर्धन योजना।
5. बंजरभूमि विकास कृतिक बल।

गत तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99 तक) के दौरान इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं को उपलब्ध करायी गई सहायता का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बोर्ड द्वारा सहायता प्रदत्त/मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा योजना-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) बोर्ड की मौजूदा योजनाएं चल रही हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	योजना का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में) (1996-97 से 1998-99 तक)
1.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं	166.75
2.	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण	16.64
3.	गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता	8.13
4.	निवेश संवर्धन योजना	0.05
5.	बंजरभूमि विकास कृतिक बल	3.00
	योग	194.57

विवरण-II

क्रम सं.	योजना का नाम	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में) (1996-97 से 1998-99 तक)
1.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं	30.33
2.	गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता	0.23
3.	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण	शून्य
4.	निवेश संवर्धन योजना	शून्य
5.	बंजरभूमि विकास कृतिक बल	शून्य
	योग	30.56

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य प्रदार्थों की आपूर्ति

1649. श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई स्थानों पर अभी तक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इन स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इनकी आपूर्ति करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन योजनाओं के लिए धनराशि और अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए भी सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों अर्थात् गेहूं और चावल की वसूली करती है और आमतौर पर सब्सिडि प्राप्त मूल्यों पर इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराती है। उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं तक वितरण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। अत: इस संबंध में जनता से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। कुछेक स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न मुहैया नहीं किए जाने के संबंध में ऐसी कोई प्रमुख शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन जो पूरे देश में 4.5 लाख उचित दर दुकानों को कवर करती है, में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की आपूर्ति न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारों पर दबाव डाला गया है कि वे उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने के लिए दोष रहित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मोबाइल वैन/ट्रकों की खरीद और 2000 टन तक की क्षमता के छोटे गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। 30 नवम्बर 99 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 555 गोदामों के निर्माण के लिए 60.98 करोड़ रुपये और 1536 वैनों/ट्रकों की खरीद के लिए 63.50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त ये योजनाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बद्ध कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

ट्रैवल एजेंट द्वारा होने वाला घाटा

1650. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत ट्रैवल एजेंटों बुकिंग के लिये निजी विदेशी दूरसंचार माध्यमों को प्रयोग कर रहे हैं और इससे विदेशी मुद्रा सहित आय में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंटों और कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) ट्रेवल एजेंट जिस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (जीडीएस) का प्रयोग करते हैं वह कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टमस (सीआरएस) के रूप में विख्यात है। एयरलाइंस विश्व-व्यापी आधार पर अपनी सेल्ज को अधिकतम करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग करती है। सीआरएस का प्रयोग करने में कोई गैरकानूनी बात नहीं है। सीआरएस को इस आशय से विकसित किया गया है ताकि विश्वव्यापी आरक्षण सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

बंगलौर को दूसरे स्थानों के साथ जोड़ना

1651. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या नागर विमानन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर से प्रत्येक राज्य की राजधानी की सीधी विमान सेवा के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगलौर को और कितने स्थानों से जोड़ने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सभी विमानकंपनी के प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, किसी भी स्थान के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे उन मार्ग वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर हों, जिनमें मार्गों की विभिन्न श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

मुंबई-सूरत-अहमदाबाद के बीच विमान सेवा

1652. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुंबई-सूरत-अहमदाबाद के बीच विमान सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू करने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सभी विमानकंपनी के प्रचालकगण अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किसी भी मार्ग पर/किसी भी स्थान तक प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी की घटनाएं

1653. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान भारतीय सीमा पर हुई गोलाबारी की प्रत्येक घटना का ब्यौरा क्या है;

(ख) हताहतों की संख्या और क्षतिग्रस्त संपत्ति का घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मृतकों के परिवारों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तानी सरकार से कोई विरोध दर्ज किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) इस वर्ष के दौरान गोलीबारी की घटनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है :-

जम्मू-कश्मीर	–	4042
राजस्थान	–	13
पंजाब	–	शून्य
गुजरात	–	शून्य

(ख) इस अवधि के दौरान पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली अकारण गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 48 (सेना के 42 और सीमा सुरक्षा बल के 6) कार्मिक तथा 24 सिविलियन मारे गए और सेना के 423 कार्मिक, सीमा सुरक्षा बल के 67 कार्मिक तथा 48 सिविलियन जख्मी हुए।

(ग) सेना और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को मौजूदा नियमों के अनुसर उनकी पेंशन संबंधी हकदारी के रूप में मुआवजा दिया जाता है। जहां तक सिविलियनों का संबंध है, उनको अनुग्रह राहत तथा क्षतिग्रस्त अचल संपत्ति के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार को राहत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 17 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) से (च) पाकिस्तान से राजनयिक व सैन्य माध्यमों के जरिये काफी समय से कहा जा रहा है कि वह अकारण की जाने वाली इस गोलीबारी को बंद करे। किंतु यह अकारण गोलीबारी अब भी जारी है। इस अकारण गोलीबारी का पाकिस्तानी सेना को समुचित जवाब दिया जाता है। सीमा पर सतत चौकसी बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते रहते हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

1654. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रामपुर-बरवाडीह, बरवाडीह-गया, गढ़वा-हजारीबाग, भावनाथपुर-डेहरी-आन-सोन, बरवाडीह-डेहरी-आन-सोन रेल लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गया-डालटेनगंज और भावनाथपुर-डेहरी-ऑन-सोन के लिए नई लाइनों से संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। अन्य सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) गया-डालटेनगंज सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 130 कि.मी. लंबी इस लाइन की लागत 318 करोड़ रुपये आएगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। संसाधनों की अत्याअधिक कमी तथा इस लाइन की अत्याधिक अलाभप्रद प्रकृति के कारण इस परियोजना पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सका है। जहां तक भावनाथपुर-डेहरी-ऑन-सोन नई लाइन का संबंध है, इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अन्य सर्वेक्षण अभी प्रगति पर है। रेलों द्वारा बड़ी संख्या में एक साथ सर्वेक्षण किए जाने और सर्वेक्षण कार्य के क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण इन सर्वेक्षणों के 31.12.2000 तक पूरा कर लिया जाने पर ही इन परियोजनाओं पर आगे विचार करना संभव होगा।

कृतक बल द्वारा जुटाई गई धनराशि

1655. **श्री रामपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ निधियां जुटाने हेतु समन्वय करने के लिए किसी कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो, चालू वित वर्ष के दौरान इस कृतक बल द्वारा निजी क्षेत्र से कितनी अतिरिक्त धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कृतक बल ने क्या उपलब्धि हासिल की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसने योजना के तौर तरीकों के निर्धारण के लिए अभी तक तीन बैठकें आयोजित की हैं।

[अनुवाद]

छावनी क्षेत्र में आई.एस.आई. के एजेंटों द्वारा अतिक्रमण

1656. **श्री अधीर चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1999 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एनाक्रोचर्स इनटू कैण्ट एरियाज ऐक्ट ऐज आई. एस.आई. एजेन्ट्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे अतिक्रमण करने वालों को दबाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्र में छपे समाचार को देखा है। तथापि, आई.एस.आई. के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश अथवा अन्यत्र छावनी क्षेत्रों में अतिक्रमण किए जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में शिकायतें

1657. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 1999 से 30 नवम्बर, 1999 तक भावनगर, राजकोट, बडोदरा और अहमदाबाद प्रभागों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार अनियमितताओं को बरतने, अपने पद का दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और उनका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) भविष्य में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद बडोदरा मंडल का भाग है। जनवरी से नवम्बर, 99 के दौरान भावनगर, राजकोट और बडोदरा से संबंधित कुल 104 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) प्राप्त 104 शिकायतों में से 67 शिकायतें प्रथम दृष्ट्या में भ्रष्टाचार/अनियमितता/कार्यालय दुरुपयोग से संबंधित हैं और इनकी जांच/सत्यापन शुरू कर दी गई है जबकि 37 शिकायतें बेनामी/छद्म नामों से थीं जिन्हें मौजूदा नीति के अनुसार दर्ज कर दिया गया है।

67 शिकायतें जिनकी सत्यापन/जांच शुरू की दी है, में से 28 शिकायतों की जांच पूरी हो गई है और 23 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। पांच मामले, जिनमें अरोप सिद्ध हो गए थे, केवल 9 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित थी जो कि शुरू कर दी गई है। शेष 39 शिकायतों की जांच की जा रही है।

(घ) जहां कहीं मौजूदा नियमों और कार्यविधि में कमी ध्यान में आती है, प्रणाली में सुधार कर दिया जाता है। अभी तक निपटाए गए मामलों में प्रणाली में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

रूस द्वारा भारत को युद्धपोतों का प्रस्ताव

1658. श्री कृष्णमराजु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सरकार ने भारत को 35000 एम टी युद्धपोत देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन युद्धपोतों को किस स्थान पर तैनात किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रूसी संघ की सरकार ने भारत को एक वायुयान वाहक "एडमिरल गोर्शकोव" को उपहार के रूप में देने का प्रस्ताव किया है। इसे सेवा में शामिल करने से पहले इसकी मरम्मत, संशोधन तथा आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। रूस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस वायुयान वाहक का मानक जल भार लगभग 34,000 टन तथा अधिकतम जल भार 45,000 टन होगा। पोत को व्यवस्थित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना विकसित हो जाने के बाद इसे कारवाड़ में स्थाई रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है।

चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार

1659. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों के दौरान यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या और बढ़ते नौभार को नियंत्रित करने की दृष्टि से चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक पूरी की जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा टर्मिनल भवन के आशोधन तथा विस्तार के साथ-साथ एक एकीकृत कार्गो टर्मिनल के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव है। टर्मिनल भवन दिसम्बर, 2000 तक जबकि एकीकृत कार्गो टर्मिनल मार्च, 2001 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

1660. श्री महेश्वर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पठानकोट-जोगेन्द्रनगर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू होने एवं पूरा हो जाने की संभावना है तथा उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यह क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण सर्वेक्षण पूरा करने में अधिक समय लग रहा है तथा यह कार्य मार्च, 2000 तक पूरा हो जायेगा और इसकी रिपोर्ट जून 2000 तक आने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही इस परियोजना पर विचार किया जायेगा।

विकास धनराशि का उपयोग

1661. डा० बलिराम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों में पर्यटन के विकास के लिये आवंटित राशि के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित राशि का पूरा उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने राशि के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ङ.) राज्य में, पर्यटन का विकास करना, मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनसे विचार-विमर्श करके, प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रक्रिया के आधार पर ही धन प्रदान किया जाता है। कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों में धन प्रदान किया जाता है और अंतिम किश्त तभी दी जाती है जब हर तरह से प्रक्रिया पूरी हो जाए।

[अनुवाद]

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका

1662. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं को अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से निबाहने हेतु क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या सरकार महिलाओं के लिए पंचायती राज पर प्रशिक्षण और जगरूकता अभियान चला रही है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) पंचायती राज राज्य का विषय है। पंचायतों, इसके सदस्यों, विशेषकर महिला सदस्यों को अधिकार प्रदान करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की है। रिपोर्टों से पता चलता है कि महिलाएं, यहां तक कि निरक्षर महिलाएं काफी हद तक सक्षम हो चुकी हैं। फिर भी शायद चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के थोड़े प्रतिशत पर उनके परिवार के सदस्यों का अधिपत्य अभी भी जारी है। तथापि, अधिकांश महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं जो अपनी प्रतिभा के प्रति आश्वस्त हैं और अपने कार्यों को कारगर तरीके से निभा रही हैं।

(ग) पंचायतों में एक तिहाई सीटों से कम आरक्षण न होने के प्रावधान के सिवाय भारत के संविधान में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों को विशेष अधिकार देने के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरोध करने पर ही उन्हें सीमित वित्तीय मदद प्रदान करती है।

बोफोर्स तोप

1663. श्री किरीट सोमैया :
श्री रमेश चैन्नितला :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल संघर्ष के दौरान बोफोर्स तोप की क्या उपलब्धि रही है;

(ख) कारगिल ऑपरेशन के दौरान इन तोपों के लिए गोले बारूद कहां से मंगाये जाते थे और इस पर कुल कितना खर्च आया; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोफोर्स तोप को स्पेयर पार्ट्स और अन्य गोले-बारूद की कमी न हो, क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कारगिल संक्रिया के दौरान 155 मि. मी. एफ एच 77 बी तोप प्रणाली का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। इन तोपों के लिए गोला-बारूद की अधिप्राप्ति आयात तथा स्वदेशी स्रोत–दोनों से ही की गई थी। इन तोपों के गोलाबारूद पर हुए व्यय को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों और गोलाबारूद की आवश्यकता को स्वदेशी प्रयासों और आयात-दोनों से ही पूरा किया जा रहा है। इन तोप प्रणालियों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की खरीद के लिए मैसर्स सेल्सियस के साथ हाल ही. में दो संविदाएं की गई हैं।

इच्छापुर आयुध कारखाने का निष्पादन

1664. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इच्छापुर आयुध कारखाना 7.62 मि.मी. बंदूकों के कारतूसों के उत्पादन मामले में अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सेना की आवश्यकता और आयुध कारखाने की उत्पादन क्षमता का कभी मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) राइफल निर्माणी इच्छापुर 7.62 मि.मी. बंदूकों के लिए गोलियां नहीं बनाती है।

(ख) जी, हां। आयुध निर्माणी वरणगांव के पास सेना की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए 7.62 मि.मी. बंदूकों की गोलियों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अलाभकारी मार्गों पर एयर-इंडिया की उड़ानें

1665. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर-इंडिया ने कतिपय अलाभकारी मार्गों पर अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रमुख यूरोपीय स्टेशनों अर्थात् फ्रैंकफर्ट, जेनेवा और रोम का लाभ उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किस तिथि तक निर्णय किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने फ्रैंकफर्ट, जेनेवा के तथा रोम से अपनी सेवाएं हटा ली है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया ने एयरफ्रांस के साथ एक करार किया है जिसमें फ्रैंकफर्ट, जेनेवा, एमस्टरडम और बर्लिन के लिए कोड शेयर उड़ानों की व्यवस्था है। उन्होंने स्विस एयर, एयर फ्रांस, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस तथा ऑस्ट्रियन एयरलाइंस के साथ कोड शेयर/ब्लाक स्पेस प्रबंध किए हैं।

शयनयान श्रेणी में बिस्तरों की व्यवस्था

1666. डा० वी० सरोजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री सुविधाओं के सुधार के एक भाग के रूप में कम से कम लंबी दूरी की रेल गाड़ियों की शयनयान श्रेणियों में भी यात्रा करने वाले यात्रियों को बिस्तर सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शयनयान श्रेणी में बिस्तरों की व्यवस्था करना, स्थान, बिस्तरों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनके वितरण और अनुरक्षण की समास्याओं के कारण व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं को बंद करना

1667. श्री नवल किशोर राय :
श्री अजित सिंह :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कई निर्माणाधीन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं साथ ही अभी तक इस पर कितना खर्च हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विमान सेवाओं में वृद्धि

1668. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य में विमान सेवाओं में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौया क्या है?

नगर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता पर विचार करते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्ग संवितरण सँबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाओं का प्रबन्ध करना विमानकंपनियों पर निर्भर करता है जो मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्ययधीन होगा।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1669. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कल्याण उपायों का समन्वयन करने हेतु सेना मुख्यालय में एक पृथक स्कंध अथवा विभाग बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भूतपूर्व-सैनिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याण उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण का दायित्व रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत महानिदेशक पुनर्वास का है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपाय

(1) केंद्र सरकार ने समूह "ग" में 10 प्रतिशत और समूह "घ" में 20 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। अर्धसैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के 10 प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सौनिकों के लिए आरक्षित हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीकृत बैंकों में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों में क्रमश: 14.5 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों को सेम्फैक्स-1, सेम्फैक्स-2 और सेम्फैक्स-3 नामक तीन स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योग, सेवा उद्योग, कृषि-आधारित उद्योग, खादी एंव ग्रामीण उद्योग लगाने के लिए ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(3) सरकार ने मरणोपरांत बीरता पुरस्कार विजेताओं की विधावाओं/आश्रितों, युद्ध में शहीद हुए सैन्य कार्मिकों की विधवाओं, युद्ध के कारण निशक्त हो गए सैनिकों तथा शांतिकाल के दौरान 50 फीसदी और इससे अधिक निशक्त हो गए सैन्य कार्मिकों के लिए 8% तेल उत्पाद एजेंसियाँ अर्थात् एल पी जी, मिट्टी के तेल की एजेंसियाँ और पेट्रोल पंप आरक्षित कर रखे हैं। उपर्युक्त 8% आरक्षण के अतिरिक्त, पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 500 बिक्री केन्द्र/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सीधा आबंटन कारगिल में "आपरेशन विजय" के दौराम शहीद हुए सेना कार्मिकों की विधवाओं/उनके निकटस्थ संबंधियों को दिए जाने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है।

(4) रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई 8% निम्न प्रौद्योगिकीय मदों को रक्षा क्रय कार्यक्रमों के अंतर्गत खरीदे जाने के लिए आरक्षित रखा है।

(5) भूतपूर्व सैनिक मदर डेयरी/दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ तथा फल एंव शाक-सब्जी की दुकानें, यू टी आई की एजेंसियों, वर्ग 5-बी के अधिशेष वाहनों के आबंटन, मरम्मत दिए जाने योग्य 5 टंकण मशीनों और एक डुप्लीकेटर के आबंटन के लिए पात्र हैं।

(6) पुनर्वास महानिदेशालय विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने के लिए सुरक्षा एजेंमियों को पंजीकृत/प्रायोजित करता है।

(7) रक्षा क्रय कार्यक्रम के तहत् रक्षा स्थापनाओं को सामान की पूर्ति करने वाली भूतपूर्व सैनिक विनिर्माण यूनिटें एक वित्तीय वर्ष में पूर्ति किए गए सामान के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत आर्थिक इमदाद या 50,000 रुपए इनमें से जो भी कम हो, पांच लगातार (वर्षों) के लिए प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

(8) नई दिल्ली नगर पालिका समिति के क्षेत्राधिकार के तहत 50 प्रतिशत पार्किंग-स्थल खुली सीमित निविदाओं के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को आबंटित किए जाते हैं।

एन.ओ.ए.पी.एस., एन.एफ.बी.एस.ए. तथा एन.एम.बी.एस. की वास्तविक उपलब्धि

1670. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से राज्यों में इन योजनाओं की वास्तविक उपलब्धि का स्तर कम था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं की वास्तविक उपलब्धि का स्तर कम होने के राज्यवार कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना सम्मिलित हैं, के कार्यनिष्पादप का मूल्यांकन करने के लिए आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। अध्ययन में कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों में नमूना राज्यों में वास्तविक उपलब्धि के निम्न स्तर का पता चला। किन्तु तीसरे वर्ष से अधिकांश नमूना राज्यों के राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य को पार कर गई है। वर्ष 1997-98 की रिपोर्ट में दर्शायी गई वास्तविक उपलब्धि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :-

चयनित राज्यों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में मूल्यांकन के संबंध में आपरेशन रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में दर्शाई गई वर्ष 1997-98 की वास्तविक उपलब्धि (राज्यवार) पर विवरण

राज्य	प्रतिशत उपलब्धि (वास्तविक)-1997-98		
	रा.वृ.पें. योजना	रा.प.ला. योजना	रा.मा.ला. योजना
आंध्र प्रदेश	100.00	120.10	120.00
बिहार	90.44	36.17	36.42
गुजरात	65.01	4.51	9.84
केरल	42.92	69.77	14.19
मध्य प्रदेश	130.00	79.00	55.00
महाराष्ट्र	20.40	20.10	11.20
उड़ीसा	98.80	108.00	10.70
पश्चिम बंगाल	87.00	38.00	46.00

वास्तविक उपलब्धि के निम्न स्तर के लिए अध्ययन रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ कारण निम्नलिखित हैं :-

(1) संख्यात्मक सीमा के निर्धारण के लिए निर्धारित फार्मूला में प्रतिबंध। अध्ययन में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए संख्यात्मक सीमा उच्च पाई गई जबकि यही मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मामलों में निम्न पायी गई थी।

(2) जिला स्तरीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान तथा केन्द्र की सूचना जरूरतों के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराने और केन्द्र, राज्य, जिलों और जिलों के अन्दर सामान्य समन्वय स्थापित करने में प्रारम्भ में कुछ समय लगा तथा यही बात सभी नमूना राज्यों में प्रथम वर्ष में कम उपलब्धि दर में प्रतिबिम्बित हुई।

(3) प्रारम्भिक वर्षों में अधिकांश जिलों द्वारा निधियों की रिलीज से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें राज्यों के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के नोडल सचिवों की समीक्षा बैठकें, क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की अड़चनों को दूर करना, संख्यात्मक सीमाओं और लक्ष्यों आदि के बारे में राज्यों/जिलों को स्पष्टीकरण शामिल है। कार्यान्वयन में पिछड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को योजनाओं के बारे में पत्र लिखे गए हैं कि वास्तविक उपलब्धि में सुधार लायें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाओं के बारे में सभी संबंधित लोगों और इसकी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय निधि जारी करने और लाभार्थियों को सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं।

नवीनतम निगरानी उपस्कर प्राप्त करना

1671. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना लम्बे समय तक मांग करने के बावजूद भी तोपों का पता लगाने वाले राडारों और बेहतर निगरानी उपस्करों को प्राप्त नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) यद्यपि पर्याप्त संख्या में निगरानी उपस्कर खरीदकर सेना में शामिल किए गए हैं तथापि, कुछ और उपस्करों के लिए संविदाएं की गई हैं।

अमरीका स्थित एक विक्रेता की तोप खोजी रेडार का परीक्षण मूल्यांकन किया गया था किंतु अन्य बातों के साथ-साथ, अमरीकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसकी खरीद नहीं की जा सकी। तथापि, ऐसे रेडार के देश में ही विकास सहित इसकी खरीद के लिए वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया गया है।

ग्रामीण विकास योजनाएं

1672. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य स्तर पर किसी व्यावहारिक समन्वयकारी तंत्र के अभाव में कई ग्रामीण विकास योजनाओं का काम विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित कार्य आबंटन न होने से रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का उन दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी मदद पहुंचाने के लिए त्वरित गति से समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है जिनमें आधारभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पूरे मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है और उपलब्ध आंकड़ों सहित सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां अधिकांशत: केन्द्र और राज्य द्वारा वहन की जाती हैं और उन्हें राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है और इन दोनों के बीच समन्वय के लिए विश्वसनीय प्रणाली विद्यमान है। मंत्रालय की सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्टों/विवरणियों, राज्य सरकार के अधिकारियों के क्षेत्र निरीक्षणों, मंत्रालय की क्षेत्र अधिकारी योजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी राज्य स्तरीय समन्वय समितियों जैसी विभिन्न समितियों द्वारा समीक्षा, राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशकों के सम्मेलनों ओर कार्यक्रम मूल्यांकनों के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों की नियुक्ति के अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें संसद और विधान सभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं।

1998-99 में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

	कार्यक्रम	वास्तविक उपलब्धि
1.	जवाहर रोजगार योजना	3304.53 लाख श्रमदिन
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना	3927.38 लाख श्रमदिन
3.	इन्दिरा आवास योजना	822326 आवास
4.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1566298 लाभार्थी
5.	ग्रामीण जल आपूर्ति	80850 बसाबटें कबर की गई 240.81 लाख जनसंख्या को लाभ पहुंचाया।

एएआई, फेल्स टू रिमूव इल्स ऑफ सिस्टम

1673. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 1999 के "स्टेट्समैन" में "एएआई मूव फेल्स टू रिमूव इल्स ऑफ सिस्टम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ध्यान में जो भी खराबी आई उसे ठीक कर दिया गया था। लंबे समय तक जांच और प्रयोग करने के पश्चात् नयी प्रणाली चालू की गई थी और तब से इसने बिना कठिनाई के कार्य-निष्पादित किया है। प्रयोग की जाने वाली स्वचालित प्रणाली में पर्याप्त संरक्षा सतर्कता की व्यवस्था है जो विमान यातायात प्रबंधन में सहायक होती है।

पाकिस्तान द्वारा हवाई सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन

1674. **श्री मोहन रावले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की तरफ से उड़कर आने वाले उन विमानों/हेलीकॉप्टरों के रहस्य को जो या तो हाल ही में सीमा के पास उड़ते रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर सहित सीमा के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर हवाई सीमा का उल्लंघन करते रहे हैं, सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है;

(ग) पाकिस्तान ने इस वर्ष के दौरान माहवार कितनी बार भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ हवाई सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया; और

(घ) भारत का इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर में हाल ही में कुछ स्थानों पर उड़ने वाली वस्तुएं देखे जाने के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। इन रिपोर्टों के विश्लेषण से इन वस्तुओं के सुदूर नियंत्रित यान होने की संभावना से इंकार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली ऐसी सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।

(ग) पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1999 के दौरान (नवंबर, 1999 तक) वायु क्षेत्र संबंधी मानकों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित घटनाओं का माहवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वायु क्षेत्र संबंधी मानकों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित प्रत्येक घटना के बारे में पाकिस्तान से अपना विरोध दर्ज करने के लिए उसे राजनयिक माध्यम से उठाया जाता है।

विवरण

1996 के दौरान नवम्बर, 99 तक पाकिस्तान द्वारा किए गए वायु क्षेत्र संबंधी मानकों के उल्लंघन की माहवार घटनाएं

क्रम सं.	माह तथा वर्ष	वायु सीमा संबंधी उल्लंघनों की संख्या
1	2	3
1.	जनवरी, 99	5
2.	फरवरी, 99	2
3.	मार्च, 99	2
4.	अप्रैल, 99	2

1	2	3
5.	मई, 99	6
6.	जून, 99	23
7.	जुलाई, 99	11
8.	अगस्त, 99	11
9.	सितंबर, 99	—
10.	अक्तूबर, 99	3
11.	नवंबर, 99	1
	कुल (नवंबर, 1999 तक)	66

[हिन्दी]

बकाया देय

1675. **श्री अशोक प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय रेलवे पुलिस पर किये गये व्यय के कारण आज की तिथि तक रेलवे द्वारा कितनी बकाया धनराशि उत्तर प्रदेश को देय है;

(ख) अब तक भुगतान न किये जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक पूरा भुगतान कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राजकीय रेल पुलिस के स्वीकृत पदों पर किए गए खर्च के लिए उत्तर प्रदेश को रेलवे द्वारा आज तक देय बकाया राशि 3.25 करोड़ रु. है।

(ख) बकाया राज्य सरकार के चालू बिलों/लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण हैं।

(ग) रेलों को सभी देय दावों का शीघ्रता से भुगतान करने के लिए स्थायी अनुदेश हैं।

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

1676. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों की व्यक्तिगत परती भूमि के विकास हेतु एक "निवेश संवर्द्धन योजना" आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना किन-किन राज्यों में आरम्भ की गई है; और

(ग) देश में, विशेषकर कर्नाटक में अब तक इस योजना में सम्मिलित किए गए और इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की जिलेवार संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्द्धन योजना सभी राज्यों में 1994-95 के दौरान शुरू की गई थी। इसे और व्यापक आधार वाली योजना बनाने तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित छोटे तथा सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अगस्त, 1998 में इसकी पुनर्संरचना की गई थी। योजना का उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्राम समुदायों की बंजरभूमि और किसानों आदि की निजी बंजरभूमि को विकसित करने के लिए प्रयोक्ता उद्योग तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाना है। इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय संवर्द्धन अनुदान/आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है। इसमें लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तकों के अंशदान की परिकल्पना भी की गई है। आर्थिक सहायता और प्रवर्तकों के अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में इस योजना के तहत अब तक 30 किसान/प्रवर्तक लाभांवित हुए हैं। पुरानी योजना की पुनः संरचना करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत अगस्त, 1998 में ही जारी किए गए थे। कर्नाटक राज्य से अभी तक कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं।

विवरण

निवेश संवर्द्धन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय संवर्द्धन अनुदान/आर्थिक सहायता तथा प्रवर्तकों के अंशदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(क) अर्थिक सहायता का ब्यौरा

1.	सामान्य श्रेणी (अलग-अलग व्यक्ति/समूह में)	कृषि संबंधी विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 25% अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
2.	छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)	कृषि संबंधी विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 30% अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो।
3.	(क) सीमांत किसान (अलग-अलग/समूह में)	कृषि संबंधी कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 50% अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	वही, जैसा कि उपरोक्त (क) (iii) (क) में दिया गया है।
(ख) प्रवर्तकों के अंशदान का ब्यौरा	
1. सामान्य श्रेणी (अलग-अलग व्यक्ति/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 25%।
2. छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 10%।
3. (क) सीमांत किसान (अलग-अलग/समूह में)	शून्य, तथापि, स्व-रोजगार अपलब्ध कराने और भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए परियोजना कार्यान्वित करते समय इसमें परिवार के लोगों के श्रम को शामिल किया जाना चाहिए।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	वही, जैसा कि उपरोक्त (ख) (iii) (क) में दिया गया है।

तेजपुर हवाई अड्डे का विकास

1677. **श्री एम. के. सुब्बा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजपुर हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन युक्त सिविल इन्कलेब, 2 एबी-320 विमान रखने हेतु सिविल एप्रन, लिंक टैक्सी मार्ग और ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं के विकास संबंधी परियोजनाओं को लागू करने के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना की कुल लागत क्या है और इस पर अभी तक कितना खर्च आया है; और

(ग) ये कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) तेजपुर विमानपत्तन में सिविल एप्रन, टैक्सीपथ का निर्माण, भू-प्रकाश की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है तथा टर्मिनल भवन के निर्माण में 70 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है। इस कार्य के मार्च, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है। सम्पूर्ण परियोजना के 18.60 करोड़ की कुल लागत में से, अब तक 14.98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1678. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार समेकित ग्रमीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी है; और

(ख) राज्य-वार इस राशि का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षो के दौरान पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तथा 1999-2000 के दौरान नई शुरू की गई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी गई राज्यवार निधियों (केन्द्र + राज्य रिलीजों) तथा उपयोग के प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी गई निधियों तथा उपयोग का प्रतिशत

(लाख रु० में)

क्रम	राज्य/संघ	दी गई निधियां (केन्द्र तथा राज्य रिलीज)				उपयोग का प्रतिशत			
सं.	राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	12065.74	10233.46	7740.65	3467.75	106.17	112.38	115.06	25.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	471.59	699.78	451.75	38.80	92.43	80.84	125.43	29.97
3.	असम	2400.47	3466.21	5989.59	1485.79	95.76	102.74	65.23	38.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	10999.78	9090.27	10529.90	2893.29	120.33	136.65	135.07	158.65
5.	गोवा	90.33	120.89	74.23	25.00	92.75	133.34	120.05	169.92
6.	गुजरात	3233.33	3850.61	2911.34	979.00	93.60	88.21	112.66	13.72
7.	हरियाणा	767.80	938.04	1195.95	575.96	144.78	86.56	110.30	एन.ए.
8.	हिमाचल प्रदेश	242.50	386.04	491.02	323.42	210.71	107.47	102.65	22.94
9.	जम्मू व कश्मीर	766.69	915.81	485.38	306.14	91.48	86.14	184.00	59.56
10.	कर्नाटक	4072.57	4695.63	4839.81	1871.47	149.37	116.51	110.62	5.10
11.	केरल	2061.12	2226.81	2510.32	1174.98	131.00	113.70	110.31	18.08
12.	मध्य प्रदेश	9929.21	9328.36	12692.50	5758.08	135.66	128.59	91.75	16.10
13.	महाराष्ट्र	7281.26	8541.07	10748.22	5044.40	129.19	110.01	95.85	51.99
14.	मणिपुर	501.56	235.15	162.32	0.00	83.00	122.00	115.94	एन.ए.
15.	मेघालय	497.86	310.79	192.87	89.44	85.64	120.60	138.61	83.88
16.	मिजोरम	206.07	240.58	223.01	25.82	115.45	88.78	101.90	3.87
17.	नागालैंड	451.40	208.71	433.50	76.55	86.79	106.12	109.20	एन.ए.
18.	उड़ीसा	6129.85	6178.52	7397.49	4740.04	113.74	97.72	99.58	15.74
19.	पंजाब	516.81	716.31	733.66	279.91	105.90	79.89	108.31	54.83
20.	राजस्थान	4020.59	3743.08	4164.70	1276.47	102.03	104.97	108.79	एन.ए.
21.	सिक्किम	81.75	126.92	152.57	28.59	159.22	88.57	86.60	32.91
22.	तमिलनाडु	4517.82	6981.61	6734.63	3066.26	156.86	132.98	121.49	6.77
23.	त्रिपुरा	959.87	800.39	1270.06	179.84	95.23	91.97	82.32	1.67
24.	उत्तर प्रदेश	20212.39	18884.17	27202.68	7822.22	106.16	112.61	91.48	3.06
25.	पश्चिम बांगल	3577.38	4525.15	4782.10	232.19	153.04	105.60	89.17	890.22
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	51.94	41.70	63.00	12.50	56.03	88.47	60.51	75.68
27.	दा. व. न. हवेली	14.99	31.13	21.88	0.00	71.45	39.74	42.92	एन.ए.
28.	दमन व दीव	13.98	28.91	13.72	0.00	105.79	47.35	90.45	एन.ए.
29.	लक्षद्वीप	6.99	17.78	3.43	0.00	51.22	21.54	96.79	एन.ए.
30.	पांडिचेरी	50.13	83.52	29.93	25.00	111.51	67.92	168.86	20.00
	कुल	96193.77	97647.38	114242.21	41798.88	1186.61	113.63	101.74	33.17

एन० ए० - अनुपलब्ध

सुरक्षा उपाय

1679. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश में सुरक्षा उपाय कायम रखने के लिए अब तक विफल हो गई है;

(ख) क्या भारतीय रेल तकनीकी मानकों में विश्व की अन्य अग्रणी रेलों के लगभग समान ही है;

(ग) क्या सभी बिन्दुओं और क्रासिंगों पर सर्किट का काम लगभग पूरा हो जाने के बावजूद रेल देश भर में ट्रैक सर्किट नेटवर्क का कार्य पूरा नहीं कर सकी;

(घ) यदि हां, तो उन सभी बिन्दुओं और क्रासिंगों पर यह कार्य पूरा न करने के मुख्य कारण क्या हैं, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं घटती हैं; और

(ड.) सरकार सुरक्षा उपायों के मद्देनजर देशभर में ट्रैक सर्किट नेटवर्क का कार्य पूर्ण करने का निर्णय कब तक कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता और स्वदेशी कला अत्याधुनिक तकनिकी की न होने के कारण भारतीय रेलें विश्व के विकसित देशों के समकक्ष नहीं है।

(ग) 1995 में हुई फिरोजाबाद गाड़ी दुर्घटना के पश्चात् भारतीय रेलों पर रेलपथ परिपथन को अत्यधिक बल दिया गया। प्रतिवर्ष लगभग 600 स्टेशनों को विभिन्न किस्म के रेलपथ परिपथन से सुसज्जित किया जा रहा है। उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक रेलपथ परिपथन के परिणामस्वरूप अर्थात् भारतीय रेलों के "क", "ख" एवं "ग" मार्गों के स्टेशनों में रेलपथ के बर्थिंग भाग पर रेल परिपथन पहले ही पूरा कर दिया गया है। कांटे एवं पारण सहित पूरे स्टेशन यार्डों का रेलपथ परिपथन उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत योजनाबद्ध आधार पर प्राथमिकता के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) पृथक प्वाइंट और क्रासिंग स्लीपरों की अनुपलब्धता के साथ-साथ निर्धारित निधि की अनुपलब्धता की एक प्रमुख तंगी है। बहरहाल, समग्र तंगियों में प्वाइन्टस और क्रसिंग के रेलपथ को मार्गवार प्राथमिकता दी गयी है।

(ङ) भारतीय रेलों के "क", "ख", "ग", "घ" विशेष और "ङ" विशेष मार्गों के स्टेशनों पर सम्पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था वर्ष 2005 तक किये जाने की योजना है, बशर्ते कि राशि उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

दिल्ली से देहरादून और धर्मशाला के लिए विमान सेवाएं

1680. डा० अशोक पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार दिल्ली से देहरादून और धर्मशाला के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विमान सेवाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने पहले ही दिनांक 16.9.1999 से दिल्ली-देहरादून-दिल्ली सेक्टर और दिल्ली-धर्मशाला-दिल्ली सेक्टर में तीन बार डोर्नियर सेवा शुरू कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क

1681. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क ने भारत को पूर्वी दिशा में चार संभावित निकास मार्गों का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रत्येक संभावित निकास मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) म्यांमार तक बड़ी लाइन वाले मार्ग का ब्यौरा क्या है क्योंकि बांग्लादेश में भी संबंधित क्षेत्र में बड़ी लाइन है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारत द्वारा यथा प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेलवे के सरेखण पूर्व दिशा में चार संभावित बॉर्डर क्रासिंग इस प्रकार हैं:-

(1) गेडे-दर्शना बड़ी लाइन बंगलादेश सहित

(2) महीसासन-साहबाजपुर मीटर लाइन पर बंगलादेश सहित

(3) जीरीबाम से तामू तक एक मिसिंग लिंक सहित म्यांमार से तामू तक तक (मार्ग वाया बंगलादेश है)

(4) लेखापानी-मैटकीना म्यांमार तक सीधा मार्ग (यह एक मिसिंग लिंक है)

(ग) मार्ग जो लेखापानी में म्यांमार तक बॉडर्र क्रास करता है लेखापानी और मैटकीना के बीच मिसिंग रेल लिंक सहित समग्र बड़ी लाइन का सीधा मार्ग है। बहरहाल, यह बंगलादेश से नहीं गुजरता है। अतः यह उपक्षेत्रीय मार्ग कहलाता है। मुख्य ट्रांस एशियन रेलवे मार्ग एक आमान वाला मार्ग नहीं है मुख्य ट्रांस एशियन रेलवे मार्ग एक आमान वाला मार्ग नहीं है चूंकि जमुना नदी के पूर्वी बंगलादेश में रेलवे नेटवर्क मीटर लाइन का है और तामू से आगे म्यांमार में एक मिसिंग लिंक है।

(घ) चूंकि परियोजना अभी वैचारिक स्तर पर है और बहुत से देश शामिल हैं, अत: इसे अंतिम राय दिए जाने में लगने वाले समय का आकलन करना कठिन है।

ग्रामीण विकास योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

1682. श्री एच. जी. रामुलू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कर्नाटक को आबंटित एंव जारी की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नामक ग्रामीण विकास योजनाएं कर्नाटक राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं। 1999-2000 के दौरान कर्नाटक राज्य को आबंटित तथा जारी की गई निधियों का योजना-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	7037.56	3519.00
2.	इन्दिरा आवास योजना	5898.40	2949.00
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	8538.00	4662.78
4.	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	3927.97	1871.47
5.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	8402.25	4201.12
6.	केन्द्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	461.14	230.57
7.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	4011.51	2450.00

गुलबर्गा-बीदर रेलवे लाइन का निर्माण

1683. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गुलबर्गा-बीदर रेलवे लाइन के निर्माण में विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीदर-गुलबर्गा नई लाइन की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस समय अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराते ही इस कार्य को शुरू कर दिया जायेगा तथा धन की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा।

एफ.पी.एस. की टाटा आर्थिक परामर्शदात्री सेवा

1684. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की उचित दर की दुकानों के काम-काज की जांच करने हेतु टाटा आर्थिक परामर्शदात्री सेवाओं को नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली सहित देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल अन्यत्र भेजे जाने की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करने हेतु वर्ष 1997 में टाटा इकानामिक कन्सलटेंसी सर्विसिज को तैनात किया गया था।

टाटा इकानामिक कन्सलटेंसी सर्विसिज ने 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सें अन्यत्र जाने के संबंध में अनुमान लगाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय स्तर पर जिन्सों में 36 प्रतिशत तक गेहूं, 31 प्रतिशत तक चावल और 23 प्रतिशत चीनी की मात्रा अन्यत्र जाने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में चावल और गेहूं प्रत्येक का 53 प्रतिशत और चीनी की 25 प्रतिशत अन्यत्र जाने (डाइवर्जन) का अनुमान है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन क्रियान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भण्डारण और केन्द्रीय गोदामों तक इनकी दुलाई करना और इन्हें राज्यों को उपलब्ध करवाना है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने और उचित दर दुकानों के प्रशासन का काम देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है। टाटा इकानामिक कन्सलटेंसी सर्विसिज की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर दिनांक 10.8.98 को राज्य खाद्य सचिवों की बैठक में चर्चा की गई थी।

यह रिपोर्ट दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित की गई थी ताकि जिन्सों को अन्यत्र भेजने (डाइवर्जन) संबंधी घटना को रोका जा सके/इसे न्यून किया जा सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उचित दर दुकानों और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी निगाह रखें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों के वितरण की पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था करें जिसके लिए वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियान्वयन से पंचायती राज संस्थाओं को जोड़े और सतर्कता समितियों आदि को सक्रिय करें।

भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कार्ड-धारकों द्वारा फालतू यूनिटों की घोषण करने की स्कीम लागू करके, सतर्कता और परामर्शदात्री समितियां गठित करके तथा नियंत्रण कक्ष और सूचना तथा सुविधा काउंटर स्थापित करके जिन्सों के अन्यत्र जाने से रोकने के उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

भारत-पाक वार्ता

1685. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच दिल्ली में आखिरी वार्ता किस तारीख को हुई थी; और

(ख) इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 23 जून, 1997 के संयुक्त वक्तव्य की सहमत कार्यसूची के आधार पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच साझी तथा एकीकृत बातचीत की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 6 नवंबर, 1998 को सियाचिन मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

यह चर्चा खुले व सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। इस मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत के लिए विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमति हो गई थी।

जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन का निर्माण कार्य

1686. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और उधमपुर के बीच रेल लाइन को बिछाने के संबंध में पूरे हुए कार्य की प्रतिशतता क्या है और साथ ही इस पर कितना खर्च किया गया है;

(ख) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर कितना खर्च किया गया है; और

(ग) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। अनुमानत: कुल 295.2 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ख) उधमपुर-कटरा में निर्माण संबंधी कार्य पूरे जोरों पर है। 120 किलोमीटर की लम्बाई वाले क्वाजीगुण्ड-बारामूला खण्ड के निर्माण के लिए ठेका मैसर्स इरकान को दिया गया है। अभी तक कटरा-क्वाजीगुण्ड का सरेखण तय कर लिया गया है। नई ब. ला. लिंक पर लगभग 122 करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ।

(ग) जम्मू-उधमपुर रेलवे लाइन के बीच का कार्य दिसम्बर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है और 407.74 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन के बीच का कार्य मार्च, 2000 तक पूरा होने की संभावना है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है। इस पर कुल 3077 करोड़ रु. खर्च होने की संभावना है।

[अनुवाद]

शायिका विनिर्माताओं को इस्पात के तारों की आपूर्ति

1687. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अप्रैल, 1992 में एक आदेश जारी कर शायिका विनिर्माताओं को अत्यधिक ऐंठनयुक्त तारों की आपूर्ति बंद कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस आदेश के कारण अधिक व्यय उठाना पड़ा और सरकार को भारी घाटा हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस बारे में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पुन: सम्हलाई/पुन: परिवहन में शामिल लागत, समय से तथा आपूर्ति भंडारण के दौरान नुकसान की समस्याओं के कारण विनिर्माताओं को सीधे उच्च तनन की स्टील तारें खरीदने की अनुमति देनी थी जिसकी लागत का प्रतिपूर्ति उनको कर दी गई थी।

(ग) से (ङ) निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के आधार पर स्लीपर विनिर्माताओं को उच्च तनन स्टील तार की आपूर्ति मुहैया कराने के उद्देश्य से नवंबर, 1994 में नीति में पुन: संशोधन किया गया है। पुराने मामलों की समीक्षा करते समय यह पता चला कि कुछ फर्मों ने अधिक धनराशि वसूल कर ली है। रेलवे ऐसी फर्मों के उस समय के रिकार्ड की बुक समीक्षा कर रही है ताकि भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि को वसूल किया जा सके।

[हिन्दी]

रेल आरक्षण में धोखाधड़ी

1688. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान पकड़े गये टिकट आरक्षण/बुकिंग में हुए घोटालों और धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और इनमें जोन-वार कितने रेलवे अधिकारी शामिल पाए गये;

(ख) जिम्मेदार पाये गये लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(ग) रेलवे आरक्षण में अनियमितताओं की जांच करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1999 (जनवरी से अक्तूबर) के दौरान आरक्षण/बुकिंग में जालसाजी और घोटाले के कुल 35 मामले पकड़े गये थे और 43 कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इन मामलों में कुल 19.56 लाख रुपये की राशि शामिल थी। क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

(ख) इन घोटालों में संलिप्त सभी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गयी है।

(ग) बुकिंग और आरक्षण में अनियमितताओं और बुरी आदतों के मामलों को पकड़ने के लिए नियमित जांचें की जाती हैं। जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती हैं।

विवरण

1999 (जनवरी से अक्टूबर) के दौरान रेलवे आरक्षण बुकिंग में जालसाजी के क्षेत्रवार मामले

रेलवे	पकड़े गये जालसाजी/ घोटालों की संख्या	निहित राशि (लाख रु० में)	जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों की कार्रवाई की गयी
मध्य	16	11.33	8
पूर्व	—	—	—
उत्तर	4	2.62	9
पूर्वोत्तर	1	0.05	1
पूर्वोत्तर सीमा	1	0.70	8
दक्षिण	1	—	—
दक्षिण मध्य	9	0.16	5
दक्षिण पूर्व	—	—	—
पश्चिम	3	4.70	12
कुल	35	19.56	43

[अनुवाद]

मिलियन वैल्स स्कीम

1689. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988-89 में शुरू की गई मिलियन वैल्स स्कीम (दस लाख कुएं योजना) ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना अब एक स्वतंत्र योजना है तथा आगामी वर्षों में इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार का क्या विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस मिलियन वैल्स स्कीम कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या भावी लक्ष्य रखा गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) दस लाख कुओं की योजना, जो वर्ष 1988-89 के दौरान शुरू की गई थी और जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, छोटे और सीमान्त किसानों की जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खुले कुएं खोदना था, ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 1998-99 तक देश में कुल 1.31 लाख कुएं निर्मित किए गए हैं।

(ख) 1997-98 के दौरान 495.61 करोड़ रुपये खर्च करके 1,27,715 कुओं का निर्माण किया गया तथा 1998-99 के दौरान 474.35 करोड़ रुपये खर्च करके 1,29,791 कुएं निर्मित किए गए।

(ग) और (घ) 1.4.1999 से दस लाख कुओं की योजना को बन्द कर दिया गया है तथापि, सिंचाई के स्रोतों का सृजन करना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो 1.4.99 से कार्यान्वित की जा रही है।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

1690. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से व्यक्तिगत शौचालय की लागत बढ़ने के कारण इस धनराशि को बढ़ाने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त निधियों के आबंटन हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ''आबंटन आधारित'' कार्यक्रम तथा कुल स्वच्छता अभियान दोनों के अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था करता है। ऐसे शौचालयों के निर्माण की लागत को निर्धारित मानदंडों के अनुसार केन्द्र, राज्य और लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना होता है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने निधि को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई निवेदन नहीं किया है जिससे वैयक्तिक शौचालय की लागत बढ़ गई।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सौर ऊर्जा का उपयोग

1691. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फोटोवोलटिक उपकरणों के द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है;

(ख) देश में मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जियोथर्मल/टाइडल ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाओं का क्या ब्यौरा है;

(घ) इन स्रोतों से योगदान की जा रही क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपारंपरिक/पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के स्रोतों के अनुसंधान एवं विकास में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) देश में प्रकाशवोल्टीय युक्तियों के माध्यम से सौर ऊर्जा के उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार सौर सैलों, माड्यूलों और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों में विकास/प्रौद्योगिक सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एंव विकास कार्य को सहायता दे रही है। प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास सहायता के फलस्वरूप देश में सिंगल क्रिस्टेलीन सिलिकॉन सोलर सैलों/माड्यूलों के स्वदेशी निर्माण आधार की स्थापना हुई है। इसके अलावा, सरकार कृषि एवं सम्बद्ध उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न स्तरों की सब्सिडी और उदार ऋण उपलब्ध कराता है।

(ख) देश में 202 मेगावाट समग्र क्षमता की 263 लघु पन बिजली परियोजनाएं (3 मेगावाट तक) स्थापित की गई हैं। देश में 31.10.99 तक स्थापित की गई लघु पन बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर, देश में ऐसे लगभग 340 भूतापीय संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की गई है जहां पर विद्युत उत्पादन के लिए और प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोगों के लिए भूतापीय ऊर्जा का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक मूल्यांकनों से 2000 मेगावाट भूतापीय विद्युत संभाव्यता का पता चलता है। पूर्व में, भारतीय ऊर्जा के उपयोग का प्रदर्शन देश में लघु पैमाने के विद्युत उत्पादन और तापीय अनुप्रयोगों के लिए किया गया। देश में कुछ व्यवहार्य भूतापीय विद्युत उत्पादन प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए स्थलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में, भारत में लगभग 15000 मेगावाट की ज्वारीय विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। तथापि, इस संभाव्यता के दोहन के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों का अभी विकास किया जाना है।

(घ) अक्षय ऊर्जा के माध्यम से समग्र संस्थापित क्षमता लगभग 1576 मेगावाट है जिसमें से 42 मेगावाट सौर प्रकाशवोल्टीय से है और 202 मेगावाट लघु पन बिजली से है। भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं और इनका देश में विद्युत उत्पादन में अधिक योगदान नहीं है।

(ङ) अनुसंधान एवं विकास एक जारी रहने वाला प्रयास है जिसके फलस्वरूप विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग विकास में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से औद्योगिक देशों में विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियां उष्ण-कटिबंधीय जलवायु के अनुकूल बनी हैं। बायोमास गैसीफायर, उन्नत चूल्हों के विभिन्न मॉडलों और बायोगैस संयंत्र, सिंगल क्रिस्टेलीन सोलर सैलों/माड्यूलों, फ्यूल सैल विद्युत संयंत्रों के प्रोटोटाईप, रिचार्ज होने वाली बैटरियों से चलने वाले इलैक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सैल विद्युत प्रणालियों, उन्नत निकिल-मैटल हाइड्राइड बैटरियों आदि जैसी कुछ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास भी किया गया है।

विवरण

3 मे.वा. तक की स्टेशन क्षमता की स्थापित लघु पन बिजली परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्यों का नाम	3 मे.वा तक की परियोजनाओं की सं.	3 मे.वा. तक की क्षमता
1	2	3	4
1.	हरियाणा	1	0.20
2.	हिमाचल प्रदेश	26	11.60
3.	जम्मू व कश्मीर	17	8.37
4.	पंजाब	8	9.90
5.	राजस्थान	6	4.85
6.	उत्तर प्रदेश	65	31.39
7.	गुजरात	1	2.00
8.	मध्य प्रदेश	6	5.66
9.	महाराष्ट्र	6	7.03
10.	आंध्र प्रदेश	19	29.76
11.	कर्नाटक	15	20.95
12.	केरल	5	5.52
13.	तमिलनाडु	3	4.75

1	2	3	4
14.	बिहार	5	0.05
15.	उड़ीसा	3	1.26
16.	सिक्किम	8	9.25
17.	पश्चिम बंगाल	9	7.98
18.	अरूणाचल प्रदेश	30	21.05
19.	असम	2	2.20
20.	मणिपुर	6	4.10
21.	मेघालय	1	1.51
22.	मिजोरम	13	8.76
23.	नागालैंड	5	3.17
24.	त्रिपुरा	2	1.01
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0
26.	गोवा	1	0.05
	कुल	263	202.37

पर्वतीय भूभागों में उड़ रहे हेलीकॉप्टर में जोखिम की संभावना

1692. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1999 के "दी पायोनियर" में "एन आई ए एफ पायलट गेटस् रूपीज 12 पर सौर्टी और इवेन डेथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कारगिल जैसे विपरीत परिस्थितियों वाले पर्वतीय भूभागों में उड़ रहे एम. आई.-17 हेलीकॉप्टर के संभावित जोखिमों की प्रकृति और सीमा का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इनमें अन्तर्निहित जोखिमों को कम करने और इस हेलीकॉप्टर को ठीक से उड़ाने वाले पायलटों और कार्मिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार को समाचार पत्र में छपी इस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एम आई-17 हेलिकॉप्टरों सहित किसी भी विमान को सक्रिय सेवा में लिए जाने से पूर्व, संक्रियात्मक परिवेश में उसके बच निकलने की क्षमता का आकलन किया जाता है। यद्यपि हर उड़ान में, विशेषकर संक्रियाओं के दौरान जोखिम की संभावना बनी रहती है तथापि जोखिम को कम करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं।

इस समय वायुसेना के अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को निम्नलिखित दरों पर उड़ान भत्ता देय है:-

ग्रुप कैप्टन व उसके समकक्ष रैंक तक	—	1200/-रु. प्रतिमाह
ग्रुप कैप्टन रैंक से उपर के अफसर तथा उनके समकक्ष	—	900/-रु. प्रतिमाह
वायु सैनिक/चालक दल	—	900/-रु. प्रतिमाह

पाँचवे केंद्रीय वेतन आयोग ने रक्षा सेवाओं के अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की उड़ान भत्ता दर में वृद्धि की सिफारिश की थी।

सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उनके वेतन व भत्तों के संबंध में उत्पन्न हुई विसंगतियों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम

1693. **श्री जी०एस० बसवराज : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह** बताने कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि आबंटित करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्वीकृत की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्वीकृत धनराशि जारी की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) वर्तमान में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आबंटन अनुमोदित आवश्यकता आधारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, आबंटित तथा जारी की गई राशि, राज्यवार और वर्षवार, को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1996-97 से 1999-2000 तक ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आवंटन तथा रिलीज का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	6618.00	6672.20	7964.00	8711.18	9991.36	9991.36	9143.26	4571.63
2.	अरूणाचल प्रदेश	1200.00	1200.00	1444.00	2476.00	3623.00	2163.82	2476.00	1980.80
3.	असम	2026.00	2353.50	2438.00	2376.52	6120.00	6417.00	4180.00	2090.00
4.	बिहार	7795.00	3113.00	9380.00	0.00	11768.50	0.00	9380.00	0.00
5.	गोवा	189.00	550.40	227.00	196.50	283.75	0.00	352.92	0.00
6.	गुजरात	4197.00	4197.00	4672.00	5540.12	5860.51	6951.35	6028.52	4822.82
7.	हरियाणा	2441.00	2550.00	1746.00	2269.16	2190.91	2025.04	1883.91	1507.12
8.	हिमाचल प्रदेश	1331.00	1934.00	1568.00	1680.97	1967.07	2913.27	2275.77	1820.61
9.	जम्मू व कश्मीर	3688.00	3735.00	4395.00	4676.00	5514.58	4659.41	6381.44	0.00
10.	कर्नाटक	6087.00	6720.70	7325.00	9285.00	9177.40	10070.63	8402.25	4201.12
11.	केरल	3095.00	3263.70	3724.00	3564.65	4673.49	4673.49	4307.88	3446.30
12.	मध्य प्रदेश	7327.00	7313.60	8817.00	8345.68	11063.07	11061.14	9444.68	4722.34
13.	महाराष्ट्र	8810.00	9181.00	10602.00	12087.19	13301.46	16384.68	13614.41	10891.52
14.	मणिपुर	440.00	478.60	529.00	907.00	1330.00	666.74	907.00	0.00
15.	मेघालय	472.00	572.00	568.00	743.20	1425.00	1709.00	974.00	487.00
16.	मिजोरम	337.00	428.90	406.00	583.63	1018.00	1017.66	696.00	348.00
17.	नगालैंड	422.00	422.00	422.00	211.00	1058.00	796.90	724.00	579.20
18.	उड़ीसा	3468.00	4153.80	4173.00	5038.39	5236.47	4793.75	4847.93	4847.93
19.	पंजाब	1105.00	1289.00	1330.00	1713.99	1668.62	2205.28	1720.64	860.32
20.	राजस्थान	10387.00	11587.00	8732.00	10737.53	10954.54	11941.63	12676.22	6338.11
21.	सिक्किम	372.00	472.00	372.00	435.60	434.00	1401.12	460.83	230.41
22.	तमिलनाडु	5247.00	5333.00	6314.00	5834.38	7922.54	10527.51	6534.66	3267.33
23.	त्रिपुरा	418.00	850.00	503.00	762.00	1262.00	2128.95	862.00	862.00
24.	उत्तर प्रदेश	12278.00	11728.20	14775.00	15182.66	18537.93	16297.06	14775.00	11820.00
25.	पश्चिम बंगाल	4740.00	4521.30	5704.00	4411.46	7169.63	6426.91	7008.15	5606.45
26.	अं. व. नि. द्वीप समूह	25.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	दा. व. न. हवेली	15.00	3.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00
28.	दमन व दीव	10.00	0.00	5.00	10.00	12.50	0.00	12.50	0.00
29.	दिल्ली	30.00	0.00	12.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	5.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00
31.	पांडिचेरी	20.00	10.00	12.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	जोड़	94590.00	94632.90	108190.00	107779.81	143611.83	137223.70	130112.47	75301.01

*30.11.1999 के अनुसार।

नये विमानों की खरीददारी

1694. श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री कृष्णमराजू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से नये विमानों की खरीददारी का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को तेजी से करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, खरीदे जाने वाले बेड़े का ब्यौरा और प्रत्येक विमान की कीमत कितनी है; और

(घ) इन नये विमानों को किन क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने छः एटीआर-42 विमानों को विमान-बेड़े में शामिल करने के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) एयरलाइन द्वारा विमान-बेड़े में शामिल किए जाने वाले विमानों की संख्या, उनकी लागत और सेक्टरों के बारे में ब्यौरे बताना इस समय समयपूर्व बात होगी।

नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

1695. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइन के लिए वर्ष 1997 और 1998 तथा चालू वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किये गये मार्गों का मंडल-वार और राज्य-वार नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जोन/राज्यवार जिन मार्गों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) यह निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा कर दिया जायेगा और इस पर अनुमानतः क्या खर्च आयेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे सुरक्षा बल को अधिकार

1696. श्री अधीर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूजा एक्सप्रेस में हुए विस्फोट की रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन बलों को दी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों बल सुरक्षा उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में और यात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां देने और तोड़फोड़ पर अंकुश लगाने के लिये और रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या-2 के अनुसार पुलिस (रेलवे तथा गांव की पुलिस सहित) राज्य का विषय है। अपराध की रोकथाम, मामलों को पंजीकरण और उनकी छानबीन तथा रेल परिसरों तथा चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस का सांविधिक उत्तरदायित्व है। राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु) नामक राज्य पुलिस का पृथक स्कंध रेलों पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है।

रेल संपत्ति की बेहतर बचाव और सुरक्षा के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के तहत

रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) का गठन किया गया था। इस बल का मूलभूत कर्त्तव्य रेल संपत्ति की सुरक्षा और बचाव है जिसमें रेल प्रशासन के स्वामित्व की संपत्ति और परिवहन के लिए बुक किए गए माल, सामान, पार्सल आदि शामिल है।

(ग) और (घ) जी नहीं, यद्यपि रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेल परिसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध नियंत्रण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथापि रेल सुरक्षा बल रेल यात्रियों और उनके सामान की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रा.रे.पु. के साथ सहयोग करता है। यात्रियों की संरक्षा में सुधार करने के लिए रे.सु.ब. द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :-

(1) क्षेत्रीय तथा मंडल स्तर पर रेलवे प्रबंधकों, रे.सु.ब. अधिकारियों तथा राज्य पुलिस के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की जा रही हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(2) रे.सु.ब. और रा.रे.पु और सिविल पुलिस में अपने समकक्ष सहयोगियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

(3) रे.सु.ब. के अधिकारी रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना और अपराध आसूचना में भागीदारी सभी स्तरों पर की जा रही है।

(4) रेलों पर सक्रिय असामाजिक तत्वों के साथ निपटने के लिए रा.रे.पु और रे.सु.ब. द्वारा संयुक्त रणनीति बनाई गई है।

(5) रे.सु.ब. के खोजी कुत्ते जहां कहीं उपलब्ध होते हैं, उन्हें रेलवे प्लेटफार्मों यार्ड आदि पर विस्फोट सामग्री का पता लगाने के लिए तैनात किया जाता है। विस्फोट सामग्री का पता लगाने तथा उनकी पहचान के लिए रे.सु.ब. के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता

1697. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की कुछ चीनी मिलों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो मिलों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) चीनी उद्योग 11.9.98 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और इस प्रकार विद्यमान चीनी मिलें अपनी क्षमता विस्तार के लिए स्वतंत्र हैं। आगे, उद्यमी अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे विद्यमान चीनी फैक्ट्री तथा प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री के बीच 15 कि०मी० की दूरी को बनाए रखते हों।

सशस्त्र बलों में कम्प्यूटर साक्षरता

1698. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने अपने अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस संबंध में सभी अधिकारियों को जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेना में कमीशन प्राप्त करते समय कम्प्यूटर साक्षरता की आवश्यकता अनिवार्य करने का भी विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) यद्यपि अधिकारियों के लिए कंप्यूटर साक्षरता अनिवार्य नहीं कि गई है फिर भी बड़ी संख्या में सेनाकर्मी विभिन्न स्तरों पर पहले से ही कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं। शेष अधिकारियों और जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2000 तक 10,000 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य रैंकों को कंप्यूटर की जानकारी देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जारूकता अभियान (आई टी ए सी-99) शुरू किया गया है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक सैन्य संस्था स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ.) सेना ने नवंबर 98 से भारतीय सैन्य अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों के लिए कंप्यूटर साक्षरता अनिवार्य कर दी है।

एझिमला नौसेना अकादमी

1699. श्री टी० गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 'एझिमला नौसेना अकादमी' की स्थापना से संबंधित कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस समय कार्य किस चरण तक पहुंच चुका है; और

(ख) अब तक इस पर कितने रुपये खर्च किये जा चुके हैं और यह अपना काम समय से करने लगे, इसके लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली आधारभूत सुविधाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। वास्तुविद के साथ 9 जनवरी 1998 को एक परामर्शी करार किया गया था। कार्यस्थल का विस्तृत स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, मृदा जांच और सामग्री सर्वेक्षण, बाह्य सेवाओं के संकल्पना डिजाइन, कैडेट भोजनालय और कैडेट आवास का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) अब तक 612.3 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के अनुरूप इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।

[हिन्दी]

बिलासपुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण

1700. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में एक हवाई अड्डा बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई सर्वेक्षण किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। एक नये विमानपत्तन के निर्माण के लिए खैरिया तथा बरई में प्रस्तावित स्थलों की जांच करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के एक दल को बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) भेजा गया था। दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि बिलासपुर जिले में इन दोनों स्थानों पर किसी विमानपत्तन का निर्माण करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

नोएडा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना

1701. **श्री अशोक प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली के दैनिक यात्रियों के यातायात हेतु रेल परियोजनाओं की पहचान के लिए राइट्स को एक सर्वेक्षण शुरू करने को कहा गया था। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजना में आंशिक धनराशि जुटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और अन्य लाभान्वित राज्यों को लिखा है। संबंधित राज्य सरकारों से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त होने की बाद ही अग्रिम कार्रवाई संभव हो सकेगी।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की गति

1702. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेल, एक्सप्रेस, और पैसेंजर रेलगाड़ी घोषित करने के लिए निर्धारित पूरी दूरी की औसत गति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मेल, एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियों की औसत गति विभिन्न कारकों जैसे आमान, ढाल, मुहैया कराए गए ठहरावों की संख्या रेलपथ अवसंरचना की किस्म कर्षण की किस्म गाड़ियों के सिंगनलिंग और पुच्छल भार पर निर्भर करती है। इसलिए मेल/एक्सप्रेस/पैसेन्जर गाड़ियों के रूप में चल रही गाड़ियों के लिए किसी प्रकार की गति निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

गोदामों का निर्माण

1703. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर गरीब और पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गोदामों का निर्माण करने की केन्द्रीय-रूप से प्रायोजित स्कीम नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रही है। इस स्कीम के अधीन नौवीं योजना (1997-2002) में 62.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 2000 टन तक की अधिकतम क्षमता के गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन गोदामों का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां ऐसी सुविधा की आवश्यकता मौजूद है ऐसी आवश्यकता विशेष रूप से दूर दराज, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में मौजूद है।

नौवीं योजना के दौरान आज की तारीख तक योजना के अधीन मुहैया की गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन मुहैया की गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	राशि (लाख रुपये में)	क्षमता (टन में)	गोदामों की संख्या
1.	असम	427.54	29300	11
2.	गुजरात	183.30	6500	12
3.	हरियाणा	165.29	12170	7
4.	हिमाचल प्रदेश	77.76	1800	3
5.	जम्मू और कश्मीर	26.27	250	1
6.	केरल	30.00	1000	2
7.	मिजोरम	112.44	6000	10
8.	राजस्थान	602.91	43050	25
9.	त्रिपुरा	83.02	2000	6
10.	उत्तर प्रदेश	946.03	37350	54

आउटडोर बुकिंग एजेन्सी

1704. **श्री रामदास आठवले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकृत योजनाओं के अंतर्गत पार्सल/सामान की बुकिंग के लिए आउटडोर रेलवे एजेन्सी नियुक्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देश क्या है; और

(ख) एजेन्टों को कितना कमीशन/सेवा प्रभार दिया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार खुली निविदा सिटी बुकिंग एजेंसी/आऊट एजेंसी के ठेके देने के लिए आमंत्रित की जाती है। एजेंसी सभी दृष्टि से सबसे उपयुक्त बोलीदाता को आवंटित की जाती है।

(ख) एजेंट को निविदा आवेदन पत्र में उसके द्वारा उद्धृत दर के आधार पर एजेंसी परिसर से सर्विंग रेलवे स्टेशन तक पैकेजों के परिवहन के लिए कार्टेज प्रभार अदा किया जाता है।

[अनुवाद]

सिकन्दराबाद छावनी में सेना की भूमि का अतिक्रमण

1705. **श्री रावैया मल्यला :**
श्री कृष्णमराजू :

क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र में सेना की भूमि पर अवैध कब्जा/विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सिकंदराबाद में 6.16 एकड़ रक्षा भूमि पर गैरकानूनी कब्जे के 710 मामले हैं। जहां तक सरकार का संबंध है सिकंदराबाद में कोई भूमि विवादग्रस्त नहीं है।

(ग) संबंधित प्राधिकारी गैरकानूनी कब्जे को खाली कराने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 तथा सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

एक-रैंक-एक पेंशन योजना

1706. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफी समय से लम्बित एक-रैंक-एक पेंशन योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 'समान रैंक समान पेंशन' की मांग पर चौथे तथा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जांच और विचार किया गय था। दोनों आयोगों ने इस मांग को औचित्यपूर्ण नहीं पाया। इस मांग को मानने के गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभाव हैं। तथापि, 1.1.1996 से पहले और बाद के पेंशनभोगियों की पेंशन का अंतर कम करने के लिए 1.1.1996 से पहले के सैन्य पेंशनभोगियों की पेंशन में 'एक बार की वृद्धि' प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रम संबंधी कोष

1707. **श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में जिले-वार संबंधित निधि आबंटन सहित प्रत्येक योजना का कार्य-निष्पादन क्या रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) और (ख) ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए चालू वित्त वर्ष में अधिक निधियां आबंटित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ज्वाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), सुनिश्चित रोजगार योजना (इ.ए.एस.) तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं हैं जो तमिलनाडु में कार्यान्वित की जा रही हैं। चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में जिलावार आबंटन तथा वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान तमिलनाडु को आंवटन तथा उपलब्धि

क्रम सं०	जिलों के नाम	जे.जी.एस.वाई.		ई.ए.एस		स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना		इंदिरा आवास योजना	
		केंद्रीय आवंटन	उपलब्धि*	केंद्रीय आवंटन	उपलब्धि*	केंद्रीय आवंटन	उपलब्धि**	केंद्रीय आवंटन	उपलब्धि***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कोयम्बटूर	351.28	3.63	216.59	2.93	227.53	500	211.32	593
2.	कुड्डालोर	363.28	2.15	447.37	1.61	155.71	1095	343.92	1058
3.	धर्मापुरी	393.12	1.54	561.98	3.70	215.60	0	250.35	322
4.	डिंडीगल	333.02	2.25	391.41	1.22	167.64	1294	185.41	581
5.	ईरोड	322.91	3.56	334.70	1.17	239.58	206	191.26	698
6.	कांचीपुरम	368.23	2.70	512.09	1.75	155.71	44	302.14	1264
7.	कन्याकुमारी	257.76	1.76	77.84	0.97	107.74	479	17.54	0
8.	करूर	152.05	1.11	159.44	1.66	95.81	2	95.51	202
9.	मदुरै	194.17	0.74	315.92	0.98	155.71	0	163.18	449
10.	नागापट्टिनम	269.41	2.49	350.60	1.32	131.72	450	261.71	185
11.	नाम्माकल	200.20	1.60	262.73	2.38	179.69	77	171.42	538
12.	नीलगिरी	488.58	5.18	35.35	0.46	47.91	76	35.19	9
13.	पेराम्बूर	210.83	1.45	273.29	1.13	119.79	80	178.91	442
14.	पुडुकोटाई	284.38	2.10	296.04	2.07	155.71	139	146.10	691
15.	रामनाथपुरम	173.17	1.11	278.12	2.23	131.72	629	147.90	366
16.	सेलम	236.71	4.31	377.10	2.00	227.53	612	223.22	85
17.	शिखागंगाई	234.02	1.52	224.56	2.15	143.77	0	107.40	45
18	तंजाबूर	238.70	0.01	355.73	1.23	167.76	0	218.14	419
19.	थेनी	134.08	0.91	158.19	0.34	95.81	0	77.91	234
20.	तिरूचिरापल्ली	215.94	1.60	333.95	1.24	167.75	0	186.17	141
21.	तिरूनेलवेल्ली	300.59	3.22	372.78	1.56	227.53	0	201.85	829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तिरूवल्लूर	321.28	2.39	441.29	1.44	167.76	0	368.75	509
23	तिरूवन्नमलाई	447.10	3.47	603.80	1.29	215.60	0	326.94	803
24.	तिरूवरूर	243.09	1.82	299.36	1.32	119.79	0	224.37	851
25.	तूतीकोरीन	262.39	1.91	220.33	0.44	143.77	272	147.65	279
26.	वेल्लोर	476.23	3.12	581.06	2.35	239.58	843	368.28	926
27.	विलुपुरम	493.90	3.13	764.44	3.61	263.45	0	529.25	5686
28.	विरूधुनगर	274.07	1.74	323.93	1.65	131.72	1289	164.21	366
	योग :	8240.49	62.49	9570.01	46.20	4599.39	8087	5846.00	18571

*सृजित लाख श्रमदिन

**लाभान्वित परिवारों की संख्या

***निर्मित आवासों की संख्या

कारखानों को स्लीपर के क्रयादेश

1708. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले जनजातीय क्षेत्रों, जैसे बिहार का संथाल परगना, मध्य प्रदेश में विशाल कृतक बल के साथ कार्यरत स्लीपर बनाने वाले अनेक लघु उद्योग रेल विभाग से मिलने वाले क्रयादेशों पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अनेक कारखानों को गत दो वर्षों से बिल्कुल भी क्रयादेश नहीं मिला है जिससे विशाल कृतक बल भुखमरी के कगार पर आ गया है; और

(ग) इन कारखानों को भुखमरी के कगार पर न जाने से बचाने के लिए नियमित क्रयादेश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बिहार और मध्य प्रदेश सहित, देश के विभिन्न भागों में शयनयान बनाने के 68 कारखाने स्थित हैं।

(ख) और (ग) प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावों की प्राप्ति, रेलवे की स्लीपरों की आवश्यकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर रेलवे इन फर्मों को आदेश देती है।

खाद्य तेलों का आयात

1709. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1998, अक्तूबर, 1999) के पहले नौ महीने के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया है तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसकी मात्रा कितनी थी

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में केवल जून, 1999 में इसके आयात में तीन गुना वृद्धि हुई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 के लिए खाद्य तेल की कुल घरेलू मांग और आपूर्ति कितनी है; और

(ङ) देश में (खाद्य) तेल की घरेलू आपूर्ति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद) : (क) वर्तमान तेल वर्ष (नवम्बर, 1998-अक्तूबर, 1999) के पहले नौ महीनों के दौरान 23.12 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया है और समनुरूप वर्ष के दौरान इसकी तुलना में 9.46 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया था। ये आकंड़े आयातकों से 3.12.1999 तक प्राप्त हुई विवरणियों के आधार पर हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए खाद्य तेल की कुल मांग और घरेलू आपूर्ति निम्नलिखित है :-

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1998-99	91.99	72.61*
1999-2000	96.43	81.87**

*कृषि मंत्रालय के 256.8 लाख टन के तिलहन उत्पादन अनुमान के आधार पर परिकलित है।

**कृषि मंत्रालय के 284.52 लाख टन के तिलहन उत्पादन के लक्ष्य के आधार पर परिकलित है।

(ङ.) देश में तेल की घरेलू आपूर्ति में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम निम्नलिखित हैं :-

(1) उत्पादन, संसाधन और प्रबंध प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए मई, 1936 में तिलहन संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था। तब से लेकर, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से देश में तिलहनों और खाद्य तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए सभी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय 25 राज्यों में 395 चुनिन्दा जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों, जैसे बीज का उत्पादन और संवितरण, मिनी किट्स, राइजोबियम संवर्द्धन, जिप्सम/पाइराइट, खेती के उन्नत औजार, पौधा संरक्षण उपकरण, छिड़काव सैट इत्यादि पर सब्सिडि देकर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए, किसानों के खेतों में विशेष (फ्रंटलाइन) और सामान्य प्रदर्शन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में धनराशि दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में 109.10 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

नौंवी योजना के दौरान देश में तिलहनों और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने लिए अधिक परिव्यय के साथ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नई शुरू की गई गति-विधियों में तिलहन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रचार, छिड़काव सिंचाई, एकीकृत पोषकों के इस्तेमाल तथा कीट प्रबंध को बढ़ावा देना और सल्फर के स्रोत के रूप में जिप्सम/पाइराइट्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(2) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(3) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों की गैरपरम्परागत फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना, वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी इत्यादि का उपयोग करना।

(4) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के साथ सामंजस्य रखने के लिए आवश्यक संसाधन और बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना।

(5) पाम तेल के विकास के लिए सहायता देना।

(6) प्रमुख तिहलनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(7) संसाधन इकाइयों को आधुनिक बनाने के उपकरणों की पहचान करना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायत देना।

सुरक्षा के लिए नियत निधियों का उपयोग

1710. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 और 1998-99 के दौरान सुरक्षा के लिए नियत निधियों का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या औचित्य है;

(ग) क्या सुरक्षा के लिए निधियों का उपयोग न किया जाना ही 1994 से दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेवार है; और

(घ) यदि हां, तो रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न योजना शीर्षों जिसमें सिगनल और दूरसंचार अवसंरचना का ग्रेडोन्नयन, रेलपथ नवीकरण, पुल संबंधी कार्य और कारखाना आधुनिकीकरण शामिल हैं, के अंतर्गत संरक्षा के लिए आबंटन किया जाता है। 1997-98 और 1998-99 में इन योजना शीर्षों के अंतर्गत किया गया आबंटन निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रेलपथ नवीकरण			पुल संबंधी कार्य		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1997-98	1680.00	1680.00	1805.22	88.70	88.85	74.97
1998-99	1960.00	1793.00	1802.90	103.70	82.73	67.59
	सिगनल और दूरसंचार			कारखाने और शेड		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1997-98	201.40	221.75	251.74	87.53	102.98	113.85
1998-99	361.40	336.40	131.60	129.49	141.14	128.95

उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि 1997-98 में योजना शीर्ष रेलपथ नवीकरण, सिगनल एवं दूरसंचार और कारखाने एवं शेड के अंतर्गत धन का पूरा उपयोग हो गया था। बहरहाल, 1998-99 के दौरान आंतरिक संसाधनों के सृजन में गिरावट के कारण योजना व्यय में कटौती करना आवश्यक हो गया था और इसलिए वास्तविक व्यय बजट अनुदान से कम हुआ। योजना शीर्ष पुल संबंधी कार्य के अंतर्गत धन का पूरा उपयोग न होने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार का ऊपरी/निचले सड़क पुलों के पहुंच मार्गों पर कार्य आरंभ करने में समर्थ न होना, भूमि उपलब्ध न होना, निविदाओं के प्रति निरूत्साह, संविदागत विफलता, अपेक्षित सामग्रियों का उपलब्ध न होना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बहरहाल, संरक्षा बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण उपयों में निम्न शामिल हैं :-

(1) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(2) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को "खतरे के सिगनल" के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

(5) सभी सवारी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं। माल गाड़ी के ड्राइवरों को भी ये सप्लाई किए जा रहे हैं तथा 31 मार्च, 2000 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

(6) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(7) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(8) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में खराबियों का पता लगाने के लिए 96 और दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा रही है।

(9) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(10) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक-थाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, मेमी ओवर-हालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(11) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोध व सड़क चिन्ह मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(12) सड़क अपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(13) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(14) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्तः-अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(15) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(16) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(17) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(18) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में गया के विकास हेतु धनराशि

1711. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का गया को एक प्रमुख पर्यटक-केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए बिहार वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) पर्यटन महत्व के स्थानों में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका होती है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे विचार-विमर्श करके परियोजनाओं/योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाकर उनके प्रयासों को सुदृढ़ बनाता है। इसी प्रकार, चालू वर्ष के लिए बिहार राज्य हेतु 710.00 लाख रुपये राशि की 23 परियोजनाओं/योजनाओं की मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गया के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई है :-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)
1.	गया में जन सुविधाएं	3.59
2.	गया में यात्रिका	15.92

गया में, और इसके चारों ओर राज्य के राजमार्ग का, जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ०ई०सी०एफ०) से ऋण सहायता लेकर विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया गया है।

[अनुवाद]

बेगमपेट में राजीव गांधी हवाई अड्डा को बंद किया जाना

1712. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगमपेट (हैदराबाद) स्थित राजीव गांधी हवाई अड्डे को बंद किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को फ्रांसीसी अगोस्ता पनडुब्बी की आपूर्ति

1713. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान को फ्रांस निर्मित अगोस्ता पनडुब्बी प्राप्त हुई है जिससे भारतीय जहाजों को एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान ने तीन अगोस्ता 90-बी पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए फ्रांस के साथ एक संविदा की है। इनमें से पहली पनडुब्बी सितंबर, 1999 में फ्रांस में पाकिस्तान के हवाले कर दी गई थी जिसे हाल ही में पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है।

(ग) सरकार इस क्षेत्र में रक्षा-अधिप्राप्तियों की सावधानी से निगरानी करती है। सरकार खतरे संबंधी अपनी अवधारणाओं के अनुरूप भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की कारगर ढंग से रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

कन्नूर हवाई अड्डे का विकास

1714. श्री टी० गोविन्दन :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री जी०एम० बनातवाला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कन्नूर (केरल) में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रक्रियानुसार, भूमि अधिग्रहण, भूमि समतलीकरण इत्यादि से संबद्ध कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो कन्नूर हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) . (क) और (ख) जी, नहीं। विमानपत्तन की तकनीकी साध्यता हेतु एक उच्चस्तरीय दल ने कार्यस्थल का दौरा किया। दल ने सिफारिश की है कि कन्नूर में 6600 फीट से अधिक लम्बाई वाला रनवे नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कन्नूर कालीकट से मात्र 120 कि.मी. और मंगलौर से मात्र 135 कि.मी. दूर है। मौजूदा नीति के अंतर्गत, मौजूदा विमानपत्तन की 150 कि.मी. की हवाई दूरी के भीतर कोई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित नहीं किया जाना है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पंढारपुर में सड़क-ऊपरिपुल का निर्माण

1715. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंढारपुर, महाराष्ट्र में निमार्णाधीन सड़क-ऊपरिपुल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंढारपुर में और अधिक ऊपरिपुलों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पंढरपुर में कोई ऊपरी सड़क पुल निर्माणाधीन नहीं है। बहरहाल, पंढरपुर यार्ड में आमान परिवर्तन के संबंध में समपार सं. 24, 25 और 26 के बदले तीन निचले सड़क पुलों का निर्माण पूरा होने वाला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होगेनक्कल पेयजल योजना

1716. श्री पी०डी० एलनगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होगेनक्कल पेयजल योजना के कार्यान्वयन के लिए जापानी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी क्योंकि अब जापान सरकार ने भारत पर वित्तीय प्रतिबंध उठा लिए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोत से धर्मपुरी तमिलनाडु में बहुत जरूरी होगेनक्कल पेयजल योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सरकार से "होगेनक्कल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना" नामक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे संभावित सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

चीनी का उत्पादन

1717. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सत्र में अर्थात् अक्तूबर, 1998 से सितम्बर, 1999 तक भारत में चीनी का उत्पादन 160 लाख टन पहुंचने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या हैं?

अपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) चालू चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 160 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि विगत चीनी मौसम 1998-99 के दौरान चीनी का उत्पादन 155.20 लाख टन (अनंतिम) था। इस प्रकार यह गत वर्ष के उत्पादन पर 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) चालू चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान चीनी के अधिक उत्पादन का मुख्य कारण महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा कर्नाटक राज्यों में गन्ने के उत्पादन में संभावित वृद्धि है।

गेहूं का आयात

1718. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार के पास गेहूं का भंडार इसकी उपभोग क्षमता से अधिक था;

(घ) यदि हां, तो सरकार के पास गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसका कितना भंडार था; और

(ङ) गेहूं का आयात किए जाने के कारण क्या हैं जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर निम्नलिखित मात्रा में गेहूं का आयात किया गया था :

वर्ष	मात्रा लाख टन में
1996-97	17.51
1997-98	10.18
1998-99	14.15

चालू वर्ष (1999-2000) के दौरान अभी तक सरकारी खाते पर गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में पहली अप्रैल को स्थिति के अनुसार बफर स्टाक के मानदण्डों के सापेक्ष केन्द्रीय पूल में गेहूं की स्टाक स्थिति निम्नानुसार थी :

(मात्रा लाख टन में)

तारीख	गेहूं का वास्तविक स्टाक	बफर स्टाक मानदण्ड
1.4.96	77.62	37.00
1.4.97	28.82	37.00
1.4.98	50.75	37.00
1.4.99	99.21	40.00

(ङ) सरकार निर्धारित न्यूनतम बफर मानदंड, देश में खाद्यान्न उत्पादन, वसूली प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यकता, खुले बाजार मूल्यों आदि के सापेक्ष केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न स्टाक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती है और सरकारी खाते पर खाद्यान्न आयात करने का निर्णय समूची स्थिति पर निर्भर करते हुए लिया जाता है।

एयरलाइनों द्वारा बाजार का उपयोग

1719. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू एयरलाइनों को अपने संसाधनों का पता लगाने और उनमें वृद्धि करने तथा संकट से उबरने के लिए बाजार का उपयोग करने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तब से इस संबंध में विभिन्न एयरलाइनों ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) निजी विमानकंपनियों द्वारा व्यापार फैलाने के प्रयास को सरकार विनियमित नहीं करती है जबकि इंडियन एयरलाइंस को अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पूजा एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति

1720. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 नवंबर, 1999 को दिल्ली होकर जाने वाली पूजा एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त विस्फोट के शिकार हुए लोगों को कोई क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की कितनी-कितनी धनराशि दी गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 11 नवंबर, 1999 को "पूजा एक्सप्रेस" में बम विस्फोट के कारण 14 व्यक्ति मारे गए तथा 47 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ख) और (ग) जी हां, अधिकरण की संबंधित पीठ में दर्ज वादों पर रेल दावा अधिकरण द्वारा पास की गयी डिगरी के आधार पर दावाकर्त्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के उपबंधों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावों का भुगतान किया जाता है। मृत्यु तथा स्थाई अपंगता के मामले में देय क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 4,00,000/- रुपए है। घायलों के मामले में न्यूनतम देय राशि 32000/- रुपये तथा अधिकतम देय राशि 3,60,000/- रुपये है। दावाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान, उनके द्वारा दावा दर्ज किए जाने तथा दावा अधिकरणों द्वारा निर्णय किए जाने के फलस्वरूप किया जाएगा। बहरहाल, मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 15,000/- रुपये, गंभीर रूप से घायलों के परिवारों को 5000/- रुपये तथा 500/- रुपये मामूली रूप से घायल हुए व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान वितरित किया गया था। इस घटना में कुल 1,70,000/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

बंद की गई उड़ानें

1721. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1998 और 1999 के दौरान कुछ उड़ानें बंद कर दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1998 और 1999 में अवरुद्ध उड़ानों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण और उनके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1998 और 1999 में अवरुद्ध उड़ानों के ब्यौरे और इसके कारण

अवरुद्ध उड़ान	अवरुद्ध होने की तारीख	अभ्युक्ति कारण
1	2	3
अ. मैसर्स इंडियन एयरलाइन्स		
बैंगलोर-कालीकट	जनवरी, 1998	
गुवाहाटी-लीलाबाड़ी	सितम्बर, 1998	मुख्यतः वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक
गुवाहाटी-दीमापुर	सितम्बर, 1998	
कलकत्ता-रांची	दिसम्बर, 1998	
एजवाल-गुवाहाटी	जनवरी, 1999	
चेन्नई-पुटटापारंती	जुलाई, 1999	
पुणे-अहमदाबाद	सितम्बर, 1999	
पुणे-कलकत्ता	सितम्बर, 1999	
पुणे-चेन्नई	नवम्बर, 1999	
औरंगाबाद-उदयपुर	नवम्बर, 1999	
औरंगाबाद-जयपुर	नवम्बर, 1999	
चेन्नई-गोवा	नवम्बर, 1999	
जबलपुर-भोपाल	नवम्बर, 1999	
अगाती-गोवा	नवम्बर, 1999	
ब. मैसर्स जेट एयरवेज		
मुम्बई-नागपुर-मुम्बई	जुलाई, 1998	
चेन्नई-हैदराबाद-चेन्नई	नवम्बर, 1998	खराब सीट गुणक
मुम्बई-लखनऊ-मुम्बई	जुलाई, 1999	
स. मैसर्स सहारा एयरलाइन्स		
दिल्ली-भोपाल-इंदौर-दिल्ली	अगस्त, 1998	

1	2	3
दिल्ली-बैंगलोर-दिल्ली	मार्च; 1999	प्रचालनात्मक कारण
दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली	मार्च, 1998	
मुम्बई-वाराणसी-मुम्बई	मार्च, 1998	
दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली	अगस्त, 1999	

विमानपत्तन अवसंरचना तथा एयरलिंक संबंधी कृतक बल

1722. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर में विमानपत्तन अवसंरचना और एयरलिंक संबंधी कृतक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृतक बल की सिफारिशें अब तक किस सीमा तक लागू की गई हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों का संबंध निम्नलिखित से है :-

(1) विमानपत्तन आधारभूत संरचना का विकास अर्थात् रनवे, टर्मिनल भवनों का निर्माण, आधुनिक दिक्चालनात्मक प्रणालियों का संस्थापन इत्यादि;

(2) विमान सेवाओं में सुधार अर्थात् सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों की राजधानियों को वायु-मार्ग से जोड़ना, 50 सीटों वाले विमानों का लगाया जाना; और

(3) विमान सेवाओं को आर्थिक रूप में व्यवहार्य बनाने के लिए कर में रियायत तथा नागर विमानन विकास निधि जुटाया जाना।

(ग) राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित को रिपोर्ट अग्रेषित की गई है और अनुवर्ती कार्रवाई की सावधिक समीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों के तहत आबंटन

1723. श्री रामसागर रावत :
श्री राजो सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत आबंटित तथा जारी की गई धनराशि राज्यवार क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का दुरुपयोग और अन्यत्र खर्च किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा धनराशि के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग तथा अन्यत्र खर्च किए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आबंटन तथा रिलीज के राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9143.26	4571.63
2.	अरूणाचल प्रदेश	2476.00	1980.80
3.	असम	4180.00	2090.00
4.	बिहार	9380.00	0.00
5.	गोवा	352.92	0.00
6.	गुजरात	6028.52	4822.82
7.	हरियाणा	1883.91	1507.12
8.	हिमाचल प्रदेश	2275.77	1820.61
9.	जम्मू व कश्मीर	6381.44	0.00
10.	कर्नाटक	8402.25	4201.12
11.	केरल	4307.88	3446.30
12.	मध्य प्रदेश	9444.68	4722.34
13.	महाराष्ट्र	13614.41	10891.52
14.	मणिपुर	907.00	0.00
15.	मेघालय	974.00	487.00
16.	मिजोरम	696.00	348.00
17.	नगालैंड	724.00	579.20

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	4847.93	4847.93
19.	पंजाब	1720.64	860.32
20.	राजस्थान	12676.22	6338.11
21.	सिक्किम	460.83	230.41
22.	तमिलनाडु	6534.66	3267.33
23.	त्रिपुरा	862.00	862.00
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00	11820.00
25.	पश्चिम बंगाल	7008.15	5606.45
26.	अं. वि नि. द्वीप समूह	12.50	0.00
27.	दा. व न. हवेली	12.50	0.00
28.	दमन व दीव	12.50	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	12.50	0.00
31.	पांडिचेरी	5.00	0.00
	कुल	130112.47	75301.01

*30.11.99 तक

एम-17 के लिए कलपुर्जे

1724. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेवा के एम-17 विमानों के बेड़े को कलपुर्जों की कमी के कारण नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) हाल में कारगिल में हुई कार्यवाही के दौरान कलपुर्जों की कमी के कारण कितने एम-17 विमान खड़े रहे;

(घ) क्या इस वर्ष, मई में कारगिल कार्यवाही के दौरान मार गिराए एक एम-17 विमान के नष्ट होने का कारण उसमें कतिपय कलपुर्जों, का न लगा होना था; और

(ङ) यदि हां, तो उस विमान में मारे जाने वाले चालक दल के सदस्यों का तथा उनके आश्रितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दो अफसरों तथा दो वरिष्ठ एन सी ओ की जानें गईं। उनके नाम इस प्रकार हैं :

(1) स्क्वाड्रन लीडर आर पुंडीर

(2) फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मुहीलन

(3) सार्जेण्ट पी वी एन आर प्रसाद

(4) सार्जेण्ट आर के साहू

दिवंगत अफसरों के परिवारों को किए गए प्रतिपूर्ति भुगतान का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	वित्तीय प्रतिपूर्ति	(क) श्रीमती पुंडीर	(ख) श्रीमती मुहीलन@@	(ग) श्रीमती प्रसाद	(घ) श्री साहू
1	2	3	4	5	6
1.	मृत्यु दावा	14,76,632	12,46,000@	6,27,953	6,41,636
2.	परिवार सहायता योजना-15 वर्षों के लिए प्रति माह	2,000	2,000	1,500	1,500
3.	अनुग्रह राशि**	10,00,000	10,00,000	10,00,000	10,00,000
4.	मृत्यु उपदान	2,28,000	1,58,400	78,012	75,324
5.	विशेष परिवार पेंशन (प्रति माह)	14,425	10,000	4,925	3,566
6.	रक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि/वायु सेना भविष्य निधि	77,658	92,526	28,328	50,885
7.	मृत्यु सम्बद्ध बीमा	30,000	30,000	20,538	30,000

1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय रक्षा निधि से अतिरिक्त लाभ					
8.	आवास इकाई लेने के लिए अनुदान	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
9.	बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा एक लाख रुपए की राशि जो अधिकतम 2 लाख रुपये तक सीमित है।	2,000 प्रति माह	1,000 प्रतिमाह	1,000 प्रतिमाह	—
10.	आश्रित माता-पिता के लिए अनुग्रह सहायता (प्रतिमाह)	1,000	1,000	1,000	—

**2.5 लाख रुपए अभी जारी नहीं किए गए हैं।

@फ्लाइट लेफ्टि. मुहीलन की माता जी को मृत्यु दावे के रूप में 12.46 लाख रु. का भुगतान किया गया था।

@@श्रीमती मुहीलन को वायु सेना पत्नी कल्याण संघ (केंद्रीय) से 10 लाख रु. की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

(क) स्वर्गीय स्क्वाड्रन लीडर पुंडीर की पत्नी

(ख) स्वर्गीय फ्लाइट लेफ्टि. एउ मुहीलन की पत्नी

(ग) सार्जेण्ट प्रसाद पी वी एन आर की पत्नी

(घ) सार्जेण्ट साहू पी.के. के पिता

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अन्तर्गत धनराशि का दुरुपयोग

1725. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों पर धन के दुरुपयोग, धन का अन्यत्र उपयोग और ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) मार्च 1998 में समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एंव महालेखाकार, भारत की रिपोर्ट में कुछ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के संदर्भ में कुछ अनियमितता की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। उल्लिखित घटनाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां दौसा तथा श्री गंगानगर द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपात्र लाभार्थियों को सबसिडी का भुगतान।

(2) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, कुरनूल, नालगोंडा तथा रंगा रेडी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की निधियों का दुरुपयोग।

(3) आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों का केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यों में पथांतरण।

(4) उड़ीसा के कोरापुट तथा गंजाम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च करने से पहले उपयागिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना।

(5) असम के नवरंगपुर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की निधियों का दुरुपयोग।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों की टिप्पणियां एकत्र की जा रही हैं। टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

जोतों की चकबन्दी

1726. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में अत्यंत छोटी-छोटी जोतों की समस्या से निपटने और कृषि क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता सुधारने के लिए जोतों की चकबन्दी करने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति में कितने विशेषज्ञों को शामिल किया गया है और जोतों के मसले पर राज्य सरकारों का इसमें कितना प्रतिनिधित्व होगा;

(घ) क्या अभी हाल ही में इस समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस बैठक में क्या बातचीत हुई और उन पर क्या निर्णय लिए गये; और

(च) यह समिति कब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट भेज देगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (च) भूमि जोतों की चकबन्दी और प्रौद्योगिक उन्नयन के जरिए

सर्वेक्षण डाटा/अधिकार संबंधी रिकार्ड और नक्शों को अद्यतन बनाने से संबंधित सभी विषयों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित की गई है। समिति के गठन और विचारार्थ विषयों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 9.11.1999 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जो विचारार्थ विषयों में उल्लेख किए गये सभी मामलों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जाएगा।

विवरण

गठन

1.	सचिव (ग्रामीण विकास)	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव (भूमि संसाधन)	सदस्य
3.	मुख्य आयुक्त, भूमि प्रशासन, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
4.	चकबंदी आयुक्त/निदेशक, सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त, पंजाब सरकार	सदस्य
5.	चकबंदी आयुक्त/निदेशक, सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
6.	निदेशक, भूमि रिकार्ड एवं बंदोवस्त आयुक्त, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
7.	सयुक्त सचिव (भूमि सुधार)	संयोजक

अध्यक्ष को समिति के कार्य-निष्पादन में सहायता के लिए किसी भी अन्य अधिकारी को सहयोजित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

विचारार्थ-विषय

1. सभी राज्यों में चकबंदी के संबंध में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करना।
2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली मुख्य बाधाओं का पता लगाना और इनको दूर करने के लिए उपाय सुझाना।
3. सर्वेक्षण डाटा/अधिकारों संबंधी रिकार्ड और नक्शे तैयार करने की स्थिति की जांच करना और जहां कहीं अपेक्षित हो (जिन मामले में नक्शे तैयार किए गए हों या उपलब्ध नहीं हों या नष्ट कर दिए गए हों, उनमें इन्हें बदलने और पुन: तैयार करने सहित) पुनरीक्षण सर्वेक्षण के जरिए इनको अद्यतन बनाने की सिफारिश करना और इसके साथ-साथ इनको पूरा करने के लिए समय अवधि निश्चित करना और लागत अनुमानों और अपेक्षित प्रौद्योगिक उन्नयन का ब्यौरा देना और जिन क्षेत्रों में अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, उदाहरणार्थ उत्तर-पूर्वी राज्यों में, उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण आरंभ करने और पूरा करने हेतु उपाय सुझाना।
4. जोतों की चकबंदी के लिए कार्य योजना तैयार करना और भूमि जोतों की चकबंदी संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना।

कारगिल से लापता सैनिक

1727. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल संघर्ष के दौरान तीसरी राजपूत बटालियन के एक कप्तान सहित छ: सदस्यों का गश्ती दल लापता हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान की सेना ने चार लापता भारतीय सैनिकों के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है जबकि दो सैनिक भारत सरकार को वापस कर दिये गये; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने उनका पता लगाने के लिए क्या प्रयत्न किये और क्या प्रयत्न करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) तीसरी राजपूत बटालियन के गश्ती-दल के कैप्टन रैंक के एक अफसर और 5 सैनिकों के 30/31 अगस्त, 1999 की रात को तुर्तक सेक्टर में लापता होने की सूचना मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) सेना मुख्यालय ने इस मामले को पाकिस्तान की सेना के साथ उठाया है।

"आईटीडीसी" में विनिवेश

1728. **श्री मोहन रावले :**
श्री जी०एम० बनातवाला :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम में विनिवेश के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ख) विनिवेश के लिए किन-किन होटलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन होटलों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रतिष्ठित होटल, समूहों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है या इन्हें निगमित बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में विनिवेश किस तरीके से किया जाएगा; और

(ङ) विनिवेश कब तक पूरा हो जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बन्ध में विनिवेश आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। अयोग की मुख्य सिफारिशें नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

"1. दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख नगरों में स्थित होटलों को प्रमुख होटल श्रृंखलाओं को दिया जा सकता है, इसके लिए पट्टे और प्रबन्धन के आधार पर लंबी अवधि के लिए करार किया जाए और करार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को अपनाया जाए।

2. अन्य होटलों को पृथक निगमित इकाइयों में मिलाया जा सकता है और नई कम्पनियों में निवेश, उनमें शतप्रतिशत सरकारी भागेदारी की बिक्री के माध्यम से होगा।

3. भारत पर्यटन विकास निगम प्रचालनों की क्षमता के आधार पर शुल्क मुक्त दुकानों और ट्रेवल और टूअर व्यवसाय के प्रचालन को जारी रख सकता है"।

(घ) से (ङ) सरकार ने मंत्रालय में ही एक ऐसे ग्रुप की स्थापना की है जो विनिवेश आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन में सलाह देने के लिए वित्तसलाहकार की नियुक्ति सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करेंगे।

[हिन्दी]

मरूधर एक्सप्रेस का विलंब से चलना

1729. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर-वाराणसी मरूधर एक्सप्रेस 4864/4863 हमेशा अपने निर्धारित समय से पीछे चलती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, यह गाड़ी परिचालनिक तंगियों जिनमें चार अंतःबदल प्वाइंट की ट्रवसिंग, आगरा कैंट रिवर्सल, मुख्य लाइन गाड़ियों की क्लेशिंग और मथुरा-आगरा खंड पर लाइन क्षमता पर दबाव शामिल है, के कारण देरी से चल रही है। चूंकि निकट भविष्य में परिचालनिक तंगियों को दूर करना संभव नहीं है इसलिए अगली समय-सारणी में इस गाड़ी का समय पुनः निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

1. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत पेमेंट आफ कन्साइनमेंट्स (इन वैगन-लोड अथवा ट्रेन लोड) संशोधन नियम, 1999 जो 13 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 632(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 577/99]

2. (एक) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 578/99]

4. (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 579/99]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धरा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखत पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 580/99]

(ख) (एक) भारत अर्थ मूवर्स, लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स, लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पिणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 581/99]

(ग) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रविवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 582/99]

(घ) (एक) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 583/99]

(ङ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 584/99]

2. मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 585/99]

3. हिन्दुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 586/99]

4. गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 587/99]

5. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 588/99]

6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 589/99]

7. मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 590/99]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) द स्टेण्डर्ड्स ऑफ वेट्स एण्ड मैजर्स (पैकेण्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 1999, जो 6 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 246(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) द स्टेण्डर्ड्स ऑफ वेट्स एण्ड मैजर्स (सामान्य) संशोधन नियम, 1999, जो 10 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) द स्टेण्डर्ड्स ऑफ वेट्स एण्ड मैजर्स (इंटर-स्टेट वेरीफिकेशन एण्ड स्टैम्पिंग) (संशोधन) नियम, 1999, जो 9 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 332 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) द स्टेण्डर्ड्स ऑफ वेट्स एण्ड मैजर्स (पैकेज्ड कमोडिटीज) (दूसरा संशोधन) नियम, 1999, जो 17 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 549(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल०टी० 591/99]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 592/99]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 593/99]

(2) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 594/99]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 595/99]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 596/99]

(दो) इंस्टिट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 597/99]

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 598/99]

(चार) इंस्टिट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, शिमला के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 599/99]

(4) भुवनेश्वर, तिरूअनंतपुरम, शिमला और श्रीनगर स्थित इंस्टिट्यूट्स ऑफ होटल मेनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 600/99]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय भण्डागारण निगम और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 601/99]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन में अब शून्य काल चर्चा होगी।

श्री किरीट सौमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैंने अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। यह मेरे विचाराधीन है। आप इस मामले को अब नहीं उठा सकते हैं। यह विचाराधीन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैं आपके माध्यम से सदन का और माननीय प्रधान मंत्री जी, जो कि हमारे देश की मुख्य जाँच एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, राजधानी दिल्ली में पिछले डेढ़ वर्ष में अपराध की दर में निरंतर वृद्धि हुई है ... *(व्यवधान)*

मैं हत्या से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूँ। यह प्रियदर्शनी माटो की हत्या का मामला है।

जब इस मामले को अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद यह पाया गया कि इस मामले के मुख्य गवाह को समय रहते न्यायालय में पेश नहीं किया गया था अथवा इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अपर सत्र न्यायाधीश जे.पी. तनेजा ने सी.बी.आई. की गलतियों की कड़ी आलोचना की है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ :

"गवाह (प्रसाद) अपराध का अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह है। इस मामले में सही निर्णय लेने के लिए जाँच एजेंसी को उसे पेश करना चाहिए था।"

सी.बी.आई. ने न्यायालय को बताया कि प्रसाद का बयान नहीं लिया गया था क्योंकि "गवाह अपने गाँव में नहीं था। बाद में यह बताया गया कि गवाह ने स्वयं कहा कि 'मैं गाँव में ही था। मैं कहीं पर छिपा हुआ नहीं था और मुझसे कभी कोई पूछ-ताछ नहीं की गयी थी'। बाद में, सी.बी.आई. प्रमुख, श्री राघवन ने कहा, मैं उद्धृत करता हूँ :

"यदि मुझे यह मालूम होता है कि इसमें ढील बरती गयी जिसे सख्ती से नहीं निपटा गया था अथवा यहाँ कुछ गलतिया हुई हैं और यदि जांच को दोबारा शुरू करने का प्रावधान है तो जहाँ कहीं आवश्यक हो, मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने जैसी उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।"

इससे स्पष्ट होता है कि अपराध जांच एजेंसी कैसे कार्य कर रही है। मुख्य गवाह न होने की स्थिति में न्यायपालिका ने इस पर कड़ी आपत्ति की और इस मामले में सी.बी.आई. के कार्यकरण पर प्रश्नचिन्ह लगाया। अत: यह उचित है कि जब सी.बी.आई. प्रमुख ने स्वयं इस गलती को स्वीकार किया है तो उन्हें अब इस पद पर नहीं रहने दिया जाना चाहिए। न्यायपालिका द्वारा इस मामले को उजागर किये जाने के बाद, न्यायपालिका द्वारा इंगित कमियों को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि सी.बी.आई. के प्रभारी हैं, इस सदन के प्रति जवाबदेह हैं।

मैं समझता हूँ कि यह सदन पूर्ण रूप से सहमत है कि सी.बी.आई. को एक भिन्न दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए क्योंकि सी.बी.आई. प्रमुख ने यह स्वीकार किया है कि इसमें गलतियाँ हुई थी और ढील बरती गयी थी। यदि सी.बी.आई. इस तरीके से कार्य करती है तो मैं यह नहीं जानता कि दूसरी अपराध जाँच करने वाली एजेन्सियों की क्या दशा होगी। इसलिए, मैं मंत्री परिषद् के सभी मंत्रियों और उनके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, जिनके अधीन सी.बी.आई. है, से पुरजोर मांग करता हूँ कि जब कभी वे इसे सुविधाजनक समझें और इस संबंध में निर्णय ले लें तो उचित समय पर सदन में इसका उत्तर दें।

सी. बी. आई. प्रमुख को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। न्यायपालिका द्वारा सी. बी. आई. को उजागर करने के बाद और जब मुख्य गवाह ने स्पष्ट खुला वक्तव्य दे दिया है जिसका समस्त ब्यौरा एक अग्रणी समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है, के बाद यह उचित है कि प्रधान मंत्री जी जब कभी सुविधाजनक समझें, इसका उत्तर दें और इसके अलावा सी. बी. आई. प्रमुख को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, क्या आप अपने को इससे सम्बद्ध कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं श्री दासमुंशी के बातों का समर्थन करता हूं तथा यह वादा करता हूं कि प्रियदर्शनी मट्टू के मामलें में माननीय प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बुरी तरह असफल रहा है। वे असफल ही नहीं रहते हैं अपितु अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत है ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप, क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं एक बिलकुल ही अलग मुद्दे पर बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। यदि सभा की सहमति है तो माननीय मंत्री लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन करने संबंधी एक प्रास्ताव जारी करना चाहते हैं। यह कार्यसूची के क्रम संख्या 8 में पहले ही सूचीबद्ध है। यदि सभा की सहमति है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

मध्याह्न 12.07 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, जैसा कि कार्यसूची में दर्शाया गया है। मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह एक विवादरहित प्रस्ताव है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जिसमें कुल 15 सदस्य हों जिनमें से 10 इस सभा से और 5 राज्य सभा से हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाएगा :

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" [उन समितियों से भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद (निरर्हता निवारण)

[श्री राम जेठमलानी]

विधेयक, 1957 सौंपा गया था, की गई थी] तथा बाद में गठित की जाने वाली ऐसी सभी समितियों की रचना और स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो सकता है;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई ''समितियों'' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए और किन पदों के कारण नहीं;

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा या अन्य किसी प्रकार से;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या उनमें से किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सदन के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जायें।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जिसमें कुल 15 सदस्य हों जिनमें 10 इस सभा से और 5 राज्य सभा से हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाएगा :

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(एक) सभी विद्यमान ''समितियों'' [उन समितियों से भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था, की गई थी] तथा बाद में गठित की जाने वाली ऐसी सभी समितियों की रचना और स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो सकता है;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई ''समितियों'' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए और किन पदों के कारण नहीं;

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा या अन्य किसी प्रकार से;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या उनमें से किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सदन के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा के सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही विचलित करनेवाली रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईसाई समुदाय के बारे में एक सर्वेक्षण कर रही है। उन्हें एक ऐसा प्रारूप भरने को कहा जा रहा है। जो आमतौर पर अपराधियों को भरने के लिए कहा जाता है। दिल्ली पुलिस जिस आधार पर ईसाई समुदाय के बारे में ऐसा सर्वेक्षण कर रही है उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पिछले वर्ष इसी समय क्रिसमस के मौके पर गुजरात के डांग में ईसाई समुदाय के लोगों के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से हमला किया गया था तथा इस वर्ष भी क्रिसमस के मौके पर उन्हें एक बार पुनः निशाना बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वेक्षण

किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सभा में बार-बार चर्चा की गई है। ईसाई अल्पसंख्यकों के विरूद्ध यह हमला सरकार और भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संगठनों के इशारे पर किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री को सदन में यह वक्तव्य देना चाहिए कि क्या वास्तव में सरकार ने ऐसे किसी सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण को कराए जाने के क्या कारण हैं? क्या ईसाई लोग अपराधी हैं ? क्या दिल्ली पुलिस राजधानी में रह रहे ईसाई समुदाय के लोगों को अपराधी समझती है ? दिल्ली पुलिस द्वारा ईसाइयों को वह प्रपत्र भरने को कहा जा रहा है जो सामन्यतः अपराधियों को भरने को कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है?... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यदि आप इसका समर्थन करते हैं तो आपको मात्र यह कहना है कि आप उपर्युक्त विषय का समर्थन करते हैं।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : मैं आपके माध्यम से श्री सुरेश कुरूप द्वारा उल्लिखित मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। मैं भी इससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए है *(व्यवधान)* गृह मंत्री को इस प्रकरण पर वक्तव्य देना चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाने दें। हर किसी को बोलने का अवसर दिया जायेगा। अब, श्री थामस बोलेंगे।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप अब अपनी बात समाप्त करें। आप अपने को केवल उससे संबद्ध भर करें।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, गृह मंत्री को उस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप पहले भी यह बात कह चुके हैं। इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, यह महत्वपूर्ण मामला है इसीलिए तो इसे आज की सूची में सम्मिलित किया गया है। अब, श्री थामस अपना भाषण देंगे।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं इस बात को इस मामले से संबद्ध करना चाहूंगा और इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा।

माननीय प्रधानमंत्री से एक ईसाई शिष्टमंडल ने भेंट की थी और माननीय प्रधानमंत्री ने देश में सभी अल्पसंख्यकों की हर तरह से सुरक्षा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि—समाचार पत्रों में ये विक्षुब्ध करने वाले समाचार प्रकाशित हो रहे है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, इस तरह के अत्याचार लगातार होते जा रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री पी० सी० थामस : महोदय, इसके पूर्व भी एक राज्य में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। यह मामला उस सभा में भी उठाया गया था और तब माननीय गृह मंत्री ने यह कहा था कि देश में इस तरह के समुदाय आधारित किसी सर्वेक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर केन्द्र सरकार चिन्तित न हो। लेकिन मुझे लगता है सरकार इस पर बिल्कुल चिन्तित नहीं है। इसलिए उचित यही होगा और यही देशहित में भी होगा कि गृह मंत्री इस मामले के सभी तथ्य सभा के सामने रखें।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं इस मामले से पूरी तरह सहमत हूं। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। क्रिसमस के दौरान गुजरात में यही घटना घटित हुई और उसके बाद क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, इसलिए माननीय गृह मंत्री को इस घटना पर एक वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, आप इस तरह से बीच में टोका-टाकी नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, इस बार भी क्रिसमस उत्सव के दौरान गुजरात में गंभीर समस्यायें हो सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल इतना कहें कि आप स्वयं को इससे संबद्ध करते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, इस बारे में एक और सूचना है। क्रिसमस उत्सव पर ही एक संगठन ने वहां राम मंदिर बनाने का निश्चय किया है और इससे वहां एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। इसलिए केन्द्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी मामलों को सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं उन्हें एक-एक करके ले रहा हूं। कृपया धैर्य रखें। हर किसी को बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, ईसाइयों के बारे में जो यह आपत्तिजनक सर्वेक्षण किया गया है, मैं अपने आपको उससे संबद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब प्रो० ए०के० प्रेमाजम बोलेंगी। मैडम, कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ थामस : महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय गृहमंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य दें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ये सब लोग तो एसोसिएट हो गये, लेकिन सरकार इस पर क्यों डिसोसिएट कर रही है? *(व्यवधान)* क्रिश्चियन लोगों से क्यों इस तरह से फार्म भरवाये जा रहे हैं *(व्यवधान)* जैसा व्यवहार क्रिमिनल्स के साथ होता वैसा व्यवहार उनके, साथ हो रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम सरकार को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि सरकार स्वयं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे, तो यह और बात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्यों आप लोग मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, सामान्य सर्वेक्षण के अलावा, देश में कहीं भी किसी समुदाय या संप्रदाय विशेष को लेकर कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है, मैं इसे माननीय गृहमंत्री के ध्यान में लाऊंगा। सरकार का इस विषय पर स्पष्ट मत है कि जनगणना के अतिरिक्त किसी समुदाय या संप्रदाय का किसी भी तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए *(व्यवधान)*

प्रो॰ ए॰के॰ प्रेमाजम (वडागरा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार और इस सम्माननीय सभा के ध्यान में केरल के हज यात्रियों द्वारा उठायी जा रही परेशानियों को लाना चाहती हूं। केरल से हज यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह "शून्यकाल" है। इसलिए आप पढ़कर न बोलें।

प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम : इस वर्ष राज्य हज समिति ने लगभग 7,275 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया था तथा केन्द्रीय हज समिति ने उन सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया था। केरल राज्य की ओर से केन्द्र सरकार से यह मांग लगातार की जाती रही है कि केरल तथा लक्षद्वीप से जाने वाले हजयात्रियों की सुविधा के लिए केरल से सीधी उड़ान भरने की अनुमति दी जाये। लेकिन अभी तक इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। इस समय केरल के हजयात्रियों को अपनी यात्रा चेन्नई से करनी पड़ती है। इससे इन हजयात्रियों को अन्य मुश्किलों के साथ-साथ वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। चूंकि अब कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू हो गया है, इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह केरल के हजयात्रियों की सुविधा के लिए कोचीन से सीधी उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करे।

श्री टी॰ गोविन्दन (कासरगौड़) : मैं केन्द्र सरकार का, विशेषकार श्रम मंत्री का ध्यान बीड़ी उद्योग की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। बीड़ी उद्योग 70 लाख से भी अधिक लोगों को ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। इस देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगार हैं।

बीड़ी मजूदर वस्तुतः असंगठित ग्रामीण हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मजबूर होकर बीड़ी उद्योग में जाना पड़ता है। यह उद्योग भी धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। आजकल सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमों से धूम्रपान के विरुद्ध प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है। अदालतें भी धूम्रपान पर रोक लगा रही हैं और धूम्रपान करने वालों को भी दंडित कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें धूम्रपान पर रोक लगा दी गयी है और धूम्रपान करने वालों को दंडित किया गया है। इससे केरल के बीड़ी श्रमिकों में भय और चिन्ता व्याप्त हो गयी है। उन्होंने गत 27 सितम्बर को इस फैसले के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक विरोध प्रदर्शन किया।

अब यह समझा जा रहा है कि सरकार सिगरेट उद्योग जैसे बड़े उद्योगों को अधिक से अधिक करों और उत्पाद करों में छूट दे रही है। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के इस रुख से इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान तम्बाकू उद्योग से संबंधित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री वी०एस० शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम) : महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के स्थगित किए जाने का मामला उठाना चाहता हूं। भारत सरकार ने 1990 में त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया था। त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन से नवम्बर 1998 तक सत्तर अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जा रही थीं। किंतु हाल ही में एअर इंडिया ने त्रिवेन्द्रम से कुछ खाड़ी देशों सहित विभिन्न गंतव्यों की सत्रह उड़ानों को स्थागित कर दिया है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित कोवलम पर्यटन स्थल 'नैशनल ज्योग्रैफिक ट्रैवेलर' में दर्ज तेरह विशिष्ट स्थानों में तथा जीवनकाल में भ्रमण योग्य विश्व के पचास स्थलों में एक है। यह पर्यटन उद्योग का एक मुख्य केन्द्र है। त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए सीधी विमान सेवा का अभाव पर्यटकों के यहाँ पहुँचने में सबसे बड़ी अड़चन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवकुमार, कृपया पढ़ कर नहीं बोलें।

श्री वी०एस० शिवकुमार : यह हमारे लिए निराशाजनक है कि केन्द्र सरकार की नीति राज्य को इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने देती है। अतएव, मैं एयर लाइन नीति को उदार बनाने तथा उसके पुनर्निर्धारण करने और प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों से त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए सीधी विमान सेवा को अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूँ।

मैं आपसे एयर इंडिया की स्थगित विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन चौबीसों घंटे खुला रहे।

[हिन्दी]

श्री कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि कुरूक्षेत्र एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इसका ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। वहां पर देश-विदेश के पर्यटक सारे साल समय-समय पर आते रहते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण स्थल होने के बावजूद अभी तक शताब्दी एक्सप्रैस का स्टॉपेज कुरूक्षेत्र में न देकर अम्बाला में दिया गया है।

मेरा पुरजोर अनुरोध है कि कुरूक्षेत्र में शताब्दी एक्सप्रैस का एक या आधे मिन्ट का स्टापेज दिया जाये। इसी के साथ वहां पर बुकिंग की भी व्सवस्था न होने के कारण लोगों को तो समस्या होती है, वी.आई.पीज को भी समस्या होती है। मेरा कहना है कि वहां पर बुकिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा एक और अनुरोध है कि शाहबाद ब्लाक जो मेरी कांस्टीट्एंसी में पड़ता है, उसमें मैं एम. पी. कोटे से एक सबवे रेलवे ब्रिज के नीचे बनवाना चाहती हूं। मुझे अपने एम. पी. कोटे से वहां पर सबवे बनाने की इजाजत दी जाये, जो कि पूरे सौ गांव की समस्या है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में किसी को भी मुद्रित या लिखित सामग्री नहीं पढ़ना चाहिए। सदस्यों को तात्कालिक महत्व के विषय जिसे सभा के समुख रखना चाहते हैं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में भी मुद्दे उठाये जाते हैं, उन पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। जीरो ऑवर का समझकर उन्हें जीरो ही न बनाकर रख दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। हमारे देश में संथाल समुदाय की तीन करोड़ से अधिक जनसंख्या है। भले ही वे किसी भी राज्य चाहे वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश हो, में रहते हों वे सभी संथाली बोलते हैं। इस भाषा की अपनी लिपि है जिसे उलचिकी कहा जाता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने काफी पहले इसकी खोज की थी। वर्ष 1980 में इस विशेष लिपि को पश्चिम बंगाल सरकार ने मान्यता दी थी। जनसंख्या का यह वर्ग सतत् मांग करता रहा है कि संथाली भाषा को मान्यता दी जाए तथा इसे दूसरी अन्य भाषाओं को भांति ही संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। मेरी मांग है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को सम्मिलित करने हेतु संविधान में सम्यक संशोधन किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुर्मू आप श्री आचार्य द्वारा व्यक्त विचारों से स्वयं को जोड़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम) : डिप्टी स्पीकर साहब, संथाली भाषा में बोलने वाले लोगों की संख्या देश में चार करोड़ से ज्यादा है। केवल संथाल कम्युनिटी के लोग ही नहीं बल्कि अन्य कम्युनिटी के लोग भी इस भाषा में बोलते हैं, समझते हैं। यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। देश के बाहर बंगलादेश, भूटान और नेपाल में भी संथाल कम्युनिटी के लोग हैं और वहां भी संथाली भाषा बोली और समझी जाती है। आल इंडिया लेवल में इस भाषा की पोजीशन 18 है। इसके साथ इस भाषा का सइंटिफिक डेवलप स्क्रिप्ट भी है जिसको ऊलचीकी कहा जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस भाषा को संविधान में आठवें शैड्यूल में शामिल किया जाये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार कार्रवाई कर रहा हूं।

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं भी स्वयं को भी आचार्य के विचारों से सम्बद्ध करना चाहूंगा और कहूँगा कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय, प्रसार भारती में हाल में हो रही घटनाएं और खासकर प्रसार भारती बोर्ड से अशोभनीय तथा अपमान-जनक तरीके से दो अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त इतिहासकार प्रो. रोमिला थापर तथा हिन्दी के विख्यात लेखक श्री राजेन्द्र यादव को जिस तरह से प्रसार भारती बोर्ड से हटाया गया इस सभा के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है। ऐसा इसलिए किया गया कि वे आर. एस. एस. द्वारा निर्देशित भाजपा के संगठनों तथा उनके कुछ मित्र दलों की विचारधारा के सम्मुख झुकने को तैयार नहीं थे।

जिस तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति अपमानित किए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों से हटाए जा रहे हैं चाहे यह भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् हो या भारतीय समाज विज्ञान संस्थान या प्रसार भारती बोर्ड हो बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् और इस मामले में तो पूरे देशवासी अत्यधिक चिन्तित हैं। यह पक्षपातपूर्ण रवैये तथा बदले की भावना से किया गया क्योंकि ये लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। मंत्री जी को सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्हें क्यों ऐसे अशोभनीय और अपमानजनक ढंग से हटाया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस पर प्रतिक्रिया करना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है। मैं सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, क्या आप मामला उठाना चाहते हैं, अन्यथा मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारने जा रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं बोल रहा हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से जवाब देने को नहीं कह सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : जितने बोर्ड्स, कौंसिल और सरकारी संस्थाएं हैं, इनमें से अच्छे लोगों को हटाकर, आर. एस. एस. के लोगों को उनमें भरा जा रहा है। *(व्यवधान)* सरकार सुनेगी या हम लोग बोलते रहेंगे? सरकार को इस पर रैस्पौंड करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह आपको शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, एक लाख से भी अधिक मलयाली खाड़ी देशों में नियोजित हैं। हाल ही में वीसा की शर्तें अत्यधिक कठोर कर दी गई हैं और इस वजह से उन्हें खाड़ी देशों में जाने में कठिनाई होती है। यह बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए कि सभी मलयालियों को वीसा संबंधी मंजूरी के लिए मुम्बई जाना होता है। यह अत्यन्त ही मुश्किल हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने भी भारत सरकार से केरल में कौंसुलेट खोलने के लिए सम्पर्क किया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो श्री राधाकृष्णन बोल रहे हैं उसके सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत के कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यदि इसी तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल में वाणिज्य दूतावास खोलने का अनुरोध किया है।

केन्द्र सरकार खाड़ी देशों में कार्य कर रहे लाखों मलयालियों की स्थिति में सुधार हेतु विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की नदियों की वजह से हो रहे बड़े भू-भाग के कटाव और उससे उत्पन्न परिस्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज मैं विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है, गंगा, कोसी और महानंदा के कटाव की वजह से, उस पर बोलना चाहता हूं। जिससे लाखों लोग आज सड़क पर आ गये हैं, उनका जीवन दूभर हो गया है। वे दाने-दाने के लिए सारे मोहताज हैं।

इस कटाव को रोकने में आज राज्य सरकार पूर्णतया अक्षम है। जितना भी कटाव निरोधक कार्य किया गया है, वह सारा असफल रहा है। मैं केन्द्र सरकार से इस विषम परिस्थिति में मांग करता हूं कि एक आयोग गठित करके समय से पूर्व पुनः इस पर कार्रवाई की जाये।

जो भूभाग कट रहे हैं, उनपर ठेकर बनाकर पानी को रोका जाए। वहां 27-28 किलोमीटर की दूरियों में कटाव हो रहा है और गंगा तथा महानंदा के कटाव से पूरे जिले का अस्तित्व संकट में है। लोग बंजारे की स्थिति में जीवन बिता रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन करे और लोगों को राहत पहुंचाने का संकल्प ले। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका नाम आएगा तभी आपको बुलाया जाएगा। इस तरह बीच में बोलने से काम नहीं चलेगा।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर में बी. आई. सी. की नम्बर एक और नम्बर दो कताई की मिलें बंद होने से वहां के मजदूरों को अक्तूबर-नवम्बर माह से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण सारे मजूदर भुखमरी की कगार पर हैं और वे धरने पर बैठे हुए हैं। एन. टी. सी. की मिलों के मजदूरों को भी तब से वेतन नहीं मिला है। इस कारण इन सारे मजूदरों के घरों में दीपावली नहीं मनाई गई। मेरा केन्द्र सरकार से और विशेषकर कपड़ा मंत्री से अनुरोध है कि सूती मिलों और एन. टी. सी. की मिलों के मजदूरों के वेतन बांटकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस बार भंयकर अकाल है। वहां के किसान पानी और पशुओं के चारे के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस बार वहां के किसानों को बिजली भी नहीं मिल रही है, कभी-कभार 15-20 मिनट के लिए बिजली आती है और फिर चली जाती है। इस वजह से राज्य के सारे किसान आंदोलित हैं और तहसील मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। वहां की सरकार के आने के बाद किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आंदोलित किसानों की समस्या के लिए केन्द्र सरकार कुछ उपाय करे।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच-बिहार) : महोदय, माननीय अध्यक्ष ने कल कहा था कि जिन सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है कल सर्वप्रथम अनको बोलने का अवसर दिया जाएगा। परन्तु आप हमें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिन्तित हैं? आपको अवसर दिया जा रहा है। ऐसा व्यवहार कर आप कम से कम एक व्यक्ति के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोलने का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, 6 दिसम्बर को डा. भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्य तिथि थी। दादर में शिवाजी पार्क, मुम्बई में उनकी समाधि पर दस लाख डाउन ट्रॉडन, दलित भक्त इकट्ठा हुए थे। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब की समाधि की हालत बड़ी खराब है। उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। लेकिन सी. आर. जेड. और पर्यावरण आदि अन्य कारणों से न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार रिपेयर या पुनर्निर्माण करा पा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक विशेष फंड बनाकर उसमें राशि एलाट करे और नियमों में छूट देकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की समाधि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे।

[अनुवाद]

श्री एस०जी०एन०आर० वाडियार (मैसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल ही में डेयरी उत्पादों विशेषकर दूध पाउडर में, के लिए आयात नीति में जो परिवर्तन किए गए हैं, उससे देश में दुग्ध उत्पादक विशेषकर कर्नाटक में दुग्ध उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि भारत आज विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश है तथा साथ ही आज कर्नाटक मिल्क फेडरेशन खरीद के साथ ही साथ बिक्री के मामले में तीसरा सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। आपरेशन-फ्लड के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रयासों के कारण दुग्ध क्रान्ति शुरू की गई थी, को हमारे किसानों का समर्थन मिला, उनके एकजुट प्रयासों के परिणामस्वरूप दुग्ध का अधिक उत्पादन हुआ। जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, मानसून के जल्दी आ जाने के कारण दुग्ध का अधिक उत्पादन हुआ है। किसान अतिरिक्त दूध को स्किम्ड मिल्क बनाने के लिए बाध्य हो गए। परन्तु बाजार मूल्य गिर कर 50 रू० प्रति किलोग्राम हो गया है, जबकि इसकी उत्पादन लागत 75 से 80 रू० प्रति कि० ग्राम है। स्किम्ड मिल्क पावडर के मूल्य में गिरावट का मुख्य कारण ओपन जनरल लाइसेंस (ओ. जी. एल.) पर स्किम्ड-मिल्क पावडर का आयात है। यूरोपीय संघों तथा अमेरिका जैसे देश प्रत्येक किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पावडर के लिए 1000 डालर देते हैं। दुर्भाग्यवंश, स्किम्ड मिल्क पावडर की उत्पादन लागत दो गुनी है, जिसके कारण कृषिकों को काफी हानि हो रही है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ओ.जी.एल. पर स्किम्ड मिल्क दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाए तथा इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादों तथा डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाये।

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान प्रीकूलिंग सुविधा युक्त शीतागार प्रदान करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे जिले में लगभग 1500 पोल्ट्री फार्म हैं और इससे प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। हाल ही में, हुई ट्रकों की हड़ताल के दौरान लगभग दस करोड़ के अंडे खराब हो गए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई थी। प्रतिदिन लगभग एक करोड़ अंडे का उत्पादन होता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अंडों के लिए शीतागार व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दें।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की तवज्जह एक खास बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में, खास तौर से दिल्ली में जो मोन्युमेंट्स है, उन पर सरकार तवज्जह नहीं देती है। मोन्युमेंट्स को दिखाने के नाम पर टिकट के रूप में पैसा तो लिया जाता है, लेकिन उनको मैंटेन नहीं किया जाता है। दिल्ली के अन्दर खास तौर से बहुत से मोन्युमेंट्स ऐसे हैं, जहां पर मसाजिद, मोस्क बनी हुई है। सफदरजंग टोम्ब के अन्दर मस्जिद बनी हुई है और लाल-किले के अन्दर भी मोती मस्जिद बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि इनमें नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, जो मुसलमानों के लिए एक पाकीज महीना है। मैं चाहूंगा कि उन मस्जिदों के ताले खोले जायें और मुसलमानों को पांचों वक्त नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही यदि इन स्थानों में कोई मंदिर बना है, जिसमें पूजा नहीं होती है और वह मोन्युमेंट्स में आता है, तो उसके लिए भी इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि मंदिर-मस्जिद इसलिए नहीं बने हैं कि उनको दुनिया को दिखाया जाए कि यह तीन सौ साल पुरानी खूबसूरत इमारत बनी थी और इसको आकर देखा जाए। आज इस मकसद को पूरा किया जाना चाहिए, वरना सौ साल के बाद हम लोग जो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसको दुनिया के लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस पार्लियामेंट में हम लोग बैठते थे। मैं कहना चाहता हूं, सरकार के अन्दर आज एक दर्जन मंत्री ऐसे हैं, जो पिछले पचास सालों से यह आवाज उठाते रहे हैं, जो आवाज मैं आज उठा रहा हूं। मैं आज उनसे कहूंगा कि वे सरकार पर दबाव डालकर इस काम को करायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कह रहे हैं कि माननीय सदस्य ने जो कहा आप उससे सहमत हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : माननीय सदस्य का अनुरोध यह था कि इन ऐतिहासिक इमारतों में उपासना स्थल हैं और उन्हें केवल एक माह के लिए खोला जा सकता है, उनको केवल इस कारण से बन्द नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक इमारते हैं। महोदय, आप सरकार से अनुरोध कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां से सरकार को निर्देश नहीं दे सकता हूं।

श्री ई० अहमद : इनको रमजान के महीने में खोला जा सकता है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को उपासना की स्वतन्त्रता है। आप सरकार को निर्देश भी दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्षपीठ से सरकार को निर्देश नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सर, नासिक महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। वहां नांदगांव शहर की जो रेवाटी है और ग्रामीण विभाग के जो किसान हैं, उनको रेलवे प्रशासन ने बहुत परेशानी में डाल दिया है। वहां एक मंडी है और दवाइयों की दुकानें हैं। वहां हमेशा से यातायात रहता था। लेकिन रेलवे प्रशासन ने वहां एक दीवार बनाकर यातायात को बंद कर दिया है। मेरी आपके माध्यम से रेलवे मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वहां से 12 फीट दिवार हटाकर उसको यातायात के लिए खोल दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री एस॰ मुरूगेसन (तेनकासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लोक महत्व का विषय उठाने का यह अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में तिरूनालवेली से तेनकासी के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करें। तूतीकोरिन तथा कोचीन हमारे देश के दो प्रमुख पत्तन हैं। कोचीन तथा तूतीकोरिन के बीच राज्य राममार्ग से काफी मात्रा में सामानों को भेजा जाता है।

यह तूतीकोरिन से तिरूनालवेली, तिरूनालवेल्ली से तेनकासी तथा तेनकासी से कोचीन के बीच प्रमुख तथा सबसे कम दूरी का मार्ग है। तूतीकोरिन-तिरूनालवेल्ली तथा तेनकासी-कोचीन दोनों राजमार्ग पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जा चुके हैं। परन्तु तिरूनालवेल्ली से तेनकासी के मध्य 53 कि॰ मी॰ के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित नहीं किया गया है।

उपयुर्क्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करें।

श्री एम॰ चिन्नासामी (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु के कृषकों के लिए बीमा योजना शुरू करने की आवश्यकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मामला उठाना चाहता हूं।

तमिलनाडु विशेषकर करूर, तिरूचिरापल्ली, तंजावूर, थिरूवसूर तथा नागापट्टिनम जिलों के कृषक राज्य में हाल ही में आई वर्षा तथा बाढ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कावेरी डेल्टा की विभिन्न फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, लगभग 85000 एकड़ में धान की फसल बर्बाद हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ब्यौरा न दें। आप सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं।

श्री एम॰ चिन्नासामी : उपयुर्क्त के अतिरिक्त 12000 एकड़ में केले की खेती एवं 500 एकड़ में पान की खेती की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है एवं 4000 कि॰ मी॰ से अधिक राजमार्ग एवं आंतरिक सड़कें भी खराब हो गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप जो कुछ भी चाहते हैं सरकार से उसके लिए अनुरोध करें।

श्री एम॰ चिन्नासामी : बाढ के तुरन्त बाद, हमारी नेता डा॰ (मैडम) जे॰ जयललिता ने बाढ का आकलन करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति जिसमें मैं भी शामिल था का गठन किया। हमने अपने दौरे के दौरान पाया कि धन की कमी के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा राहत कार्य पर्याप्त नहीं है। तमिलनाडु सरकार का पूरा तन्त्र सोया पड़ा है। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विषय तमिलनाडु में फसल बीमा प्रदान कराने की आवश्यकता है। आप विषय से हट रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम॰ चिन्नासामी : मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं इस मामले में हस्तक्षेप करे और तमिलनाडु सरकार को राहत कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ करने के लिए निदेश दें।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और वहां अपराधियों को शस्त्रों के आइसेंस दिये गये हैं। उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। बहुत से मामलों में ऊपर तक सुनवाई नहीं हो रही है। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा करे और तत्काल कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षोभ और दुख के साथ आपका और सदन का ध्यान निम्नलिखित घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

दिसम्बर, 1999 के पहले सप्ताह में बी.एस.एफ. के जवानों ने पश्चिम बंगाल में कूचबिहार जिले के धापराहाट, शुकरूर कुठी और दिनहाटा गांव के पांच निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई और उन्हें मार दिया। फायरिंग में बारह व्यक्ति घायल भी हुए थे। बी.एस.एफ. कर्मियों को लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। यदि आप पश्चिम बंगाल और बंगलादेश की समस्त सीमा का दौरा करोगे तो आपको मालूम होगा कि 2221 कि.मी. के इस सीमा क्षेत्र में लोगों और बी.एस.एफ. के बीच विरोध है। उन्हें आग्नेय अस्त्र मिले हुए हैं और वे अक्सर इधर-उधर गोली चलाते रहते हैं। इस प्रकार कल की घटना में कुछ व्यक्ति भी मारे गये।

मै गृह मंत्री का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाएं और इस गैर-कानूनी फायरिंग को बंद करवायें और इस फायरिंग में शामिल लोगों को दंड दें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं श्री अमर राय प्रधान के मत का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में किसानों को बिजली प्रदान नहीं की जा रही है जिससे रबी फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। पूरे प्रदेश में किसान आन्दोलन कर रहे हैं। 20 घंटे बिजली देने की बात थी लेकिन 24 घंटे में से मात्र चार-पांच घंटे बिजली दी जा रही है। रबी फसल की बुआई का समय लगभग निकल चुका है। आधे से अधिक जमीनें परती पड़ी हैं। वहां बुआई नहीं हुई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश सरकार के रहमोकरम पर किसानों को छोड़ा नहीं जा सकता है। केन्द्र शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, आवश्यक कदम उठाना चाहिए और मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति कराने के लिए कोई कदम उठाने चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1997 में जब देवेगौड़ा भारत के प्रधान मंत्री थे, जयपुर में जोनल आफिस जो कि अभी मुम्बई में है, उसका उद्घाटन करने जयपुर शहर आए थे। मैंने उस समय भी कहा था कि जमीन मिली नहीं है, केवल पत्थर का उद्घाटन करने आए हो। अफसोस की बात है कि वहां केवल पत्थर लगा है जोनल आफिस के लिए अभी तक जमीन नहीं ली गई है। कुछ कर्मचारी वहां रख दिए गए हैं। 3.50 करोड़ रुपया कर्मचारियों पर व्यय हो रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए जमीन दी जाए और जयपुर में जोनल आफिस बनाकर प्रारम्भ किया जाए।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सीएटल में विश्व व्यापार संगठन के चार दिवसीय सम्मेलन में अमेरिका और पश्चिमी देश, विश्व व्यापार पर अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए वन एवं पर्यावरण का मुद्दा उठा कर विश्व के विकासशील देशों के व्यापारिक हितों के खिलाफ नियम बनाना चाहते हैं और विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित करना चाहते हैं। क्या भारत सरकार ने अन्य विकासशील देशों से मिल कर अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीति के खिलाफ कोई अपनी योजना बनाई है ? यदि बनाई है तो कितने विकासशील देश भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं ? क्या भविष्य में जेनेवा में विश्व व्यापार की बैठक में भारत विकासशील देशों का एक संगठन बनाकर अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों के प्रयास को विफल करने का प्रयास करेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान आप अपना नोट न पढ़ें। आप अपना मुद्दा मौखिक रूप से उठाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका नाम सूची में है तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अगर आप इस तरह व्यवधान डालेंगे तो मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर भी लागू होता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। देश की कुल आबादी में से 32-33 करोड़ लोग अति पिछड़े हुये हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत बिहार सरकार ने सेवाओं में 15 परसेंट आरक्षण अति पिछड़ों के लिये किया है। उ०प्र० में जब श्री बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय एक कमेटी साथी आयोग ने रिपोर्ट दिया था जिसमें अति पिछड़ों की आबादी 34 परसेंट बताई थी। कर्नाटक में भी पिछड़ों में से अति पिछड़ों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी पिछड़ों में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। केन्द्रीय सेवाओं में मंडल आयोग के आधार पर 27 परसेंट आरक्षण है लेकिन उसमें अति पिछड़ों के लिये अलग से कोई आरक्षण नहीं है। मुझे याद है कि 1991-1992 में जब इस सदन में बहस हुई थी तो सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने भाषण किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से आरक्षण होना चाहिये लेकिन जब आरक्षण किया गया तो बताया गया कि मंडल कमीशन ने इस पर चर्चा नहीं की है, इसलिये सिर्फ पिछड़ों के लिये आरक्षण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम देख रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से मजबूत जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जाट जाति को आरक्षण दिया जाएगा, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगड़ी जाति हैं। इससे साफ पता चलता है कि आरक्षण एक सत्ता का खेल हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बताइये कि सैंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं ?

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : हम यह कहना चाहते हैं आज दलित नेता भी जाटों की आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं यह बहस का विषय हो सकता है लेकिन अति पिछड़ों को सरकार अलग से आरक्षण क्यों नहीं दे रही है जबकि चार राज्यों में अलग से आरक्षण राज्य सरकार की सेवाओं में है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं, जल्दी बताइये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मुझे दो मिनट दीजिए क्योंकि अब महिला आरक्षण बिल आने वाला है। महिलाओं के लिये आरक्षण हो जाने के बाद अति पिछड़ों की स्थिति राजनीतिक दृष्टि से पहले से भी और दयनीय हो जायेगी। 32-33 करोड़ की आबादी को षडयंत्र के तहत राजनीतिक हक से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब हर राजनैतिक दल में अति पिछड़ों को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसे समय में क्या यह सोचना चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक अगर लाया जाता है तो यह न्याय नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सैंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं में 27 परसेंट आरक्षण है लेकिन उसमें अति पिछड़ों के लिये 17 परसेंट आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण है *(व्यवधान)* जो आरक्षण है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जिनका आर्थिक, राजनैतिक उत्थान हो चुका है उसे बाहर करना चाहिए एवं अति पिछड़ा को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लेना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह इस देश की अच्छी संस्थाओं में से एक है। परन्तु कुलपति द्वारा स्थिति से ठीक ढंग से न निपटने के कारण एक के बाद दूसरी समस्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हो रही है। कुछ महीने पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के महा-सचिव श्री एस० निर्मल सिंह को बरखास्त कर दिया गया था। बरखास्त हो जाने के बाद उसने परिषद में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार मामले पर पुनर्विचार करने के लिए एक परिषद होती है। बरखास्त किये जाने के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति परिषद में अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो कुलपति परिषद के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है और परिषद इस संबंध में निर्णय लेगी। परन्तु वह जानबूझकर मामले को परिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहा है। जब बरखास्त कर्मचारी न्यायालय में जाता है तो न्यायालय कहता है कि विश्वविद्यालय के अन्दर सम्पूर्ण प्रयास किए जाने के बाद यह मामले पर कारवाई करेगा। इस प्रकार मामले को विलंबित किया जा रहा है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक व्यक्तिगत मामला है। आप क्या चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस मामले में क्या करे ?

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर कार्रवाई करें और विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति बहाल करें। यहां पहले से ही गड़बड़ी है और इसे बंद किया जा रहा है। शरदकालीन अवकाश को निश्चित अवधि से पूर्व ही घोषित किया जा रहा है।

मैं अनुरोध करता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें और आवश्यक कारवाई करें।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इसी विषय पर मेरा नोटिस कार्यसूची में शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात को इसमें जोड़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं दो जुमले बोलकर खत्म कर दूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हालात संगीन हुए हैं। हालात खराब होते गए, तवज्जो नहीं दी गई। डिप्टी प्रॉक्टर पर हमला हुआ, पैरा मिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई हैं और अब तो तालिबा यानी स्टुडेन्ट्स जेल में हैं। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को विन्टर वैकेशन के नाम पर जल्दी बंद कर दिया गया है। इन तमाम हालात पर मैंने पहले ही कहा है इस ऐवान के अंदर कि हुकूमत तवज्जो दे। पिछले हफ्ते मैंने कहा लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हुकूमत तवज्जो दे, इस पर बयान दे और इसी तरह से हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी हालात खराब हो रहे हैं। वह भी बंद कर दी गई है। सरमाई तातील के नाम पर, और विन्टर वैकेशन के नाम पर वह भी जल्दी बंद हो गई है। इन मामलात पर फौरन तवज्जो दी जाए, हुकूमत खुद मुदाखिलत करे, हालात को सही करे और यहां बयान दें।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): میں دو جملے بول کر ختم کر دونگا۔ علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے حالات سنگین ہوئے ہیں۔ حالات خراب ہوتے گئے، توجہ نہیں دی گئی۔ ڈپٹی پراکٹر پر حملہ ہوا، پیرا ملٹری فورسیز لگا دی گئی اور اب تو طلباء یعنی اسٹوڈینٹ جیل میں ہے۔ انہوں نے جیل میں بھوک ہڑتال کی ہے۔ علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو ونٹر ویکیشن کے نام پر جلدی بند کر دیا گیا ہے۔ ان تمام حالات پر میں نے پہلے بھی کہا ہے اس ایوان کے اندر کہ حکومت توجہ دے۔ پچھلے ہفتے میں نے کہا لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ حکومت توجہ دے، اس پر بیان دے اور اسی طرح سے ہمدرد یونیورسٹی میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ وہ بھی بند کر دی گئی۔ سرمائی تعطیل کے نام پر، اور ونٹر ویکیشن کے نام پر وہ بھی جلدی بند ہو گئی ہے۔ ان معاملات پر فوراً توجہ دی جائے، حکومت خود مداخلت کرے، حالات کو صحیح کرے اور یہاں بیان دے۔

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : दलगत भावना से ऊपर उठकर कुछ सदस्य इस मामले को बार-बार इस सदन में उठा रहे हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आपका नाम सूची में नहीं दिया गया है। मैंने उन्हें वाद-विवाद से सम्बद्ध होने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले से ही अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी रेलवे निर्माण के दफ्तर को पुन: बहाल करने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश बिलासपुर के सी.ओ. का ऑफिस प्रशासनिक अधिकारी रेलवे निर्माण दफ्तर जो बहुत वर्षों से चल रहा था, उसे बंद कर दिया गया है और अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। टर्मिनल ऑफिस वहां है। बिलासपुर-रायपुर टर्मिनल जो बन चुके हैं, उसके बाद रागा टर्मिनल बनने वाला है। रायपुर-बिलासपुर तीसरी रेल लाइन का निर्माण शुरू है। बिलासपुर में रेलवे जोन का निर्माण हुआ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। अंबिकापुर-विश्रामपुर रेलवे लाइन चलाई जा रही है। निर्माण कार्य लंबित पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारी रेलवे निर्माण के दफ्तर को पुनः वहां बहाल किया जाए जिससे कार्य जल्दी प्रारंभ हो सके और निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद काम सुचारू रूप से चले और जल्दी कार्ग पूर्ण हो।

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि मुझे जानकारी मिली है कि कुछ नये राज्यों का गठन हो रहा है जिसमें उत्तरांचल भी एक है। महोदय, मैं हरिद्वार से चुनकर आता हूं और मुझे अखबार के जरिये जानकारी मिली है कि हरिद्वार का जो मेला क्षेत्र है, वह उत्तरांचल को दे दिया गया है और शेष भाग उत्तर प्रदेश में रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के लोग चाहे वह किसान हों, सब्जी वाले हों, दूधिया हों, कितने ही ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार में सप्लाई करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मेरा निवेदन है कि पूरा जिला उत्तरांचल में मिला दिया जाए जिससे वहां के किसानों का सही तरीके से जीवनयापन हो सके। *(व्यवधान)* मैं कहना चाहूंगा कि अगर हरिद्वार के मेला क्षेत्र से शेष भाग को अलग कर दिया गया तो वहां का किसान, वहां का सब्जी वाला, वहां का दूध वाला, हरिद्वार से दूसरे प्रदेश में जाएगा और तरह-तरह के टैक्स उस पर लगेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा हरिद्वार जनपद उत्तरांचल में रहे।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे वनांचल क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप हो गया है और एक महीने में सैकड़ों लोग मर गए हैं। बिहार सरकार की तरफ से कोई भी चिकित्सा व्यवस्था नहीं की जा रही है।

अपराह्न 1.00 बजे

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मलेरिया की बीमारी से पूरे क्षेत्र में जो गरीब, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, पूरे जंगल क्षेत्र में वे रोजाना मर रहे हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जाए।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर एक सीमा प्रांत है। कारगिल के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अपने इनफिल्ट्रेटर्स को जम्मू-कश्मीर में धकेलने के लिए जो अंधाधुंध फायरिंग की, उसके कारण नेशनल बॉर्डर से तीस हजार के लगभग लोग विस्थापित हुए हैं और उनकी बहुत सी धरती भी सीमा सुरक्षा क्षेत्र में आ गई। जिसके कारण न वहां बिजाई हुई, न जमीनदारों को वहां से फसल प्राप्त हुई और न उन जमींदारों को वहां मुआवजा ही मिला। उनके हजारों पशु मारे गये हैं। उन्हें पशुओं का भी मुआवजा नहीं मिला और पाकिस्तान की गोलियों से मरने वाले लोगों को भी एक्स-ग्रेशिया ग्रांट अभी तक नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें मुदाखलत करके उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन लोगों को जमीनों और फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं सदन का ध्यान उस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो हम सब के लिए चिंता का विषय है *

सह सर्वविदित है कि बंगाल से लगने वाली पूरी की पूरी सीमा सबों के लिए खुली हुई है। बंगलादेश से तमाम चीजों की तस्करी हो रही है। हजारों की संख्या में गायें बे रोकटोक बंगलादेश पहुंच जाती हैं और यह सब सीमा सुरक्षा बल के जवानों की नजर के सामने स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से होता है।

महोदय, सर्वाधिक वीभत्स व दर्दनाक घटना 3 दिसम्बर को कूच-बिहार जिला में घटी, * इसलिए मैं सम्बद्ध मंत्रालय से कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि कानून तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) : महोदय, दिनांक 3 दिसम्बर को कूचबिहार जिला, थाना दिनहट्टा पश्चिम बंगाल में एकतरफा गोलीबारी में पांच व्यक्तियों—बोकुल सेन, शमसुल हक, हबी-उर-रहमान, रफीक-उल-इस्लाम तथा अलेक हक को मार दिया गया। महोदय, वे सब निर्दोष व्यक्ति थे और यह कहना पंचायत कार्यालय के सामने हुई। जहां तक पांच निर्दोष पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों का सवाल है हमारी मांग है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमा सुरक्षा बल के लोग राज्य सरकार पुलिस के एक तबके के साथ सांठगांठ कर सीमा क्षेत्रों में तस्करी रोकने में पूर्णतया विफल रहे और इससे पूरे राज्य में अलग-अलग समय पर विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएं पैदा हुईं।

मैं माननीय गृह मंत्री से मामले की जांच कर पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं सदन का ध्यान गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे सीमा क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पश्चिम बंगाल से लगने वाली सम्पूर्ण भारत-बंगलादेश सीमा पर गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने, सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गैर-कानूनी कृत्यों से रोकने तथा हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। सीमा सुरक्षा बल के लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं * सामान्य लोग अपने-अपने परिवार में उपयोग हेतु चावल, गेहूं, सब्जियां तथा मिट्टी का तेल ले जा रहे थे। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने कथित रूप से उनके सामान छीन लिए और उन्हें परेशान तथा अपमानित किया। यह भी आरोप है कि जो व्यापारी उचित एवं वैध कागजातों के साथ व्यापार करते हैं सीमा सुरक्षा बल के लोग उन्हें भी परेशान तथा अपमानित करते हैं।

गत दिसम्बर में पांच लोग जिसमें बच्चे भी शामिल थे ने घायल होकर दम तोड़ दिया।

*(व्यवधान)***

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।
**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

*(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ घटनाएं अवश्य हुई हैं। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवान बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह बात भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल होनी चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा *(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, गत एक साल के अंदर 700 लोग मारे गए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, यह तरीका ठीक नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह व्यवधान पैदा नहीं कर सकते। कृपया कुछ तो गारिमा बनाये रखें।

श्री अजय चक्रवती : महोदय, मैं दो मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय तत्कालीन गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सीमा सुरक्षा बल के लोगों पर निगरानी के लिए कदम उठाए थे, लेकिन अब तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों को खुली छूट दे दी गई है। वे सीमा क्षेत्र में तबाही मचा रहे हैं। वे कह रहे हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं ?

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं भारत सरकार विशेषकर केन्द्रीय गृह मंत्री से मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं। *(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। यदि सीमा सुरक्षा बल जैसे संगठनों पर इस प्रकार प्रहार किया जाएगा तो पता नहीं वे लोग अपने इतने संवेदनशील कार्य को किस प्रकार अंजाम दे पाएंगे। यदि इस तरह की कोई बात है तो मामले को गृह मंत्री के समक्ष लाना चाहिए था और मामले की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सीमा पर होने वाले किसी भी अपराध के लिए सीमा सुरक्षा बल पर दोषारोपण करने से पूरे देश में गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। हमें सदन में टिप्पणी करने में कुछ-कुछ संयम बरतना चाहिए *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने उन्हें संयम बरतने के लिए कहा है। मैं सीमा सुरक्षा बल सहित अन्य किसी भी बल के विरुद्ध इस प्रकार की अनादरसूचक टिप्पणी की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। यहीं नहीं, माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर ने इस विषय को उठाया और कहा कि माननीय सदस्यों को संयम बरतना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैंने एक घटना विशेष का उल्लेख किया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य बलों पर गौरव है। सदस्य, बलों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना ढंग से कोई भी बात नहीं कह सकते। श्री अजय चक्रवर्ती मैं आपको अब कुछ आगे कहने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बराड़ बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपके हुक्म के मुताबिक पढ़ूंगा नहीं, केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार का ध्यान, आपके जरिए, अतिसंवेदनशील मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो राजनीतिक नहीं है, जिसके जख्म और पीड़ा हर हिन्दुस्तानी को है।

कल की टिप्पणियां हैं जो राज्य सभा में भी हुई हैं। 1984 के दंगों को आज 15 वर्ष बीत गये हैं। यहां कई सरकारें आईं और कई चली गईं। बहुत बड़े-बड़े इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगते रहे हैं। बहुत बड़े नेता जो कहते रहते थे कि 1984 के दंगों के दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको अभी तक सजायें नहीं मिली हैं। कल होम मिनिस्टर साहब ने जो टिप्पणी दी है कि हम कमीशन बनायेंगे और इसका ऐलान उन्होंने राज्य सभा में किया है। मैं अपनी पार्टी का और अपने पंजाब के अन्य कुलीग्स का स्टैंड बिल्कुल क्लीयर करना चाहता हूं कि कोई भी प्रोब जो माननीय प्रधानमंत्री आर्डर करेंगे, उस प्रोब में दोषी लोगों को सजाएं मिलें और जो लोग यह इल्जाम लगाते रहे हैं, पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इन मुद्दों पर मैनडेट दी है कि हमने 84 के दंगों पर इस सदन में हमेशा सरकार और चेयर का ध्यान आकर्षित किया है। *(व्यवधान)* इसलिए जो गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, 15 वर्ष बीत गए हैं, मैं एक ही बात कहकर समाप्त करूंगा, जिन लोगों ने देश की जंगे आजादी से लेकर कारगिल वार तक कुर्बानियां की हैं सारे विश्व में इस मुद्दे पर एक गंभीर चिन्तन और लोगों को इसके जख्म का बहुत भारी दुख है। मैं चाहूंगा कि जो लोग अपनी सरदार पटेल से तुलना करते हैं, मैं उनसे यह विनती करूंगा कि यदि उनमें दम है, चाहे 84 के दंगों के लिए कोई भी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिम्मेदार है, बड़े से बड़ा लीडर जिम्मेदार है, उसे सजा दिलवाने में वे पूरा जोर लगवाएं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसपर बिल्कुल क्लीयर है कि दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और प्रोब आर्डर होना चाहिए। धन्यवाद। *(व्यवधान)*

श्री बलबीर सिंह (जालन्धर) : मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब के अकाली भाइयों का क्या स्टैंड है? *(व्यवधान)*

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) : हम यह भी चाहते हैं कि जब पंजाब में मिलिटैंसी शुरू हुई, उसके बारे में भी कमीशन बनना चाहिए। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन लोगों ने पंजाब में मिलिटैंसी को उभारा, किन लीडरों ने मिलिटैंट्स को घर में रखा और कत्ल करवाए? इसके बारे में भी कमीशन बनना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना ही कहना चाहते हैं—

श्री बराड़ ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शमशेर सिंह दूलो : हम यह भी मांग करते हैं कि पंजाब में मिलिटैंसी कब शुरू हुई, किन लोगों ने शुरू की, किन लोगों ने पोलीटिकल लोगों के कत्ल करवाए, किन लोगों ने उनको घर में रखा, पनाह दी, शैल्टर दी और पैसा दिया, इस बारे में भी पंजाब में कमीशन बनना चाहिए। *(व्यवधान)* पंजाब में जो 25,000 बेकसूर लोगों के कत्ल हुए हैं, उस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में भी कमीशन बनना चाहिए। *(व्यवधान)* तो देश के लोगों को पता चले कि इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं। और किन लोगों ने आतंकवाद फैलाया।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 30 नवम्बर को दिल्ली की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में शिव सैनिक जा रहे थे। उन्होंने मथुरा रेलवे जंक्शन और आगरा रेलवे कैंट स्टेशन पर उत्पात किया, बोगियों में प्रवेश किया और जिन यात्रियों का प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में आरक्षण था, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। महिलाओं के साथ मार-पीट की, बच्चों को फेंका। रेलवे के जो आला अफसरान थे, वे अपने कमरे बंद करके भाग गए। सुरक्षा कर्मियों की भूमिका शून्य के बराबर रही। यह अत्यधिक गंभीर मामला है और लगता यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, उसके सहयोगी संगठन यह समझने लगे हैं कि उनकी हैसियत कानून से कहीं ज्यादा ऊपर है। सरकारी सम्पत्ति को नुकसान हुआ, रेलवे की सम्पत्ति को क्षति पहुंची, लोगों के साथ मार-पीट हुई। जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ था, उन को बाहर फेंका गया।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, रेल राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। *(व्यवधान)* रेल मंत्री बैठे हुए हैं। मेरा प्रार्थना है कि वे इस संबंध में कुछ बोलें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं समझती हूं कि मुझे उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जिसमें रिजर्वेशन मिलने के बाद भी *(व्यवधान)*

मुझे खेद है कृपया मुझे गलत न समझें।

जिनका रिजर्वेशन है, बहुत सारे लीडर्स भी उनको वहां से उठा देते हैं और सीट कैप्चर कर लेते हैं। सिक्योरिटी हम लोगों के पास नहीं है, वह स्टेट गवर्नमेंट के पास है।

[अनुवाद]

हम राजकीय रेलवे पुलिस के खर्चों का 50 प्रतिशत वहन करते हैं। परन्तु वे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। मेरा अनुरोध है कि संसद को इस विषय पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए। रेलवे को अपना निजी सुरक्षा बल तैयार करना चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। कभी-कभी मुझे बहुत बुरा लगता है।

कल बिहार में रेलवे के एक सहायक अभियन्ता का अपहरण कर लिया था जब वे पथ निरीक्षण वाहन से रेल लाइन की स्थिति देखने गये थे। उनका अपहरण सायं 4.30 बजे किया गया। मैंने मुख्य सचिव से रात के 11 बजे बात की थी। उस आदमी को छुड़ाने के लिए मैं रातभर प्रयत्नशील रही। परन्तु कभी हमारे इंजीनियरों का अपहरण कर लिया जाता है तो कभी हमारे अधिकारियों का। कभी-कभी लोगों को आरक्षित सीटों पर यात्रा करने नहीं दिया जाता है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी। मैं जानती हूं कि पांच प्रतिशत सदस्य 10-15 लोगों के साथ राजधानी एक्सप्रेस अथवा दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करते हैं। जब लोग टिकटें खरीदते हैं तो उन्हें अपेक्षित सुविधाएं मिलनी चाहिए और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए, सदन को निर्णय लेना चाहिए। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के पहलू को गंभीरता से लें ताकि इस विषय पर चर्चा की जा सके। यह एक काफी गंभीर मामला है। मैं समझती हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। यात्रियों का हित सर्वोपरि है और हमारा हित अंतिम है। इसलिए, हम चाहते हैं कि यात्रियों को और अधिक सुरक्षा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ नहीं बना सकते? क्या रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है?

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।

श्री राजेश पायलट : इसमें संशोधन किया जा सकता है *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : श्री राजेश पायलट ने क्या कहा है, रेलवे सुरक्षा बल केवल रेलवे सम्पति की देखभाल करता है, सुरक्षा नहीं करता। इसलिए यदि सदन सहमत हो तो मैं विधेयक ला सकती हूं। *(व्यवधान)* सभा द्वारा विधेयक को पारित होने दें। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह नीतिगत मामला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि हम विषय से हट रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि वह इस मामले की जांच करेंगी।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सदन रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने संबंधी ऐसे किसी भी विधेयक का स्वागत करेगा। सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का विषय नहीं है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यदि सरकार रेलवे सुरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और इसकी गतिविधियों के संबंध में कोई विधेयक लाती है तो हम इसका स्वागत करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को कार्यवाई करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मैं समझता हूं कि सदन में एक व्यापक विधान लाया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसने प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त कर दी है। अब 'शून्य काल' पर चर्चा शुरू की जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह सरकार का आश्वासन है। सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा की जानी और इसे पारित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री चतुर्वेदी को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो सरकार इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बड़े-बड़े खोखले दावे करती रही है, लेकिन उसके शीर्षस्थ स्तर से लेकर केन्द्रीय सरकार के विभागों के दैनंदिन कार्य संचालन तक में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में डाक विभाग के एक डाक अधीक्षक, जो वहां पदस्थ हैं, पिछले चार वर्षों से भारतीय शिक्षा महाविद्यालय, खरगापुर के नाम की एक फर्जी संस्था, जो फर्जी अंकसूचियां जारी करती है, उन अंकसूचियों के आधार पर वे नियुक्तियां करते चले आ रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर बोलें। आप सरकार से क्या चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने, समाचार-पत्रों ने, स्थानीय नेताओं ने इस संबंध में लिखित शिकायतें की हैं। जो चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट है, उनको भी सूचना दी गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आज तक उस मामले में चार वर्षों से शिकायत होते हुए भी कोई जांच क्यों नहीं की गई। हां, इतना जरूर हुआ कि चीफ जनरल मैनेजर ने इन नियुक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नियुक्तियों पर एक आदेश प्रतिबन्ध लगाने का जारी कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि उसमें उन्होंने गड़बड़ी पाई। लेकिन ऐसा ब्लेटेंट उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा कि चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट के नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के आदेश के बाद भी उसी डाक तार के अधीक्षक ने पुनः उसी आधार पर 25.10.99 को आवेदन आमंत्रित किये हैं और 25.10.99 तक उन्हीं आवेदनों को आमंत्रित करके ई.डी. कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि अगर वह वास्तव में भ्रष्टाचार को हटाने की बात करती है, केवल खोखली बात नहीं करती है और इस मामले में गंभीर है, तो उसको इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जांच कराने से पहले उस अधिकारी को तुरंत निलम्बित करना चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, देश के अंदर बेरोजगारी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। गांवों से आबादी शहरों की तरफ आ रही है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बड़े-बड़े कारखाने और उद्यम तो लगा रही है, लेकिन कुटीर उद्योगों की तरफ उसका ध्यान नहीं है, न ही राज्य सरकारों का ध्यान इस तरफ है। लोगों की बेरोजगारी कम करने के लिए और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए तथा कम खर्च में अच्छा काम चल सके इस दृष्टि से गांवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : उपाध्यक्ष जी, कल एक निजी टी.वी. चैनल के द्वारा समाचार निर्गम किया गया कि बंगाल की खाड़ी में दबाव कम होता जा रहा है और उसके कारण उड़ीसा में पुनः तूफान आने की संभावना है। दैवी आपदा से कराहती उड़ीसा की मानवता अभी 29 अक्तूबर को आए भारी तूफान से त्रस्त है और उसकी त्रासदी झेल रही है। वहां जनता को राहत पहुंचाने का काम अभी चल रहा है। वहां के लोगों के पुनर्वास की समस्या मुंह बाए खड़ी है। राहत कार्य और पुनर्वास के मामले में प्रदेश सरकार विफल है, जिसके चलते वहां के कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री को बदलना पड़ा, फिर भी इन कामों में तीव्रता नहीं आई। केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि का भी वहां सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। वहां की मानवता कराह रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां फिर से तूफान आने की संभावना है, उसके लिए आवश्यक एहतियाती कार्यवाही की जाए और जान-माल की रक्षा की जाए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर सपना आजादी के 52 वर्ष बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। उच्च न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के

लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। राज्य सभा और विधान परिषदों में भी लोक सभा और विधान सभाओं की तरह आरक्षण मिलना चाहिए, मैं इसकी मांग केन्द्र सरकार से करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी० श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल में और अतूर, निलाकोट्टाई, चोलावंदन, उसीलामपट्टी, थिरूमंगलम और आस-पास के जिलों में नारियल के पेड़ एक अज्ञात बीमारी से प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि नारियल के पेड़ों को इस बीमारी से बचाने के लिए दवाई का हवाई छिड़काव करें। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल के उन किसानों को विशेष मुआवजा दिया जाए जिनके नारियल के पेड़ इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सरैया नाम से निजी शुगर मिल पिछले साल से बंद है। उस पर किसानों का 23 करोड़ रुपया बकाया है। जिन किसानों का पैसा उस पर बकाया है, उनसे सरकारी ऋण की वसूली की जा रही है। जिस तरह से प्राकृतिक आपदा के समय अनुदान दिया जाता है। उसी तरह से बस्ती और गोरखपुर मंडल में जो 80 करोड़ रुपया बकाया है, उसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर अनुदान के रूप में पैसा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों को परेशानी हो रही है और उनके लड़के तथा लड़कियां की शादियां नहीं हो पा रही हैं।

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : मैं श्रीगंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जहां 95 प्रतिशत किसान खेती पर निर्भर हैं और मुख्य खेती कपास है, लेकिन भारतीय कपास निगम किसानों के उत्पादन की खरीद नहीं कर रहा है। जहां 1990 में किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल मिला, वही आज 1999 में मूल्य 1400 रुपए रह गया है। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पैस्टीसाइड्स के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भारतीय कपास निगम को निर्देश दें कि वे कपास खरीदें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस सदन के समक्ष में मैं एक मानव अधिकार से संबंधित प्रश्न रखना चाहता हूं। तीन दिन पूर्व हमारी पार्टी की संसदीय टीम मुख्य सचेतक के यहां गई थी, वहां हमें बताया गया कि केरल में मानवाधिकार का बुरी तरह से हनन हो रहा है। हाल की घटना की ओर, जो स्कूल में बच्चों ने देखी है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक शिक्षक के स्कूल के प्रांगण में कत्ल-ए-आम किया गया और खून के धब्बे पूरी क्लास में सामग्री पर पड़े। इस प्रकार की घटना जो केरल में हुई है, उसको मद्दे नजर रखते हुए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि केरल में मानवाधिकार के हनन की घटना की जांच करने के लिए एक संसदीय टीम का गठन किया जाए, जो उस घटना की समीक्षा करे।

[अनुवाद]

डॉ० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में संवैधानिक मशीनरी भंग हो जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में बेचैन कर देने वाली खबरों की श्रृंखला आ रही है जिसमें बताया गया है कि एक विशेष राजनीतिक दल, जो कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल है, के कार्यालयों में गंभीर बम विस्फोट हुए हैं। इसी पार्टी के कार्यालयों की तलाशी लेते समय खोजी पुलिस को अन्य कार्यालयों से बहुत सारे आग्नेय अस्त्र प्राप्त हुए हैं। *(व्यवधान)* महोदय, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आप अपने लोगों को इस मामले को राज्य विधान सभा में उठाने के लिए क्यों नहीं कहते? *(व्यवधान)*

डॉ० नीतिश सेनगुप्ता : राज्य विधान सभा में क्यों? *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

डॉ० नीतिश सेनगुप्ता : यह अब राज्य का विषय नहीं है क्योंकि लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सदन की एक समिति को पश्चिम बंगाल के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य शुरू करेंगे। दो विधेयकों को पुरःस्थापित किया जाना है।

अपराह्न 01.27 बजे

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 9.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 01.28 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमास्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु तथा उससे संसक्त एवं अनुषंगी विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु तथा इससे संसक्त एवं अनुषंगी विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पुनः अपराह्न 2.30 बजे समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.38 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.38 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री **बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 9.12.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.39 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश राज्य से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के शीघ्र गठन हेतु विधान लाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य से रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, राजनंदगांव, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग आदि पुराने जिले को निकाल कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु भेजा जा चुका है। उक्त प्रस्ताव में नए विद्युत बोर्ड तथा नए खंडपीठ की स्थापना करने की सिफारिश नहीं की गई। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत बोर्ड एवं खंडपीठ को शामिल करते हुए एक विधेयक इसी सत्र में लोक सभा में पेश और स्वीकृत करके जल्द से जल्द पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए।

(दो) मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नयागांव में सीमेन्ट एककों के कार्यकरण को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा संचालित मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नयागांव में स्थित सीमेंट इकाइयों के बिजली के अभाव में बंद होने की स्थिति से जहां सैंकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के संमक्ष कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं, वहीं एक अच्छी व लाभकारी इकाइयों के केवल बिजली के अभाव में बंद होने की स्थिति में कारपोरेशन को बड़ी हानि हो रही है। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को आंशिक राशि भी यदि बकाया चुकायी जाती है तो ये इकाइयां पुनः तत्काल चालू हो सकती हैं। बिजली के अभाव में सैकड़ों परिवार भी परेशान हैं। वैकल्पिक बिजली प्रदाय पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है।

अतः मेरा उद्योग मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त इकाइयों के चलाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

[अनुवाद]

(तीन) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों विशेषतः पंजाब में, की कठिनाइयों को दूर करने के लिए समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग पूरे देश में दो समय का भोजन जुटाने के लिए संघर्षरत हैं। एक ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर ढंग से काम नहीं कर रही है और गांवों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। गरीब लोगों विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल तक नहीं मिल पा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली बिल जो अत्यधिक हैं चुकता करना काफी भारी पड़ रहा है। कई स्थानों पर गरीब लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

इसलिए केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों विशेषत: पंजाब में, की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बेस योजनाएं बनाये और आवश्यक उपाय करें।

(चार) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, रामागुंडम को नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड में विलय करने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री के ध्यान में फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, रामगुंडम के लगभग 8,000 कर्मचारियों की जीवंत समस्या, को लाना चाहूंगा।

वर्ष 1991 से, कम्पनी में काफी समस्याएं हैं और अब इसे किसी तरह चलाया जा रहा है। मैंने कई बार माननीय प्रधान मंत्री, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री तथा कई अधिकारियों एवं गैर-सरकारी अधिकारियों से इस समस्या के बारे में अभ्यावेदन दिया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, रामगुंडम को नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड अथवा राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक लिमिटेड में विलय किया जाए ताकि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके।

(पांच) शुगर मिल कर्मियों के लिए वेज बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, समस्त चीनी मिलों में इस समय तृतीय वेज बोर्ड के आधार पर वेतन दिया जा रहा है जबकि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है जिसमें चीनी मिल कार्यकारों के जीवन स्तर में काफी रुकावट आ गई है। जबकि इस समय चीनी मिल कर्मकारों का पांचवां वेतन आयोग गठित हो जाना चाहिये था अभी तक चौथे वेतन आयोग के गठित होने की भी कोई सूचना नहीं है।

अत: सरकार इस संबंध में अविलंब कार्यवाही करे।

(छह) क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में संशोधन किए जाने और उसे अद्यतन बनाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) बिट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में सुधार तथा इसे अद्यतन बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। भारत के ईसाई लोगों ने सहमति बनाकर सरकार के सम्मुख क्रिश्चियन पर्सनल लॉ से संबंधित कतिपय विशेष विधेयकों अर्थात् क्रिश्चियन विवाह विधेयक, 1997, क्रिश्चियन विवाह-विच्छेद विधेयक, 1997, क्रिश्चियन उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1994 और क्रिश्चियन एडोप्शन और मेंटिनेन्स विधेयक, 1997 में सुधार करने तथा इसे अद्यतन बनाए जाने का प्रस्ताव किया है।

सदी पुराने भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के कुछ प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने विशेषकर महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है। उक्त अधिनियम आज की विद्यमान सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान ईसाई समुदाय विशेषकर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। चूंकि समान आचार संहिता बनाए जाने के पक्ष में कभी भी माहौल नहीं बन सकता है, सरकार को एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा उनके पर्सनल लॉ को अद्यतन बनाए जाने हेतु की गई पहल का स्वागत करना चाहिए। मैंने इस मुद्दे को बारहवीं लोक सभा में भी उठाया था। मैं सरकार से अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय को न्याय देने हेतु इन विधेयकों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) महाराष्ट्र में कुर्दूवाडी - लातूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को त्वरित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले (उस्मानाबाद) मैं महाराष्ट्र में अपने लोक सभा चुनाव क्षेत्र, उस्मानाबाद में जनहित के महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं जो कि कुर्दूवाडी-लातूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की धीमी प्रगति से संबंधित है। मैं रेल मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्र में इस परियोजना पर पांच वर्ष पहले कार्य शुरू हो चुका है किंतु इसकी प्रगति मुख्यत: वित्तीय सहायता की कमी तथा अन्य कारणों जैसे रेल लाइन का मार्ग बदलने हेतु भूमि का अधिग्रहण विशेषकर वन भूमि के अधिग्रहण के कारण काफी धीमी रही है।

इस परियोजना के कार्यान्वियन में विलम्ब से इस क्षेत्र में विकास की गति बाधित हुई है। परिणामत:, हाल ही के महीनों में इस परियोजना के कार्य को अचानक रोक दिए जाने के कारण इस क्षेत्र के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है तथा इस परियोजना के भविष्य पर प्रश्न-चिन्ह लग गया है।

अतएव, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की छानबीन करें तथा इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन हेतु तत्काल कदम उठाएं।

(आठ) असम के कारबी एंगलोंग और नार्थ कछार हिल्स को मिला कर स्वशासी राज्य बनाये जाने की आवश्यकता

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम) : मैं सरकार का ध्यान छठे अनुसूची में सम्मिलित असम के पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक स्वशासी राज्य गठित करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान का अनुच्छेद 244(क) असम के पर्वतीय लोगों के प्रति संसद की एक प्रतिबद्धता ही नहीं है अपितु यह लोगों की आकांक्षा को भी प्रतिबिम्बित करता है।

पूर्वोत्तर की छठी अनुसूची के सभी क्षेत्रों को पहले ही राज्य का दर्जा दिया जा चुका है और कार्बी एंगलोग तथा उत्तर कछार पर्वतीय क्षेत्रों के दो जिलों को यदि स्वशासी राज्य नहीं तो राज्य का दर्जा

[डा० जयन्त रंगपी]

प्रदान कर इस प्रक्रिया को पूरा तर्कसंगत किया जाना चाहिए। जब कि सरकार ने देश के कतिपय भागों में तीन नए राज्यों के गठन का फैसला किया है। पर्वतीय लोगों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244(क) के अनुसार स्वशासी राज्य की उनकी काफी पुरानी मांग को पूरा किया जाना बिल्कुल न्यायसंगत है। इस क्षेत्र के लोगों के मांग को पूरा करने में विलम्ब करने से हमारे देश के इस अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ेगी। अतएव, सरकार को राष्ट्रीय हित में असम के कार्बी एंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स को शामिल करके स्वशासी राज्य बनाए जाने हेतु तत्काल कदम उठाना चाहिए।

(नौ) बिहार के सारन जिले में "वाटरशैड" के विकास और प्रबंध के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : बिहार के सारण जिला में जल जमाव का मुद्दा इस जिला की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक चिन्ता का विषय है। यहां कई 'पनधारा' तथा जल जमाव के क्षेत्र हैं। इन्हीं में से एक "हर्दिया चौर" है जहां कृषि योग्य एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि बुरी तरह से प्रभावित है। तत्संबंधी अध्ययन कराने तथा 'पनधारा' के विकास और प्रबन्ध को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कपार्ट के माध्यम से राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की संभावना हेतु अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(दस) रांची, बिहार में बाईपास के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, रांची बिहार की दूसरी राजधानी है और झारखंड प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी भी है। यहां पर 12 लाख की आबादी भी है, किन्तु यहां पर बाई पास का अभाव है जिसके कारण शहर के बीच में जाम हो जाता है, लोगों को आवागमन से भारी असुविधा होती है और कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बाई पास के निर्माण में राज्य की भूमिका भी होती है क्योंकि राज्य को कई औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है जो अभी तक नहीं हुआ है जिसके कारण बिहार के रांची में बाई पास का निर्माण नहीं हो सका है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसमें केन्द्र सरकार को ही पहल करनी होगी।

(ग्यारह) असम राज्य में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नेपाल चन्द्र दास (करीमगंज) : वर्तमान में असम के उपलब्ध सिंचाई प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है। असम में न केवल 15 प्रतिशत भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बराक घाटी में सिंचाई सुविधा की स्थिति बहुत खराब है जहां छ: प्रतिशत से भी कम भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बराक घाटी में जल के विशाल प्राकृतिक स्रोत हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक जल सरणियों से लघु सिंचाई योजनाओं और बराक, कटखल, लंगाई आदि नदियों से लिफ्ट सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा कर अधिकांश कृषि योग्य भूमि को जल उपलब्ध कराया जा सकता है। परन्तु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन द्वारा सिंचाई के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यद्यपि असम के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, नदियां और खाल हैं परन्तु असम के लोग चावल के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम राज्य की अधिकांश भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान प्रदान करे।

(बारह) चेन्नई पत्तन के कन्टेनर टर्मिनल और एन्नौर पत्तन के बीच समुद्री कटाव को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, रोयापुरम के नजदीक चेन्नई पत्तन के कन्टेनर टर्मिनल और एन्नोर पत्तन के बीच का टुकड़ा समुद्री कटाव से प्रभावित हुआ है। इन दोनों पत्तनों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क भी प्रभावित हुई है। समुद्री कटाव से बुरी तरह से प्रभावित हजारों मछुआरे जो कि इस जगह में अपनी बैरकों में रहते हैं, वस्तुत: उन्हें अपनी वस्तुओं के बह जाने का डर है।

यद्यपि, राज्य सरकार अपनी सीमित संसाधनों से कुछ सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन यह एक बड़ी समस्या है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र वहां पर समुद्री कटाव की समस्या के अध्ययन के लिए और स्थायी उपाय के रूप में एक दीवार खड़ी करने के लिए एक योजना बनाई जाए और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

अपराह्न 2.52 बजे

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक — *जारी*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, कल जब मुझे अपनी टिप्पणी को समाप्त करना था तो मैंने अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क से संबंधित उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया था जो कि विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अलग प्रकार की सुरक्षा का केन्द्र बिन्दु है। जब मुझे अपनी टिप्पणी को समाप्त करना था तो मैंने तभी अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क की प्रकृति के वर्णन को समाप्त किया था। इसलिए, मैं उसी बिन्दु से अपने भाषण को दोबारा शुरू करना चाहता हूं।

माननीय गृह मंत्री को याद होगा कि कल मैंने 10 मई, 1998 को विधेयक प्रस्तुत करते समय और 11 मई, 1988 को उत्तर देते समय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों की ओर विशेष ध्यान दिलाया था। मैं उपरोक्त दो दिनों में मंत्री जी द्वारा दिए गए

दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों की ओर माननीय मंत्री महोदय का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करने की अनुमति चाहता हूं। ये दोनों वक्तव्य एक वाक्य से बड़े नहीं हैं। इसलिए, मैं श्री पी० चिदम्बरम ने जो कुछ भी 10 मई को कहा था, उसे उद्धृत करने की सदन से अनुमति चाहता हूं। आप इसे सदन की कार्यवाहियों के कार्यवाही-वृत्तांत में कॉलम 450 पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा :

"अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए ग्रुप (अर्थात् विशेष संरक्षा ग्रुप) प्रधानमंत्री द्वारा दौरा किए जाने वाले क्षेत्रों का अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क कार्यान्वित करता है और इस उद्देश्य के लिए ग्रुप विस्तृत तकनीकी उपकरणों और यंत्रों वाले तकनीकी स्कंध से लैस है।"

इस आधार पर विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा अन्य ग्रुपों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से अलग है। उन्होंने अगले दिन कहा था कि तत्कालीन विशेष संरक्षा ग्रुप विधेयक और जो कि अब विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम है, के खंड 14 पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जिसमें यह उल्लेख है कि :

"प्रत्येक भारतीय मिशन, प्रत्येक स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण, प्रत्येक सिविल अथवा सेना प्राधिकरण ग्रुप के निदेशक की सहायता करेगा।"

दूसरे शब्दों में, जहां प्रधानमंत्री का दौरा निर्धारित है, चाहे यह भारत में है अथवा विदेश में है, प्रत्येक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि इन सुरक्षा अपेक्षाओं पर प्राथमिकता के रूप में ध्यान दे।

देश में किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह उपलब्ध नहीं है। विशेष संरक्षा ग्रुप जैसी सुरक्षा के लिए यह एक विशेष बात है। इसके बाद फिर जब वे प्रभारी मंत्री नहीं रहे और जब वे सरकार में शामिल नहीं थे तो श्री पी० चिदम्बरम ने वस्तुतः मेरे द्वारा प्रस्तुत नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के प्रस्ताव पर बीच में हस्तक्षेप करके ऐसी बात कही जो मैं समझता हूं कि सभा में दोहरायी गयी थी। यह 13 मई, 1993 को रिपोर्ट किए गए कालम संख्या 418 से 419 में बताया गया जिसमें श्री चिदम्बरम ने कहा :

"महोदय, पूरे भारत में ऐसा कोई पुलिस अधिकारी नहीं होगा जो अपने में निहित शक्तियों के कारण भयभीत हो बजाय उस अधिकारी के जिसे हमने एडी (कार्य) के रूप में तैनात किया हो उसके पास राज्य के मुख्यमंत्री सहित किसी भी बड़ी हस्ती के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति होती है।"

प्रधानमंत्री के सुरक्षा कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए एसपीजी में ऐसी शक्ति निहित है। एसपीजी के सिवाय कोई भी अन्य एजेंसी ऐसी इस प्रकार की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। वास्तव में यह वही बात है जिस पर मैं विशेष रूप से बार-बार जोर दे रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री ने एस.पी.जी. के बारे में बात करते समय गल्ती से अन्य प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जो टिप्पणी की है, वह इस विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था पर लागू होती है और मैं जानता हूं कि उनका यह इरादा नहीं है।

6 नवम्बर, 1996 को जैन आयोग के समक्ष अपना बयान देते समय श्री पी० चिदम्बरम ने इसी बात को दोहराया है, अपने बयान के पृष्ठ 5 पर श्री चिदम्बरम ने दोहराया है कि एस.पी.जी. के पास अन्य सुरक्षा एजेंसियों के निर्णय को नकारने की शक्तियां हैं। ये सभी शक्तियां अन्य किसी एजेंसी के पास नहीं हैं। इसलिए, कठोरतापूर्वक किए गए चयन के संबंध में, उनको दिए गए विशेष प्रशिक्षण के संबंध में, उनको उपलब्ध कराये गये तकनीकी उपकरणों और यंत्रों के संबंध में, अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क के लिए व्यवस्था करने हेतु उसमें निहित शक्ति के संबंध में और न केवल किसी स्थानीय अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी के निर्णय को नकारे जाने हेतु उनको दी गई शक्ति के संबंध में, तथापि दूसरे उद्देश्यों के लिए वह पुलिस अधिकारी चाहे वरिष्ठ हो परन्तु दौरा किए जाने वाले विशेष स्थान की सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित करते समय मुख्य मंत्री के निर्णय के साथ-साथ नकार सकती है—एस.पी.जी. को, अन्य दूसरी सुरक्षा एजेंसी जिसका कि सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करने के बारे में एक अलग दृष्टिकोण है, को नकारने की शक्ति दी गई है।

वास्तव में यह यही नया विचार था जिसको 1985 में पहली बार विशेष संरक्षा ग्रुप के गठित होने पर प्रधान मंत्री और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों की सुरक्षा में समाहित किया गया और तत्पश्चात् 1988 में उसे सांविधिक दर्जा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात को 1988 में नजरअंदाज किया गया और वह यह थी कि यदि एस०पी०जी० सुरक्षा प्राप्त कोई प्रधान मंत्री यदि प्रधान मंत्री न रहे तो क्या होगा ? यह खेद की बात है कि उस समय इस को अनदेखा किया गया क्योंकि उस समय यदि लोक सभा में नहीं तो निश्चित तौर से राज्य सभा में श्री पी० उपेन्द्र जो उस समय तेलगुदेशम् पार्टी के सदस्य थे, लेकिन आज हमारे साथ कांग्रेस में हैं, ने इस संबंध में विशेष रूप से एक प्रश्न पूछा था लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए जब वह 1996 में जैन आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तो श्री पी० चिदम्बरम् ने 21 नवम्बर, 1996 को जैन आयोग के समक्ष दिये गये अपने बयान में जो उसके रिकार्ड के पृष्ठ 1 पर दर्ज है, कहा :

"हमने ऐसी स्थिति की पूर्व कल्पना नहीं की थी कि यदि राजीव गांधी चुनाव हार गये और उन्हें प्रधान मंत्री पद से हटना पड़ा, तो क्या होगा।"

ऐसी स्थिति का अनुमान लगाने कि कोई प्रधान मंत्री जब प्रधान मंत्री नहीं रहेगा ये हमारी भूल के परिणामस्वरूप जिसका उपबंध उक्त प्रधान मंत्री के कार्यरत रहते समय कर सकते थे, से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि दिसम्बर, 1989 में राजीव गांधी भारत के प्रधान मंत्री पद से हट चुके थे लेकिन उनकी सुरक्षा को खतरा पूर्ववत् बरकरार था। वस्तुतः वर्मा आयोग के अनुसार यह खतरा और बढ़ गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

ऐसी स्थिति में नये प्रधान मंत्री ने पूर्व प्रधान मंत्री के लिए विशेष संरक्षा ग्रुप (एस.पी.जी.) सुरक्षा अस्थायी तौर पर जारी रखने का फैसला किया हालांकि यह कानून सम्मत और अनिवार्य नहीं था और

[श्री मणि शंकर अय्यर]

इसे कानून का उल्लंघन कहा जा सकता है। ऐसा करने के लिए कुछ उपाय करने पड़े। और विशेषकर, मैं माननीय गृहमंत्री का ध्यान तत्कालीन कैबिनेट सचिव श्री टी०एन० शेषन द्वारा 14 दिसम्बर, 1989 को प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रयोगार्थ तैयार किये गये एक नोट की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो अब जैन आयोग के रिकार्ड का हिस्सा है। यदि मैं नोट के इन दोनों वाक्यों को जिनमें से एक पैरा 7 (पांच) में है और दूसरा पैरा 9 (पांच) में है, मिला दूं, तो उसको इस तरह पढ़ा जा सकता है :-

"प्रधान मंत्री के देश के विभिन्न भागों में दौरों के लिए एस पी जी और आई.बी. के अधिकारी राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर पहले से संयुक्त रूप से सुरक्षा सम्पर्क स्थापित कर सुरक्षा प्रबंधों को अन्तिम रूप देते हैं इसलिए, कुछ समय के लिये आई.बी. तथा एस.पी.जी. के अधिकारी अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क बनाये रखेंगे।"

दुर्भाग्यवश, जैसा कि हुआ फरवरी, 1990 के आरम्भ में एस.पी.जी. की वापसी के बाद इस पूर्व प्रधान मंत्री के लिये वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था में अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी। फिर भी, बिना अग्रिम सुरक्षा सम्पर्क के पूर्व प्रधान मंत्री के दौरों के दौरान उनके लिए सुरक्षा संबंधी खतरे पूर्व की भांति न होकर बढ़े हुए खतरे मौजूद थे और सुरक्षा व्यवस्था, जिसकी आवश्यकता थी न मिलने के कारण अवश्यम्भावी घटना हो गयी। और चूंकि अवश्यम्भावी घटना हो गयी, मैं अपने 13 मई, 1993 को इस सभा में दिये गये भाषण को उद्धृत करता हूं : मैंने 13 मई, 1993 को इस सभा में इस प्रकार कहा :-

"श्री पेरम्बदूर की घटना कभी नहीं हुई होती यदि 21 मई, 1991 को राजीव जी के पास एस.पी.जी. सुरक्षा होती। एस.पी.जी. द्वारा अग्रिम सम्पर्क करके अपर्याप्त बाधाएं, अपर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और मंच तक भीड़ को न आने देने की व्यवस्था की होती। जैसा कि वर्मा आयोग ने बताया है अत्यधिक नियंत्रण को हटाने से ऐसे अनेक कारक हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।"

मैं इस बात को यहां पुन: दोहराना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री के प्रति हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने एस.पी.जी. सुरक्षा को किसी अन्य तरह की सुरक्षा के मुकाबले बेहतर सुरक्षा व्यवस्था माना है। उन्होंने यह संशोधन पेश किया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को जब तक आवश्यकता रहेगी एस.पी.जी. सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाती रहेगी।

संशोधित विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम-1991 तथा इस अधिनियम के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि एस.पी.जी. सुरक्षा का प्रावधान तब केवल प्रधान मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के लिए ही था। प्रधानमंत्री या उसके परिवार का सदस्य होने मात्र से ही एस.पी.जी. सुरक्षा स्वत:, बिना सोचे-समझे उनको प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अब इस अधिनियम की उपधारा (1) में दो प्रावधान किये गये हैं जिन्हें मूल अधिनियम की धारा (4) में शामिल किया जायेगा, जिसमें कहा गया है कि यह निर्णय करते समय कि इस तरह की एस.पी.जी. सुरक्षा चाहे वह वार्षिक आधार पर ही तय की गयी हो, संबद्ध व्यक्ति की सुरक्षा को संभावित खतरे का आंकलन करने में बारह महीनों से अधिक का समय नहीं होना चाहिए और इस बारे में संबद्ध एजेंसियां संभावित खतरे की गहनता का आकलन करेंगी और यह तय करेंगी कि उस व्यक्ति के लिए एस.पी.जी. सुरक्षा जारी रखी जाये अथवा नहीं।

दूसरे शब्दों में, इस विधान के माध्यम से सरकार को कानूनन यह जांच करने का अधिकारी प्राप्त हो जाएगा कि वास्तव में ऐसी सुरक्षा घेरे की आवश्यकता है भी या नहीं। यदि 1988 के मूल अधिनियम में यह उपबंध होता तो शायद जनवरी-फरवरी, 1990 में वह गलत निर्णय न लिया जाता जिसके फलस्वरूप श्री पेरमबदूर की वह दुखद घटना हुई। निश्चय ही हम वैसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहते क्योंकि हत्या की राजनीति से ज्यादा लोकतंत्र को और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। भले ही हम अपनी भिन्नता को दूर न कर पायें परन्तु हमें लोकतंत्र की सुरक्षा करना है। लोकतंत्र इस अवधारणा पर आधारित है कि उच्च पदों पर निर्वाचित लोग उन्हें ... *(व्यवधान)* महोदय, मुझे दुख है। मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ और वक्त दिया जाए।

सभापति महोदय : इस मद के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया था और इस पर अनेक वक्ताओं को अभी बोलना है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मै, कुछ समय और लूंगा। महोदय, आप भी समझते हैं कि मुझे कुछ और वक्त की आवश्यकता है। हम महत्वपूर्ण लोगों के जीवन से संबंधित मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

हालांकि, ये दो उपबंध धारा-। पर लागू होते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे धारा ।(क) पर लागू क्यों नहीं होते। इस चरण पर इस आधार पर विधेयक का विरोध करना मैं आवश्यक नहीं समझता। मेरे विचार से धारा-। के परन्तुकों को धारा ।(क) के समरूप बनाया जाना चाहिए। चूंकि गृह मंत्री ने इसके साथ-साथ सुरक्षा के अन्य पहलुओं की भी चर्चा की है अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इन सुरक्षा से संबंधित उपबंधों को सामान्य सांविधिक उपबंधों के रूप में लिया जाना चाहिए। फिलहाल सुरक्षा संबंध कोई भी निर्णय मुख्य रूप से कार्यकारिणी का निर्णय होता है जिसे सत्ताधारी दल द्वारा लिया जाता है तथा जिनपर राजनीतिक दबाव के पड़ता रहता है जिसके संबंध में माननीय गृह मंत्री ने हमारा ध्यान कल आकर्षित किया था। इन अनुचित राजनीतिक दबावों के फलस्वरूप विभिन्न श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या में अत्यधिक रूप से वृद्धि हुई और जिसे अब प्रतिष्ठा न केवल चिह्न के रूप में देखा जाता है अपितु निवास स्थान जैसी व्यक्तिगत सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। बहरहाल यदि सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए सांविधिक अपेक्षा होती, जिसका उपयोग इस विशेष किस्म की सुरक्षा के लिए हम करने जा रहे हैं तो यह निर्णय कि सुरक्षा प्रदान की जाए अथवा नहीं और यदि हां तो किस श्रेणी की, नितान्त कार्य-पालिका और अंतत: राजनीतिक क्षेत्र से हटकर एक वृहद तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि यह समझा जा सकता है कि इस तरह के आसन्न खतरों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार गुप्तचर एजेन्सियां तथा सुरक्षा एजेन्सियां अपने मूल्यांकन में उन कारणों का ब्यौरा अवश्य देंगी जिनके आधार पर वे इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचती हैं।

यदि सभी तरह के सुरक्षापायों की सभा में प्रस्तुत विधेयक के खंड । के परन्तुकों में किए गए प्रावधानों के अनुरूप रखा जाए तो गृह मंत्री की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।

मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विशेषज्ञता प्राप्त विशेषज्ञ जो न तो नौकरशाह है और न ही राजनीतिज्ञ, वे सरकार को इस संबंध में परामर्श देते हैं। अपनी विशेषज्ञता के कारण ही वे अपने सेवानिवृति के पश्चात् अपने पद पर बने हैं। इसी कारण इसमें कई भूतपूर्व विदेशी सचिव, रॉ के भूतपूर्व प्रमुख, भूतपूर्व रक्षा कार्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में अवैतनिक रूप से सरकार के परामर्शदात्री के रूप में कार्यरत हैं। इसी तरह इन कार्यों में सूचना ब्यूरो के प्रमुख श्री एम०के० नारायणन जैसे लोगों को शामिल किये जाने से विशेषज्ञता में वृद्धि होगी और क्योंकि ऐसे लोग भूतपूर्व नौकरशाह होने के कारण अन्य नौकरशाह की भांति वे उस तरह से राजनीतिक दबाव में नहीं आयेंगे। इससे शायद पूरी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। चूंकि गृह मंत्री की स्वयं की सरकार ने पूर्व सरकारी विशेषज्ञों को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र से उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें विशेषज्ञ के रूप में रखने का पहल किया है इसलिए वे शायद खतरे की संभावना का भी आंकलन कर सकते हैं।

मैंने श्री एम०के० नारायण का नाम जानबूझ कर लिया क्योंकि कल गृह मंत्री ने जो कुछ अन्य बातें कहीं वह थोड़ी राहत व खुशी का विषय था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में उनका उल्लेख वर्तमान स्थिति में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। यह बात बिल्कुल सच है कि एन.एस.जी. का गठन आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया था और उनका उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किये जाने पर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन हमने अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की प्रतिक्रिया सुनी है, एन.एस.जी. का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक पूर्व मुख्य मंत्री का विशेष रूप से उदाहरण दिया जिनको विशेष खतरा है और वह खतरा और भी बढ़ सकता है यदि लिट्टे श्रीलंका में अपना विजय अभियान जारी रखता है। अब यदि आप उनसे एन.एस.जी. सुरक्षा इस सिद्धांत के तहत वापस ले लेते हैं कि उक्त सुरक्षा केवल आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए होती है न कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, तो सरकार को उक्त निर्णय लेने के पहले उसी प्रकार के निजी सुरक्षा बल का गठन करना पड़ेगा।

मुझे दुख होता है क्योंकि वर्मा आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 20 मई को अर्थात् राजीव गांधी की हत्या के 24 घंटे पहले, श्री एम०के० नारायण जिन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के पद पर पुन: नियुक्त किया गया था, वे तत्कालीन सरकार से संपर्क साध कर यह बताने का अथक प्रयास कर रहे थे कि राजीव गांधी को खतरा बढ़ गया है और यह कि सरकार को उन्हें निश्चित रूप से एन.एस.जी. सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और उन्होंने यहां तक कहा कि राजीव गांधी को यदि वे सुरक्षा लेने से मना भी कर देते हैं तब भी उन्हें उक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं और ऐसा उन लोगों द्वारा किया भी गया जो इस समय अधिकांशत: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल हैं। उन लोगों ने प्रधान मंत्री की सुरक्षा संबंधी मामले को इतने हल्के ढंग से लिया तथा इस प्रकार राजनीतिकरण किया कि उक्त पूर्व प्रधान मंत्री को पुन: प्रधान मंत्री बनने के प्रयास में राजनीतिक रूप से मजबूर होकर उक्त सुरक्षा सुविधा छोड़नी पड़ी जो कदाचित अवांछनीय था। इसलिए, विधेयक में प्रावधान है कि पूर्व प्रधान मंत्री अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुरक्षा कवच वापस कर सकते हैं, लेकिन कृपया इस बात को समझा जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब वे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा सुविधा वापस लेने का अनुरोध कर सकते हैं और इसकी परिणति भयंकर त्रासदी भी हो सकती है। इसलिए खंड-। का प्रावधान उन परिस्थितियों में भी लागू होनी चाहिए जब सुरक्षा सुविधा वापस लेने की मांग की जाती है। यदि खतरे की संभावना अधिक हो तो वैसी स्थिति में राष्ट्रहित में ऐसे अनुरोध ठुकरा दिए जाने चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करेगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : महोदय, आज हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, न केवल इस संशोधन को लाने के लिए, बल्कि इसके लिए कि वे पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। वे वी.आई.पीज. की उस सिक्योरिटी पर विचार कर रहे हैं, जिस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और जो सिक्योरिटी जनता की आंखों में चुभती है। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने आंकड़ों में बताया कि 1998 में जहां 118 आफिशियल्स को सिक्योरिटी मिलती थी, उसको कम डाउन करके वे 33 तक लाये हैं। आज मैं ही नहीं, सारा सदन उनकी प्रशंसा करेगा, इस बात के लिए कि कम से कम जनता की भावनाओं को समझते हुए जो सिक्योरिटी जनता की आंखों में चुभती है, उनके रास्ते में रोड़ा होती है, उसके ऊपर आज वे विचार कर रहे हैं। उन्होंने पूरे सदन के सामने एक विचार रखा है कि अगर सदन सहमत हो तो इसके ऊपर कोई न कोई और अगला कदम उठाया जा सकता है कि क्या सिक्योरिटी पर ही, क्या सुरक्षा पर और खास तौर पर वी.आई.पी. सुरक्षा पर इतने रुपये व्यय करना जरूरी है ?

1991 से भूतपर्व प्रधानमंत्रियों को सिक्योरिटी दी गई। पहले यह व्यवस्था पांच साल के लिए थी, फिर 1995 में इसे बढ़ाकर दस साल तक कर दिया गया। अब 1999 में इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर दस साल से ज्यादा भी जरूरत हो तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। जैसे-जैसे हम सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे हम समझ सकते हैं कि देश की हालत सुधार की तरफ नहीं होगी, खराबी की तरफ होगी कि हमें अधिक से अधिक सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। जैसे आई.टी.ओ. में पुलिस मुख्यालय की मंजिलें बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे अपराध भी बढ़ रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी में इसका चलन आ रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को कवच दो, पर वह स्टेटस सिम्बल बन जाए, इसके ऊपर कम से कम सरकार को विचार करना होगा। आज वह स्टेटस सिम्बल बना हुआ है। हमारे देश में पांच भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं। मैं समझता हूं कम से कम यह जरूर जाना जाए कि किसको वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है और

[श्री विजय गोयल]

किसको नहीं है। मैं मणि शंकर जी की बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा कम्पलशन हो सकता है कि व्यक्ति मना कर देगा अपनी सुरक्षा कराने के लिए इसलिए उनको सुरक्षा जरूर दी जानी चाहिए। हमारे बीच चन्द्रशेखर जी हैं, जो मास के लीडर हैं। मैं नहीं समझता कि उनको किसी से कोई खतरा है। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया है। इसी तरह से गुजराल साहब हैं, जिनके सीमा पार पाकिस्तान तक संबंध हैं। मैं नहीं समझता कि उनको कोई विशेष खतरा है। यह मेरी अपनी जानकारी के अनुसार है। इसी तरह से देवेगौड़ा जी हैं, जो कि हम्बल फारमर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनको भी किसी किस्म का कोई खतरा है। इसलिए कम से कम सरकार को और गृह मंत्री जी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि यदि कोई पूर्व प्रधान मंत्री स्वयं समझता है कि उसे सुरक्षा न दी जाए और उन्हें उतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो इस पर विचार करना चाहिए।

हमारी दिल्ली में दो-तीन लोग ऐसे हैं जिनको एन.एस.जी. मिली हुई है। मैं पिछली बार संसद की गृह मंत्रालय की स्थाई समिति में सदस्य था। मुझे पता चला कि एक व्यक्ति की सुरक्षा पर एक साल में 80 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि शायद पूरे देश में 385 लोगों को अलग-अलग सिक्योरिटी मिली हुई है, उस पर कितना खर्च होता होगा। मुझे मालूम नहीं है कि एस.पी.जी. के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझे यह भी जानकारी नहीं कि इमीजेट फैमिली का क्या मतलब है और इसमें कौन-कौन से परिवार आते हैं। क्या शास्त्री जी का परिवार और मेनका जी भी इमीजेट फैमिली के सदस्य होकर एस. पी.जी. के अधिकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी सरकार स्पष्ट करे। मुझे याद है कि दो पूर्व प्रधानमंत्रियों देवेगौड़ा जी और वी.पी. सिंह जी ने मना किया था कि उनको इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो गृह मंत्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए। उससे पहले पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी स्वयं इस बात का आदर्श और विचार रखना चाहिए कि सुरक्षा की उनको आवश्यकता है या नहीं, इससे पहले कि सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाए, यह भी मेरे हिसाब से होना चाहिए।

दिल्ली और अन्य जगह पर एन.एस.जी. लोगों को मिली हुई है। एक-एक व्यक्ति जब कमांडोज लेकर चलता है तो मैं देखता हूं हमारे दिल्ली के एक नेता थे जो विवाह में जब जाते थे तो अपने कमांडोज को बाहर खड़ा कर देते थे, ताकि जनता को परेशानी न हो और उनको गालियां न दे। उस समय सुरक्षा कहां चली जाती थी। क्या हमने कभी इन लोगों को यह कहा है कि आप अपने फंक्शंस कम करो, शादियां कम अटेंड करो या कुछ दूसरी चीजें कम करें ? जब सिक्योरिटी अंदर आ जाती है तब सुरक्षा का इंतजाम कैसे होता है इसलिए ये सब ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार करना होगा। हमारे यहां वी.आई.पी. की सुरक्षा लगातार स्टेटस सिम्बल बनती चली जा रही है। चाहे एस.पी.जी. की हो या दूसरी कोई सिक्योरिटी हो। गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि उनके पास लगातार इस बात के प्रतिवेदन आते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए और अगर नहीं बढ़ा सकते तो यही कर दिया जाए कि हम जेड केटेगरी में आ जाएं, ताकि हमें सरकारी मकान मिल जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि जो उनका अपना मकान है, क्या एन.एस.जी. या दूसरी सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, केवल सरकारी आवास ही कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कम से कम जेड केटेगरी के जो मकान आबंटित किए जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए।

हम लोग जब दूरदर्शन पर अमेरिका, फ्रांस और जापान आदि देशों के बारे में देखते हैं तो हमें वहां विजिबल सिक्योरिटी नजर नहीं आती। गृह मंत्री जी बतायें कि वहां किसी तरह की सिक्योरिटी होती है जो दिखाई नहीं देती, उसका ढांचा कैसा है। क्या वहां पर भी वी. आई.पी. सिक्योरिटी पर इतना खर्च हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है ?

इस सारे खर्च के आंकड़े क्या हैं ? एक बात यह भी है कि हमारी देश में सिक्योरिटी चमकती है और दूसरे देशों में सिक्योरिटी नजर नहीं आती है। दिल्ली के आंकड़ों को देखेंगे, तो 13 प्रतिशत से ज्यादा लोग वी.आई.पी. सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर ने एक मिटिंग के दौरान बताया कि थाने के अन्दर लोग नहीं हैं, अपराध रोकने के लिए लोग नहीं हैं, किन्तु वी.आई. पी. की सिक्योरिटी के लिए 10-13 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री से कहूंगा कि वे इस पर विचार करें। इसके साथ ही इसपर जितना धन खर्च हो रहा है, इसको देखते हुए क्या आगे आने वाले दिनों में सुरक्षा कर सकेंगे।

महोदय, विधेयक के पेज-2 पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्लाज-2 में लिखा है :-

[अनुवाद]

"(एक) प्रधान मंत्री एवं उनके परिवार के निकटतम संबंधी; और

(दो) कोई पूर्व प्रधान मंत्री अथवा उनके परिवार के निकटतम संबंधी को ..."

[हिन्दी]

मुझे लगता है, शायद 'आर' की जगह 'एण्ड' रखा है, अगर यह गलती से रखा गया है, तो इस बारे में वे बतायें। राज्य सभा में मंत्री जी ने जो बयान दिया है, पेज 1108 पर, उसमें 'आर' शब्द शामिल किया है। मुझे लगता है, पूर्व प्रधान मंत्री या उनके घर वालों को दस साल के लिए सुविधा दी जाएगी। इसलिए मंत्री जी ध्यान दें, 'आर' की 'एण्ड' इस्तेमाल हो सकता है, तो 'एण्ड' किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं यह भी देखना चाहता हूं कि विचार इस बात पर भी होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था पर जो देश का हजारों-करोड़ों-अरबों रुपया अतिविशिष्ट व्यक्तियों पर खर्च हो रहा है, वह कहां तक जायज है।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : सभापति महोदय, एस.पी.जी. एक्ट 1998 में मंत्री, पूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा देने

के लिए बना था। इस एक्ट में संशोधन करने के लिए कल माननीय गृह मंत्री जी ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

कल माननीय गृह मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए अन्य सुरक्षा के बारे में खास तौर से एन.एस.जी. के बारे में अपने कुछ सुझाव रखे थे। उन सुझावों के ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती हूं। कल माननीय मंत्री जी ने कहा था, जो एन.एस.जी. वी.आई.पीज को दी जा रही है, उसका गठन खास मकसद के लिए हुआ था और उस पर आपने प्रकाश डालते हुए कहा था कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एन.एस.जी. का गठन हुआ था, लेकिन इस गतिविधियों के ऊपर एन.एस.जी. का इस्तेमाल करने के बजाए वी.आई.पीज को सुरक्षा के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है।

इसलिए एन.एस.जी. को यदि वी.आई.पी. की सुरक्षा से हटाकर देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। यह मेरा सुझाव है और यह सुझाव आपने कल दिया था। इसके बारे में मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगी।

यदि एनएसजी का कुछ वीआईपीज द्वारा प्रतिष्ठा के तौर पर या बंगला लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी ऐसे केसेज में जांच करवा कर उनकी सुरक्षा से एनएसजी को हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे राजनीतिज्ञ जिनको वास्तव में उग्रवादियों से खतरा है उनकी सुरक्षा में एनएसजी को हटाकर दूसरी फोर्स द्वारा उनकी सुरक्षा उतनी तेज और तीव्रता से नहीं होगी जितना कि एनएसजी द्वारा। इसलिए इस बात की भी आपको छानबीन करनी होगी कि किन राजनीतिज्ञों को उग्रवादियों से खतरा है और उनको एनएसजी की जरूरत है। उदाहरणार्थ, मुझे दो जून 1995 से पहले एनएसजी की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गैस्ट-हाउस में ठहरी हुई थी। जिस पार्टी की उस समय सरकार थी उसने लोकल पुलिस की देख-रेख में असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हमला करवाया, जिसके जीते-जागते गवाह आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री मोतीलाल वोहरा थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजकर सारी बातों की छानबीन कराई थी। उस समय केन्द्र को दखल देना पड़ा था। अगर लोकल पुलिस के ऊपर मेरी सुरक्षा का दायित्व छोड़ दिया जाता, तो मेरी हत्या जरूर हो जाती।

माननीय कांशी राम जी तो उस समय बीमार हालत में इंटेसिव केयर यूनिट में थे। उसी दिन रात को प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात करके सीआरपीएफ को वहां लगाया गया, तब जाकर मेरी जान बची। उसके बाद काफी धमकियां आती रहीं। दो जून की घटना के बाद आपने मुझे एनएसजी दी। 1995 के बाद से मेरे पास एनएसजी रही। उसके बाद 1996 में एसेम्बली का इलेक्शन हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी और वह 6 महीने चली। जब हमने सत्ता ट्रांसफर की तो उसके कुछ समय बाद हमें लगा कि बहुजन समाज का हित अब सुरक्षित नहीं है।

19 अक्तूबर, 1997 को जब समर्थन वापस लिया और 21 अक्तूबर, 1999 को विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, मैं उस समय की घटना बताना चाहती हूं। उस समय उत्तर प्रदेश विधान सभा में हिंसा की वारदात हुई। मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाई। हिंसा की वारदात के समय मैं लॉबी की तरफ भागी। लॉबी का एक दरवाजा अन्दर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ जाता था। जब मैं बाहर की तरफ भागी तो बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। माइक मेरी तरफ उठा कर फेंके गए। लॉबी के दरवाजे टूट गए और मैं मुसीबत में फंस गई। लोकल पुलिस विधान सभा में थी। लोकल पुलिस ने विधान सभा के स्पीकर से इसकी परमिशन ली थी। लोकल पुलिस सादी वर्दी में वहां मौजूद थी। उन्होंने मेरी सुरक्षा नहीं की। मेरे पी.एस.ओ. ने एन.एस.जी. को सूचित किया। बाहर वाला दरवाजा अन्दर से बंद था। एन.एस.जी. ने लॉबी का दरवाजा तोड़ा और मुझे बचा कर ले गए। एन.एस.जी. ने इसकी सूचना हैड क्वॉटर में दी। किसी को भी एन.एस.जी. को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं हटाना चाहिए।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधान मंत्री बने तो वह लखनऊ गए। लखनऊ में उनको स्वागत के लिए बुलाया गया था। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी लेकिन वहां की सरकार ने यह कह कर वापस ले ली कि वह गाड़ी दो दिन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए चाहिए। वह इसके बाद वापस कर दी जाएगी। मेरे से वह गाड़ी वापस ले ली गई। वह गाड़ी आज तक वापस नहीं की गई है। मुझे पर्सनल सिक्योरिटी का जो स्टाफ उत्तर प्रदेश से मिला था उसमें शेडयूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी कम्यूनिटीज के लोग थे। उनको छांट-छांट कर हटा दिया गया और उनके स्थान पर अपर कास्ट के लोगों को लगा दिया गया। इस मामले को इसी सदन में आरिफ मोहम्मद खां जो मैम्बर पार्लियामैंट थे, उठाया। हमने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इसमें दखल देकर जातिगत भावनाओं से किए गए तबादलों को रोका। कहने का तात्पर्य यह है कि वी.आई.पीज. को जो एन.एस.जी. प्रोवाइड की जाती है, अगर वह किसी की प्रतिष्ठा को देखते हुए दी जाती है तो उसे हटाया जा सकता है लेकिन जिस की जान को खतरा है, यदि उसके यहां से एन.एस.जी. हटाएंगे तो ठीक नहीं होगा। 13वीं लोक सभा के इलैक्शन के लिए जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सहारनपुर में आई.एस.आई. के लोग पकड़े गए और मारे गए। उनके यहां से जो दस्तावेज मिले उसकी आप रिपोर्ट मंगा कर देख सकते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के दो-तीन पॉलिटिशियंस के नाम हिट लिस्ट में थे। वे उनको मारने की नीयत से आए थे। बी.एस.पी. में मेरा नाम हिट लिस्ट में था। मेरी सुरक्षा के मामलों में उत्तर प्रदेश की सरकार काफी निष्क्रिय थी। जब आई.एस.आई. के लोग मारे गए और उनके यहां से जो कागजात बरामद हुए तो उन्हें लगा कि मेरा नाम हिट लिस्ट में है।

उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी सिक्यूरिटी टाईट की। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैंने नहीं चाहा कि एन.एस.जी. किसी प्रतिष्ठा को लेकर लगाई जाये, किसी वी.आई.पी. के साथ या जगह लेने के लिये लगाई जाये। जिन वी.आई.पी. के लिये एन.एस.जी. जरूरी है, उसे जरूर दी जाये। इसका कारण यह

[कुमारी मायावती]

है कि एक तरफ असामाजिक तत्व हैं, जो मेरी जान के पीछे पड़े हुये हैं और दूसरी ओर राजनैतिक द्वेष की भावना है। मेरे सामने 2 जून, 1995 की घटना है जब मुझपर जानलेवा हमला किया गया था। अभी 13वीं लोक सभा के चुनाव के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई.एस.आई. लोगो के पास से ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसमें मेरी हत्या का षड्यंत्र किया गया था। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जब भी मैंने लोकसभा में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में आवाज उठायी, मनुवादी प्रवृत्ति के बारे में बोला या बाहर किसी रैली में बोला तो मैंने यह महसूस किया है कि उसके तुरंत बाद मेरे पास बिना नाम के टेलीफोन आते हैं कि आप व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ बोलती हो, इसलिये हम आपको कभी भी मार सकते हैं। इस किस्म के धमकी भरे टेलीफोन मेरे पास आते हैं जब भी मैं व्यवस्था परिवर्तन के बारे में लोकसभा या बाहर बोलती हूं। ऐसे फोन उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली से भी आते हैं। मेरी माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि राजनैतिक लोगों के खतरे को देखते हुये एन.एस.जी. सुरक्षा दी जाये। जहां राजनैतिक द्वेष हो, वहां न हटायी जाये। मैं इसके साथ यह बात भी जोड़ना चाहूंगी कि राजनैतिक द्वेष के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने एन.एस.जी. हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन माननीय गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट आने पर भी मेरी सिक्यूरिटी नहीं हटायी और एन.एस.जी. बरकरार रखी।

सभापति महोदय, मेरे खिलाफ बदले की भावना के कारण क्षेत्र का डेवलेपमेंट कार्य नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोक सभा क्षेत्र के साथ अकबरपुर लोक सभा की सीट आती है जिसे 1995 में डा० अम्बेडकर नगर के नाम से अलग जिला बना दिया गया है। यह अकबरपुर सीट अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित है। इस बार मैं अकबरपुर से चुनकर आयी हूं। मैं बदले की भावना का जिक्र इसलिये कर रही हूं कि जब मैं पिछली बार इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आयी तो सांसद निधि का पैसा दूसरी बार इसलिये नहीं दिया गया क्योंकि डी.एम. ने स्पष्ट पत्र केन्द्र सरकार को नहीं भेजा जिसके कारण एक किश्त आयी लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिली। यह सब प्रदेश सरकार के प्रभाव में किया गया।

सभापति महोदय, अकबरपुर में टांडा में थर्मल प्लांट है जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा चलाया जा रहा है। इसको एन.टी.पी.सी. को बेचने की कार्यवाही चल रही है। इसलिये मेरे क्षेत्र में बदले की भावना से यह सब कार्य किये जा रहे हैं। मेरी सिक्यूरिटी को डिस्टर्ब तो नहीं किया जा रहा लेकिन डेवलेपमेंट के कार्य मेरे क्षेत्र में रोके जा रहे हैं। जो लोग उस प्लांट में काम कर रहे हैं, वे कहां जायेंगे, किसान कहां जायेंगे। अकबरपुर पहले अपर ग्रेड रेलवे जंक्शन था जिसे लोअर ग्रेड का कर दिया गया है। इस प्रकार बदले की भावना से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह डिस्टर्बेंस की जा रही है। इस प्रकार मेरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार मेरे डेवलपमेंट के कार्य में दखल दे रही है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगी कि आप जब भी निर्णय लें, कृपया इस मामले को देखें कि राजनैतिक द्वेष के आधार पर राज्य सरकार से कोई लैटर रिकमेंड होकर न आये।

मुझे माननीय मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। अभी भी आप उत्तर प्रदेश की सरकार के इनफ्लूएंस में नहीं आए हैं। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और आगे भी उन पोलिटीशियन्स के साथ भी, जैसे कुमारी जयललिता के बारे में मुझसे पूर्व सदस्य अपने ख्यालात रख रहे थे, उन्होंने भी जिक्र किया, ऐसे बहुत से पोलिटीशियन्स हैं जिनको असामाजिक तत्वों से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा है, आप उनकी सिक्यूरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आपने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : एम.पी.एल.ए.डी.एस. में कलेक्टर हमारे प्रोजेक्ट्स को रेकमंड नहीं करता है इसलिए क्या हमें सिक्यूरिटी चाहिए ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम लोग एम.पी.एल.ए.डी.एस. पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : कलेक्टर ने स्कीम्स नहीं मानी, इसलिए इनको भी सिक्यूरिटी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम लोग एम.पी.एल.ए.डी.एस. पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : यह काफी हास्यास्पद है।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न करें यह डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी जो संशोधन लाए हैं एस.पी.जी. ऐक्ट में, यह बड़ा संक्षिप्त लेकिन संवेदनशील है। अपने बयान में इन्होंने सदन को कहा कि सदन सहमति दे तब अफसर, वीआईपी और एसपीजी और एनएसजी में कटौती की जाए और दावा किया है कि बड़ा रुपया इस पर खर्च होता है और अफसरों की भी संख्या सिक्यूरिटी में घटाई जाए। अब इसमें हम लोग कैसे साथ दें ? इसमें हम लोग कब तक साथ दें और फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो कमीशन बैठ जाता है कि एस.पी.जी. हटाने से ही हत्या हुई। अपने देश में देखा गया कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई। वे ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि दूसरे को नहीं मारो। सत्य, अंहिसा और प्रेम का संदेश उन्होंने दिया। उस व्यक्ति की हत्या हो गई। इसलिए जो कोई भी बड़े आदमी हों, भूतपूर्व हो या आदरणीय व्यक्ति हों, हम लोग नहीं कहेंगे कि ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा सिपाही उसमें लग रहे हैं इसलिए उसको हटाया जाए। कौन कमीशन फेस करेगा, हमारा भी नाम उसमें आ जाएगा। साल

भर कमीशन बैठता है इसलिए उस मामले में हम साथ नहीं देने वाले हैं कि ये कटौती करें कि बड़ा खर्च लग रहा है। जब विधि व्यवस्था चौपट रहती है अथवा आतंकवाद हो जाता है तो आतंकवादी किसी बड़े आदमी को नहीं खोजता है, वह पदधारी लोगों को खोजता है और सॉफ्ट टार्गेट देखता है। बड़े आदमी से नाराजगी नहीं होती है फिर भी उसको खतरा करता है कि आंतक पैदा कर दे। आतंकवादी किसी कारण से हत्या नहीं करता है। इसलिए हम साथ नहीं देने वाले हैं कि एस.पी.जी., एन.एस.जी. में कटौती करें। हमें एक बात से ऐतराज है कि कभी-कभी जो निर्णय करने वाले हैं कि किनको सिक्यूरिटी दी जाए, वह अपने चहेते लोगों को सिक्यूरिटी दे देते हैं। कभी-कभी अपराधी लोगों को भी सिक्यूरिटी दे देते हैं जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जो अपराधी हैं, जिस पर धारा 95, 96 या 302 लगी है, वह लोग भी छद्म वेश में वी.आई.पी. हो जाते हैं और वह लोग सिक्यूरिटी लेकर अपराध कराते हैं और उसी सिक्यूरिटी में कुछ अपराधी लोग भी वर्दी पहनकर शामिल हो जाते हैं और वोट में खड़े होकर बूथ लूटने का काम करते हैं। इस तरह से उसका दुरुपयोग होता है। सिक्यूरिटी हमारे देश का सर्वोच्च मामला है। सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करना। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि करोड़ों लोगों के लिए जो सिक्यूरिटी की व्यवस्था है और दो चार या सौ लोगों के लिए वी.आई.पी. की व्यवस्था है।

कुछ व्यक्तियों पर करोड़ों रुपये क्यों खर्च हों और करोड़ों लोगों पर कम खर्च क्यों हो, उनकी सिक्यूरिटी का क्या होगा। यह सुनने में प्राइमा फेसी खराब लगता है। लेकिन जो उच्च पदों पर हैं, जिन्हें थ्रेट परसैप्शन हैं, जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा में कटौती मत कीजिए। हम लोग कमीशन के लिए तैयार नहीं हैं, उस कमीशन में हम लोगों का भी नाम आ जायेगा, कमीशन बहुत दिन तक चलता है। इसलिए सरकार को आजादी रहनी चाहिए कि वह अपने विवेक का प्रयोग करे और देखे कि किनको खतरा है और किनको नहीं है और सरकार इस बात का जरूर संयम बरते कि सिक्यूरिटी चहेतों को न दी जाए, क्रिमिनल्स को न दी जाए, जो क्रिमिनल रिकार्ड वाले हैं, बूथ छापने वाले हैं उन्हें न दी जाए। वे सिक्युरिटी की दस-दस गाड़ियां लेकर चलते हैं और यहां प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी जान का खतरा है और दूसरी तरफ अपराध करते हैं, बूथ लूटते हैं, अपहरण, फिरौती और जाने क्या-क्या करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि बड़े और सम्माननीय लोग, जिन्हें थ्रेट परसैप्शन है, उन्हें एस.पी.जी., एन.एस.जी., साधारण पुलिस या दिल्ली पुलिस जो भी हो दे दे, जब तक विधि व्यवस्था में सुधार न हो। लेकिन उसमें चहेतों को पैरवी पर और सिक्यूरिटी को स्टेट्स सिम्बल के रूप में जो लेते हैं, जो आडम्बर करते हैं और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, छद्मवेश में अपनी जान का खतरा बताकर सिक्यूरिटी ले लेते हैं। मेरे पास इसका उदाहरण है और मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा है। इन्हीं बातों को कहने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सर, आज इनका बर्थ डे है, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं।

श्री मोहन रावले : धन्यवाद। मैडम सोनिया गांधी जी का भी आज जन्म दिन है, मैं उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : आज मेरी बेटी का भी जन्म दिन है।

श्री मोहन रावले : आपकी बेटी को भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। यहां प्रमोद महाजन जी नहीं हैं, आज उनकी भी बेटी का जन्म दिन है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इस देश के लिए एक कलंक है। हमारे घर में उन्हें मारा गया। "चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाये, सावन जो आग लगाये तो उसे कौन बुझाये।" उन्हें घर के आदमी ने मार डाला, घर के आदमी को कौन रोक सकता है। यह बहुत दुखद बात है। लेकिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई।

अपराह्न 3.48 बजे

[**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

उसके पहले यहां अर्जुन सिंह जी ने मामला उठाया था, तब यहां पर बहस हुई थी। हमने उनका समर्थन किया था। उसमें कमियां भी थीं। लेकिन मैं उसके डीटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन वर्मा कमीशन की एक रिपोर्ट है–वर्मा आयोग ने सुरक्षा खामी से जुड़े उन पहलुओं का अध्ययन किया जिनके कारण श्री राजीव गांधी की हत्या हुई। उसमें जो कमियां थी, उनकी वजह से राजीव गांधी जी की हत्या हुई। राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी होने के नाते हम सोनिया जी का बहुत आदर करते हैं। लेकिन जब इलैक्शन हो रहा था, तभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय गृह मंत्री आडवाणी जी और सोनिया जी के बारे में ह्यूमैन बॉम्ब की थ्रेट थी, जिस ह्यूमन बॉम्ब की वजह से राजीव गांधी जी मारे गये थे, उसी तरह से इन्हें मारने की साजिश की जा रही थी। हरियाणा पुलिस ने खालिस्तान समर्थक तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, वहां के डायरेक्टर जनरल ने यह स्टेटमेंट दी थी। सर, उस वक्त जब सोनिया गांधी जी के समय जब अर्जुन सिंह और प्रणव मुखर्जी प्रधान मंत्री जी से मिले थे तो प्रधान मंत्री ने साफ-साफ कह दिया था कि आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है और उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहां हमारे भाई श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, हमारी बहन मायावती जी और श्री मणि शंकर अय्यर जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने यहां बहुत सी बातें रखी हैं। रघुवंश प्रसाद जी ने कहा है कि सुरक्षा में कटौती नहीं होनी चाहिए। मायावती जी ने भी कहा कि जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रधान मंत्री जी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह देश चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे हैं, जो प्रधान मंत्री नहीं हैं। लेकिन आज जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जॉर्ज फर्नांडीज, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री फारुख अब्दुल्ला जी और सोनिया जी मारने के लिए साजिश होती है, वैसे ही शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का छठा नाम भी इन्हीं लोगों में है।

सभापति महोदय, हमारे माननीय शिव सेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे जी को भी खतरा है और ठाकरे साहब तो देश प्रेमी हैं। जो हिन्दुस्तान को नहीं मानते हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, उनके खिलाफ ठाकरे जी ने आवाज उठाई। मुम्बई शहर में 12 मार्च 1993 में बम विस्फोट कराए गए जिनमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था। उन्होंने कहा कि दाऊद को हिन्दुस्तान लाया जाए। शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को मारने की दाऊद इब्राहिम साहब की साजिश के बारे में अखबारों में भी आया। आई.बी. द्वारा बार-बार सूचना मिलती रही है कि शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जान को खतरा है। वे हमारे महाराष्ट्र के लाड़ले हैं और सारा हिन्दुस्तान उनको चाहता है और आज उनके लिए खतरा पैदा हो गया है।

सभापति महोदय, उन्हें सुरक्षा कांग्रेस के राज्य में दी गई थी। अब महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन कांग्रेस सरकार के महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वे शिव सैनिकों के प्रति शत्रुता की भावना रखते हैं। उनके स्टेटमेंट बार-बार आ रहे हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी शिव सैनिकों के प्रति शत्रुता बढ़ रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि शिव सैनिक ठाकरे जी को सुरक्षा कम करेंगे। मेरी आपके माध्यम से गृह मंत्री भारत सरकार से अपील है कि ठाकरे साहब की सुरक्षा कम न की जाए।

सभापति महोदय, मैं 7-8 फरवरी 1969 की बात बताता हूं जब बाला साहब ठाकरे जी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र में लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया जिसके कारण सारा मुम्बई शहर चार दिन तक जलता रहा। वहां के उस समय के मुख्य मंत्री जी वसन्तराव नाईक जी थे। उन्होंने जेल में संदेश भेजा कि बाला साहब ठाकरे जी आप मुम्बई को शान्त कीजिए। उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी की अपील पर मुम्बई शान्त हुई। ऐसा ही तब हुआ जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। लोग उनको चाहते हैं। लोग उनको प्यार करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि महात्मा गांधी का कंपैरीजन बाला साहब ठाकरे जी से न किया जाए।

श्री मोहन रावले : दासमुंशी जी मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पहले उसको सुन लीजिए। बाला साहेब ठाकरे जी हमारे लिए भगवान हैं, ऐसा महाराष्ट्र और पूरे देश के लोग मानते हैं। वे हमारे लिए सब कुछ हैं, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ बातों के लिए कंपैरीजन किया जा सकता है। लोगों का जितना प्यार महात्मा गांधी के लिए था उतना ही प्यार महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के लिए है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र को सरकार को डायरैक्टिव ही नहीं बल्कि अमल करने का निर्देश दिया जाए कि जो ब्लैक कमांडो सुरक्षा बाला साहब ठाकरे को दी गई है, वह दी जाए। मैं बताना चाहता हूं कि दंगा भड़काने के लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, उनको आप रोकिये। मेरी सरकार से विनती है कि उनकी इम्पोर्टेंट्स को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कम न करके बढ़ानी चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इस बारे में गृह मंत्री जी तुरंत आदेश दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। यह विधेयक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, 1988 में और संशोधन करने के लिए है। सबसे पहले जिस तरह से स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की एस.पी.जी. सुरक्षा वापस ले ली गई उस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। यह न सिर्फ दुःखद था अपितु यह तत्कालीन सरकार का एक विनाशकारी निर्णय था और राष्ट्र को इससे काफी क्षति हुई।

महोदय, मेरा प्रश्न क्या है, यह एक अत्यन्त छोटा सवाल है। मैं आपके वक्तव्य के आरम्भ में कही गई उस बात से सहमत हूं कि अब एस.पी.जी. सुरक्षा हैसियत का परिचायक बन गया है। एस.पी.जी. सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्रियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी मुहैय्या कराई जाती है। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कतिपय पूर्व प्रधान मंत्री जिन्हें एस.पी.जी. सुरक्षा मुहैय्या कराई गई थी संसदीय चुनावों में नहीं जीत सके तथा उनकी जमानत भी जब्त हो गई। वे एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। किंतु उन्हें एस.पी.जी. गार्ड के साथ तथा एस.पी.जी. सुरक्षा में आना-जाना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि उन सभी को जिन्हें एस.पी.जी. सुरक्षा मिली हुई है उन के जीवन को वास्तविक रूप से कोई खतरा है।

महोदय, कल आपने अपने भाषण में दिल्ली पुलिस के कार्य निष्पादन, दिल्ली पुलिस के कुल कर्मियों तथा इनमें से अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या के संबंध में कहा था।

एस.पी.जी. सुरक्षा केन्द्र प्रावधानों का जहां तक संबंध है। प्रत्येक छः महीनों या इससे अधिक अवधि में समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। यह संभव है कि किसी व्यक्ति के जीवन को आज खतरा हो किंतु कल यह खतरा नहीं भी हो सकता है। एस.पी.जी. सुरक्षा एक बार दे दी जाती है तो यह लम्बे समय तक बनी रहती है। यह निर्णय ठीक नहीं है तथा सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। एस.पी.जी. सुरक्षा के इस प्रावधान की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और इसमें क्रमशः कमी करनी चाहिए।

मैं नहीं जानता कि मेरी नेता कुमारी ममता बनर्जी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब मैं अपने राज्य में उनकी सुरक्षा संबंधी मामलों का उल्लेख करूंगा। उन पर कम से कम पांच बार जानलेवा हमले हुए। आज भी उनके लिए समुचित सुरक्षा प्रबंध नहीं किए हैं या सुरक्षा प्रहरी नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल पसन्द नहीं है। किंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अभी भी उनकी सुरक्षा के प्रति चिन्तित है अथवा नहीं।

मुझे नहीं मालूम कि अनेक व्यक्तियों जिन्हें एस.पी.जी. और अन्य सुरक्षा एजेन्सियों से उपयुक्त सुरक्षा प्राप्त हो रही है वास्तव में इसके पात्र हैं भी या नहीं। दो या तीन या चार लोगों को छोड़ कर जिन्हें

सचमुच इसकी आवश्यकता है, एस.पी.जी. सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा जहां तक अन्य सदस्यों का संबंध है इस व्यवस्था को पूरी तरह से वापस ले लिया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हम सुरक्षा के मामले में असावधानी नहीं बरत सकते। आवश्यक सुरक्षा में कोई कमी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसने श्रीमती सोनिया गांधी के जीवन के खतरे के संबंध में समय पर और सकारात्मक कार्यवाही की। सरकार ने अध्यादेश जारी किया और इस अध्यादेश के स्थानापन्न के रूप में जरूरी संशोधनों सहित यह विधेयक प्रस्तुत है।

सभापति महोदय, यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में राजनीतिक हत्याओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और इस स्थिति में सुरक्षा उपलब्धा कराना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकती कि यह सरकार का दायित्व है तथा सुरक्षा एजेन्सियों को खामी रहित सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

सभापति महोदय, मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि हम सुरक्षा एजेन्सियों यहां तक कि एस.पी.जी. पर भी पूर्णतया निर्भर नहीं कर सकते और कतिपय अन्य कारकों जो व्यापक आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न से जुड़े मुद्दे हैं, पर भी विचार किया जाना चाहिए। सुरक्षा एजेन्सियों को अन्य से भी सहायता मिलनी चाहिए, उदाहरणार्थ (1) विश्वसनीय तथा प्रभावशाली गुप्तचर नेटवर्क का सृजन (2) संभावित खतरों की वास्तविक पहचान, और (3) सिविल पुलिस की मदद राज्य पुलिस बल में निरन्तर गिरावट आ रही है। उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है; वहां निष्पक्षता की आवश्यकता है। हम उन प्रश्नों की अनदेखी कर के पर्याप्त सुरक्षा कवच की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए, आंतरिक सुरक्षा के इन व्यापक मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। जब हमारी सुरक्षा एजेन्सियों को इन विभिन्न कारकों का पूरा-पूरा समर्थन मिलेगा तभी दायित्व का एक प्रभावी तरीका विकसित होगा।

जब हम दायित्व के प्रभावी तरीके की बात करते हैं, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा इस सभा में रखे गए प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रश्न पर आता हूं। निश्चय ही अतिविशिष्ट लोगों को प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मियों को यों ही नहीं हटाया जा सकता है। अन्यथा, समतुल्य दर्जे वाला एक समतुल्य बल गठित करना होगा। दुर्भाग्यवश, उक्त सुरक्षा व्यवस्था को उन लोगों के लिए जारी रखना वर्तमान स्थिति की एक व्यावहारिक आवश्यकता है।

कुछ सदस्यों ने विभिन्न व्यक्तियों तथा मैडम जयललिता, माननीय मायावती जी की सुरक्षा का प्रश्न उठाया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि यह हमारी जवाबदेही बनती है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा में न तो कमी की जानी चाहिए और न ही कोई ढील बरतनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी सुरक्षा के मद्देनजर आवास उपलब्ध कराने का प्रश्न भी उठाया। आंतरिक सुरक्षा के आधार पर आवास के प्रावधान पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कभी-कभी खतरे की आशंका के आधार पर समुचित आवास के प्रबंध की आवश्यकता हो सकती है और ठीक उसी के अनुसार आवास उपलब्ध कराना पड़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस तथा सुरक्षा बलों द्वारा उनके अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग और नागरिकों को परेशान करने के मामले भी होते हैं। इसे अवश्य रोका जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इसे विवेकसम्मत बनाना होगा। यदि सुरक्षा प्रबंध काफी तामझाम वाला हो तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यदि कोई अतिविशिष्ट व्यक्ति मोटरकार में जा रहा हो, उसके साथ ट्रक में लदे सुरक्षा कर्मियों का दस्ता हो अथवा साइरन बजाते पुलिस का दल हो, तो इससे न केवल नागरिकों को परेशानी होती है बल्कि जो उक्त अतिविशिष्ट व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहता है उनका काम भी आसान हो जाता है। इसलिए, सुरक्षा को विवेकसम्मत बनाये जाने संबंधी तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.06 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। यह एक क्षोभ का विषय है और एक गंभीर मामला है जो देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर प्रहार है। मुझे पता चला है कि गृह मंत्रालय सुरक्षा एजेन्सियों, पुलिस तथा वैसे ही अन्य बलों में संवेदनशील मामलों से जुड़े डेस्कों, का कार्य किसी मुस्लिम, सिक्ख अथवा वैसे किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों, को न दिए जाने का मौखिक आदेश दिया गया हैं। इससे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उद्वेलित हैं। माननीय गृह मंत्री को इस विषय में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : उन्हें कैसे पता है कि मौखिक निर्देश जारी किए गए हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सफाई पेश करे ... *(व्यवधान)* क्योंकि ऐसे रिपोर्टों से सदन के बाहर लोगों में तनाव व उत्तेजना होती है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : इसका इस इश्यू से क्या संबंध है। आप हर चीज को कम्युनलिज्म से मत जोड़िये ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : उन्हें कैसा पता कि मौखिक निर्देश जारी किए गए हैं? ... *(व्यवधान)* महोदय, वे इस भूमि के प्रति वफादार मुस्लिमों तथा सिक्खों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : इस तरीके से किसी भी इश्यू को उठा लेना ठीक नहीं है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : माननीय गृह मंत्री बहस का उत्तर देंगे। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : यथार्थ को जाने बिना वे कैसे बोल सकते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, आप अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मेरे द्वारा माननीय गृहमंत्री से पूछे गये गंभीर प्रश्न को सत्ता पक्ष के सदस्य बाधित करते रहे हैं, और आप मुझसे भाषण समाप्त करने को कह रहे हैं।

महोदय, पीन्नसीन अधिकारी के प्रति भ्रम नहीं होना चाहिए। मैंने यह प्रश्न नेक नियति से उठाया है। ऐसी खबरें नहीं फैलनी चाहिए कि लोग उत्तेजित हों और तनाव पैदा हो। मैं तो माननीय गृहमंत्री को एक सीधा अवसर प्रदान कर रहा हूं कि वह इस मुद्दे पर सफाई दें और अपने आपको निर्दोष साबित करें *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : पहले आप तथ्यों का पता करें। *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मुझे पता है कि इस तरह के अनुदेश जारी किये गये हैं, यदि नहीं तो माननीय गृहमंत्री इस का खंडन करें कि कुछ संवेदनशील डैस्कों पर मुसलमान, सिक्ख या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं बिठाये जा सकते तथा आई बी, रॉ, सीबीआई, सी आर पी एफ आदि सुरक्षा बलों में तो उनकी नियुक्ति और भर्ती का तो प्रश्न *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, आप कृपया थोड़ा धीरज रखें। हम गृह मंत्रालय के अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए केवल एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था। आप एक घंटे से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, क्या आप यह बात मुझसे कह रहे हैं ?

सभापति महोदय : नहीं।

श्री जी०एम० बनातवाला : धन्यवाद।

सभापति महोदय : लेकिन मैं आप से सहयोग की आशा रखता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मैं इस सभा का एक जिम्मेदार सदस्य हूं और मैं आवश्यकता से एक भी मिनट अधिक का समय सभा का नहीं लूंगा।

इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में न केवल सभा को आश्वस्त करने अपितु यह निदेश भी देने के लिए कि किसी भी समुदाय के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी भेदभाव न हो और सबके साथ न्याय हो इस पहलू को ध्यान में रखें। महोदय, अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, अभी अन्य चार सदस्यों को भी बोलना है।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, क्या यह मेरी जिम्मेदारी है ?

सभापति महोदय : यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मुझे दूसरों को भी अवसर देना है।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, आप उन्हें बोलने का भी अवसर दें।

इस बात का निर्णय कौन करेगा कि किसी को किस स्तर की सुरक्षा आवश्यक है। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर ने इस पहलू की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया था। मैं कहना चाहूंगा कि इस बाबत लोगों को कोई गलतफहमी न हो और इसका राजनीतिक दुरुपयोग न किया जाये, हमें उस प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से निर्णय कर लेना जो यह तय करे कि किस स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए एक समिति होनी चाहिए जिसके सदस्य गृहमंत्री, विपक्ष के नेता तथा ऐसे ही स्तर के अन्य व्यक्ति हों, ताकि इस संदेह और शंका कि इसे राजनीतिक नजरिये से देखा जा रहा है। समाधान हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मैं अपने वरिष्ठ माननीय मित्र श्री मणि शंकर अय्यर और श्री बनातवाला द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। मैं इस विधेयक पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अनेक वरिष्ठ वक्ता और विद्वान सदस्य इस पर बोल चुके हैं।

जैसा कि हम कहते हैं, यह माननीय सभा जनता की सभा है। यह सिर्फ नेताओं की सभा नहीं है। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को कार्यान्वित करते समय आम जनता की असुविधा को दूर किया जाए। जब प्रधान मंत्री जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति, जिनके प्रति मैं अत्यधिक आदर की भावना रखता हूं, जब एक स्थान से दूसरी जगह आते जाते हैं तो आम जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में, इसकी व्यवस्था ठीक से की जाती है फलतः आजकल अधिक असुविधा नहीं होती है। तथापि वे जब बाहर अहमदाबाद, मुम्बई इत्यादि जैसे नगरों में जाते हैं तो वहां कई घंटों के लिए सड़कें यातायात के लिए बंद

कर दी जाती हैं। अतिविशिष्ट व्यक्ति के जाने की नियत तारीख से एक दिन पहले पूर्वाभ्यास भी किया जाता है जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी पूरे दिन सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले बेरोजगार लोगों और अस्पताल जाने वाले बीमार लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इन समयों में न सिर्फ सड़कों पर वाहनों के चलने की अनुमति नहीं दी जाती है अपितु पैदल यात्रियों को भी अतिविशिष्ट व्यक्ति के दौरा से एक घंटे पहले से आने-जाने से रोक दिया जाता है। कृपया इसे रोका जाना चाहिए।

जहां तक राजनीतिक हत्याओं का सवाल है, चाहे वह महात्मा गांधी हो, या श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री राजीव गांधी—ऐसी घटनाओं के कारण हमने अपने देश में तीन नेताओं को खोया है—इन सभी के पीछे मुख्य कारण धर्मान्धिता थी। मैं इस माननीय सभा से आत्म चिन्तन करने तथा यह पता लगाने कि युवक या कतिपय ग्रुप क्यों इस तरह के कार्यों से जुड़ जाते हैं का आग्रह करता हूं। मेरा स्पष्ट विचार है कि देश में कुछ समस्याएं हैं। यदि इनका हल कर दिया जाए तो कम से कम कतिपय लोगों को जीवन का खतरा समाप्त हो जाएगा तथा, उस सीमा तक सुरक्षा आवश्यकता भी घटाई जा सकेगी। देश में कई मुद्दे हैं जिनके शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। जहां तक आतंकवादियों का सवाल है सरकार को उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु समुचित कदम उठाने चाहिए।

मेरा प्रमुख अनुरोध है कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन करते समय आम लोगों की असुविधा का ध्यान रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय गृह मंत्री जी ने एस.पी.जी. सिक्योरिटी के बारे में कुछ सुझाव रखे हैं। इन सुझावों का समर्थन करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि एस.पी.जी. कवर में विदड्रा करना चाहते हैं। हम नहीं समझते हैं कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। हम समझते हैं, जब वे स्वयं अपनी सिक्योरिटी वापस करना चाहते हैं, तो सरकार को उसको मंजूर करना चाहिए।

दूसरी बात, माननीय सदस्य, श्री रघुवंश प्रसाद जी, ने जो बातें कहीं हैं, मैं उन पर अपनी सहमति रखता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका पिछला रिकार्ड बहुत खराब है, लेकिन उसको व्यापक ढंग से सिक्योरिटी मिलती रही है और वे सिक्योरिटी का राष्ट्रीय स्तर पर मिसयूज करते रहे हैं। मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार राज्य में भी ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है, जिनके क्रिमिनल्स रिकार्ड हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको रिव्यु करायें, ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री खराब है, उनको सिक्योरिटी देकर कवर से हटाया जाए और आम जनता, जिसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, उनको सिक्योरिटी देकर जनप्रतिनिधियों की सिक्योरिटी को रोका जाए। हमारे माननीय सदस्य, प्रभुनाथ सिंह जी, के बारे में आई.बी. की चार-चार रिपोर्ट हैं और और उन्होंने स्वयं गृह मंत्री जी को लिखकर भी दिया है कि उनकी जान को खतरा है, कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। हम प्रार्थना करेंगे कि उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी की सुविधा के लिए एक समय होना चाहिए, रिव्यु किया जाना चाहिए कि उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता है या नहीं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा दी गई है, लेकिन उनके खानदान में जितने लोग हैं, उनको भी एस.पी.जी. कवर दिया जाता है। अगर इंदिरा गांधी खानदान को कवर दिया जाता है, तो मेनका गांधी को कवर क्यों नहीं दिया जाता है—इस बारे में हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। इस तरह का डिक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह देखना चाहिए, अगर पूर्व प्रधान मंत्री जी की जान को खतरा है, तो सरकार उनको एस.पी.जी. सिक्योरिटी कवर दे, लेकिन सारे खानदान मोटर दे, गाड़ी दे, लेकिन इस व्यवस्था के लिए अनर्गल बाढ़ को समाप्त किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति जी, जिस विधेयक को मैंने कल प्रस्तुत किया था, मैं आभारी हूं, सदन का और सभी पक्षों का कि उस विधेयक का सभी लोगों ने निरपवाद रूप से समर्थन किया है। एक स्वर से सभी लोगों ने कहा है कि एस पी जी एक्ट में जो संशोधन लाया जा रहा है, वह उचित है, आवश्यक है, सामयिक है। इसी कारण आर्डिनेंस साधारणतः वांछनीय नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसमें एक तारीख निर्धारित थी, जिस पर सिक्योरिटी कवर श्रीमती सोनिया गांधी से विदड्रा हो जाता, अगर संशोधन नहीं किया जाता। संसद उससे पहले मिलना संभव नहीं था और संसद के मिलने के दो दिन पहले ही कवर वापस हो जाता। इसी कारण यह परिवर्तन किया गया।

मैं आभारी हूं, मणि शंकर अय्यर जी का, जिन्होंने एस पी जी एक्ट की विशद् विवेचना की कि एस पी जी का स्वरूप क्या है। उनका यह कहना उचित था, क्योंकि मैंने एस पी जी बिल को प्रस्तुत करने के साथ-साथ कुल मिलाकर देश में वी आई पी सिक्योरिटी के बारे में कुछ बात कहीं, जिनका एस पी जी बिल से सीधा संबंध नहीं था। इसीलिए कुछ सदस्यों ने एस पी जी के संदर्भ में कुछ बातें कहीं कि उन पर इतना खर्चा होता है, इत्यादि। कभी देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उस समय कहते हैं कि देश की सुरक्षा पर कितना भी खर्चा होता हो, जितना आवश्यक हो वह जरूर करना चाहिए। हमें खर्चे को देखते हुए देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं, इस लोकतन्त्रीय देश में प्रधान मंत्री का जो स्थान है, वह स्थान ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के निर्णय करने के लिए पूर्णतः अपने को समर्थ मानें। इस दृष्टि से जो सुरक्षा जरूरी है उसमें कुछ खर्चा भी होता है। उसकी चिंता की कोई बात नहीं है।

दूसरी बात जो इसी संदर्भ में मैंने कही थी उसका संबंध खर्चे से इतना नहीं था जितना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से था। आम नागरिक की जितनी सुरक्षा 20 साल पहले अच्छी थी, वह अब नहीं है, वह

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

बिगड़ती गयी है और हमारे पास सुरक्षाकर्मी सीमित हैं। जो सार्वजनिक जीवन में प्रमुख लोग हैं, अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं या ऐसे ही प्रमुख पदों पर जो लोग आसीन हैं उनके लिए कितना हम कर सकते हैं, इसकी भी मर्यादा हमको पहचाननी चाहिए। दूसरा सवाल इसीलिए मैंने खड़ा किया था।

प्राय: सभी वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि सुरक्षा व्यवस्था का संबंध किसी व्यक्ति के ऊपर संकट कितना है, इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम जो एसपीजी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं उसमें यह बात हम पहली बार लाए हैं कि केवल कोई पूर्व प्रधान मंत्री है इसीलिए उसको सुरक्षा अनंतकाल तक मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा इरादा 10 साल तक घटाने का नहीं था क्योंकि बाकी जो पूर्व प्रधान मंत्री हैं किसी की एक साल बाद यह सुविधा खत्म होगी, तो किसी की दो साल बात खत्म होगी। इसलिए पांच साल से दस साल किया गया था, लेकिन हमने 10 साल से 15 साल या 20 साल नहीं किया। पहली बार कानून में थ्रेट-परसैप्शन की बात लाई गयी है कि वह इतना हो जिसमें एसपीजी जैसा कवर जरूरी हो। कवर तो एनएसजी भी दिया जा सकता है। जैसा मणि शंकर जी ने बताया कि एक स्टेज पर सुझाव दिया गया कि राजीव जी को एसपीजी कवर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता है, तो उन्हें एनएसजी दे दीजिए। एन एस जी सुरक्षा के लिए बनाई गई दूसरी सबसे विशिष्ट ग्रुप है। हमने यह न करते हुए वह बात लाए जिस पर सब सहमत हैं। जब किसी को सुरक्षा दी जाती है तो यह मात्र उसकी हैसियत को ऊंचा उठाने वाली नहीं होना चाहिए। यह लगातार की जाती है। मैंने जब से यह कार्यभार संभाला है तब से मैं आग्रह करता रहा हूं कि मेरे यहां से एनएसजी विदड्रा करो। इसका एक कारण मैं और मानता हूं जैसा कि और लोगों ने भी जिक्र किया। बनातवाला जी ने कहा कि यह डिस्क्रीट होनी चाहिए और अन-ऑब्सट्रूसिव्र होनी चाहिए।

मैं इजराइल गया हूं, जहां आतंकवाद से लोगों को वास्तविक खतरा है। वहां मुझे इतनी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती जितनी कि भारत में दिखाई देती है। वहां भी गार्ड होंगे, लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए यहां हमें एनएसजी के बारे में यह तय करना होगा कि जो वीआईपी को सुरक्षा पर जायेंगे तो ड्रैस नहीं पहनेंगे। मेरा स्वयं का अनुभव है। जब मैं दौरे पर जाता था तो सामान्यत: लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन अगर रेलवे क्रासिंग पर गाड़ी रुक जाए तो रुकते ही कमांडोज कार को घेर लेते थे, जिससे अगर किसी को पता भी न हो कि कौन जा रहा है वह भी पूछता था कि कौन है, इतने सारे ब्लैक-कमांडोज क्यों खड़े है? जब भी एनएसजी के अधिकारियों से बात होती है तो मैं यही कहता हूं कि आप कमांडोज को इतना कांस्पिक्यूस क्यों बनाते हो। उनको सामान्य ड्रैस दो, जिससे उनको इस प्रकार ड्रिल न करनी पड़े और सबका ध्यान उनकी ओर न जाए।

पहले बम न फेंकना हो लेकिन अब फेंक दे। ब्लैक कैट कमांडो को ड्रेस अलग है इसलिए वे स्टेटस सिम्बल बन गए हैं। धीरे-धीरे हरेक स्टेट ने अपने कमांडो तैयार किए हैं। उनको कोई ब्लैक सरपैंट कहता है, कोई कुछ और कहता है। वह ड्रैस लगभग मिलती-जुलती होती हैं। इस पर इनको आपत्ति है कि स्टेट्स वाले क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग का वह स्टैंडर्ड नहीं है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि अगर एन.एस.जी. विदड्रा होती है तो मेरे यहां से विदड्रा होगी। किसी के बारे में पॉलिटिकल कनसैप्शन होना ही नहीं चाहिए। मुझे पिछले डेढ़-दो साल में इस बात का अनुभव हुआ है और अच्छा लगता है जब कोई आकर कहता है कि मेरे ऊपर यह संकट है इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। मैं उनको कहता हूं कि मैं प्रदेश सरकार को कह दूंगा। वह तुरन्त कहते हैं कि प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है, आप व्यवस्था करिए। तब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि केन्द्र की इस मामले में सीमाएं और मर्यादाएं हैं, हम अधिक से अधिक उनको कह सकते हैं। जैसा रावले जी ने अभी कहा कि राज्य सभा में जब बहस हुई तो कहा गया कि बाला साहेब ठाकरे जो शिव सेना के प्रमुख हैं, उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। मैंने राज्य सरकार से पूछा महाराष्ट्र सरकार ने लिख कर भेजा है कि- "श्री बालासाहेब ठाकरे की सुरक्षा को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" अगर राजनीतिक कारणों से सिक्योरिटी के मामले पर विचार करेंगे तो चाहे केन्द्र या राज्य की सरकार होगी, वह अपनी विश्वसनीयता घटाएगी। सिक्योरिटी ऐसा मामला है जिस पर दो मत राजनीतिक आधार पर नहीं हो सकते हैं। सोनिया जी का सवाल आया। हमारे चाहे दूसरे मतभेद होंगे लेकिन हमने अपनी इंटैलिजिएंस से पूछा कि सिक्योरिटी थ्रैट का क्या एप्रेजल है? उन्होंने कहा कि इतना ही ग्रेव है जिस के आधार पर एस.पी.जी. कवर का कंटिन्यू करना उचित होगा।

कई लोगों ने सार्वजिक रूप से कहा कि हमें एस.पी.जी. की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पिछले बिल में प्रावीजन है कि यदि कोई पूर्व प्रधान मंत्री यह मांग करे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो वह विदड्रा की जाएगी। प्रधान मंत्री नहीं कर सकता है। जो प्रधान मंत्री है, उसको कानूनन सिक्योरिटी देनी होगी और स्वीकार करनी होगी लेकिन जो पूर्व प्रधान मंत्री है, वह अगर किसी समय कहे कि एस.पी.जी. की सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो हमें विदड्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पूर्व प्रधान मंत्री ने हमें लिख कर दिया तो हमने विदड्रा किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपनी सिक्योरिटी विदड्रा करने के बारे में हमें लिख कर दिया। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा और वह सिक्योरिटी उनके कहने पर विदड्रा कर ली। एक और पूर्व प्रधान मंत्री ने सिक्योरिटी विदड्रा करने के लिए लिखा था, वह विदड्रा की गई। उन्होंने बाद में कहा कि फिर चाहिए। वह फिर से दी गई। ... *(व्यवधान)* यह कानूनन मेरी ड्यूटी है। मुझे उसमें थ्रैट परसैप्शन का अन्दाजा करना होगा तो दस साल बाद करूंगा। आज भारत सरकार की स्टैट्यूटरी रिस्पौंसिबिल्टी है कि जो पूर्व प्रधान मंत्री और उसके परिवार के सदस्यों को सिक्योरिटी देना कानून के अनुसार केन्द्र सरकार का दायित्व है। हम उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे।

कई लोगों ने नाम लेकर बातें कहीं। मैं इतना हो कहना चाहता हूं कि एन.एस.जी. का ब्लैक विदड्रॉल नहीं होगा। अगर होना होगा तो सबसे पहले मेरे से शुरू होगा। इसमें राजनीतिक कल्पना का कोई..

सवाल नहीं है। अलबत्ता एक अपवाद छोड़ कर सभी लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी के आधार या माध्यम से मकान प्राप्त करने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसमें एक ही अपवाद मुझे दिखाई दिया। बनातवाला जी ने कहा कि कभी सिक्योरिटी के नाम पर एकॉमंडेशन देना पड़े, मुझे स्वयं को नहीं लगता कि आज से दो-तीन साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

आज व्यक्तिगत रूप से इसके कारण सिक्यूरिटी मुझे मिलनी चाहिए, जेड प्लस होनी चाहिए और जेड़ प्लस होगी तो मुझे मकान मिल जाएगा नहीं तो मकान कैसे मिलेगा, मैं तो एम.पी. या मंत्री भी नहीं हूं, दिल्ली में कैसे रहूंगा। मुझे इसका इतना अनुभव हुआ है कि जिसके कारण मुझे लगता है कि इस मामले में विवेक करना मेरे लिए असंभव है कि अमुक को मकान मिलना चाहिए और अमुक को नहीं मिलना चाहिए। यह तब होगा जब ब्लैक निर्णय सरकार का होगा कि सिक्यूरिटी के नाम पर किसी को ऐकोमोडेशन नहीं मिलेगी। तब इसका पालन किया जा सकेगा, अन्यथा दिल्ली में मकान प्राप्त होना बहुत बड़ा लाभ है। अगर कोई सरकार इसमें विवेक के आधार पर निर्णय करेगी तो सब सोचेंगे कि यह तो इनका चहेता है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या यह टिप्पणियां एस पी जी पर भी लागू होती हैं ? क्योंकि, इस ताजातरीन मामले में, श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा अपने निजी मकान में रहना चाहती थीं किंतु एस पी जी ने उन्हें अपने निजी मकान में रहने की अनुमति नहीं दी तथा इस बात पर बल दिया कि उन्हें एस पी जी सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकारी आवास में रहना आवश्यक है। इसलिए, मैं सिर्फ यही स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या यह टिप्पणियां एसपीजी श्रेणी पर भी लागू होती हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने एस पी जी लाभार्थियों के बारे में विचार नहीं किया है। किंतु मूलत: मैं जो बोल रहा हूं वह सामान्यत: राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं पर लागू होता है। इसलिए, मैं उस संदर्भ में मैं ऐसा बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : कितने लोगों को ऐसे मकान दिये गए हैं, क्या कुछ अंदाजा है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बहुत ज्यादा नहीं हैं। एन.एस.जी. के भी बहुत नहीं हैं। हजारों हैं ऐसा नहीं है। सिक्यूरिटी बहुत दी गई है। मैंने जो कल फिगर दी थीं, वह केवल दिल्ली की थीं। मैं जानता हूं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें प्राय: सभी एम.एल.एज के साथ शैडो होगी, कोई न कोई सिक्यूरिटी प्राप्त होगी। पूरे के पूरे आंकड़े इकट्ठे किये जाएं तो बड़ी संख्या होती है लेकिन दिल्ली में जो लोग रहते हैं, और जो प्रोवाइड किया गया है, उनका मैंने कल जिक्र किया था और वह कोई अच्छी बात नहीं है।

मुझे आंकड़े दिये गए हैं। ऐसे मकान जो दिल्ली में सिक्यूरिटी के कारण दिये गए हैं, वह 15 हैं और सब के सब बड़े बंगले हैं। एन.एस.जी. के जो बैनिफिशियरीज हैं वह कुल मिलाकर 19 हैं।

श्री हन्नान मौल्लाह (उलूबेरिया) : सबको एक जगह फ्लैट्स बनाकर रख देने से ठीक है। उससे हमारी पब्लिक की सिक्यूरिटी प्राबलम नहीं होगी। ... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे किसी ने यह पूछा कि इसमें 'आर' अथवा गलती से लगा है क्या ?

[अनुवाद]

"संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप कहा जाएगा जो (1) प्रधान मंत्री तथा उनके निकटतम संबंधियों और (2) कोई पूर्व प्रधान मंत्री या उनके निकटतम संबंधियों को महत्तम सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।"

[हिन्दी]

वह 'आर' गलती से नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पहले केस में प्राइम मिनिस्टर को है और इसलिए 'एण्ड' है, लेकिन पूर्व प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वह नहीं हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एंड द मेम्बर्स ऑफ हिज इमीडियेट फैमिली होंगे। इस केस में इसीलिए 'आर' लिखा है।

इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

[अनुवाद]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : क्या यह 1991 में भी था ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सही है।

[हिन्दी]

राजीव जी की डेथ के बाद यह बना। जो अमेण्डमेंट आया फार्मर प्राइम मिनिस्टर और टु द मैम्बर्स ऑफ हिज इमीडियेट फैमिली बाद में आया। पहला तो पूर्व प्रधान मंत्री राजीव जी के लिए नहीं था।

सभापति जी, बहस में प्रमुख रूप से जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन सबका उत्तर देने की मैंने कोशिश की है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं आपके मत का पूर्णत: समर्थन करता हूं। आवास समिति के सदस्य के रूप में इस प्रश्न पर विचार करते समय पंजाब के संसद सदस्यों के बारे में हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं। वे आवास के अपात्र नहीं हैं। संसद सदस्यों के रूप में वे सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार हैं। पंजाब के संसद सदस्यों को चार अथवा पांच सुरक्षा कर्मी प्रदान किए गए हैं। पहली बार संसद सदस्य चुने जाने पर वे दो कमरे के फ्लैट के हकदार हैं। वे एक कमरा अपने सुरक्षा कर्मियों को दे रहे हैं और दूसरे कमरे में वे सपरिवार रह रहे हैं। इसलिए, उन्हें अपने परिवार के साथ एक

[श्री संतोष मोहन देव]

कमरे में रहना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे मामलों पर विचार करते समय आपको बिना स्थिति को समझे आदेश नहीं देने चाहिए। समझबूझ से काम लें और उन सदस्यों को अच्छा आवास प्रदान किया जाए जिनके मामले में सुरक्षा देना आवश्यक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक संसद सदस्यों का सवाल है तो यह अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। वे मुझे जैसा आदेश देंगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। मैं उन लोगों के अनुरोध के बारे में बात कर रहा हूं जो संसद सदस्यों की भांति किसी आवास के हकदार नहीं हैं परन्तु जो सुरक्षा के आधार पर सोचते हैं कि उन्हें आवास दिया जाए। अब तक सरकार ने कुछ श्रेणी के स्वतंत्रता सेनानियों को आवंटित किये जा रहे आवासों को अनुमोदित किया है, परन्तु इसे भी मंत्रीमंडल की आवास समिति के पास भेजा जाता है और तब इसे पारित किया जाता है। यदि सुरक्षा के आधार पर आवास दिया गया है तो इस प्रकार के मामलों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समस्या पर उद्देश्यपरक रूप से और सही रूप से काबू पाना भी एक गंभीर समस्या बन जाता है।

मैं इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करने पर सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.38 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1999-2000

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 13 पर चर्चा करेगी। चार घंटे का समय नियत किया गया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मांगों के संबंध में संक्षेप में बोलें ताकि अधिकांश सदस्य वाद-विवाद में भाग ले सके।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :-

मांग संख्या 3, 5 और 6, 8 से 12, 15, 17 से 20, 23, 29 और 30, 33, 38 और 39, 42 और 43, 45 से 48 53 से 55, 57 से 59, 62, 65 से 67, 69, 71, 73, 75 से 77, 79, 81, 83 से 85, 87, 95 और 101 से 103"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1999-2000 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	692100000	–
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	1770000000	438100000
6.	उर्वरक विभाग	100000	–
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय			
8.	उपभोक्ता मामले विभाग	–	80000000
9.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	–	100000
10.	शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग	–	210000000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कोयला मंत्रालय		
11.	कोयला मंत्रालय	—	100000
	वाणिज्य मंत्रालय		
12.	वाणिज्य मंत्रालय	—	100000
	संचार मंत्रालय		
15.	दूरसंचार विभाग	—	100000
	रक्षा मंत्रालय		
17.	रक्षा पेंशन	36759200000	—
18.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	28600000000	—
19.	रक्षा सेवाएं-नौसेना	2360000000	—
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	1470000000	—
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	200000	—
	वित्त मंत्रालय		
29.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	7650000000	—
30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	—	2000000000
33.	पेंशन	5000000000	—
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	—	100000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
39.	स्वास्थ्य विभाग	100000	—
	गृह मंत्रालय		
42.	गृह मंत्रालय	3600000	—
43.	मंत्रिमंडल	100000	—
45.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	100000	314700000
46.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	826700000	177600000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47.	शिक्षा विभाग	300000	—
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	100000	—
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
53.	भारी उद्योग विभाग	4276300000	161800000
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग	300000	200000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
55.	सूचना, फिल्म और प्रचार	—	34100000
	श्रम मंत्रालय		
57.	श्रम मंत्रालय	4200000	—
	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
58.	विधि और न्याय	4097800000	—
59.	निर्वाचन आयोग	32500000	—
	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
62.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	100000	—
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
65.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1000000000	—
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
66.	योजना	200000	—
67.	सांख्यिकी विभाग	44300000	—
	विद्युत मंत्रालय		
69.	विद्युत मंत्रालय	1500000000	100000
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय		
71.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	300000	500000000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	100000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
75.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	79400000	—
	इस्पात और खान मंत्रालय		
76.	इस्पात विभाग	9587400000	792800000
77.	खान विभाग	1674300000	100000
	भूतल परिवहन मंत्रालय		
79.	सड़क	5470000000	13485000000
	वस्त्र मंत्रालय		
	[illegible] मंत्रालय	—	701700000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय		
83.	शहरी विकास	—	100000
84.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	—	100000
85.	लोक निर्माण कार्य	251300000	100000
	जल संसाधन मंत्रालय		
87.	जल संसाधन मंत्रालय	100000	—
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय		
95.	राज्यसभा	53600000	—
	विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
101.	दादरा और नगर हवेली	10000000	19600000
102.	दमन और द्वीव	4200000	21400000
103.	लक्षद्वीप	1700000	15300000
	कुल जोड़	113220700000	18953300000

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में पुनरूद्धार के चिन्हों को देखने का जो अवसर मिला है इसके संबंध में मैं वित्त मंत्री को बधाई देते हुए अपना भाषण आरंभ करता हूं। शेयर बाजार में अभूतपूर्व उछाल आया है। निर्यात की स्थिति के सुधार के संकेत हैं, बल्कि यह स्थिति काफी उत्साहजनक है। मुद्रास्फीति की दर इतनी कम है कि कुछ अर्थशास्त्री इस बात से चिंतित हैं कि मुद्रास्फीति की दर इतनी कम क्यों है।

कुल मिलाकर कृषि उत्पादन संतोषजनक है। खाद्यान्नों के मामले में यह बहुत अच्छा है। भविष्य को अर्थात अगले छः महीनों के ये संकेत शायद पिछले छः महीनों के कार्य-निष्पादन से अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि इन सभी आधारों पर सरकार को बधाई देनी चाहिए।

परन्तु साथ ही मैं समझता हूं कि हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वित्त मंत्री योग्य हैं अथवा भाग्यशाली हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं वित्त मंत्री को पिछले 30 वर्षों से जानता हूं। हम दोनों ने सिविल सर्वेन्ट के रूप में कार्य किया है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत योग्यता के संबंध में मुझे कोई शक नहीं है और न ही मैं कोई शक करना चाहता हूं। परन्तु पिछले कुछ महीनों में हमने जो पुनरूद्धार के संकेत देखे हैं क्या ये सतत हैं अथवा नहीं, इस आधार पर मैं समझता हूं कि सुखाभास का कोई कारण नहीं है बल्कि और पिछले तीन वर्षों की तुलना में अभी जो बेहतर स्थिति है उसके संकेतकों से हमें सावधान रहना चाहिए। मैं पुनरूद्धार के प्रश्न पर यह चेतावनी इसलिए देता हूं क्योंकि विकास दर के बारे में अनुमान में काफी उतार चढ़ाव है और यह कि अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में यह विकास दर अर्जित करेगी। मैंने वित्त मंत्री से कुछ उम्मीद है। हमने योजना आयोग के एक सदस्य और अर्थशास्त्री से बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक बातें सुनने को नहीं मिली हैं वैसे भी अर्थशास्त्रियों में यह परम्परा होती है कि किसी मुद्दे पर उनके विचार एक नहीं होते हैं। हम यह कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक दर से विकास होगा।

यह कितना बेहतर है, इस पर मैं कोई निर्णय तब तक नहीं देना चाहूंगा जब तक हम बजट पेश नहीं कर देते और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर लेते। इस समय मैं यही कहूंगा कि हम मंदी के दौर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हमें इन आशावादी पूर्वानुमानों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से हमें आंकड़ों के मकड़जाल में भी नहीं फंसना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ केवल दरों पर ही निर्भर करता है, इस बात पर विचार किये बिना कि आखिर वह आधार क्या है जिसके बल पर दरों की संगणना की जाती है।

वित्त मंत्री बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री का कार्य इतना अधिक असंतोषजनक था कि उनकी तुलना में वर्ष 1998-99 में स्वयं की तुलना में तथा कांग्रेस सरकार गिरने के बाद दो वर्षों तक उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों की तुलना में वर्तमान वित्त मंत्री के लिए कम से कम यह संभव तो हो सका कि वह इस वर्ष अपने कार्यों का कुछ उल्लेख तो कर सकें। हालांकि यदि उन कार्यों को भविष्य में बरकरार नहीं रखा जाता तो वो केवल कोरी आंकड़ेबाजी सिद्ध होगी। मेरी ओर से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं कि वह भविष्य में भी इसे बरकरार रख सकें क्योंकि यदि उनका कार्य संतोषजनक रहता है तो देश की प्रगति भी संतोषजनक रहेगी। मैं श्री यशवंत सिन्हा को और आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता हूं इसका तात्पर्य यह नहीं मैं देश की तरक्की देखना नहीं चाहता हूं।

हमने जिसे निचले धरातल से आर्थिक प्रगति की शुरूआत की है और उसके कारण यह संकेत प्राप्त होना कि हो सकता है यह महज आंकड़ेबाजी हो, मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था

में गंभीर क्षेत्रीय असंतुलनों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। उदाहरणार्थ अस्सी के दशक की शुरूआत में आयात के संबंध में कच्चे खनिज तेल के बाद भारत द्वारा सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु थी खाद्य तेल। लेकिन उसके बाद देश में तिलहन प्रौद्योगिकी में क्रान्ति आयी। इसका आरम्भ 1985-89 की कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया और इसे कांग्रेस सरकार द्वारा ही 1991-96 के दौरान आगे बढ़ाया गया और इसमें इतनी अधिक सफलता मिली कि भारत तिलहन उत्पादों का निर्यातक देश बन गया। हमने तीन वर्षों में ही उस स्थिति को बदल कर रख दिया है जो लगभग 20 वर्ष पहले से यह बनी थी कि देश में खाद्य तेलों का बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था। इसके बड़े पैमाने पर आयात के कारण न केवल हमारे देश के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अपितु यह हमारे देश की उस हरित क्रांति के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है जिसे असिंचित भूमि पर तिलहनों की फसलें उगाकर सफल बनाया गया।

इसी तरह से हमने गेहूं और चीनी जैसे कृषि उत्पादों का अनावश्यक आयात किया जिसका हमारे कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए जो पहला खंडवार असंतुलन हमारी अर्थव्यवस्था में देखने में आया है और जिसकी ओर मैं सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर रहा है। कम से कम सरकारी नीतियां तो यही कर रही हैं। यह तो कहिये ईश्वर की बड़ी दया रही है और उसने वित्त मंत्री की गलतियों की कुछ भरपाई कर दी है, और इस बार बारिश अच्छी होने के कारण उत्पादन बढ़ा है। लेकिन पिछले 18 महीनों में भारत सरकार का प्रदर्शन कृषि क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं रहा कि किसान प्रकृति की अनुकूलता का पूरा लाभ उठा सके।

इस तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी, कुछ चुनिंदा उद्योगों में बड़ी तेजी से प्रगति हुई है, लेकिन अन्य बहुत से उद्योग मंदी के दौर में फंसे हुए हैं। इनमें इंजीनियरिंग उद्योग भी शामिल है। हमें आटो पार्ट निर्माताओं से इस संबंध में विशेषतौर से शिकायतें मिली हैं। कुछ उद्योग जो इंजीनियरिंग कार्य से जुड़े हैं विशेषकर हैवी इंजीनियरिंग और ढांचागत इंजीनियरिंग से, उन्होंने भी मंदी में फंसे होने की शिकायतें की हैं। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर हो सकता है ये आंकड़े कुछ मामलों में उत्साहजनक हों, विशेषकर विनिर्माता क्षेत्र से, लेकिन इसी क्षेत्र में ही कुछ ऐसे खंड हैं जिनकी ओर तत्काल विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज मुद्रास्फीति की दर कम है। लेकिन इस बात का गंभीर खतरा बना हुआ है कि आगामी कुछ महीनों में मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़े कुछ तो इस कारण कि सरकार वित्तीय घाटे से निपटने में असक्षम रही है और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण।

मैं विशेषकर डीजल के बारे में सोच रहा हूं जिसकी मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर में काफी वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप हमारे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्द्धवार्षिक सर्वेक्षण के बारे में मेरा बस इतना ही कहना है कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक काम कर रही है वहीं सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी ठीक नहीं है।

जब हम सरकार कि वित्तीय स्थिति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान राजकोषीय घाटा की ओर जाता है। अब इस संबंध में स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक वित्त मंत्री यह स्पष्ट नहीं कर देते कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति क्या है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटे को कम कर शायद चार प्रतिशत तक ले आया जाएगा। लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह शायद छः प्रतिशत के लगभग रहेगा, या संभव है कि यह उससे भी अधिक हो। केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे की स्थिति से भी अधिक चिंताजनक स्थिति राज्यों की राजकोषीय घाटे की है जो दरअसल बदतर स्थिति में है। राज्यों का राजकोषीय घाटा पहले ही लगभग 2.7 प्रतिशत से दोगुना बढ़कर लगभग 4.3 प्रतिशत हो गया है। इस सब को मिला कर भारत के केन्द्र तथा राज्य सरकारों का सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वास्तविक घाटा दस प्रतिशत या इससे अधिक है। हम यह घाटा वहन करने की स्थिति में नहीं हैं।

राज्यों के राजकोषीय घाटों का बढ़ते रहना विशेषकर वैसी स्थिति में जब केन्द्र स्वयं अपने बढ़ते घाटे को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ हो, इसका कारण गठबंधन की राजनीति है जिसे भा.ज.पा. की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार ने संस्था का रूप दे दिया है, चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में अधिसंख्य राजनीतिक दल शामिल हैं। उन दलों का प्रभाव एक अथवा दो राज्यों में हो सकता है, उससे अधिक में नहीं लेकिन राज्यों के घाटे को नियंत्रित न करने के संबंध में इन दलों का केन्द्र सरकार पर दबाव है वह खतरे का सूचक है। हम लोगों ने देखा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्यों को दिए जाने वाले ऋण पर लगाये गये अंकुश में ढील दी गई है।

मुझे आशंका है कि वित्त मंत्री अच्छी राजनीति के चक्कर में खराब अर्थनीति अपना सकते हैं। उनकी नियुक्ति तकनीकि आधार पर नहीं हुई है। उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर हुई है। वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं जो राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा है और इस राजनीतिक गठबंधन के घटकों के अपने-अपने हित हैं जो उनके सम्बद्ध राज्यों से जुड़े हैं। मैं समझता हूं कि सकल राजकोषीय घाटे में राज्य सरकारों के बढ़ते हिस्से जिसकी स्थिति और बुरी हो सकती है, के बारे में सचेत हो जाना देशहित में होगा।

वित्त मंत्री ने स्वयं हाल ही में भारत के आंतरिक ऋण जाल में फंसने की आशंका व्यक्त की है। गठबंधन राजनीति के कारण आंतरिक ऋण जाल का शिकंजा ढीला पड़ने के बजाए और कसने की संभावना है। मैं बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार का काम केन्द्रीय बजट में राजकोषीय घाटे के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने तक सीमित नहीं है। वित्त मंत्री के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सिवाय इसके कि वे देश के सकल घाटे जिसमें राज्य सरकारों के घाटे भी शामिल हों का सही प्रबंधन करें ताकि केन्द्र के साथ-साथ अनेक राज्यों के वित्त मंत्रालयों में व्याप्त कुव्यवस्था को दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

महोदय, दिन के अंत में अर्थव्यवस्था के विकास का पता करने हम पूंजी बाजार में नहीं बल्कि दुकानों पर जाते हैं। पूंजी बाजार उटपटांग ढंग से कार्य करती है। पूंजी बाजार में उछाल का दर आर्थिक वृद्धि के दर से मेल नहीं खाता है। वित्त मंत्री महोदय इससे पहले जब सभा के सदस्य थे तब मैं और वह दोनों संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे जिस समय वर्ष 1992 के पूर्वार्द्ध में पूंजी बाजार में जबरदस्त उथल पुथल हुआ था।

मैं उन्हें उसके बारे में पुनः स्मरण कराना चाहूंगा और उनसे कहूंगा कि आज जिस तरह से शेयर बाजार काम कर रहा है उसके प्रति एक वित्त मंत्री के रूप में आवश्यकता से अधिक संतुष्ट होना उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि शेयर बाजार यथार्थ को परिलक्षित कर रहा है। इसलिए, इस बुलबुले के फटने का खतरा है और जब यह बुलबुला फटेगा तो मुझे विश्वास है कि शेयर बाजार में घट रही घटनाओं के कारण वे नींद उड़ने की बात नहीं कहेंगे।

इसके मद्देनजर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम जो सभा में इस ओर बैठे हैं विशेषकर इस सभा में हमारे विचार के लोगों के सामने एक विकट प्रश्न है। आर्थिक नीति के मामले में हमें भा.ज.पा. की 'बी' टीम कहा जाता है। इसमें हमारी गलती नहीं है। सम्राट ने यह किया कि उन्होंने मेरे वस्त्र चुरा लिए। वे 1998 में इस सभा में स्वदेशी जागरण मंच के कृपापात्र के रूप में आए। उन्होंने अपने पहले बजट में स्वदेशी का अभिप्राय रेखांकित किया था। अगले 18 महीनों में उन्होंने कहा कि वह स्वदेशी की परिभाषा विदेशी के रूप में करते हैं। उन्होंने हमारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को ले लिया तथा उन्हें इस तरह से स्वीकार कर लिया मानों ये उनके अपने थे। हम स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी स्थिति को स्वीकार करने के लिए अपनी स्थिति को छोड़ दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, एक बार जब वे अपनी 'बी' टीम के रूप में हमारे वस्त्रों का प्रयोग कर चुके होंगे और ये समाप्त हो जाएंगे तब उन्हें अपनी नीतियां व अपने कार्यक्रम बनाने होंगे।

उनके कार्यकर्ताओं के बीच स्वदेशी के विषय में भ्रम की तुलना में हमारे कार्यकर्त्ताओं का दृष्टिकोण पंचमढ़ी में बताई गई आर्थिक नीति के प्रति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पंचमढ़ी में अवदी की भांति ही समाज के समाजवादी ढांचे में अपना विश्वास दोहराया है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनी आस्था दोहराई हैं तथा हमने विकास के लिए योजना में अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया है। मैं इस सरकार और बड़े व्यापारिक घरानों के बीच बढ़ती हुई साठगांठ पर अत्यधिक चिन्तित हूं। कुछ बड़े उद्योगपति चुनावों के समाप्त होने पर यह घोषणा कर रहे थे कि वे इस व्यक्ति विशेष को वित्त मंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे।

अब, मैं श्री यशवन्त सिन्हा के साथ निजी संबंध के आधार पर इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि उन्हें पुनः भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। वह एक योग्य व्यक्ति हैं और उनकी पार्टी में प्रतिभाओं की जो गुणवत्ता है उस स्थिति में वह निरपवाद रूप से योग्य व्यक्ति हैं। तथापि, जब हमारे सामने ऐसी स्थिति है जिसमें औद्योगिक घरानों के नेता, और भारतीय औद्योगिक परिसंघ वित्त मंत्री की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे अपनी पसंद विशेष से प्रधानमंत्री को अवगत कराते हैं, तब यह चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि यदि हमें अपने राष्ट्र के जीवन में व्यापार की भूमिका के बारे में कोई शंका नहीं है तो हम भारतीय उद्योग परिसंघ को देश के शासन की बागडोर भी सौंप सकते हैं। किंतु जब तक कार्पोरेट क्षेत्र के नियंत्रण और विनियमन में राज्य की भूमिका है तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ या इसी तरह के संगठनों के नेता द्वारा जारी सदाचरण पत्र के आधार पर वित्त मंत्री बनना, मेरी समझ में आवांछनीय है।

मैं नहीं समझता कि हमारे वर्तमान वित्तमंत्री ने इस तरह का समर्थन मांगा था। चूंकि यह समर्थन उन्हें बिना मांगे मिला था, मैं समझता हूं कि यह समग्र रूप से देश के हित में होगा कि वित्त मंत्रालय कार्पोरेट क्षेत्र से दूरी बनाए रखें। किंतु इस तरह की दूरी अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है जैसा कि वित्त मंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने बताया था। टेलीविजन पर यह सांठगांठ

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं माननीय सदस्य को उनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा हाल ही में संपन्न फिक्की की बैठक में दिए गए भाषण का स्मरण कराऊंगा जिसमें उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी का कार्पोरेट जगत के साथ घनिष्ठता ब्यान किया था। वह उद्योगपतियों पर आरोप लगा रही थीं कि वे कांग्रेस पार्टी के निकट क्यों नहीं आ रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं वायदा करता हूं कि मैं माननीय सदस्य को विपक्ष के नेता द्वारा दिए गए भाषण में कतिपय शब्दों को रेखांकित करके भेजूंगा जिससे कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के वक्तव्य के बारे में गणशक्ति की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करके उन्होंने जो कहा है उसे ठीक से समझ सकें।

मैं इस ओर आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि कार्पोरेट वर्ल्ड द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वे नार्थ ब्लॉक के अत्यंत नजदीक हैं तथा नॉर्थ ब्लॉक की ओर से भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि वह अपने तथा कारपोरेट वर्ल्ड के सदस्यों के बीच उचित दूरी बनाये रखे।

कुछ अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर वित्त मंत्रालय ने विगत 18 महीनों में हमारे लिए शुल्क और डिफेरेल् मूल्यों के बारे में हमारे लिए समस्या खड़ा की है। इस्पात के मामले में ऐसा हुआ है। अभी-अभी गेहूं के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। चीनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। विश्व व्यापार संगठन ने भारत को विदेशों से सामान आयात करने के लिए अपने बाजार को ज्यादा से ज्यादा खोलने के लिए बाध्य किया है। किंतु उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा या हमारी सुरक्षा हेतु टैरिफ के उपयोग संबंधी अधिकार को नहीं छीना है।

अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ समय पूर्व एक बड़ा कदम उठाते हुए रॉलर फ्लोर मिल्स द्वारा आयातित गेहूं पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह एक ऐस

निर्णय था जिसे अंशत: या पूर्णत: मई, 1999 में ही लिया जाना चाहिए था। प्रभावी बनाये जाने के पूर्ण इसे जान-बूझकर छ: महीने तक स्थगित रखा गया। ऐसा क्यों किया गया ? यह निसन्देह ही चिंता का कारण है। क्या यह कारपोरेट वर्ल्ड और नॉर्थ ब्लॉक के बीच बढ़ रही घनिष्ठता का परिणाम है या सरकार की लापरवाही है ? मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सा कारण है। लेकिन उद्योग जगत और कृषि समुदाय के लोग विगत छ: महीनों से इस बात की ओर ध्यान दिला रहे थे कि गेहूं का आयात ऐसे समय हो रहा है जबकि हमारे गोदामों में गेहूं भरा पड़ा है जिसके कारण नए फसल को पर्याप्त मात्रा में नहीं उठाया जा रहा परिणामस्वरुप बाजारों में इसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। अत:, जब हमने अपने देश में इस्पात के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में ऐसा होने के बावजूद भी हमने ऐसे देश से चीनी का आयात जारी रखा जिस देश से हमारी लड़ाई चल रही थी—इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन का भी मानना है कि सुरक्षा के मुद्दे नजर आप उस देश से जिससे हमारी शत्रुता है, ऐसे आयात को स्थगित कर सकते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

हमारी समझ में यह नहीं आता कि प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य मंत्रालयों के इशारे पर जो खेल खेला जा रहा है क्या वह वास्तव में देश के आर्थिक हित में है या उस दल के राजनीतिक हित में है। यही कारण है कि सरकार से हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह हमें यह बतायें कि वे राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं या कॉरपोरेट सेक्टर के हित में।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा कुछ महीने पूर्व पेश किये गये बजट के संबंध में जो कुछ भी कह रहा हूं शायद वैसा कहने की स्थिति में नहीं होता यदि मेरे मतदाता मुझे इस ग्यारहवीं या बारहवीं लोक सभा में निर्वाचित नहीं करते।

उनके भाषण के दस पैराग्राफ भारत में कृषि के विकास से संबंधित थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्ध है उनके समग्र भाषण का 90 प्रतिशत भाग कॉरपोरेट सेक्टर से सम्बंधित था। इसके लिए मूल रूप से वही जिम्मेवार नहीं हैं अपितु उनके पूर्ववर्ती भी अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों की कीमत पर कॉरपोरेट सेक्टर के प्रति ज्यादा मेहरबान रहे हैं। हमें वित्त मंत्रालय में कारपोरेट सेक्टर के प्रति आवश्यकता से अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यदि वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट सेक्टर को कुछ विशेष प्राथमिकता देता है तो फिर उनका पदनाम बदल कर कॉरपोरेट कार्य मंत्री कर देना चाहिए और देश की वित्त संबंधी मामलों के लिए एक अलग मंत्री होना चाहिए।

वित्त मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक गरीब देश के नाते राज्य गरीबों के प्रति अपनी जवाबदेही से मुंह न मोड़े। हमारे श्रम बल का दो-तिहाई भाग कृषि में लगा हुआ है। जबकि कृषि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का हिस्सा एकतिहाई भाग ही है। अत:, कॉरपोरेट सेक्टर के प्रति आपके द्वारा दिए जा रहे तवज्जह से लोगों की आंखें एक सुंदर हैदराबाद एक सुंदर दिल्ली या बम्बई को देखकर चकाचौंध भले ही हो जाएं लेकिन कृषि अथवा ग्रामीण गतिविधियों, जिनमें बहुत अधिक संख्या में लोग लगे हुए हैं उनकी पीड़ा को देखते हुए आपका ऐसा करना बेमानी है।

भारत में ग्रामीण गरीबी एक अन्य मुद्दा है जिस पर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण भारत में पंजाब और हरियाणा की केवल 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है जबकि बिहार में 63 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। देश में गरीबी की स्थिति में काफी भिन्नता है, अत: यह वित्त मंत्री का दायित्व हो जाता है कि वह अपने बजट को उन राज्यों में निर्धनता उन्मूलन तीव्र करने वाले साधन के रूप में लिया जाना चाहिए जहां पर अत्यधिक निर्धनता है और उन राज्यों को सहायता पहुंचाना है जो कि अपनी शेष जनसंख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जा सकें।

एस आर को न्यूयार्क में समस्या से ग्रस्त हो जाने पर जिस प्रकार ध्यान दिया जाता है अथवा विशाखापत्तनम में निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं और ऐसी ही अन्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। वित्त मंत्री महोदय भारत के चुनिंदा धनाढ्य भारतीयों और अति धनाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों के हितों को देखने में व्यस्त हैं उन्होंने दूरसंचार नीति को बदल दिया क्योंकि ऐसा उन्हें भारतीय और अंतराराष्ट्रीय कंपनियों की धमकी के कारण करना पड़ा। परन्तु जब गेहूं की बात आई तो उन्हें गेहूं के आयात के कारण भारतीय किसान की व्यथा पर विचार करने का समय नहीं मिला। इस प्रकार की स्थिति के विरुद्ध मैं चेतावनी देता हूं।

गरीबी उन्मूलन की दर में भी भिन्नता है। उदाहरणार्थ, राजस्थान में 50 के दशक के उतरार्द्ध से और 90 के दशक के पूर्वार्द्ध तक गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के हिस्से में केवल एक प्रतिशत गिरावट आई अर्थात् 46 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत हो गई, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जहां पर 50 के दशक के उतरार्द्ध में गरीबी की रेखा का स्तर काफी अधिक था और इन दोनों राज्यों में गरीबी का अनुपात 69 प्रतिशत था; इन्होंने क्रमश: 41 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की कमी की। अत: गरीबी उन्मूलन के संबंध में राज्यों के कार्य-निष्पादन में काफी अंतर है। वित्त मंत्री महोदय अपने धन के उपयोग और अनुनय विनय करके इस असमानता को बदलना चाह रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ऋण तथा खाद्य की आवश्यकता होती है ये गरीबी उन्मूलन के तीन अति महत्वपूर्ण साधन हैं, तथापि बजट पर चर्चा के दौरान कार्पोरेट क्षेत्र पर चर्चा की तुलना में चर्चा के लिए काफी कम समय दिया जाता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मणि शंकर अय्यर जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। यदि आप संक्षेप में बात कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य भाग ले सकेंगे। आपकी पार्टी से 11-12 लोग हैं। आप संक्षेप में अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं एक बिन्दु पर अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। फिर जैसा आपने कहा है, उस पर आ जाऊंगा।

[अनुवाद]

रोजगार, ऋण तथा खाद्य को छोड़कर गरीबी उन्मूलन के लिए विकेन्द्रीकरण एकमात्र अति महत्वपूर्ण तत्व है। श्री यशवंत सिन्हा और

[श्री मणि शंकर अय्यर]

में नौकरशाह रहे हैं। अत: नौकरशाही की बुराईयों को हमारे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जब तक निम्न स्तर के विकास का नौकरशाहीकरण और राजनीतिकरण जारी रहेगा तब तक निम्न स्तर का विकास नहीं होगा। इसके लिए हमें पंचायती राज संस्थान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तथापि, मैं यह नहीं समझता हूं कि आज तक किसी वित्त मंत्री ने देश के समग्र घाटे की गणना करते समय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय घाटे को ध्यान में रखा है।

महोदय, संविधान के अनुसार राज्य वित्त आयोगों की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि अधिकांश आयोगों ने विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जो कि राज्यों में कार्यान्वियन के अलग-अलग चरणों में हैं और इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों के विकास के लिए बहुत बड़ी धनराशि स्थानीय निकायों को दी जायेगी। हमें यह जानना चाहिए कि जिन राज्यों ने स्थानीय निकायों पर राजस्व वसूलने, अपने लिए और अपने निजी खर्च के लिए राजस्व रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है क्या वहां वर्तमान असंतुलन में संशोधन करने की आवश्यकता है। अत: मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को 1992 के संविधान संशोधन, राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों और इन सब के अतिरिक्त खुसरो आयोग का प्रतिवेदन जो कि अभी थोड़े समय में प्रस्तुत किया जाना है, ग्यारहवें वित्त आयोग को जिसे विशेष रुप से स्थानीय निकायों के वित्त (बजट) की जांच का कार्य सौंपा गया है के आलोक में इन विषयों के संबंध में जानकारी देनी चाहिए जब वे इस देश की वित्त व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे।

इस परिदृश्य में अब मैं उस मुख्य मुद्दे का जिक्र करता हूं जो हमारे समक्ष है। निवल नकद खर्च के संदर्भ में आज हमारे समक्ष 14,500 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग है। इनमें से कुछ हजार करोड़ रुपये ऐसे हैं जिनका अलग हिसाब-किताब रखा जाता है। इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यह मुख्य रूप से लेखा जोखा का मामला है, आज हमारे समक्ष मुख्य मुद्दा 14,500 करोड़ रुपये का है जो कि अनुपूरक मांगों के रूप में है जिससे न केवल वित्तीय घाटे में बढ़ोत्तरी होगी अपितु वर्तमान वित्तीय संकट और गहरायेगा। इससे वृहत आर्थिक ढांचा गड़बड़ा रहा है। यदि वृहत आर्थिक ढांचा गड़बड़ाता है तो सूक्ष्म आर्थिक निर्णयों द्वारा आर्थिक ढांचे में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न समस्याओं को ठीक करने की संभावना काफी कम है।

मुझे इसकी विशेष चिंता है कि हमारे समक्ष रखे गये राजस्व खाते संबंधी प्रस्ताव में बहुत अधिक विसंगतियां हैं जिसका तात्पर्य है कि वित्त मंत्री द्वारा धनराशि में वृद्धि की जो मांग की जा रही है वह कुल व्यय के प्रतिशत की तुलना में राजस्व खाते के प्रतिशत के दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। हमें यह देखना चाहिए कि यह कैसे हुआ है।

एक मांग है जो कि न केवल अपरिहार्य है बल्कि इसका समर्थन भी करना है अर्थात् इस वर्ष मई और जुलाई के दौरान कारगिल युद्ध के कारण सेना में भर्ती करने और सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए सशस्त्र सेना स्टोरों में नये माल की पुन: आपूर्ति की मांग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस युद्ध को टाला जा सकता था। यदि सरकार कारगिल सेक्टर में आठ महीने पहले से हो रही घुसपैठ के बारे में थोड़ी सी भी सतर्क होती तो शायद हमें इस युद्ध को झेलना न पड़ता। परन्तु हम इन सब विषयों पर के० सुब्रमण्यम समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद गहराई से विचार करेंगे। मैं इस पर बल देना चाहता हूं। परन्तु मैं देखता हूं कि रक्षा पेंशन से संबंधित मांग सं० 17 बजट अनुमान से 50 प्रतिशत अधिक है और यह निवल नकद खर्च के लिए कुल मांग का 25 प्रतिशत है जिसे वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो मैं स्वयं से यह पूछता हूं कि क्या इसका अनुमान पहले ही नहीं लगाया जा सकता था।

3,675 करोड़ रु० की मांग सं० 17 के बारे में हमें दिये गये पत्रों में निम्नलिखित बताया गया है :

> "अनुपूरक अनुदान विनियोग का आशय 1986 से पहले और 1996 के बाद के पेंशन भोगियों को बकाया की अदायगी, पुनर्नियुक्ति और अन्य पेंशन भोगियों को महंगाई राहत, अनुग्रह राशि, छुट्टी के बदले नकद भुगतान, चिकित्सा भत्ता और संराशिकरण को फिर से चालू करने आदि के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करना है।"

ये सभी कारगिल से जुड़े हुए नहीं हैं। जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। जब बजट प्रस्तुत किया गया तो इनका पूर्वानुमान लगाना चाहिए था परन्तु इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं। इनका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया ? क्या इसका पूर्वानुमान इसलिए नहीं लगाया गया था कि जब बजट प्रस्तुत करो तो क्या एक सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करने में सहायता हो या फिर इस 3,675 करोड़ रु० का आकस्मिक बोझ हम पर डालने के वास्तविक अपरिहार्य कारण थे जबकि इसका वास्तव में पहले ही अनुमान लगाना चाहिए था।

इसी प्रकार मैं "राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण" संबंधी मांग सं० 29 का जिक्र करता हूं जो कि कुल निवल नकद खर्च के 25 प्रतिशत के बराबर है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। अधिकतर या सम्पूर्ण धन का उपयोग राज्य सरकारों को सुधारों से संबंधित सहायता देने के लिए एक्सटेंडेड वेज एण्ड मीन्स एडवांसेज फेसिलिटी के सृजन के लिए किया जाता है। क्या बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने सुधारों के बारे में विचार नहीं किया था ? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि ये सुधार कैसे होंगे ? क्या वे यह नहीं जानते और अनुमान लगा सकते थे कि इन सुधारों का राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ? उन्होंने एक्सटेंडेड वेज एण्ड मीन्स एडवांसेज फेसिलिटी का पूर्वानुमान बजट प्रस्तुत करते समय क्यों नहीं लगाया ? वे यह अनुमान अब क्यों लगा रहे हैं ? ऐसे समय में जबकि देश को कारगिल युद्ध जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों का खर्च वहन करना है उस समय हमें एक ऐसी सुविधा के वित्त पोषण के लिए 25 प्रतिशत की हद तक मार क्यों झेलना होगा जिसके बारे में वह सुधारों के दूसरे चरण में प्रवेश करने से पहले विचार कर सकते थे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को कुल 45 मिनट मिले हैं और आपने ही 45 मिनट ले लिये हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : बस मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अंत में, वित्त मंत्री ने मांग संख्या 79 में और 1000 करोड़ रुपयों की मांग की है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि हम यथा 6000 करोड़ रुपयों तथा 7000 करोड़ रुपयों के दो मांगों को लें और उसमें इस 8,000 रुपयों को भी जोड़ दें, तो यह आप कुल जितना मांग रहे हैं उसका 50 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश हेतु 1032 करोड़ रुपयों की मांग की है। इस पर निवेश करना ठीक है लेकिन इसे वर्ष के मध्य में जबकि देश गंभीर वित्तीय संकट में है, करना गलत है। या तो उन्हें गत मार्च में ही इस खर्चे का अनुमान लगाकर उसे अपने बजट में उद्धृत करना चाहिए था, उस स्थिति में जिस महानुभाव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया उसकी शाबासी उन्हें नहीं मिलती, अथवा उन्हें इस प्रावधान को अगले बजट तक के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ टाल देना चाहिए था। वित्त मंत्री जी की इसी वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण देश दोहरे वित्तीय संकट में फंस गया है। इसलिए वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को समाप्त करने के पहले और अनुदानों की मांगों पर मतदान कराने के पहले वे इन सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करें। हम उनकी अनुदानों की मांगों के पक्ष में मतदान करेंगे लेकिन उन्हें यह आश्वस्त करना होगा कि पूर्व के छः महीनों की तुलना में आने वाले छः महीनों में वे अधिक जिम्मेदारी से काम करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : सभापति जी, वर्ष 1999-2000 के लिए बजट के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूं। अभी हमारे मित्र मणि शंकर जी ने अनुपूरक मांगों पर कम बजट पर ज्यादा कुछ कहा है। जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब ये सदन के सदस्य नहीं थे। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए ये बजट पर ज्यादा बोले। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट की और वित्तर मंत्री की प्रशंसा की है।

एक योग्य सांसद होने के नाते गुण अवगुण का पूरा ध्यान रहता है। उन्होंने उन गुणात्मक बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जिस में योग्य वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय खास ध्यान दिया था। मै वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की विपरीत परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए जो प्रयास किए, वे अपने आप में पिछले 50 वर्ष में एक इतिहास भी हो सकते हैं और आदर्श भी हो सकते हैं। आज जो वित्तीय स्थिति है, हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि साढ़े 14 करोड़ रुपए की जो मांग की गई है, वह कोई ज्यादा नहीं है। यह ठीक है जिस राजकोषीय घाटे की ओर माननीय मणिशंकर जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, वह इस सरकार के सामने एक चुनौती है लेकिन उसका सामना माननीय वित्त मंत्री जी उस बेखूबी से कर सकेंगे जिस बेखूबी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए उन्होंने किया।

देश में पिछले 6 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, वह निश्चित ही अपने आप में उद्भूत हैं, उनकी उम्मीद नहीं थी। बजट प्रस्तुत करते समय उसकी कल्पना नहीं थी। यद्यपि राजनीतिक कारणों से दूसरे मित्र इसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन सच यह है कि प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किया था कि सीमाओं पर कोई ऐसा संकट पैदा न हो जिससे रक्षा मद पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़े। इसलिए उन्होंने लाहौर बस यात्री की, संबंध सुधारने की कोशिश की। लेकिन पड़ौसी राष्ट्र में क्या हो रहा है, हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जब गठबंधन सरकार शपथ ले रही थी उस समय पड़ोसी देश में एक चुनी सरकार अपदस्थ की जा रही थी। पड़ोसी देश की मंशा और मानसिकता क्या है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह देश वर्षों से रक्षा खर्च के बारे में पक्का बजट कहने की स्थिति में नहीं होता है। हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। कभी वह खर्च रक्षा बजट में बढ़ जाता है, कभी वह खर्च गृह मंत्रालय के खर्च में बढ़ जाता है। जब पड़ोसी देश हमारे देश में घुस कर अशांति और अव्यवस्था पैदा करते हैं, उससे निपटने के लिए तात्कालिक इंतजाम की जरूरत होती है। जब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो निश्चित ही खर्च बढ़ता है। मूल रूप से मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां बजट में देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बड़े-बड़े उपाय किए गए, उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी। जैसा हमारे मित्र खुद मान रहे हैं कि शेयर बाजार में जो आज स्थिति है वह पिछले 50 वर्षों में नहीं थी। हमारे पास सुरक्षित विदेशी मुद्रा जितनी आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। जो आज मुद्रास्फीति की दर है, इससे पहले वह कभी नहीं थी। आज हमारे भंडारों में जितना खाद्यान्न है, इसके पहले कभी नहीं था। रिकॉर्ड बहुत कम समय में जो तय किया है, इसके लिए वित्त मंत्री जी अभिनन्दनीय हैं, उनका प्रयास स्वागत योग्य है लेकिन हमें यह देख कर आश्चर्य हो रहा है कि अनुत्पादक मामलों में ज्यादा और उत्पादक मामलों में कम खर्च होता है। मणि शंकर जी ने कृषि की ओर ठीक ध्यान आकर्षिक किया। हमें कृषि उत्पाद बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। साथ-साथ गांवों में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। गांवों में सड़कें हों, वहां सिंचाई के साधन हों, वहां जो चीज पैदा की जाती है, उसके रखरखाव के साधन हों। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि 23 हजार करोड़ रुपए की सब्जी और फल सड़ जाने के कारण फेंक दिए जाते हैं। उनके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं है। अगर उसके लिए मार्किट खोजी होती, विदेशों में बाजार खोजा होता तो अच्छा होता कि वह पैसा हमारे लिए एक साधन बनता और हम निर्यात कर पाते। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उत्पादकता के साथ-साथ निर्यात की ओर ध्यान देना होगा। निर्यात यदि नहीं बढ़ेगा तो कितना ही प्रयास किया जाए हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते। निर्यात फैक्ट्रियों में पैदा हुई चीजों का ही नहीं हो सकता बल्कि एग्रो प्रोडक्ट्स का भी किया जा सकता है।

अपराह्न 5.20 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

अगर हम फल सब्जी की ओर ध्यान देते, उसके लिये बाजार तलाशते और फल सब्जी उत्पादकों को संरक्षण देते तो अच्छा होता

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

परन्तु आश्चर्य की बात है कि उनको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया जाता। शासन की तरफ से कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वह आलू पैदा करता है लेकिन बाजार भाव न मिलने से उसे बाजार में एक रुपये किलो आलूं बेचना पड़ता है जबकि चिप्स बनाने वाले चिप्स बनाकर 200 रुपये किलो के भाव बेचते हैं। फल और सब्जियां एक व्यावसायिक फसल है। क्योंकि उत्पादित वस्तुओं के लिये उचित बाजार नहीं मिलता, इसलिये इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कोई व्यवस्था हो नहीं पाती है। ऐसी व्यवस्था की जाये कि इन जैसी व्यावसायिक फसलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, ऐसा मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है। अब शायद नई कृषि नीति आ रही है, उसमें शामिल कर दिया जाये जिससे फल और सब्जियों के लिये उचित वातावरण, उचित विपणन बन सकता है।

सभापति महोदय, इसी तरह फूलों की खेती करके उसे निर्यात कर देने से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। फ्लोरिकल्चर के द्वारा हम उस उत्पादन को बाजार में अच्छी जगह दे सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा ध्यान इधर नहीं गया और विदेशी हमारे देश में फूल उत्पादन के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। उनके साथ सहयोग कर पा रहे हैं या नहीं, यह हमारी नीति पर निर्भर करेगा। अगर हमारा ध्यान फूल उत्पादन की ओर गया होता तो निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से वनौषधि I की बात है। अगर हमारा ध्यान फूल उत्पादन की ओर गया होता तो निश्चित विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। आज विश्व आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है। आयुर्वेद में बनने वाली औषधि भारत के उतनी भागों में मिलती है। हमारे समुद्र तट पर पैदा होती है। अगर हम उसकी ओर ध्यान दें तो हमें विदेशों से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। कहने का आशय यह है कि जितना हम उनकी तरफ ध्यान देंगे, उतना ही हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा। जितना हम खर्च करेंगे उतना ही आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि खर्च बढ़ रहा है। उड़ीसा में चक्रवात आयेगा, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमारे कई मित्रों ने यह मांग की थी कि राष्ट्रीय आपदा कोष बनना चाहिये ताकि ऐसी विपदाओं से निपटने के लिय बजट में पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाये जिससे आपदा आने पर अतिरिक्त या अनुपूरक मांग के द्वारा पूरा करने की आवश्यकता न रहे।

सभापति महोदय, रक्षा में खर्च बढ़ रहा है। इसके 2-3 कारण हैं क्योंकि कारगिल की घटना अप्रत्याशित रूप से हुई। इसका सामना हमें करना पड़ा और जो खर्च हुआ, उससे नहीं बचा जा सकता था। सेना में जो लोग काम कर रहे थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिये तथा उनके परिवारों को संरक्षण देने के लिये खर्च हुआ। जो लोग आहत हुये या शहीद हुये, उसके संरक्षण के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया। यह एक उदाहरण है जो पहले कभी नहीं हुआ था।

सभापति महोदय, सैनिकों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की गई है, वह वृद्धि भी अप्रत्याशित रूप से आई है। इन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिये ये खर्चे किये गये हैं। यहां पर जिस सड़क की चर्चा की गई है, उसके लिये आश्चर्य है कि 50 साल से उस सड़क को नहीं दे पाये। यह मालूम है कि पहले रेल द्वारा 70 परसेंट ट्रांसपोर्ट होता था और अब वह 40 परसेंट पर आ गया है और 60 प्रतिशत रोड द्वारा होता है। माल की ढुलाई सड़क के माध्यम से होती है। जब तक सड़कों को नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक हम यातायात के मामले में पीछे रहेंगे। यातायात में पीछे रहने का मतलब है कि हम अपना उत्पादित माल उचित मार्किट में नहीं समय पर पहुंचा पायेंगे। अगर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही हमें सड़कों की आवश्यकता होगी। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें से कौन से खर्च ऐसे हैं जिन खर्चों से हम अनिवार्य रूप से बचना चाहते थे। मैं जानता हूं कि शासकीय खर्च बढ़ रहे हैं। मैं आज ही के अखबार में पढ़ रहा था कि किसी प्रदेश में दो मंत्री बहुत दूर दावत खाने के लिए गए और हैलिकॉप्टर में गए। वह पुए की दावत थी। मान्यवर, हमें सरकारी खर्च में कमी करने की कोशिश करनी चाहिए।

मान्यवर सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि शादियों में अब करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं और उसमें शामिल होने के लिए सभी बड़े-बड़े मंत्री और अधिकारी सरकारी खर्चे पर, सरकारी पेट्रोल फूंककर जाते हैं। यह सब फिजूलखर्ची है जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। वह निजी मामले हैं, निजी मामलों में अपना पैसा खर्च करके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जब कहीं किसी मंत्री या अधिकारी के यहां शादी होती है, किसी पूंजीपति के यहां शादी होती है तो सारी सरकार वहां पहुंचती है और सरकारी खर्चे से पहुंचती है। उन गरीबों के पैसों से पहुंचती है जो गरीब अपनी बेटी की शादी दहेज के अभाव में नहीं कर पाता है, बारातियों के स्वागत के अभाव में नहीं कर पाता है। उसके पैसे से हम बड़े लोगों के यहां बारात करने जाते हैं। यह फिजूलखर्ची है जिसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई कानून बनाया जाए तो अच्छा है जिससे फिजूलखर्ची रोकी जाए। अगर हम फिजूलखर्ची को रोकेंगे तो निश्चित ही हम देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पा लेंगे।

मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और उनका ध्यान ग्रामीण विकास और कृषि के विकास की ओर, उत्पादकता की ओर और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए निर्यात की ओर आकर्षित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात अनुदानों की अनुपूरक मांगों के कुछ मदों तक ही सीमित रखूंगा और उस सीमा को पार नहीं करूंगा। केवल आवश्यकता पड़ने पर केवल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ही मैं बजट के मूल प्रावधान को उद्धृत करूंगा।

माननीय वित्त मंत्री को व्याप्त वित्तीय कुव्यवस्था, जो पूरे देश के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है, को दुरुस्त करने का एक और अवसर मिला है। ब्याज का भार नियंत्रण से परे चला गया है। जैसा कि दूसरे पक्ष के हमारे माननीय सहयोगी ने बताया की यदि सभी राज्य सरकारों के वित्तीय घाटों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह राशि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत होता है।

लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय कुव्यवस्था को दुरुस्त करने की परवाह नहीं की, हालांकि सरकार ने एक व्यय आयोग के गठन का आश्वासन दिया है।

एक समय पर मुझे यह भी सुनने को मिला है कि संविधान के अनुच्छेद 292 के उपयोग किए जाने तथा उधार में अंतराल रखने के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। यदि वित्तीय सुधार के लिए समय रहते समुचित कदम नहीं उठाए गए तो इस समय जो भी प्रस्ताव हैं अथवा दो महीने बाद आगामी बजट के लिए जो भी प्रस्ताव किए जाने हैं वे निरर्थक साबित होंगे।

मैं पहले अनुदानों की अनुपरूक मांगों के मदों पर आ रहा हूं। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में पांच मद हैं। पहला रक्षा से जुड़ा है। हाल के वर्षों में रक्षा मामलों से जुड़ा संभवत: यह सर्वाधिक लंबी अनुपूरक मांगें हैं। हालांकि कारगिल में युद्ध जैसी स्थिति या इसे जो भी कह लें थी जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था। मैं इसे मानता हूं, लेकिन पेंशन, मंहगाई भत्ता तथा देनदारियों अथवा बकायों का भुगतान सब कुछ मिला दिया गया। क्या पेंशन राशि का भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था ?

महोदय, मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर ही एक प्रश्न करना है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सिर्फ नए व्यय या उन व्ययों को ही सम्मिलित किया जाता है जिनका अनुमान नहीं किया जा सका था। उदाहरण के तौर पर हम रक्षा मंत्रालय को लें। यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अद्यतन रिपोर्ट है जो कि नि:संदेह सिविल है। इसमें पृष्ठ 106 में रक्षा सेवाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार स्वीकृत मूल अनुदान 36,643.82 करोड़ रुपया था, अनुपूरक अनुदान 1,268.37 करोड़ रु० था और 1,460.21 करोड़ रुपया ऐसा जो व्यय नहीं किया जा सका था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब अनुपूरक अनुदानों की मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई तभी 200 करोड़ रु० खर्च नहीं किए जा सके थे या उनका उपयोग नहीं किया जा सका था, किंतु इसे बावजूद भी उन्होंने ऐसी मांग की। यह सिर्फ एक उदाहरण है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं।

अब मैं लोक लेखा समिति (1996-97) के तेरहवें प्रतिवेदन का हवाला दे रहा हूं। मैं सिर्फ संगत भाग का ही उद्धधरण दे रहा हूं। इसमें कहा गया है :

> "तथापि समिति की जांच पड़ताल से पता चला कि एक वर्ष विशेष में रक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें पहले ही उपलब्ध कराई गई निधियों में से किए गए व्यय या संभावित व्यय का सावधानीपूर्वक समुचित मूल्यांकन किए बिना तथा सामान्य से अनुपूरक निधियों को प्राप्त करने के तंत्र का इस्तेमाल किया गया था इसका परिणाम यह हुआ कि रक्षा से संबद्ध स्वीकृत दो अनुदानों के अंतर्गत प्राप्त 157.95 करोड़ रुपये की अनुपूरक निधियां अनावश्यक सिद्ध हुईं क्योंकि इन मामलों में 227.88 करोड़ रुपए की अंतिम बचतें, अनुपूरक आवंटनों से कहीं अधिक थीं।"

अब, मैं अंतिम मांग पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

> "समिति इस तथ्य से अधिक विचलित है कि रक्षा मंत्रालय ने उन क्षेत्रों के लिए भी जहां मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक थे और उनसे पुन: विनियोग के माध्यम से निधियों का निकासी के बावजूद चार अनुदानों के द्वारा अनुपूरक निधियां प्राप्त की थीं।"

महोदय, मेरे कहने का आशय है कि अनुपूरक अनुदान की मांगे एक सामान्य बात हो गई है। बजटीय कार्य नैमित्तिक हो गए हैं और इसमें गंभीरता नहीं रह गई है। वे इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों, विशेषत: लोक लेखा समिति तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कई टिप्पणियों का हवाला दे सकता हूं। हम इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पारित करने जा रहे हैं। किंतु मेरा तर्क है कि यहां सभापति महोदय का उत्तरदायित्व हो जाता है और मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि अब से भविष्य में अनुपूरक अनुदानों की मांगें रखे जाने से पूर्व संसद में विनियोग लेखे अवश्य प्रस्तुत किए जाएं। मैं रक्षा सेवा विनियोग लेखों का उल्लेख कर रहा हूं।

पिछले वर्ष के लिए यह प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पारित हो जाने के पश्चात् यह प्रस्तुत किया जाता है तो यह प्रक्रिया बिल्कुल अनुपयोगी तथा निरर्थक बन जाती है। संसद को दर किनार नहीं किया जा सकता, संसद की भी भूमिका होती है और यह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की होती है। यदि हम विनियोग लेखों के माध्यम से आने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रहते हैं तो हम अपने उस दायित्व को निभाने में पूरी तरह से विफल हो जाएंगे।

हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों को आवश्यकताओं और अनुप्रयुक्त निधियों की मात्रा का समुचित आकलन किए बिना ही उसी रूप में जैसे कि वे प्रस्तुत किए जाते हैं नैमित्तिक ढंग से पारित कर देते हैं। कई बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भी निधियों का उपयोग नहीं हो पाता। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि दूसरा मद 'राज्यों को हस्तांतरण-अर्थोपाय, के रूप में उल्लिखित है। क्या इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था ? क्या सरकार इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकती थी ? अब वे कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपया राज्यों को हस्तांतरण के लिए हैं। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं। अब मुझे एक प्रश्न करना है। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को धन के बंटवारे और हस्तांतरण के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। कुल राजस्व का 29 प्रतिशत तक का हस्तांतरण होना चाहिए। इसका क्या हुआ ?

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : यह स्वीकार कर लिया गया है परन्तु क्रियान्वित किया जाना बाकी है।

श्री रूपचन्द पाल : हां, परसों हमने सुना कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक ज्ञापन दिया है। कई राज्य उस संबंध में यही कर रहे हैं। कल ही मैं जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री फारुक अब्दुल्ला से बात कर रहा था। सभी राज्यों, चाहे वहां जो भी पार्टी सत्ता में हो, की माली हालत इतनी खराब है कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हैं।

सभापति महोदय : आप अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं केवल संक्षेप में और संबद्ध बिन्दुओं का ही उल्लेख करूंगा।

महोदय, मध्यप्रदेश सरकार कई महीनों से कालेज के अध्यापकों को वेतन नहीं दे पा रही है। जब तक केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के पुनर्निर्धारण की दिशा में गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद बने रहेंगे और इससे राज्यों की वित्तीय दशा में और अधिक गिरावट आयेगी जिससे अन्तत: केन्द्र भी कमजोर होगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : केन्द्र और राज्यों के बीच इसके कारण पहले से ही मतभेद हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, केन्द्र बिना सोचे समझे जितना चाहे उतना ऋण ले सकता है। इसके लिए उसकी कोई सीमा तय नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी तेलगूदेशम् पार्टी सत्तारूढ गठबंधन में भागीदार है, न मांग की है राज्यों को केन्द्र सरकार को बीच में लाए बिना ऋण लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मुझे खुशी है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में 850 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी हैं। लेकिन कई राज्यों को लेकर, मैं केवल जम्मू और कश्मीर के बारे में बात नहीं कह रहा हूं, लोगों में यह धारणा बन रही है कि राज्यों को आवंटित धन का उपयोग उसी कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिस कार्य के लिए उसका आवंटन हुआ है। जम्मू और कश्मीर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों आदि के पुनर्निमाण की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न अवसरों पर इन्हें आतंकवादियों द्वारा तहस-नहस कर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 1,353 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। इस राशि में से 547 करोड़ रुपये राजमार्गों के रखरखाव के लिए आवंटित किये गये हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं और मुझे आशा है सभी उससे सहमत होंगे। बजट के दौरान एक रुपया प्रति लीटर उपकर के रूप में लिया गया था। उत्पादन कर तथा सीमा शुल्क की आय का 50 प्रतिशत सड़क निधि में दिया जाना था। उसका क्या हुआ ? उत्पादन कर और सीमा शुल्क से कितना धन एकत्रित किया गया तथा सड़कों के विकास के लिए उस धनराशि को किस तरह हस्तांतरित किया जा रहा है।

महोदय, अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। पांच विषय हैं—रक्षा, सिविल पेंशन, राज्यों को धन का स्थानांतरण, आवंटन तथा ऋण। केन्द्रीय राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिगंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ही सहायता ली जानी चाहिए।

महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में उड़ीसा में जिस तरह का महाचक्रवात आया है वैसा पिछले दो सौ वर्षों में कभी नहीं आया। मैं नहीं जानता कि इस महाचक्रवात में कितने लोग मारे गये। तथापि, उड़ीसा को अतिरिक्त सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, और ऐसा सिर्फ उड़ीसा के साथ ही नहीं हुआ अपितु पश्चिम बंगाल को भी कोई सहायता प्रदान नहीं की गयी जहां पर भारी वर्षा और बाढ़ के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 721 करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन केन्द्रीय दल द्वारा राज्य का दौरा करने के पश्चात् उसने राज्य को मात्र 135 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की। लेकिन वह राशि भी नहीं दी गयी है। यही हाल बाढ़ से प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश का है। यही हाल बिहार का है।

जब सरकार सभा में अनुपूरक अनुदानों की मांगें पेश करें, तब उसे राज्यों की मांगों को ध्यान में रखना चाहिए, विशेषकर उन राज्यों की मांगों को जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, संसद लोकतंत्र में सर्वोच्च होती है और उसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। विगत में कई अवसरों पर सरकार द्वारा बजट पेश करने की कार्यवाई के इस हल्के ढंग से किया गया है कि सरकार ने उन सुस्पष्ट खर्चों को भी बजट में नहीं जोड़ा जो उसे उस वर्ष खर्च करने हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सरकार जब-तब अनुपूरक अनुदानों की मांगें सभा में पेश करती रहती है जब कि मूल बजट में धनराशि नहीं पड़ी होती है। विगत में कई अवसरों पर मैंने इसका उल्लेख किया है।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा ऐसे अन्य राज्यों के लिए वित्तीय सहायता का कुछ प्रावधान करें जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, आज सामान्य बजट की अनुपूरक अनुदानों मांगों पर चर्चा शुरू हुई है। कल नियम 193 के तहत कृषि विभाग पर चर्चा हो रही थी। उसमें सभी सदस्य रात 12 बजे तक कृषि पर ही जोर देते रहे। आप स्वत: उपस्थित थे। आपने देखा कि सभी सदस्यों ने किसानों की दुर्दशा का ही ज्यादातर उल्लेख किया। जहां भी बाढ़, सूखा या नैचुरल कैलामिटी आती है, वहां उसका समाधान समय से न होने से किसानों की दशा बिगड़ जाती है। अगर उनकी एक-दो फसलें बर्बाद हो जायें तो उनकी दशा को सुधरने में कई साल लग जाते हैं। सरकार जो फसल बीमा योजना लेकर आई है, उसका पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए ताकि जब भी कोई दैवी आपदा आये, वे उससे बच सकें। जो क्षेत्र नेपाल सीमा से लगे हैं जैसे मेरा क्षेत्र है, वहा जनपद सिद्धार्थ नगर में हर साल करोड़ों रुपया बाढ़ से बचाव और राहत के लिए खर्च हो जाता है। अगर इसके लिए कोई मास्टर प्लान बना दिया जाये तो बार-बार होने वाली बाढ़ से बचा जा सकता है और वह एरिया हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति पा सकता है।

अभी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मद के तहत जो धन राज्य सरकार को

दिया जाता है, चाहे वह जवाहर रोजगार योजना के लिए हो या सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए हो, उसका सही उपयोग हो। कई बार देखा जाता है कि उस धन का उपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, जिसके लिए वह मिलता है। यहां पर किसानों के बारे में बहुत बातें की जाती हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है लेकिन अभी भी गांवों में कई जगह ऐसी हैं, थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे तब हम वहां गये थे, जहां तक जाने के लिए रास्ते ही नहीं हैं।

सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है। इसे हम मानते हैं कि सरकार ने इन सब चीजों को ठीक करने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिया गया है कि इन सब चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं केन्द्र सरकार के माध्यम से कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि सबसे पहले भारत के कृषकों के बारे में विचार किया जाए। भारत की जो 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, उन्हें जल, स्कूल, चिकित्सा, बिजली आदि की सुविधा मुहैया कराई जाए। किसानों को खाद, बिजली की सुविधा दी जाए जिससे उनकी हालत बेहतर हो। यदि देश का किसान ऊपर उठेगा तो भारत अपने आप तरक्की करेगा, विदेशी कम्पनियों से भारत तरक्की नहीं करने वाला है। जब किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस समय गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके लिए जो भी रिसर्च हो, उसके उपयोग को फील्ड तक पहुंचाया जाए। क्रैडिट कार्ड ईशू किए गए हैं। ग्रामीण गोदाम बनाए जाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं ताकि चीजों का भंडारण किया जा सके। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, अनुदानों की पूरक मांगों के संबंध में हाउस में जो विचार चल रहा है, उस संबंध में मैं भी अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं रोजमर्रा की जिन्दगी में यह महसूस करता हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन उसमें यह शर्त है कि यदि सरकार द्वारा प्रदत्त पैसा सही तरीके से खर्च किया जाए तो देश के आगे इस किस्म की कोई समस्या न हो। फिर यह कौन सी विडंबना है, कौन सा फिनौमिनन है, दो महीने बाद फरवरी में बजट आना था, ऐसी कोन सी जरूरत थी जिसकी वजह से सप्लीमैंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स की आवश्यकता हुई। फाईनैंस मिनिस्टर महोदय को पहले ही यह समझ लेना चाहिए था कि हमारा खर्चा क्या है क्योंकि पूर्व में भी ये ही थे। ठीक है होता है, होना चाहिए, हो रहा है और होगा लेकिन इसका अंदाजा करना चाहिए। अब जब इसपर चर्चा होने ही लगी है तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन और आग्रह है कि विकास के नाम पर विभिन्न विभागों को जो भी पैसा दिया जा रहा है, आपके द्वारा भेजा गया एक रुपया जब विकास की जगह पर 15 पैसे के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि 85 पैसे को कैसे रोका जाए, कैसे उसे ठीक तरह से खर्च किया जाए। आज मौनीटरिंग करने की आवश्यकता है। मैं यहां अपनी तरफ से यह भी जोर देना चाहता हूं कि विकास का कोई भी कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसकी ऐकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि हर सड़क को बनाने में हजारों-हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं लेकिन सड़क एक साल नहीं चलती। आपके प्रदेश की बात तो बहुत स्पष्ट है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नैशनल हाईवे पर बैलगाड़ियों के चलने के लिए भी रास्ता सुगम नहीं है। इसकी क्या वजह है ? पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की सड़कें, साउथ प्रौविन्सेस की सड़कें अच्छी, सुघड़ बढ़िया, मजबूत हैं।

आखिरकार बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है ? क्योंकि वहां सारा का सारा बजट का रुपया ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं और बचे हुए रुपये को राजनीतिज्ञ खा रहे हैं। मोनीटरिंग की आवश्यकता इस पर है। जे.आर.वाई. और एस.आर.वाई. का बड़ा भारी फंड जा रहा है। जे.आर.वाई. का सीधा का सीधा रुपया जिले के स्तर से पंचायत को दे दिया जाता है। क्या कभी किसी ने भी इस बात का आकलन करने का प्रयास किया कि जो भी पंचायतों को रुपया प्रदत्त होता है, क्या उस रुपये का वाकई में इस्तेमाल होता है। जिस कांस्टीट्वैंसी से मैं आता हूं, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जे.आर.वाई. का 90 परसैंट रुपया फिजूल और बर्बादी में चला जाता है और वहां की ग्राम सभा का जो भी प्रधान होता है, वह सारा का सारा रुपया खा जाता है। क्या इसके लिए भी सरकार कुछ सोच रही है ? आप रुपया बढ़ाते जायें, आप अपनी डिमांड पास कराते जायें और उसको पारित कराते जायें, लेकिन जब तक इसको खर्च करने का तरीका सही नहीं होगा, हमारा विकास नहीं हो सकता है।

सबसे बड़ी समस्या है कि अमेरिका का दबाव इस समय सरकार के ऊपर है। क्या कभी इस पर विचार किया गया कि अमेरिका के काश्तकारों को कितने रुपये की सब्सिडी दी जाती है ? कौन सी वजह है कि अमेरिका तो 27 परसैंट सब्सिडी देता है, लेकिन वह हिन्दुस्तान के लिए कहता है कि सब्सिडी खत्म कीजिए। आज उसी के तहत सरकार काम कर रही है। डीजल का रेट बढ़ाने का भी यही मुख्य कारण है। हालांकि उसका कारण यह भी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी हो, लेकिन फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी कम हो रही है। आखिरकार किसान के ऊपर ही ज्यादती क्यों है ? सरकारी की 50 परसैंट इकोनोमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपैंड करती है और सारा का सारा कृषि के ऊपर ही, किसान के ऊपर ही भार डालने का आपका इरादा है। आप कोई भी विशेष काम नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे कृषि मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि धान का खरीद मूल्य इस सरकार के द्वारा निश्चित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर कितनी जगह आपने खरीद सैण्टर खोले हैं, जहां पर धान खरीदा जा रहा है ? ऐसी कोई व्यवस्था कम से कम हमारे जिले में तो नहीं है। इसके लिए भी क्या सरकार का ध्यान जायेगा ? जब इन छोटी-छोटी बातों पर आपका और हमारा ध्यान नहीं जायेगा तो इस हाउस में बैठकर सिवा टाइम बर्बाद करने के लिए और कोई भी लाभ नहीं है। मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि जब तक एकाउण्टेबिलिटी और पैसे के लिए सही मैनेजमेंट नहीं होगा, हम विकास नहीं कर सकते हैं।

इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है, पूर्व के तीन सालों में और आगे आने वाले वक्त में भी यह समस्या

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

रहेगी, वह बड़ी समस्या आलू की है, जिससे विगत तीन साल से वहां का काश्तकार लगातार पिट रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो या वह पंजाब का हो। हाउस में लगातार बातें होती रही और मैं खुद इस मुद्दे को उठाता रहा, लेकिन कभी भी सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। आलू एक पैरीशेबल स्टाक है। मैं फरुर्खाबाद जनपद से आता हूं, उत्तर प्रदेश का एक तिहाई आलू वह जनपद पैदा करता है, लेकिन जितना प्रोडक्शन होता है, उसकी एक तिहाई भी स्टोरेज कैपेसिटी वहां नहीं है। बचा हुआ आलू विभिन्न प्रदेशों को जाता है। उस आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी देने की बात तो सरकार करती है, लेकिन उसकी फाइल की स्वीकृति दिल्ली में आकर होगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रान्तीय स्तर पर ऋण पर 25 परसेंट सब्सिडी का प्रावधान हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सब्सिडी का प्रोवीजन जो भी हो, वह नाबार्ड करता है, मुझे मालूम है, लेकिन यदि वह प्रान्त स्तर पर हो जाये तो निश्चित ही कोल्ड स्टोरेज ज्यादा बनेंगे और उससे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। विगत वर्ष 1997-98 में एकदम से 1200 रुपये कोल्ड स्टोरेज में आलू का दाम हुआ और काश्तकारों को कुछ पैसा मिला, क्योंकि बीमारी के कारण आलू की फसल बर्बाद हो गई थी। जब किसान को पैसा मिलने लगा तो वहां की सरकार ने आलू पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिलाधिकारी सब्जी मंडी में आलू बिकवाने के लिए निकल गये। नेपाल और बंगलादेश में हमारा जो आलू जाता था, वह रोक दिया गया और एक सप्ताह के अन्दर 1200 रुपये क्विंटल बिकने वाला आलू मात्र 350 रुपये क्विंटल बिकने लगा। काश्तकार की चीज पर तो अपने प्रतिबन्ध लगा दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज वह पैदा करता है, उसके उसको भरपूर पैसे मिले। क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार ने सोची है ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह सही है कि हम उतना क्वालिटेटिव आलू पैदा नहीं करते कि इंटरनेशनल मार्केट को हम बीट कर सके या हम कम्पीटीशन में आ सकें। यह यकीनी बात है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं, जो भूखे हैं, जो हिन्दुस्तान के आलू को कन्ज्यूम कर सकते हैं। उससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अभी आलू की फसल के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आलू बोया भी गया है। आलू की बम्पर क्राप आने वाली है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जैसे कपास के किसानों ने आत्महत्या की थी, जो गन्ना बोते थे, उन्होंने भी आत्महत्या की थी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक भी मजबूर होकर ऐसा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या है, वैसे तो यह पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है, लेकिन हमारे यहां ज्यादा है। हमारे प्रदेश की सालाना आमदनी 7500 करोड़ रुपए है और कर्मचारियों को वेतन देने में 11500 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। पिछली 6 तारीख को जब मैं वहां से आया था तो हमारे जिले में केवल पुलिस विभाग को ही वेतन मिल पाया था, बाकी को नहीं मिल पाया। यह भी एक समस्या हमारे प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है।

उत्तर प्रदेश में विगत दस वर्ष से चाहे एन.टी.पी.सी. का हो या किसी भी सेक्टर का हो, नया पावर हाउस नहीं लग पाया और न ही उसके लगने की कोई योजना है। हमारी जितनी क्षमता है, जितना उत्पादन होना चाहिए, उसका एक तिहाई ही होता है, क्योंकि प्रॉपर मेनटेनेंस नहीं है। पावर प्लांट को खराब कोयला सप्लाई किया जाता है, उससे टर्बाइन खराब हो जाती है और नतीजा यह होता है कि ग्रामीण अंचल में बिजली नहीं मिलती। यदि हमारे प्रदेश को नई-नई योजनाएं, पावर प्लांट नहीं दिए गए तो प्रदेश के किसान को कभी बिजली नहीं मिल पाएगी।

काश्तकार अपनी माल पैदा कर लेता है, लेकिन वह मंडी तक पहुंचाने के लिए विवश है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। जो भी वहां सरकारें रही, उन्होंने कहा कि 2000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी ऐसे 2000 की आबादी वाले गांव हैं, जहां सड़कें नहीं पहुंची। जो मुख्य स्टेट हाई-वे हैं, उनकी भी दुर्दशा है। आए-दिन ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां टूटती रहती हैं। आपने सड़कों के लिए रुपया रखा है। मेरा आपसे अनरोध है कि जो भी पैसा आप राज्य को भेजें, उसकी मानेटरिंग होनी चाहिए, अगर मानेटरिंग सही होगी तो प्रदेश की और देश की तरक्की होगी।

सभापति महोदय : अगर सभा की राय हो तो छः बजे के बाद सदन की अवधि बहस में हिस्सा लेने वाले इच्छुक सदस्यों के बोलने तक बढ़ा दी जाए।

वित्त मंत्री : जवाब भी आज हो जाए तो अच्छा है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : सदन का समय बहस समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

अपराह्न 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा के समक्ष पेश की गयी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मैं पूरा समर्थन करता हूं। भविष्य में होने वाले व्यय को तथा कारगिल युद्ध के कारण उत्पन्न घाटे और केन्द्रीय सरकार की नियमित व्यय के अतिरिक्त अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए लाया गया है।

सभापति महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की यह सरकार—विशेषकर श्री यशवंत सिन्हा जी जिन्हें एक बार पुनः वित्त मंत्री की जिम्मेवारी मिली है — ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्व सरकार ने 12वीं लोकसभा के दौरान राष्ट्र की पूरी निष्ठा से सेवा की है। मैं उड़ीसा से हूं जो कि देश का एक सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। लाकड़वाला समिति की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः, यह इस बात को दर्शाता है कि पूर्व की सरकारों द्वारा उड़ीसा को विशेषकर के.बी. के क्षेत्र को पूरी तरह अनदेखी की गई। के.बी. के क्षेत्र के अंतर्गत कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगीर जिले आते हैं जहां से भुखमरी

[श्री विक्रम केशरी देव]

के कारण लोगों की मृत्यु होने, उनके द्वारा विस्थापन और जहां 20 रुपए में बच्चों के बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। यह उस समय की बात है जब राज्य और देश में कांग्रेस की सरकार थी।

हमारी सरकार ने लोकतंत्र पर लगे इस काले दाग को मिटाने की कोशिश की है तथा पूरी निष्ठा और ताकत से के.बी. के कार्यक्रम को शुरू किया है। आज आप यह पाएंगे कि वहां के लिए मंजूर की गई अधिकतर परियोजनाओं की शुरूआत 12वीं लोकसभा के दौरान हुई थी। इसलिए, मैं, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि अपूर्ण सिंचाई कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए और गरीबी की समस्या को दूर करना चाहिए।

जब मैं बजट पत्रों पर गौर कर रहा था तब मैंने पाया कि कारगिल में पाकिस्तानी हमले के परिणामस्वरूप भारत के राजकोष पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि ओपरेशन विजय, सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने तथा वायु सेना आदि के परिवहन संबंधी कार्यों में हुए व्यय के लिए उन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। यह भी देखा गया है कि गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए भी अतिरिक्त धन दिया जा रहा है। मांग सं० 71 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 91 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं तथा रोजगार/योजना के लिए 340 करोड़ रुपए एवं डी आर डी के विशेष ऋण सहायता हेतु, 120 करोड़ रुपए निर्धारित किए गये थे।

इससे यह स्पष्ट है कि यह धन देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा जहां इसकी ज्यादा आवश्यकता है। यह भी देखा जा सकता है कि विगत सरकार द्वारा इस क्षेत्र की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। आज, हमारी सरकार समाज और देश से गरीबी समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

मैं माननीय सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि नवरत्न, जहां देश के संगठित क्षेत्र कार्यरत हैं, आज नाजुक स्थिति में हैं।

सायं 6.00 बजे

[श्रीमती माग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

आज वे खराब हालत में हैं। उदाहरणार्थ भारतीय इस्पात प्राधिकरण, नाल्को, हिन्दुस्तान केबल्स, नीपा लिमिटेड या बर्न इंडिया को ही लें इन सभी कम्पनियों को पूर्व में ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाता था जिनकी नियुक्ति राजनीतिक रूप से होती थी जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता था जिसके परिणामस्वरूप ये परियोजनाएं असफल रहीं। आज उन कंपनियों को देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं होना चाहिए था लेकिन विगत सरकारों के खराब प्रबंधन और गलत नितियों के परिणामस्वरूप आज ये बंद होने के कगार पर खड़ी हैं। सरकार ने अब आर्थिक उदारवाद की ओर कदम उठाया है। कुछ दिन पूर्व ही सभा ने आई. आर. डी.ए. और एफ.ई.एम.ए. जैसे विधेयकों को पारित किया है। कांग्रेस सरकार से हमें विरासत में मिली कमजोर अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारना है। उदारीकरण का भरपूर लाभ उठाने के लिए नये कानून बनाये गए हैं।

अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं उड़ीसा में आए तुफान के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही में महाचक्रवात के कारण हमारा राज्य उड़ीसा बरबाद हो गया। इस चक्रवात से उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्षति हुई। माननीय प्रधान मंत्री ने 950 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया है मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस विषय पर इस सभा में कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी।

उड़ीसा सरकार ने पूरी स्थिति को गड़बड़ कर दिया है। वह सहायता कार्य को भी ठीक ढंग से अंजाम देने में अक्षम है। सहायता कार्य के मामलों में एक के बाद एक घपले हो रहे हैं। कांग्रेस जिसे बाढ़ तथा तुफान प्रभावित लोगों के प्रति माननीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए वह निष्ठुरता से पेश आ रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुये एक ऐसा तंत्र स्थापित करे जिससे प्रभावित लोगों को सहायता का लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके। तुफान पीड़ितों के पुनर्वास हेतु एक साइक्लोन रिकन्स्ट्रक्सन कमेटी की स्थापना करने के संबंध में घोषणा की गई है तथा इस कमेटी की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : मैं सरकार तथा इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 13 दिसंबर को है। पहले दिल्ली सरकार ने 24 नवंबर को अवकाश की घोषणा की थी लेकिन 13 दिसंबर के बारे में पता चलने पर अब 13 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा कर दी है। मैंने इस बात की पुष्टि की है कि आज तक इस ऐतिहासिक दिवस पर पहले कभी भी सभा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बार भी उक्त दिन सभा में कोई कार्य नहीं होना चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु इस सभा में अनुरोध किया है। दरअसल, यह एक लघु बजट है न की अनुदानों की अनुपूरक मांगे। इस संबंध में सभा द्वारा अनुमति दिए जाने के पहले मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वे सदन को यह सूचित करे कि सुविधाओं तथा रियायतों के प्रावधान वाले उनके बजट प्रस्ताव सफल रहे अथवा नहीं। आमतौर पर सत्ता में काबीज सरकार जब चुनाव में उतरती है वह गरीबों, असंगठित क्षेत्र, कृषकों की बातें करती है लेकिन चुनावों के तुरंत बाद रह सर्वप्रथम 'फीक्कि' तथा 'सी.आई. आर. जैसे संगठनों के साथ बैठक करती है। सरकार आर.एन.टी.यू. सी., ए.आई.टी.यू.सी. तथा अन्य मजदूर संघों, कमजोर वर्ग के लोगों जिनका प्रतिनिधित्व कुछ गैर-सरकारी संगठन तथा कुछ संसद सदस्य करते हैं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं राजस्व विभाग में कार्यरत था। मैं माननीय मंत्रीजी से देश में काले धन की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

गत कुछ वर्षों के दौरान देश के उद्योगपति तथा धनाढ्य लोग यह मांग कर रहे थे कि यदि सरकार लोगों से अधिक कर वसूलना चाहती है तो उसे कर सीमा कम करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी वर्तमान कर सीमा दुनिया में न्यूनतम है। बहुत से अर्थशास्त्रियों तथा प्रेस रिपोर्टों के अनुसार यदि सूचकांक तथा मुद्रास्फीति के कर

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

वसूली की दर की तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि कर सीमा को कम किए जाने के बावजूद भी सरकार वर्ष 1991 की तुलना में अधिक कर नहीं वसूल सकी। माननीय मंत्री जी को अपने विचारों से सभा को अवगत कराना चाहिए। सरकार द्वारा करों, विशेषकर प्रत्यक्ष करों में भारी कमी के बावजूद भी लोगों ने उत्साह क्यों नहीं दिखलाया ? मैं कारपोरेट टैक्स का स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे कारपोरेट क्षेत्र द्वारा चुना वित्त मंत्री स्वीकार नहीं। गत दो से तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों पर उचित ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे बिना कर लगाये अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। गत कुछ वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है।

एक राजस्व अधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति छोटे पत्तन भावनगर में की गई थी। मुझे आयकर अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत कार्गो स्टीमर के प्रस्थान के लिए स्वीकृति प्रमाणपत्र देना होता था। मैंने निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के बारे में पूछताछ की, क्योंकि भावनगर में किसी भी ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्माण नहीं होता जिसका निर्यात किया जा सके। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे चावल की भूसी तथा मार्बल चिप्स निर्यात कर रहे थे जिसे हमारे देश में फेंक दिया जाता है। मैंने निर्यातक से पूछा कि वे इन दो चीजों का क्या करते हैं। मुझे बताया गया कि चावल की भूसी में 8 प्रतिशत भूसी का तेल होता है। यह काम हम अपने देश में नहीं करते और टनों चावल की भूसी छोटे पत्तन से विदेशों को निर्यात कर दी जाती है। मैंने मार्बल चिप्स के बारे में भी पूछा जिसे फेंक दिया जाता है। मुझे बताया गया कि इसका पाउडर बनाया जाता है और बाद में इसे पुन: अपने देश में आयात किया जाता है जिसका उपयोग बड़े बंगलों के सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है।

महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र कृषि प्रधान है। लगभग 80 प्रतिशत चाइनाग्रास अथवा इसबगोल का उत्पादन पाटन, राजस्थान तथा गुजरात में होता है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेहसाना तथा राजस्थान के कुछ जिलों में उत्पादन होने वाला इसबगोल हवाई जहाज द्वारा जापान तथा अमरीका निर्यात किया जाता है। यह पूछने पर कि उसका निर्यात क्यों किया जा रहा है, मुझे बताया गया कि हमारे देश में वह प्रोसेसिंग मशीन उपलब्ध नहीं है जो अमरीका तथा जापान में है। इसका प्रसंस्करण वहां होता है और उसके बाद उसे पुन: हमारे देश में भेजा जाता है जिसकी कीमत बीस गुणा अधिक होती है। इसका उपयोग विरेचक के रूप में होता है। इसका कैपसुल बनाकर इसका प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। इसी तरह कई और क्षेत्र हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार और राजस्व अर्जित कर सकती है। यदि सरकार ऐसे ही क्षेत्रों से राजस्व अर्जित करती तो उसे इस तरह सदन में अनुपूरक मांग नहीं रखनी पड़ती *(व्यवधान)* महोदया, मैं कुछ बिन्दुओं का जिक्र कर रहा हूं।

सभापति महोदया : आपके दल से ही अभी बहुत सदस्य बोलने वाले हैं और समय कम है। मैं एक सदस्य को 10 मिनट से अधिक समय नहीं दे सकती।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : सरकार की मेगा शहरों, इन्मो शहरों और मैकरो शहरों को बनाने की बात नहीं करनी चाहए। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह सरकार शहरों तथा धनी लोगों की समर्थक और गरीब लोगों, गांवों एवं कृषकों का विरोधी है।

मैं एक छोटा उदारहण दूंगा। मेरे राज्य में सर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है। इसे समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास धन नहीं है। लेकिन उपरि पुलों, मेगा-शहरों, महानगरों इत्यादि के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। मेरे यहां से राज्य सरकार ने पेयजल हेतु केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपयों की मांग की थी। राज्य सरकार ने केवल 600 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी जो पूरी नहीं की गई। मुश्किल से 40 से 50 करोड़ रुपये दिए गए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सभा द्वारा उक्त विधेयक को पारित किए जाने के पूर्व वे बताएं कि धनी लोगों के लिए उनके द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं जैसे संसाधन इत्यादि का परिणाम क्या रहा। हम यंह भी जानना चाहते हैं कि काले धन में कमी आई है या वृद्धि हुई है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदया, मैं अनुपूरक बजट पर दोनों पक्षों की ओर से दिये जाने वाले ज्ञानवर्धक भाषणों को बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। मैंने माननीय श्री मणि शंकर अय्यर को भी वृहद आर्थिक उपलब्धियों का गुणगान करते सुना। वृहद आर्थिक उपलब्धियों का गुणगानन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें छोटे-छोटे आर्थिक असंतुलनों का उल्लेख नहीं किया गया है। जब वह यह बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अच्छी वृद्धि और अच्छी उपलब्धियां होंगी, तो वे देश के एक भाग अर्थात् भारत के पूर्वी भाग उड़ीसा को पूरी तरह भूल गये जहां सब कुछ जलमग्न हो गया। यदि किसी रोग के कारण शरीर का कोई अंग प्रभावित है तो आप प्रामाणिक रूप से यह कैसे कह सकते हैं कि वृद्धि संतुलित रूप से हो रही है और हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। मेरा सदैव से यही विचार रहा है कि संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया, उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों का अधिनियमन इस ढंग से किया गया, केन्द्र में प्रशासन का व्यवहार कुछ इस ढंग का रहा और राजनीति के उद्देश्य भी कुछ इस तरह के रहे कि इन सब ने सदैव पिछड़े वर्गों के हितों के विरुद्ध काम किया। संविधसान निर्माण के समय भी इस बात पर बल दिया गया था कि यदि संविधान में ऐसे प्रावधानों को बनाये रखा जाता है तो उड़ीसा, बिहार, असम तथा मध्य प्रदेश (सेन्ट्रल प्रॉविन्स) जैसे राज्य सदैव पिछड़े रहेंगे। 52 वर्षों की स्वतन्त्रता के दौरान ये चारों राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं और यदि इस तरह के संवैधानिक प्रावधान जारी रहते हैं, और यदि यही रवैया आगे भी बरकरार रहता है तो ये राज्य सदैव आर्थिक रूप से पिछड़े रहेंगे।

मैं केवल एक-दो क्षेत्रों के बारे में ही बात करूंगा। महोदया, हमें संविधान के अनुच्छेद 292 तथा 293 को ध्यान में रखना होगा। वित्त मंत्री ने उचित ही कहा है कि हम ऋण जाल में फंसने की ओर अग्रसर हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अनुच्छेद 292 के अंतर्गत, यह प्रावधान है कि हमें ऋण लेने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए।

यदि मुझे अच्छी तरह याद है, प्रो० मधु दंडवते, जब वह वित्तमंत्री थे, ने इसी सम्माननीय सभा में यह घोषणा की थी कि वर्ष के अंत तक वह अनुच्छेद 292 के अंतर्गत आवश्यक ऋण लेने की सीमा निर्धारित करने संबंधी कानून बनायेंगे। लेकिन वह वर्ष के अंत तक वित्त मंत्री नहीं बने रह सके इसलिए वह कानून भी नहीं बनाया जा सका। इसके पहले किसी भी वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं कहा था और न उनके बाद किसी ने ऐसा कहा और न ही ऐसा कानून बनाने का प्रयास किया।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह केवल कहने भर की बात थी।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : ऋण लेने की प्रवृत्ति पर अकुंश लगाया जाना चाहिए। जैसा कि अनुच्छेद 293 के अंतर्गत कहा गया है केन्द्र और राज्यों दोनों को ही ऋण लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। मेरी बात बहुत ही स्पष्ट है। इस समय कुछ राज्य विशेषकर अर्थिक रुप से पिछड़े राज्य, ऋण के बोझ से लड़खड़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 293 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राज्य विदेश से या कहीं और से केन्द्र की अनुमति के बिना एक भी पाई उधार नहीं ले सकता। यह कहा गया है कि गाडगिल फार्मूले के अनुसार योजना सहायता में 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। इसके परिणामस्वरूप बकाया पड़े ऋण की धनराशि निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसीलिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश की मुख्य मंत्री ने यह मांग उचित ही की थी कि अनुच्देद 293 में संशोधन किया जाये और राज्यों को ऋण लेने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी राज्यों को इस तरह की स्वतंत्रता दी गयी थी। लेकिन हमारे स्वतंत्र और भारतीय गणराज्य के संविधान में यह व्यवस्था नहीं है। राज्यों को स्वतंत्ररूप से ऋण लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यदि राज्यों को यह अधिकार प्राप्त होता तो राज्य अपने बलबूते पर विकास करते। चूंकि ये अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है इसीलिए उनपर निरन्तर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। यह सब केन्द्र की दोषपूर्ण नीति के कारण हो रहा है।

दूसरी बात यह कि, मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि हमारे संविधान के अंतर्गत कानूनों का निर्माण इस तरह से किया गया कि वे पिछड़े राज्यों के हितों के विरुद्ध साबित हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अनुच्छेद 269 तथा 270 ने केवल एक समान है बल्कि एक ही हैं। दोनों अनुच्छेदों में प्रयोग की गयी भाषा भी एक-सी ही है। लेकिन आयकर को विभाज्य पूल में रखा गया है और वित्त आयोग को इसे राज्यों को हस्तातंरित का अधिकार किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 269 के अंतर्गत आने वाले जहां तक दूसरे करों का संबंध है, उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जाता है। दोनों अनुच्छेदों की भाषा एक ही है। मैं एक समान भाषा की बात नहीं कह रहा हूं। यदि केन्द्रीय बिक्री कर पर नजर डाली जाये तो हम पायेंगे कि महाराष्ट्र प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपयों से भी अधिक का राजस्व अर्जित करता है। भारतीय मानदंडों के अनुसार महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है। जबकि उड़ीसा राज्य ने वर्ष 1994-95 में केवल 4 करोड़ रुपये ही अर्जित किये थे। यदि यह विभाज्य पूल में जाता तो स्थिति दूसरी ही होती। इसी तरह, भारत के संविधान में 1982 में प्रेषण कर को शामिल किया गया, लेकिन इससे संबंधित कोई कानून अब भी नहीं बनाया गया हैं इसके परिणामस्वरूप, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे पिछड़े राज्य भी इससे वंचित हो जाते हैं।

इतना ही नहीं। परसों मैंने खनिजों पर दी जाने वाली रायल्टी के बारे में बात की थी। संविधान के तहत केन्द्र द्वारा खनिजों पर रायल्टी लगाने का किसी तरह कोई हक नहीं बनता है। यह केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। यह विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह राज्य सूची में और यह नं० 50 पर सूची बद्ध है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप अब अपनी बात समाप्त करें। समय समाप्त होता जा रहा है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मैं बीच में ही अपनी बात समाप्त कर दूं ? यदि आप की यही इच्छा है, तो मैं यही करता हूं।

सभापति महोदया : मैं आप से जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी बात समाप्त करने का अनुरोध कर रही हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं तो वही कर रहा हूं। लेकिन मेरा अधिकतर समय तो आप ही ले रही हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस सभा के लिये एक नया सदस्य हूं। मैं पीठासीन अधिकारी के लिए अभी तक कोई समस्या नहीं बना हूं। सभा में कुछ पुराने सदस्य भी हैं और केवल वे ही पीठासीन अधिकारी के लिए समस्यायें पैदा करते हैं। आप यह याद रखें कि नये सदस्य आप के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करते *(व्यवधान)*

अब मैं मूल विषय पर वापस आता हूं, रायल्टी केन्द सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। इतना ही नहीं। इसे मनमाने ढंग से संशोधित कर दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी निर्धारित नहीं की गयी है। इसे केन्द्र सरकार की सनक के अनुसार तय कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, अकेले उड़ीसा 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा उठा रहा है। इस तरह उड़ीसा अपने आधारभूत ढांचे में सुधार कैसे कर पायेगा ? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के लिए यह धन कहां से जुटायेगा। इस राज्य की यही समस्यायें हैं। यही कुछ ऐसी पेचीदा समस्यायें हैं जो मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष भारतीय गणतन्त्र के 50 वें वर्ष में उठाना चाहता हूं। इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और तदनुसार ही हमें उनमें संशोधन करना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, जब तक छोटे-छोटे आर्थिक असंतुलनों को दूर नहीं किया जाता, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी वृहद् आर्थिक उपलब्धियां हैं, वे सभी व्यर्थ हैं। मेरी समझ से वे पूरी तरह से एक बेकार की कवायद हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री की क्षमता कुछ वर्षों से अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन फिर भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें जहां पर पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई ध्याम नहीं दिया है।

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

अंत में, मैंने वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति से ग्यारवें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया था। पहले ग्यारवें वित्त आयोग को वर्ष 1999-2000 के लिए अंतरिम रिपोर्ट सौंपने दीजिये और फिर वह पांच वर्ष की रिपोर्ट दे क्योंकि तब तक तेरहवीं लोकसभा के सदस्यों को आपस में घुलने-मिलने का पर्याप्त समय और अवसर मिल जायेगा। मैं स्पष्ट करता हूं कि मैंने आपसे यह बात क्यों कही। सभी पूर्ववर्ती वित्त आयोगों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे केन्द्र तथा राज्यों की सुदृढ़ आर्थिक दशा के लिए उपाय सुझायें। लेकिम एक भी वित्त आयोग ने कभी भी उक्त आशय की कोई सिफारिश नहीं की। मैंने सरकार से वित्त आयोग का कार्यकाल इसलिए बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि तेरहवीं लोकसभा के माननीय सदस्यगणों को आपस में संवाद करने का अवसर प्राप्त हो सके। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री तथा केन्द्र सरकार इस अनुरोध पर ध्यान देगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदया, सर्वप्रथम, मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही हम सभी जानते हैं कि अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में भी समर्थ नहीं हैं। इन परिस्थितियों में राज्यों को कुल राजस्व का 29 प्रतिशत देने के बारे में दसवें वित्त आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

कम से कम यह तो होना चाहिए था। यदि इस अनुपूरक बजट में यह होता तो मुझे खुशी होती। पश्चिम बंगाल को बाढ़ इत्यादि के लिए 721 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश, इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं उड़ीसा के बारे में विस्तार में जाना नहीं चाहती। स्वाभाविक है उड़ीसा को और अधिक धन की आवश्यकता होगी।

भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् भोपाल पहुंचने वालों में मैं सबसे पहली महिला थी। कई वर्ष बीत चुके हैं तथा कई सरकारें भी आ चुकी हैं। दुर्भाग्यवश, 14 वर्षों के बाद भी उन्हें आना पड़ता है तथा मुआवजा के लिए गुजारिश करना पड़ता है। इस बार 177 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं आशा करती हूं कि यह राशि वास्तव में गैस त्रासदी पीड़ितों तक पहुंचेगी तथा यह समस्या सर्वदा के लिए हल हो जाएगी।

अब मैं देखती हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मोटरकार खरीदने के लिए अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। मैं नहीं समझती कि इस समय जब इतना वित्तीय संकट चल रहा है, यह धनराशि दिए जाने की क्या आवश्यकता थी।

पुनः, मैं देखती हूं कि 8 करोड़ रुपए नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पस् को दिया गया है। नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पस् में कौन लोग हैं? क्या यह आर एस एस का संगठन नहीं है? क्या यह सच है कि यह गुप्त एजेन्डा के वित्तपोषण के लिए दिया गया है?

अब अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न काले धन का है। मैं जानना कि इस अवधि के दौरान कितना काला धन पकड़ा गया। सभी लोग जानते हैं कि यदि हम काला धन पकड़ते हैं तो हमारी वित्तीय कठिनाइयां नहीं रहेंगी। किंतु काले धन की समाप्ति के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतएव, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस संबंध में कितना प्रयास किया गया। इस स्थिति में, स्वाभाविक है कि मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अधिवेशन में आदिम जाति एवं जनजातियों के बारे में अलग-अलग प्रकार से चर्चा हुई, जिसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इन मांगों को देखकर मुझे लगा कि इस प्रकार से जो जनरल बजट पर सप्लीमेंट्री डिमांड आई हैं, यह ठीक नहीं है। मैं समझता था कि इसमें उड़ीसा के तूफान पीड़ितों के लिए धन की मांग की गई है, लेकिन इसे देखने से ऐसा नहीं लगता। इस प्रकार से जनरल बजट के बाद अनुपूरक मांगों की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह करना ठीक नहीं है।

सभापति महोदया, कृषि के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बहुत किया गया है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक चिंचोड गांव है, जो पिछड़े क्षेत्र का हिस्सा है। वहां पिछले पांच-छः साल से खेती नहीं हो रही है। जब हम अनुसंधान करने वालों से बात करते हैं, तो मालूम होता है कि वे इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर ऐसा है, तो वे अनुसंधान कार्य कहां कर रहे हैं? उन्हें गावों में जाना चाहिए। ये लोग तो देहात में जाते नहीं हैं। ये ऐसे बाबू हैं जो आपके पीछे, हमारे पीछे और इधर-उधर घूमते हैं। इन्हें देहातों में जाना चाहिए।

मैं लघु उद्योग के बारे में भी कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव में, इचलकरंजी में और भिवांडी में हथकरघे का काफी बड़ा काम है। इस उद्योग में पांच लाख लोग काम करते हैं। हैंडलूम उद्योग बेकारी उन्मूलन का उद्योग है। मेरी अर्थ मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस उद्योग को ज्यादा धनराशि देने की जरूरत है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है कि कभी-कभी संविधान की कुछ बातों को निकाल देना चाहिए और कुछ बातों पर बहस होनी चाहिए। यह न्यायालय लोकशाही का अंग है लेकिन इसमें न्याय नहीं मिलता है। इस बारे में भी पंत प्रधान के साथ कुछ न कुछ बहस होनी चाहिए कि केसों का कितने दिन में निपटारा होना चाहिए और गरीब लोगों को कितने दिन में न्याय मिलेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीब लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया जाता है।

इसी तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र नासिक से धुले तक चौतरफा रास्ता होना चाहिए। हमारे यहां एक बड़ाईमुई गांव है। वहां नेशनल हाइवे तक जाने के लिए एक ही रास्ता है जहां यातायात काफी रहता है। उस रास्ते के बगल में बच्चों का स्कूल, स्वास्थ्य विभाग व सरकारी संस्थाओं के कई विभाग हैं। वहां यातायात होने के कारण 4-5 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ाईमुई तहसील चांदवड

से एक 15 किलोमीटर तक का रास्ता निकालना चाहिए। ये तो इस गांव में पंत प्रधान के प्रचार के लिए गए थे लेकिन वह प्रचार का काम था इसलिए कोई मांग नहीं की।

बिजली के बारे में तो कल चर्चा हो चुकी है। पर्यावरण के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सफेद बाबू ज्यादा चर्चा करते हैं, ग्रामीण विभाग के कर्मचारी नहीं करते हैं। कहां है पर्यावरण ? हमारे तरफ तो लकड़ी भी नहीं है। वहां भी ज्यादा बारिश होती है। ये लोग पर्यावरण के नाम पर अपना पेट भरने का काम करते हैं और सरकार को फंसा देते हैं। निफड तालूका तहसील में चार एकड़ भूमि वन विभाग ने काबिज की है। इस तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं बजट की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी बातें कहीं हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी भी कर्मठ हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं। कार्यान्वयन के दो पहलू हैं—एक राज्य सरकारों की एजेंसियों को फंड दिया जाता है और कुछ इनके विभाग होते हैं। दोनों अलग-अलग बातें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यान्वयन के गलत तरीके होने से किसानों की स्थिति बहुत भयंकर है।

ग्रामीण विकास के तहत जे.आर.वाई. सुनिश्चित योजना थी। हाल ही में उसका नाम बदलकर समृद्ध ग्राम योजना कर दिया गया। जे. आर.वाई. के तहत जो योजनाएं ली गई थीं, उनमें कितना खर्च होना है, इसकी बात नहीं कही गई। ग्रामीण योजना के तहत जो आबंटन किया गया, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि इसमें पुरानी योजना नहीं ली जाएंगी, नई स्कीम्स अधिग्रहण करें। जो पुराने भवन दीवार तक बनकर खड़े हैं, जो तालाब बनने की स्थिति में है, वे ज्यों के त्यों अधूरे पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि जे.आर.वाई. के तहत जो योजनाएं ली गई थीं, यह पता करवा लें कि उसे पूरा करने में कितने रुपयों की जरूरत है। यदि आपने बजट मे प्रोवीजन नहीं किया है तो क्या करेंगे। इसे मार्च में बनना आवश्यक है नहीं तो बरसात के बाद खर्चे और बढ़ जाएंगे। सुनिश्चित योजना के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जा सका है, फंड आबंटित नहीं हो पाया है कि पुरानी योजना की क्या स्थिति रहेगी, नई स्कीम का क्या करेंगे, केवल सर्कुलर बदलते रहते हैं, गाइडलाइन्स दी जाती रही है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों बिन्दुओं पर, जो ग्रामीण लोगों से संबंधित है, स्पष्ट निर्देश जाएं।

किसानों के बारे में कल भी चर्चा हो रही थी। पूर्व की सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों के लिए 10,000 रुपये तक कर्ज माफ हो जाएंगे। कई बार घोषणा हुई लेकिन वह कहीं लागू नहीं हुई। गांवों में रहने वाले किसान बड़ी असमंजस की स्थिति में रहे, पैसा नहीं दे पाए कि माफ हो जाएगा। लेकिन अब उसका चक्रवर्ती ब्याज बढ़ते-बढ़ते लाखों रुपये तक हो गया है। किसान परेशान है। इसलिए इस बारे में स्पष्ट निर्देश जाएं कि क्या करना है।

दूसरी बात बैंक से संबंधित है, आपके विभाग से उसका ताल्लुकात है। यह प्रावधान है कि किसानों को ट्रैक्टर देने के लिए बैंक फाईनैंस करता है। हर तरह के ऋण दिए जाते हैं लेकिन किसान को ऋण देने में बैंक की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। आपने कहा कि यदि 5-7 किसान मिलकर चाहे तो कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं लेकिन बैंक के लोग यह कोशिश करते हैं कि इस पर उनका ध्यान कम जाए। उनका ध्यान बड़े-बड़े उद्योग पर जाता है। किसानों के लिए जो सबसिडी है, वह उसे कैसे मिल सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही यह भी व्यवस्था हो कि यदि छोटे किसान ट्रैक्टर लेना चाहे तो ले सकें।

उड़ीसा में साईक्लोन आया। उसके बार्डर पर छोटा नागपुर के क्षेत्र-गिरीडीह, कोडरमा, हजारीबाग, सन्थाल, परगना, दुमका, वे भी प्रभावित हुए हैं। साईक्लोन के चलते समूची खड़ी फसल गिर पड़ी। इस बार भगवान भरोसे अच्छी खेती हुई थी। बिहार सरकार को उस पर कोई ध्यान देना चाहिए। आपकी तरफ से कोई योजना नहीं बनी है। उड़ीसा के लिए होना बहुत जरूरी था लेकिन बिहार के लिए भी एक सर्वे होना चाहिए कि साईक्लोन से किसानों को कितनी क्षति हुई। इतना ही नहीं, बहुत से गरीब, आदिवासी, हरिजन लोगों के मकान भी गिर गए। मकान गिरने के कारण वे स्कूल में रह रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था हो कि इसमें जो लोग अफैक्टेड हुए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई सहायता मिले ताकि वे मकान बना सकें।

अब डी.आर.डी.ए. का भी नाम बदल दिया गया—अच्छी बात है। इसमें एक प्रोवीजन है कि जहां जिला परिषद है, वहां तो जिला परिषद के माध्यम से इसका कार्यान्वयन होगा और जहां जिला परिषद नहीं हैं, वहां गवर्नमेंट की तरफ से कार्यान्वयन होगा और कलैक्टर डी. आर.डी.ए. के चेयरमैन रहेंगे। यह अजीब सा लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक जिला परिषद के चुनाव नहीं हो जाये, तब तक कलैक्टर के अधिकार क्षेत्र से इसको हटा लीजिए और उस क्षेत्र के एम.पी. के द्वारा डी.आर.डी.ए. मीटिंग की अध्यक्षता की व्यवस्था की जाए, जिन राज्यों में जिला परिषद नहीं बन सकी है, की मीटिंग कलैक्टर की अध्यक्षता में होती है, उसमें अगर सम्भव हो तो इसके लिए कुछ कोशिश कीजिए।

किसान के बच्चे गांवों में पढ़ते है। एक प्रखण्ड का रेडियस 10 किलोमीटर का होता है, आप भी उससे अवगत हैं। वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटा नागपुर में खास करके बड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि वैसे प्रखण्डों में, जहां हाई स्कूल नहीं है, कम से कम उनको चिन्हित कीजिए और केन्द्र सरकार की तरफ से आप योजना दीजिए कि हर प्रखण्ड में चार हाई स्कूल दिये जाएंगे।

किसानों के लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि बड़े व्यास के कूप छोटा नागपुर में बड़े उपयोगी होते हैं। आप इसके लिए कोशिश करें कि बड़े व्यास के कूप छोटा नागपुर के वृहत रूप से बने ताकि किसानों को लाभ हो सके। आप फंड्स देते हैं, लेकिन फंड्स का उपयोग भी जरा ठीक से हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा के बरियारडीह में माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि एक आयुध फैक्टरी प्रस्तावित थी, वहां वह लगने

[श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह]

को थो, वहां ऊसर जमीन हजारों एकड़ थी, लेकिन वह फैक्टरी वहां से बिहार शरीफ नालन्दा चली गई। जिस नालन्दा में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब वहां पर युद्ध के औजार बनेंगे, इसमें किसानों की कितनी ही संसदीय क्षेत्र जमीन चली जायेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर जरा पुनर्विचार करिये और कोडरमा के बरियाडीह में नागपुर में जहां बंजर जमीन उपलब्ध थी, वहां पर आयुध कारखाना लगाने की बात पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

शिक्षा के मामले में जहां नये जिले बने हैं, इसमें कोडरमा भी है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वहां पर भी नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दी जाय। हजारीबाग में तो अभी भवन नहीं बना है, इस सब पर भी जरा ध्यांन हो कि जो नये जिले बने हैं, वहां भी नवोदय विद्यालय खुलें, उनकी स्वीकृति मिले।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उनका समर्थन करता हूं। यह तेरहवीं लोकसभा है। कुछ लोग कहते हैं कि 13 की संख्या दुर्भाग्यशाली होती है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : कौन कहता है?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : कुछ लोगों ने यह कहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तेरहवीं लोक सभा भाग्यशाली है। देश की अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ है। कुछ समय के लिए मंदी छाई हुई थी। अब यह समाप्त हो चुकी लगती है। इसके कई कारक थे। यह एक विश्वव्यापी परिदृश्य था और विश्व के अधिकांश देशों में मंदी थी। एशिया के विकसित देश (एशियन टाइगर्स) भी विकट आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे।

मैं सोचता हूं कि देश के उद्योगपतियों ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेन्डा का स्वागत किया है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। महोदया, अब मैं अपनी बात पर आता हूं। कुछ चिन्ता पैदा करने वाले बातें हैं जिन पर वित्त मंत्री द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

यह सत्य है कि आई आर ए, फेमा ट्रिप्स पेटेन्ट्स और ट्रेडमार्क सभी विधेयक लाए जा रहे हैं और उनका स्वागत भी किया गया है। किंतु चिंतनीय बात यह है कि भारत में उद्योग क्यों बंद हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे अधिकांश बड़े उद्योगों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खरीदा जा रहा है? यदि यह प्रवृत्ति नई सहस्राब्दी, 21वीं सदी में, बनी रही तो मेरा मानना है कि दस वर्षों में हमारे अधिकांश बड़े उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खरीदे जा चुके होंगे। क्या आपने इसके बारे में वास्तव में सोचा है? मैं इस समय स्वदेशी और विदेशी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हमें इसे भूल जाना चाहिए। हम सभी उद्योग को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं और मैं वास्तव में इसी के बारे में बोल रहा हूं। क्या आपने इस पर कभी विचार किया है? मैं समझता हूं कि यह स्वागतयोग्य विचार है और यह अच्छा है कि हमारे उद्योगपतियों को भी सिएटल सम्मेलन ले जाया गया। उन्होंने भी वहां चर्चा में हिस्सा लिया किंतु चिंता की बात यह है कि जब तक हम उन्हें समस्तर का अवसर नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि उनका अस्तित्व में बने रहना मुश्किल होगा।

हम कार उद्योग का उदाहरण लें। मैं नहीं चाहता कि भारत एम्बेसडर और फिएट के युग में वापस लौटे। वे दिन समाप्त हो गए हैं। किंतु क्या अब भी इंडिका कार होण्डा या टोयोटा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? क्या वह सभी आधुनिक कारों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं? यहां तक कि टाटा उद्योग भी, जिसका अपना नाम है, इक्कीसवीं सदी में अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकेगा। मैं आप से इसी के बारे में पूछना चाहता हूं।

महोदया, दूसरी समस्या यह है कि उनके पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निवेश हेतु अपेक्षित धन नहीं है। क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? वे जो धन जुटाते हैं उस पर 14 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक ब्याज देना होता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो धन जुटाती हैं उस पर तीन से चार प्रतिशत ब्याज देना होता है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बराबरी की बात है।

एक और समस्या है जिसपर आपको सोचना है। विश्वव्यापीकरण, बाजार तक निर्बाध पहुंच के लाभ भी हैं और हानियां भी, किंतु जब तक इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, मैं समझता हूं कि हमारे उद्योगों को भारी समस्या को सामना करना पड़ेगा।

सभापति महोदया : अपनी बात को संक्षेप में और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1999-2000 के लिए कुल 549.79 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदानों की मांगे पेश की हैं। मैंने इनमें देखा और पाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों के लिए जितनी राशि के प्रावधान की आवश्यकता थी, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है बाबा साहेब अम्बेडकर की फिल्म एक-डेढ़ साल से तैयार हुई पड़ी है। इस फिल्म के निर्माता-निर्देशक जब्बार पटेल ने फिल्म को रिलीज करने के लिए दो करोड़ रुपए की मांग की थी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। महात्मा गांधी की फिल्म आई थी, उसका अच्छी तरह से प्रचार हुआ था।

बाबासाहिब अम्बेडकर को एवार्ड मिल चुका है। बाबासाहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं, लेकिन उन पर फिल्म बनाने के लिए सरकार विचार नहीं करती। यह ठीक बात नहीं है। बाबासाहिब अम्बेडकर के नाम से एक नेशनल मैमोरियल बनाने की बात भी है। दिल्ली में 26, अलीपुर रोड पर उनका देहान्त हुआ था। बम्बई में प्रोसैशन भी निकाला गया था। वहां पर 20-25 लाख लोग हैं और यह मैमोरियल बनाने की मांग कई सालों से चल रही है, लेकिन सरकार

विचार नहीं कर रही है। बारहवीं लोकसभा में आप ही वित्त मंत्री थे और अटल जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, लेकिन तब भी मैमोरियल बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया था और न अब दिया जा रहा है। सरकार यदि मैमोरियल बनाने के बारे में विचार नहीं कर सकती है, तो सरकार कैसे चलेगी, हम सरकार को चलने नहीं देंगे। 26 अलीपुर रोड का मकान जिन्दल के पास है और उनको दो तीन साल पहले 14 करोड़ रुपया देने की बात हुई थी। ऐसा लगता है, सरकार 26 अलीपुर रोड को लेने में कामयाब नहीं होने वाली है। अगर यह स्थिति है, तो हम आन्दोलन शुरू कर सकते हैं और कानून को हाथ में लेने पर विचार कर सकते हैं। बाबासाहिब अम्बेडकर ने यह भी कहा था, अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता है और कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि 26 अलीपुर रोड को लेने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय बहुत एक्टिव हैं, वे इसके बारे में सोचेंगे। स्टेट मिनिस्टर हमारे मित्र हैं, वे तो इसके बारे में सोचेंगे। बाकी सब लोग मित्र नहीं हैं। इसीलिए हो सकता है कि अठावले जी इसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, इसमें उनके लिए 200 करोड़ रुपया लोन देने के लिए प्रावधान किया गया है और 150 करोड़ रुपया मोटर लेने के लिए प्रावधान है। दो सौ करोड़ रुपए से काम होने वाला नहीं है, इसको पांच सौ करोड़ रुपया करना चाहिए। जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का सवाल है, उसके लिए 0.2 करोड़ रुपया का प्रावधान है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। नेशनल हाईवेज में 547 करोड़ रुपया रेवेन्यू और कैपिटल में 1348 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेशनल हाईवेज के बारे में हमारा कहना है कि उन पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इसलिए चार लेन की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ-साथ सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.डी. में बहुत करप्शन है। 1900 करोड़ रुपया रोड्स के लिए रखा है, लेकिन एक हजार करोड़ रुपया भी खर्च होगा ओर 900 करोड़ रुपया इधर-उधर चला जाएगा। इसलिए इस स्कीम पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सायं 7.00 बजे

ब्लैक मनी जिस तरह से अपने देश में बढ़ता जा रहा है उससे इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए इसमें एक अच्छे सिस्टम की आवश्यकता है। आपने 1900 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे के लिए मंजूर किया है तो उसमें से 1700-1800 करोड़ रुपया जरूर खर्च होना चाहिए। सौ करोड़ रुपया अगर ठेकेदार ले भी ले तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा इसमें लगना चाहिए जोकि लगता नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। जब-जब ऐसे सिस्टम को बदलने का प्रयत्न हुआ है तो जो अच्छे लोग हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न हुआ है। बुरा काम करने वाले लोग अच्छा काम करने वाले लोगों को कभी मौका नहीं देते हैं। इसलिए ऐसे बुरा काम करने वाले लोगों को अलग-थलग करने के लिए अच्छे लोगों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन आप के साथ अच्छा काम करने वाले लोग इकट्ठा आये नहीं हैं। इसलिय यह समस्या हो रही है। इसलिए अच्छा काम करने वाले सब लोग इधर के हों या उधर के बाद में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसको कोई हटा नहीं सकेगा और काला पैसा पूरा खत्म हो जाएगा और जब तक काला पैसा खत्म नहीं होता है, सभापति महोदय, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, गरीबों को न्याय मिलने वाला नहीं है। यह बजट आते रहेंगे, सप्लीमेंटरी डिमांड्स आयेंगी और एक-दो महीने बाद फिर आपका बजट आयेगा और आप कहेंगे कि हमने यह किया, वह किया है। आप तो सब कुछ करते आये हैं लेकिन जहां जितना पैसा लगना चाहिए वह लगता नहीं है। हम एक बार भी इस सिस्टम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वित्त मंत्री जी जो 1600 करोड़ की डिमांड लाये हैं उसकी अभी आवश्यकता नहीं थी, बजट तो अभी आने वाला ही है। बजट में पूरे एक साल का प्रावधान करने की आवश्यकता है। इस बार ऐसा हुआ है लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारों रुपये-करोड़ों की सप्लीमेंटरी डिमांड है वह नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी आप सोचें और जो मैंने मुद्दे रखे हैं उनके बारे में वित्त मंत्री जी विचार करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेशनल मैमोरियल मुम्बई के लिए सौ करोड़ रुपया आप आज ही घोषित कर दीजिए और दिल्ली में 26, अलीपुर रोड के बारे में भी आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो हम दो और सदस्यों को बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया। सप्लीमेंटरी डिमांड्स तभी पेश की जाती है जब हर विभाग के लिए जो बजट प्रोविजन रखा गया है, उससे एक्सपेंडीचर ज्यादा हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि मौजूदा सरकार का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है या जो कंट्रोल है वह विभिन्न विभागों पर उतना नहीं है। हालांकि वित्त मंत्री साहब कोशिश करते हैं। दो-ढाई साल में देश की वित्तीय स्थिति को आघात पहुंचा है। वह इससे उबरने की कोशिश में लगे हैं। जब तक इसके बारे में नहीं सोचा जाता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास काला धन है, वह जब तक निकाला नहीं जाता चाहे वह बिजनैसमैन का हो या ब्यूरोक्रेट्स का हो, तब तक काले धन पर रोक नहीं लगायी जा सकती। सप्लीमेंट्री डिमांड्स में फूड सप्लाई का मामला है। इसमें 900 करोड़ रुपए का लोन इक्विटी में बदलने जा रहा है। फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को करप्शन आफ इंडिया पूरी तरह से कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। एफ.सी.आई. में हर साल हजारों रुपए का घाटा होता है जो देश को सहना पड़ता है।

मैं पंजाब से आता हूं। वहां पर-कैपिटा इनकम हिन्दुस्तान में दूसरे नंबर पर थी। अब वह आठवें नंबर पर आ गई है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। हमारा कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर सैक्टर को इग्नोर करना इस बात से प्रतीत होता है कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं चाहे वह पंजाब, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश का किसान हो।

[श्री शमशेर सिंह दूलो]

आपने कारगिल में खर्चा किया। पंजाब ने भी पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार लड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी ने उस लड़ाई को लड़ते हुए लोकतंत्र बहाल किया था। 85 करोड़ रुपए का ऋण अभी भी हमारे ऊपर है। हालांकि नरसिंह राव जी और गुजराल साहब इसे माफ करने की घोषणा करके आए थे लेकिन अभी भी पंजाब से पैसा मांगा जा रहा है। यहां से पंजाब को स्पेशल कम्पोनेंट का जो पैसा जाता है वह चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर में दिया हो या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए गया हो या इंडस्ट्री में गया हो, इसे चैक किया जाए कि इसका सही उपयोग हुआ है या नहीं ?

जब से यह सरकार बनी है, शेडयूल्ड कास्ट्स बच्चों को वजीफा नहीं दिया गया है, किताबें नहीं दी गई हैं, ओल्ड ऐज पैंशन बंद है और विधवा पेंशन योजना बंद है। वहां के सरकारी कर्मचारियों को 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती है। वे रोज धरना देते हैं। सरकार प्रोजैक्ट्स या विकास की क्या बात करें ? एडिबल ऑयल और शूगर इंडस्ट्रीज के लिए पैसे मांगे गए हैं। कोआपरेटिव सैक्टर की मिलें घाटे में जा रही हैं। जिन कारखानों को नौकरशाह कंट्रोल करते हैं, वे भी घाटे में जा रहे हैं। नेशनल हाईवे की सड़कों पर जो खर्चा होता है, उसमें भी कमीशन चलता है। इसे रोकना चाहिए। थीन डैम का प्रोजैक्ट 300 करोड़ रुपए में शुरू हुआ था। वह तीन हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मेरी प्रार्थना है कि अगर इस प्रोजैक्ट को चलाएंगे तो बिजली पैदा होगी। उससे किसानों की समस्यायें हल होंगी। पंजाब में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के जरिये जो पैसा गया है, उसका यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, वह सोशल वैलफेयर में गया है या नहीं, इसकी जांच कराई जाये, इसके लिये मैं मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्पेशल वैलफेयर का पैसा बिजली बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी प्रकार एनीमल हस्बैंडरी का पैसा जो गरीब लोगों के लिये था, उसे किसी दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया गया है। पंजाब की फाइनैंशियल पोजीशन ऐसी है कि हम लोगों ने एक मैमोरेंडम गवर्नर साहब को दिया है कि किसानों के लिये इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई हैं। मेरी कांस्टीट्वैंसी में तीन शूगर मिल्स हैं जहां किसानों के गन्ने का पैसा नहीं दिया गया है। मेरे इलाके में मंडी गोविन्दगढ़ है जिसे स्टील टाउन कहा जाता है, वहां 350 मिलें बंद पड़ी हैं। इसका कारण सरकार की स्टील और इंडस्ट्री के बारे में जो नीति है, उसका बुरा असर पड़ा है। वहां से आपको टैक्स कम आता है फलस्वरूप ग्रोथ रेट कम हुआ है। इससे सैंट्रल पर असर पड़ेगा। हमारे देश का किसान और मजदूर कमजोर है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पंजाब से डायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आता है, उसका कुछ परसंटेज हमें जरूर मिलना चाहिये लेकिन मिलता नहीं है। वहां से पैसा बैंकों में भी जाता है लेकिन बैंक एग्रीकल्चर सैक्टर को इग्नोर करते रहते हैं। किसानों को ऋण नहीं देते हैं। यदि किसान को एक लाख रुपया ऋण का दिया जाता है तो उसकी जमीन का एक किला रहन रख दिया जाता है लेकिन यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लोन मांगता है और कोई प्रोजैक्ट लगाना चाहता है तो उसे 80 लाख रुपये का लोन मिल जाता है। सरकार उसी को सबसिडी देती है। हमारे देश में ड्यूल पालिसी चल रही है यानी किसानों के खिलाफ इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो अमीर है, वह अमीर होता जा रहा है और गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इस देश के खेतिहर मजदूरों को पजेशन नहीं मिला, पट्टे नहीं दिया जा रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान के साथ प्राक्सी वार लड़ रहा है। हमारे आनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि सारा कर्जा माफ कर दिया जायेगा। मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे माफ कर दिये जायें क्योंकि पंजाब स्टेट कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब बार्डर पर है और देश का अन्नदाता है जो सैंट्रल पूल में 60 परसेंट अनाज देता है। इसलिये इसका ध्यान रखना चाहिये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदया, धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री को विगत दो वर्षों में अम वृहद्-आर्थिक प्रबंधन के लिए धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि अपने विगत बजट भाषण में उन्होंने यह बताया था कि वह 'शून्य आधारित' बजट प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कोई कदम उठाया है, है या नहीं और यदि उठाया है तो इसके क्या परिणाम निकले।

सभापति महोदया, जैसा कि मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की आज मुख्य समस्या व्यय की खपत है जिसे सरकार नियंत्रित करने में पूर्णतया असफल रही है। दूसरी बात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाने में असफलता तथा तीसरी बात-जो कि राजसहायता से संबंधित है, उसे नियंत्रित करने में असफलता है।

सभापति महोदया, इन मांगों का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं और साथ ही विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा 1600 करोड़ रुपए की धनराशि का यह कहते हुए विरोध करना की यह एक बहुत बड़ी राशि है। की आलोचना करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री को कारगिल युद्ध या उड़ीसा में आये तूफान की कल्पना पहले से नहीं थी। साथ ही, मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री की दयनीय स्थिति को समझता हूं जो कि हर वर्ष यह उम्मीद करते हैं कि कुछ मंत्रालय आर्थिक लाभ अर्जित कर उनकी मदद करेंगे परन्तु साल दर साल अपने सहकर्मियों से नई-नई और ज्यादा मांगों का उन्हें सामना करना पड़ता है।

यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बन गयी है जिसके तहत कोई मंत्रालय अपने पिछले वर्ष के आंकड़े से कम बजट नहीं तैयार करती। उनके लिए यह अब एक बाध्यता बन गई है कि वो विगत वर्ष की तुलना में बड़े आंकड़े प्रस्तुत करें।

सभापति महोदया, जैसा कि मैंने कहा है कि वृहत आर्थिक मानदंड काफी ठीक-ठाक है। हमारी अर्थव्यवस्था ने अपनी अलग पहचान बनायी है जो कि सरकार की नीतियों जिसके हम लगभग एक दशक से

अभयस्त्र रहे हैं के बावजूद फल-फूल रही है, राजसहायता को नियंत्रित करना होगा। लोक उपभोग व्यय में सबसे बड़ा मुद्दा राजसहायता ही है। उदाहरण के तौर पर 1979 में जब उर्वरक पर राजसहायता शुरू की गई थी तो इस पर होना वाला व्यय 300 करोड़ रुपए से अधिक नहीं था। लेकिन आज इसकी क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में सुधार का संबंध है तो विभिन्न केन्द्रीय और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। यह एक अत्यंत ही जोखिम भरा क्षेत्र है। यदि इस भारी निवेश से पांच से दस प्रतिशत की भी आमदनी होती तो केन्द्र या राज्य की सरकार की स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जिसका मुख्य कारण आंशिक रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या भारी राजनैतिक दवाब रहा हैं उदाहरण के तौर पर कर्नाटक की उस कंपनी को लें जो सोना उत्पादन करती है। मुझे उस कंपनी का उत्पादन संबंधी ब्यौरा याद है। उस कंपनी की उत्पादन लागत प्रति दस ग्राम 11,500 रुपए थी जबकि बिक्री कीमत मात्र 4,500 रुपए प्रति दस ग्राम था। आप उस देश की स्थिति समक्ष सकते हैं जहां उसे 11,500 रुपए की चीज को 4,500 रुपए में बेचना पड़ता है तथा शेष राशि राजसहायता के रूप में छोड़नी पड़ती है। यह प्रक्रिया तीन-चार दशकों तक चलती रही। राजसहायता देने में कोई हानि नहीं हैं लेकिन यह उस क्षेत्र से आना चाहिए जहां उत्पादन की अधिकता है। हमने केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है। कि अब कोई क्षेत्र अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र अधिक से अधिक कटौती कर रहा हो। ऐसा लगता है कि हममें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जिसके फलस्वरूप हम कठोर कदम उठाकर इन क्षेत्रों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1999-2000 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्ज सदन के सामने रखी है जिसका दायरा बहुत विस्तृत है। यह बात समझ में आती है कि जो आकस्मिक व्यय होते हैं जैसे उदाहरण भी दिये गए कि लड़ाई हमने झेली, उड़ीसा में तूफान आया या जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घटती रहीं जिसके कारण बहुत से आकस्मिक व्यय करने पड़े या उससे संबंधित कुछ खर्चे ऐसे थे जो करने पड़े, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जैसा कि रूपरेखा दिखाई पड़ रही है, शायद ही कोई भाग ऐसा बचा है जो उसमें संलग्न नहीं किया गया है जिसकी डिमांड्ज उसमें नहीं रखी गई है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट का एक आदत बन गई है। हर साल स्थिति आती है कि हम बजट बनाते हैं, बजट पास करते हैं लेकिन उसके बाद भी यह स्थिति आती है कि हमें अनुपूरक मांगें पूरी करनी पड़ती हैं और उसमें लगभग सभी विभागों से जो प्रतिवेदन आते हैं, उन पर विचार होता है और जैसा कि निश्चित है पास तो हो ही जाता है।

आज एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो अनुदानों की अनुपूरक मांगे रखी गई हैं। उनका उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक आकस्मिक खर्चों को पूरा करने की बात है, वहां शंका नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरे विभागों के अंदर जो खर्चे सामने रखे जा रहे हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए मांग रखी जा रही है, उस पर हमें विचार करना पड़ता है कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है। माननीय मंत्री जी उस दिन आपसे बात हो रही थी और प्रश्नकाल के दरम्यान भी जब आपने आर्थिक सुधारों का जिक्र किया था, मैंने आपसे जिज्ञासा प्रकट की थी कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम हैं, जो हमारी कार्यपालिका है, उसका काम करने का तरीका कितना प्रभावी है। जो इन्वैस्टमेंट हो रहे हैं, वे कितने उपयुक्त हैं और उनकी रिटर्न क्या है। हमारे एक माननीय सदस्य ने भी इस बात को कहा था कि पिछली सरकार इसे एकनोलिज कर चुकी है कि जो पैसा आयोजना पर खर्च होता है उसका दस प्रतिशत हिस्सा ही मूल रूप से प्रभावी होता है या वास्तविक रूप से खर्च में आता है और शेष 90 प्रतिशत हिस्सा एस्टाब्लिशमैंट में चला जाता है — यानी इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा एस्टाब्लिशमैंट और उसका रिजल्ट क्या है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसका जो एफीशिएंसी है, उस पर बहुत अधिक गौर करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पिछले 50 वर्षों से हम लोग निरन्तर विकास की ओर अग्रसर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के बहुत से पहलुओं को हमने स्पर्श किया है, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई हैं कि हमें अपने तय किए गए संवैधानिक लक्ष्यों को बदलना पड़ गया है। कहां पहले हमने समाजवाद की दिशा में चलना तय किया था, कहां हमने सबके विकास के लिए तय किया था और कहां हम आज इस बात पर आमादा हैं कि जो विदेशी शक्तियों हिंदुस्तान पर दबाव डाल रही थीं, उनके दबाव में हम आज अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। हम अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके जो हमने खुद अपने लिए तय किये थे। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन ने किस तरीके से हमें आगाह कराया, हमें अवगत कराया कि हमारी अपनी कमियां हमारे अंदर ही हैं। हम जिन्हें बाहर तलाश रहे हैं, वे हमारी पूरी व्यवस्था में हैं, वे हमारी कार्यपालिका के अंदर हैं जिसके चलते हम पूरे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। आज पूरी दुनिया कहती है—भारत एक सोता हुआ दानव है। जिस दिन वह जागेगा, कमाल कर देगा। आखिर कब नींद टूटेगी और कौन इसकी नींद तोड़ेगा। हम बाहर से संसाधनों की कल्पना करते हैं। हम हर तरीके से बाईपासिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो हमारे आंतरिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज प्राथमिक शिक्षा की कमी हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गई है। आज जो हमारी उत्पादन प्रणाली है, उसके अंदर जो खामियां पैदा हो गई है, वे आज हमारी लायबिलिटी बन गई हैं। आज जो हमारी एप्रोच है, उसका जो सही फोकस हैं, वह इतनी बिखरी-बिखरी एप्रोच है जो हमें रिजल्ट नहीं दे पा रहा है और यह भी हमारी लायबिलिटी बन गई है।

मैं आपसे एक बात खास तौर से कह देना चाहता हूं कि इस दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें जो आज हिंदुस्तान में आने का सपना

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

देख रही है, जो हिन्दुस्तान को बदल देना चाहता है, इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अगर हमें उनसे लड़ना है तो हमें अपने आंतरिक संसाधनों का बहुत ही एफीशिएन्टली इस्तेमाल करना होगा। एक ऐसी विल पावर का निर्माण करना होगा, जो हमारी पूरी कार्यपालिका को, हमारे डिलीवरी सिस्टम को नये तरीके से चलाये।

माननीय सभापति जी, आज जैसा मेरा अनुभव है, हमारी व्यवस्था के जो लक्ष्य थे, उनकी सम्पूर्ति कर पाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है और हम सभी लोग जानते हैं कि वह लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आई है। हमारे सभी माननीय सांसद जो अपने-अपने इलाके के नियोजक भी है, योजनाकार भी है, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको कितना समय अपने क्षेत्र में नियोजन के लिए मिल पाता है। जो उनके अपने जनपद, अपने क्षेत्र का आर्थिक नियोजन है, उसके लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि ज्यादातर समय लॉ एंड ऑर्डर, सिक्युरिटी, जस्टिस फैसिलिटेट कराने के प्रयास में बीत जाता है। आखिर जो लक्ष्य हमने तय किये हैं, जनपद के स्तर पर हम लोग उसमें सहयोग हैं।

सभापति महोदया, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एफीशिएंटली हमको रास्ते पर लाना है, लेकिन जब तक हमारी कार्यपालिका अपना रोल पूरा नहीं करेगी, डिलीवरी सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगी, तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हम लोग आरडरली सिस्टम नहीं अपना पाएंगे। निश्चित रूप से हमें बहुत दिक्कत आएगी। माननीय मंत्री जी एक नया युग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नई चुनौतियां भी आ रही हैं। हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और खेती से संलग्न है। जो हमारी कृषि की प्राथमिक आवश्यकता है, कृषि के लिए जिस अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, उसे बहुत ही एफीशिएंटली आर्गेनाइज करने की जरूरत है। जो हमारी आबादी और संसाधन हैं उनमें सामंजस्य लाने की बहुत जरूरत है। जो ग्लोबल चेलेंज हैं उनको पूरा करने के लिए हमको एक बहुत ही फोकस्ड अटेंशन चाहिए। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण हमारे किसानों पर निर्भर है। हमारे किसान की जो पूंजीगत आवश्यकताएं हैं, तकनीकी आवश्यकताएं हैं, जो प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर हमें जोर देना है।

सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज हमारे देहात में आदमी पढ़ा-लिखा है और बरोजगार है। पूंजी शहर की ओर भाग रही है और उसका प्रयोग हम अर्थव्यवस्था के लिए नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा है कि सप्लीमेंट्री बजट तो पास हो ही जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाली आयोजना है, जो आप नियोजन करेंगे, उसमें भी इन तथ्यों का ख्याल रखेंगे। जो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं, उनमें एक बहुत ही अहम रोल हमारे डिलीवरी सिस्टम का है। जब हम पूरे हिन्दुस्ता की अर्थव्यवस्था को आर्गेनाईज कर रहे हैं, तो हमें डिलीवरी सिस्टम के भी आर्गेनाईज करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक अत्यंत ही गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका हम अपने राज्य पांडिचेरी में सामना करना पड़ रहा है। आप अपनी तरह जानते हैं कि हमारा राज्य आपके अनुदान और कराधान जो हमें बिक्री कर के रूप में प्राप्त होता है पर निर्भर है। मैं आपके द्वारा लाए गए समान कराधान का पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन हमारे सामने कठिनाईयां हैं। हमारे बजट का ¾ भाग राजस्व से संबंधित होता है तथा ¾ भाग हमारे योजनाओं सम्बंधी निष्पादन से संबंधित होता है। शेष भाग अनुदानों से संबंधित होता है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में समान कराधान नीति लागू करने से उस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा। अतः, जब आप समान कराधान नीति, जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, को लें तो पांडिचेरी के मामले में अलग से विचार करें। मैं आप से यही अनुरोध करता हूं कि जहां तक कराधान का संबंध है तो पांडिचेरी को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति विशेष दर्जा दिया जाए।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कुछ भी कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। हमें कच्चा माल शहर के राज्यों से मंगाना पड़ता है जिसके ऊपर राज्य के चार सौ मझौले और लघु उद्योग निर्भर हैं। यदि आप समान कराधान नीति को लागू पांडिचेरी में करते हैं तो आप वहां के दो लाख लोगों को वे केवल बेरोजगार बनायेंगे अपितु इस संघ राज्य क्षेत्र को इससे भारी झटका लगेगा। मैं अपने देश के माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह पूरी स्थिति को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाये तथा पांडिचेरी की समस्या का समाधान करें।

अतः, आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे हितों की रक्षा की जाए। बड़े राज्यों के पास अनेक समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं परन्तु हमारे पास आपके ध्यान में लाने के लिए मात्र यही एक विषय है। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री और मैंने आपको प्रत्यावेदन दिया है। कृपया मेरे प्रत्यावेदन पर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करें।

यह मामल गृह मंत्रालय के अध्यधीन आता है। वहां वेतन से संबंधित कतिपय विसंगतियों थीं जिनके बारे में मंत्रालय संतुष्ट है और जिसे मंत्रालय ने व्यय सचिव को सौंपा है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के समय से ही यह समस्या रही है। हमारे उप-तहसीलदारों का मामला आपके पास काफी समय से लंबित है। पांडिचेरी सरकार द्वारा इसे स्वीकृति की जा चुकी है तथा इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया है, जिसने इसकी गहन जांच की है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि ऐसे छोटे मामलों को जल्द निपटाया जाए।

कृपया आप पांडिचेरी के मामले में वहीं मानदण्ड न अपनाएं। जो अन्य राज्यों के मामले में अपनाए जाते हैं। कृपया हमारे राज्य के प्रति सहानुभूति बरतें जिससे कि वित्त मंत्रालय के साये में हम भी फल-फूल सकें।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर ने वित्त मंत्री को कई मामलों में अपने से जोड़ते हुए, अपने नजदीक साबित करते हुए कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी को कारपोरेट सैक्टर, बड़े-बड़े पूंजीपतियों, सी.आई.आई. और फिक्की से बड़ा भारी लाभ है। पहले तो इन्होंने साबित किया कि हम बहुत नजदीक हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को कारपोरेट सैक्टर से और बड़े-बड़े पूंजीपतियों से बड़ा लाभ है और इन्हें गरीब की चिन्ता नहीं है। हमको भी लगता है कि सही में इन्हें न गरीब आदमी की चिन्ता है और न गरीब राज्यों की चिन्ता है। जब देश में यह नीति बनी कि जो गरीब प्रदेश, गरीब क्षेत्र और गरीब आदमी हैं, उनको विशेष अवसर और सहूलियत देकर देश की मुख्य धारा में लाने का काम होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये वित्त मंत्री बने हैं तब से एक बार भी गरीब राज्यों को देखने का, गरीब क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अथवा गरीब आदमी की समस्या के समाधान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया।

उदाहरणस्वरूप इनको याद होगा, अपने बजट भाषण में इन्होंने गरीब आदमी के लिए एक पंक्ति कही थी कि गांव में जो बहुत फटेहाल होगा, उसको हम हरा कार्ड देंगे ओर हरा कार्ड के आधार पर मुफ्त में उसको दस किलो अनाज देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में क्या एक भी गरीब आदमी को वह हरा कार्ड मिला—नहीं मिला है। हम आपको सबूत देकर साबित करेंगे कि आपने जो बयान दिया, उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। यह तो इनका बयान था और हम वित्त मंत्री के बयान को वजन देते हैं। जब अन्य विभाग किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए सोचते या करते हैं तो वित्त विभाग उसमें आड़े आता है कि खर्चा नहीं है, सबसिडी नहीं है। अभी सेनगुप्ता जी इसके बारे में बोल रहे थे। लोग कहते हैं कि वित्त मंत्री जी बहुत काबिल आदमी हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं और अंग्रेजी वगैरह अच्छी बोल लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सबसिडी को खत्म कर देना चाहिए। आप सबसिडी किसको दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : यह राजसहायता नौन-मेरिट गुड्स और सेवाओं पर है न कि मेरिट गुड्स और सेवाओं पर।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह तो कह देंगे कि किसान को सबसिडी देते हैं तो इस पर तो बहुत झंझट हो जायेगा। *(व्यवधान)* डब्ल्यू.टी.ओ. की लॉबी बहुत जबरदस्त हैं कारपोरेट सैक्टर और मल्टीनेशनल कम्पनियों से गरीब राज्यों को बचाना बहुत आवश्यक है। ट्रेड बढ़ाने के लिए तो संस्था बनी है और वे कहते हैं कि ट्रेड को लेबर स्टैंडर्ड से जोड़िये। अब कहते हैं कि ट्रेड को ऐन्वायरमैंट से जोड़िए, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी से जोड़िए। इसके अलावा ट्रिप्स, ट्रिम्स कई तरह के कानून भी लाने वाले हैं। हम सब तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह मल्टी नेशनल्स की लॉबी के सामने, या हम अमरीका के सामने कैसे घुटने टेकने देंगे। हम दुनिया के छटे हिस्से हैं। हमको कोई डरता है कि यदि हम डब्ल्यू.टी.ओ. से हट जाएंगे तो यह देश पिछड़ जाएगा। हम दुनिया वालों को यह कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को छोड़कर दुनिया में और कुछ कहीं नहीं हो सकता। इसलिए उनको विचार करना पड़ेगा। जनतांत्रिक पद्धति रखनी पड़ेगी। अमरीका की दादागिरी नहीं चलने वाली है, यह हम इस सदन में कहना चाहते हैं। *(व्यवधान)* इन्होंने हरा कार्ड लागू नहीं किया। लेकिन हमारे राज में गरीब आदमी के लिए लाल कार्ड लागू हुआ था। उस समय अनुमान किया गया था कि हिन्दुस्तान में छः करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप गरीब आदमी को क्या देते हैं ? उसके पास बिजली, मकान, पीने का पानी नहीं है। आप गरीब आदमी को क्या देते हैं ? उसके पास बिजली, मकान, पीने का पानी नहीं है। आप गरीब आदमी के लिए कौन सा काम करते हैं ? उस समय छः हजार करोड़ रुपये सबसिडी लग रही थी लेकिन अब सुनते हैं कि आठ से दस हजार करोड़ रुपये हो गई है। अनाज के बारे में यह तय हुआ कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, अब अर्थशास्त्री हिसाब जोड़ते हैं कि कौन गरीब आदमी हैं लेकिन हम गरीब आदमी का मोटा-मोटी फार्मूला जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें भर-पेट खाना नहीं मिलता, देह पर पहनने लायक कपड़ा नहीं हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, पढ़ाई, दवाई का अच्छा प्रबंध नहीं है, वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले होते हैं। उस समय छः करोड़ अनुमान किया गया था। 1991 की जनगणना के हिसाब से 2.3 प्रतिशत आबादी बढ़ती है, वह अब बढ़कर सात करोड़ परिवार हो गई है। 16 करोड़ परिवार का हिन्दुस्तान में आकलन हैं उसमें से उस समय छः करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। दस साल तक छः करोड़ कहते रहने से कैसे काम चलेगा, सात करोड़ की आबादी है। गांवों में जाएं तो गरीब व्यक्ति कहते हैं कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला, हमें अनाज नहीं मिलता। उस समय की आई.आर.डी.पी. की सूची के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का आकलन किया गया। इस तरह असली गरीब व्यक्ति छूट गया। यह ठीक है कि उसे लागू करने में कहीं-कहीं सम्पन्न लोग भी जुट गए, जिनके पास 5-10 बीघा, जमीन थी, उन्होंने भी अपना नाम लिखवा लिया क्योंकि आई.आर.डी.पी. में लोग लोन लेने के उद्देश्य से नाम लिखवाते थे, गरीब व्यक्ति उसमें नाम नहीं लिखवा सके। बिहार को छः करोड़ परिवार के हिसाब से 86 लाख हिस्सा मिला था। लेकिन गांव में जाने से पता लगा, परिवार के परिवार कहने लगे कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला। क्या यह गरीब व्यक्ति का सवाल नहीं है ? क्या इसपर विचार नहीं करना चाहिए ? वित्त मंत्री को दो वर्ष होने जा रहे हैं। क्या इन्होंने एक बार भी गरीब राज्य को बुलाने की कोशिश की या एक बार भी गरीब व्यक्ति के लिए सोचने की कोशिश की ? मेरी जानकारी में है कि इन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया। बयान देखते हैं, कभी सी.आई.आई., ट्रिप्स, ट्रिम्स, बड़े-बड़े पूंजीपति, कारपोरेट की बातों के लिए बराबर बयान आता है। इन्हें गरीब व्यक्ति के लिए कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए हमें चिन्ता हो रही है कि इतना बड़ा देश है, इसमें गरीब व्यक्ति की संख्या ज्यादा है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस बारे में यदि वित्त मंत्री नहीं सोचेंगे तो सारा विभाग ठप्प रह जाएगा, जहां-तहां चौपट हो जाएगा। इसलिए हम इनसे मांग करना चाहते हैं कि ये मोनिटरिंग करवाएं।

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

वित्त की तरफ से सबसिडी की बाधा खड़ी न करें। छः करोड़ परिवार से बढ़कर सात करोड़ परिवार, दो-चार लाख कम, ज्यादा हो सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हो गए हैं। जिन्हें लाल कार्ड नहीं मिला है, उन्हें वह मिलना चाहिए और अनाज भी मिलना चाहिए।

यह भी शिकायत आई तो यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन केन्द्र सरकार को मोनीटरिंग करनी चाहिए। अब इतनी सब्सिडी खर्च हो रही है लेकिन गरीब आदमी को 10 किलो अनाज नहीं। जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उसने अनुशंसा की थी कि इसको 20 किलो कर दिया जाये, गरीब लोगों के लिए 10 किलो अनाज एक परिवार के लिए क्या है ? इसलिए 20 किलो अनाज की अनुशंसा की गई और ये लोग दावा करते हैं, कहते हैं कि अनाज भरा हुआ है, भंडार भरे हुए हैं तो गरीब आदमी के लिए खाली गोदाम आप क्यों बताते हैं। गरीब के लिए आप 20 किलो अनाज नहीं देते। आज श्री बसुदेव आचार्य जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि 20 किलो अनाज का क्या हुआ, 20 किलो अनाज होना चाहिए। यह तो गरीब आदमी का सवाल हुआ।

अब बिहार का सवाल मैं बताना चाहता हूं। सिंदरी फर्टिलाइजर यूनिट है, जो इनके क्षेत्र से लगा हुआ है। वह बन्द है, चौपट है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उसकी स्थापना की थी और कहा था कि यह एशिया का सबसे भारी और बढ़िया खाद कारखाना है। खाद पर कितना खर्चा होता है और विदेश से कितना आता है। वहां खाद कारखाना लगा और वहां सबसे बढ़िया यूरिया पैदा होता था, लेकिन वह आधुनिकीकरण के बिना चौपट हो गया। उसके पुनर्वास की जरूरत है। उसमें विशेषज्ञों की कमेटी बैठी, हमारी पार्टी की कमेटी नहीं बैठी, सरकार की कमेटी बैठी और उस कमेटी ने अनुशंसा की कि इसका पुनर्वास होना चाहिए। इन दोनों पर 300 करोड़ रुपये के करीब खर्च आयेगा। दोनों की उसी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इसका पुनर्वास होना चाहिए और यह वायबल यूनिट है। सभी दृष्टिकोण से उसका औचित्य है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया में इस तरह का भेदभाव का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। नामरूप में सरकार ने स्वेच्छा से, जो उस कमेटी ने अनुशसा की थी, उसको लागू किया और उसको चालू करने का काम हो रहा है तो बिहार के साथ क्यों भेदभाव हुआ ? इस तरह तो वहां के लोग हमको बोलने नहीं देंगे। लोग कहेंगे कि जब बिहार के ज्यादा मंत्री हैं और सारे मुख्य-मुख्य विभागों में आपके मंत्री हैं, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी बिहार के साथ इतना भारी भेदभाव हो रहा है, वैसा अभी तक कभी नहीं हुआ। ये इसका जवाब दें। हम कहते हैं कि एक जो विशेषज्ञों के दल की उपयुक्त सरकारी कमेटी थी, उसने दोनों की अनुशंसा की कि नहीं ओर उसका वायबल कहा कि नहीं, देश हित में और सर्वहित में उसका पुनर्वास करने के लिए उसने योजना का अनुमोदन किया कि नहीं, अनुशंसा की कि नहीं ? नामरूप का काम शुरू हो गया, तो सिंदरी का क्यों शुरू नहीं हुआ, यह हम जानना चाहते हैं ? बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना भी बन्द है, बरौनी का भी बन्द है। जो कारखाने बन्द हैं, उनको चालू करने की तरफ सरकार का ध्यान हो, मैं भेदभाव का आरोप इन पर लगाता हूं। क्यों नहीं अभी तक सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाने को इन्होंने चालू करने का काम किया। सिंदरी इनके क्षेत्र से लगता हुआ है।

एक पनबिजली की कोयलाकारो परियोजना है। सारे जानकार लोग कहते हैं कि किसी भी देश में बिजली की आपूर्ति के लिए 60-40 का रेश्यो रहना चाहिए। 60 प्रतिशत थर्मल पावर और कम से कम 40 प्रतिशत पनबिजली होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां यह 15-20 प्रतिशत है। अपने देश में अभी तक पनबिजली नहीं है। लेकिन कोयलाकारो में 732 मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और टैक्नीकल कमेटी, टैक्नो इकोनोमिक कमेटी, केबिनेट कमेटी, सभी स्तर से वह पारित है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। केन्द्र सरकार ने शर्त लगाई थी, उस समय यह कहा गया था, पुनर्वास का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास के मामले की जिम्मेदारी ज्यादा राज्य सरकार ले। राज्य सरकार ने वह शर्त कबूल कर ली, केन्द्र सरकार की सारी शर्तों को राज्य सरकार ने कबूल कर लिया, फिर भी पनबिजली की कोयलाकारो परियोजना मंजूर नहीं हुई, जिसमें 732 मैगावाट की क्षमता है। किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार उसको रोककर रखे हुए है, इसका हम जवाब चाहते हैं। हम उदाहरण के बतौर बताना चाहते हैं कि कितना भेदभाव और गड़बड़ी हो रही है।

सभापति महोदय : आपने 15 मिनट लिये हैं, आप जल्दी खत्म कीजिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसी तरह से 10 और कारखाने बन्द हैं। हम मानते हैं कि बिहार की सरकार से राजनैतिक झगड़ा इन लोगों का है। बिहार की राज्य सरकार से आपका झगड़ा है, इसे हम मान लेते हैं। आपने उसको एक बार बर्खास्त किया, लेकिन राष्ट्रपति जी नहीं माने, फिर भी आपने बर्खास्त किया, लेकिन संसद में वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की दस करोड़ आबादी का क्या कसूर है, उसकी आपने क्या चिंता की है। जिस योजना के अंदर राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया है। खाद कारखाने में बिहार सरकार को कोई रोल नहीं है, लेकिन आपने इस संबंध में कुछ नहीं किया। दुनिया और हिन्दुस्तान का कोई अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, जानकार और विद्वान हमें बताए कि बिहार को छोड़कर क्या हिन्दुस्तान आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ सकता। जनरल हिल्टन, जो अंग्रेज आई.सी.एस. अधिकारी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम "बिहार दी हर्ट आफ इंडिया" है। इस तरह से बिहार हिन्दुस्तान का कलेजा है। अगर व्यक्ति का कलेजा खत्म हो जाए तो वह कैसे पहलवान बन सकता है। इसी तरह से जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़ी हुई आबादी है, पहले उसको सुधारा जाना चाहिए। इस संबंध में हमारे यहां गाडगिल फार्मूले जैसे कई फार्मूले बने हुए हैं उसमें यह है कि इंटरनल रिसोर्सेज कितना एकत्र करता है, इसको आधार बनाकर उक्त राज्य की सहायता की जाएगी। लेकिन हो यह रहा है कि जो पिछड़ा हुआ राज्य है वह और पिछड़ रहा है। उदाहरण के लिए आप उड़ीसा को देख लें, बिहार को देख लें। केन्द्र में प्राकृतिक आपदा कल्याण कोष बना हुआ है, यह 100 करोड़ रुपए का है। मैंने इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में देखा, उसको बढ़ाने की कोई जिक्र नहीं है।

हम लगातार यह मांग करते रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जाए। जब भी किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां सेंट्रल असिस्टैंस के तहत 500 करोड़ रुपए या और राशि की मांग की जाती है, लेकिन जब फंड ही 100 करोड़ रुपए का है तो इतना पैसा कैसे दिया जा सकता है। हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस फंड को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक किया जाए। जिससे किसी राज्य में प्राकृतिक विपदा आए तो उससे मजबूती से निपटा जा सके। हमारे यहां हिन्दुस्तान उर्वरक कारखाना, बरौनी का बंद है, पी.डी.आई.एल. सिंदरी का बंद है, आर.बी.एच.एल. जूट मिल बंद है, आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर बंद है, सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना बंद है, मोकामा स्पिनिंग मिल बंद है, कानपुर-मरहोवा शुगर मिल बंद है। ये सब केन्द्रीय सेक्टर में हैं। इनको क्यों नहीं चालू किया जाता, यह समझ में नहीं आता। इसी तरह से हमारे यहां गंगा में जल निकासी का प्लान, गंडक परियोजना, कोसी नदी के किनारे की ऊंचीकरण परियोजना लम्बित है। हमारे यहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ आते रहते हैं। केन्द्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। हमारी सोशल फिलॉसफी है कि कोई राज्य या आबादी पिछड़ी है तो उसको सहारा दिया जाए। आपने अभी तक कोई सहारा नहीं दिया। हमारी जो योजनाएं लम्बित हैं, उनको आप देखें और राज्य सरकार से परामर्श करके पूरा करें। अगर इसमें राज्य सरकार का कसूर है तो उसको देखें और वहां के अधिकारी इसमें हेराफेरी करते हैं तो वह देखें। आप भी वहां अफसर रहे हैं और होशियार अफसरों में आपका नाम आता था। इसलिए आप वहां की नौकरशाही को देखें और बिहार की दस करोड़ जनता को अहित नहीं हो, इस पर ध्यान दें।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गांधी जी का नाम था। कोई भी काम करो तो देखा जाता है कि गरीब आदमी के लिए कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो समझें कि वह बेकार चीज है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पूरे दिन बैठकर विचार करें और देखें कि क्या आपने गरीब के लिए कुछ सोचा है, कुछ किया है। अगर गरीब आदमी के लिए, गरीब क्षेत्र के लिए कुछ नहीं सोचा है तो मानिए कि आप गांधी जी से विमुख हैं। गांधी जी से जो विमुख होगा, उससे हिन्दुस्तान का कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा हमारा दृढ़ मत है।

गांधीवाद ही प्रासंगिक है,
गांधी-लोहिया और जयप्रकाश,
धरती गूंजे और आकाश,
इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों को न केवल इस चर्चा में इतने जीवंत रूप से भाग लेने के लिये बल्कि देर तक बैठ कर अनुपूरक मांगों के इस कार्य को पूरा करने के लिये धन्यवाद देने की बात से अपना भाषण आरम्भ करता हूं। यदि मुझे अफसोस है तो केवल इस बात का है कि तीन दशकों से सदस्य चुने जा रहे श्री मणिशंकर अय्यर उत्तर सुनने के लिये यहां उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदया वे सदस्य और मैं, यूं समझिये हम सब जो संसदीय प्रक्रिया से परिचित है, इस तथ्य से अवगत हैं कि परम्पराओं और संसदीय प्रथा के अनुसार सरकार तीन अनुपूरक मांगे लाती है—एक मानसून सत्र में, दूसरी शरदकालीन सत्र में और अन्तिम बजट के साथ लाती है। यह परम्परा है। दुर्भाग्यवश चूंकि लोकसभा भंग कर दी गई थी इसलिए हम इस वर्ष के लिये अनुपूरक मांगों की पहली खेप मानूसन सत्र में नहीं ला पाये थे। इसी कारण ये अनुपूरक मांग जो हम लाये हैं वह वास्तव में एक अनुपूरक मांग न होकर दो अनुपूरक मांगे हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया यह ध्यान रखें कि अनुपूरक मांगों के लिए रखी गई कुल 14323,79 करोड़ रु० की धनराशि केवल इस तथ्य के कारण है कि ये एक अनुपूरक मांग में दो अनुपूरक मांगें हैं।

अब दूसरा मामला जिसे अनेक माननीय सदस्यों ने सभा में उठाया है वह इस संबंध में है कि भारत सरकार के वित्त का प्रबंध इस प्रकार किया जाये कि इस प्रकार की अनुपूरक मांगों की आवश्यकता न पड़े। अत: यह निष्कर्ष यह निकाला गया कि चूंकि हम लोग वित्त के प्रबंध में ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसी कारण इस प्रकार की अनुपूरक मांगों को लाना हमारे लिये आवश्यक हो गया है। श्री मणिशंकर अय्यर यहां उपस्थित नहीं हैं, परन्तु श्री रूपचन्द पाल यहां उपस्थित हैं। उन्होंने अनेक मदों के बारे में पूछा है जिन पर मैं बहुत जल्दी से यह स्पष्ट करूंगा कि इस पर बजट तैयार करते समय इसका अनुमान क्यों नहीं लगाया गया था।

मैं यह कहता हूं कि सदस्य मेरे प्रति काफी उदार हैं और उन्होंने यह कहा है कि ये 3243 करोड़ रु०, रक्षा सेवाओं के लिये क्या व्यय किये गये थे जोकि कारगिल युद्ध के कारण खर्च हुये जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। यह अलग-अलग राय का मामला है कि इसका अनुमाचन लगाया जा सकता था या नहीं। एक बात यह उठाई गई कि क्या हम रक्षा पेंशन जोकि 3676 करोड़ रु० है और सिविल पेंशन जोकि 500 करोड़ रु० है और जोकि पेंशन और सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिये विभिन्न अन्य भत्तों पर 4000 करोड़ रु० व्यय किया गया है इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि हम वित्त मंत्रालय में अनुमान तैयार नहीं करते हैं। हमारे पास विभिन्न मंत्रालयों से अनुमान आते हैं। इस विशिष्ट मामले में हमारे पास रक्षा मंत्रालय से अनुमान आये थे और हमने वस्तुत: इसकी जांच की थी। परन्तु वे ऐसे हैं जो ये जानेंगे कि पूरे वर्ष के लिये इस शीर्ष के अंतर्गत उनकी आवश्यकता क्या है। पांचवें वेतन आयोग के कारण वे इस दफा बिल्कुल अनुमान नहीं कर पाये थे। इस कारण अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप बकाया धनराशि का पता चल रहा है। पांचवें वेतन आयोग से संबंधित अनेक मामले हैं जिनको अभी तय किया जाना शेष है।

एक अन्य सदस्य एम०ओ०एच० फारुख जो अब चले गये हैं न संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं से संबंधित वेतनमान का मामला उठाया था। वेतन आयोग से संबंधित अनेक मामले अभी भी तय किये जा रहे हैं और पेंशन के भुगतान से संबंधित यह मामला पूरे देश में विभिन्न बैंकों और खजानों तक फैला हुआ है, वह नेपाल के एक भाग में

[श्री यशवंत सिन्हा]

भी फैला है और इसकी वास्तविक धनराशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति का सामना हमें पिछले वर्ष भी कर रहे हैं। केवल जब मांग पूरी कर दी जाती है तभी हमारे लिये यह संभव होता है कि हम बजट में इसका प्रावधान करें। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे किसी प्रयास के कारण नहीं है या व्यय के भागों को छिपाने की मेरी किसी इच्छा के कारण नहीं है, या मैंने रक्षा मंत्रालय को बता दिया हो कि रक्षा पेंशन बकाया धनराशि और भत्तों के 3600 करोड़ रु० को दबा दिया जाये और मैं राज-कोषीय घाटे में किसी प्रकार की हेरा-फेरा कर सकूं। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेरे ऊपर ऐसा घटिया आरोप न लगायें। अत: इन दोनों बातों को समझा दिया गया है।

3000 करोड़ रु० के राज्यों को दिये जाने वाले ऋण को जुटाने के साधन यह एक मामला है जिसे उठाया गया है कि इसका अनुमान क्यों नहीं किया गया है। इसे सभा में काफी जोर शोर के साथ उठाया गया था। हम अनसूनी हैं कि हम इसका अनुमान भी नहीं लगा पाये और इसी कारण इसका प्रावधान भी नहीं कर पाये और अब मैं बिना आडम्बर के एक अनुपूरक मांग पर आता हूं, और मैं इसे उठाने का प्रयास कर रहा हूं। सभापति महोदया, मैं इस मद पर इस सभा के बहुमूल्य समय में से 2 मिनट लेता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 19 फरवरी 1998 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद को बैठक में भी वही बात उठाई गई, जो इस सभा में उठायी गई है अर्थात् राज्यों की वित्त व्यवस्था चरमरा गई है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था पर पांचवें वेतन आयोग का 20,000 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार पड़ा है। अत: सभी मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अपने-अपने भाषणों में प्रधानमंत्री से कह दिया है कि वे स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को समाप्त करते हुये मुझे भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के कारण निर्देश दिये कि मैं यथाशीघ्र मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाऊं और बैठक में इस बात पर विचार किया जाए कि राज्यों को संकट से उबारने के लिये क्या किया जाये। मैं 20 मार्च, 1999 को अर्थात् बजट प्रस्तुत किये जाने से 20 या 21 दिन बाद बैठक बुलाई। इस बैठक में भाग लेने वाले वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष यह निकाला गया कि भारत सरकार योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्रालय में सचिव (व्यय) इसके सदस्य होंगे और इस समिति में हम प्रत्येक राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे पर विचार करेंगे, क्योंकि इसका कोई एक समाधान नहीं है। हम जानते हैं कि राज्यों को यह पता है कि प्रत्येक राज्य की अपनी ढांचागत समस्यायें हैं।

प्रत्येक राज्य अलग-अलग श्रेणी में था। तब कोई एक श्रेणी नहीं थी। इसलिए हमने यह निश्चय किया और प्रत्येक राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत सरकार को राज्य सरकारों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन राज्यों को भी अपनी सहायता आप करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

इसलिए, यह विचार आया कि हम आपस में बैठकर राज्य सरकारों के साथ मध्यावधि संरचनात्मक समायोजन योजना पर चर्चा करें। हमने इसके लिए कई कदम उठाये और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से ही हमने राज्यों को प्रभावी ढंग से सहायता देना आरम्भ किया है। ये चर्चाएं जारी रहीं और कई राज्यों के साथ हम एक समझौते पर पहुंचे हैं और कई राज्यों के साथ हमारी बातचीत जारी है और हम शीघ्र ही उनके साथ किसी न किसी समझौते पर पहुंचेंगे। हम उनके साथ मिल बैठकर प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्रियों के साथ भी यह विचार-विमर्श कर रहा हूं कि राज्यों की वित्तीय समस्याओं का निराकरण किस तरह किया जा सकता है।

अब हमने 3000 करोड़ रुपये की राशि से एक राजकोषीय सुविधा कोष विकसित किया है ताकि विभिन्न राज्यों को इस वर्ष तथा तीन से पांच वर्ष की अवधि में उनकी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। इसीलिए, बजट में इस प्रावधान क्यों नहीं रखा जा सका। यह प्रावधान बजट के बाद किया गया। यह पहला अवसर है जब मैं संसद आया हूं और इस राजकोषीय सुविधा कोष के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया है। इसलिए, इसका पहले से अनुमान नहीं किया जा सका हम इस प्रकार के राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

मैं यह इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि श्री मणि शंकर अय्यर ने यह कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कई दल सम्मिलित हैं और मैं इन दलों के प्रभाव के कारण वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में शिथिलता बरत रहा हूं और उन्हीं राज्यों की मदद कर रहा हूं जहां के सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का हिस्सा हैं। पीठासीन अधिकारी महोदया, आपके माध्यम से मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की थी तो उसके पीछे कोई राजनीतिक चाल नहीं थी। हम वित्तीय सुधार कार्यक्रमों के संबंध में नौ राज्यों के साथ एक तरह के समझौते पर पहुंचे हैं। ये राज्य हैं :- मिजोरम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, उड़ीसा, मणिपुर, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश। क्या कोई इन राज्यों के मद्देनजर यह कह सकता है कि ये सब राजनीतिक कारणों से हुआ है। क्या कोई यह कह सकता है कि मैं राजस्थान सरकार का या उड़ीसा सरकार का पक्ष ले रहा हूं। क्योंकि वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, नहीं। हम प्रत्येक राज्य की ओर ध्यान दे रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं और मदद करने का तात्पर्य है हम राज्य के साथ मिल बैठकर एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं ताकि संबद्ध राज्य अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकें।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वित्तीय स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। इसलिए 3000 करोड़ रुपये की राशि का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सका। यह ऐसी सुविधा है जिस मैं पहली बार शुरू कर रहा हूं। वस्तुत: मुझे इस बात का श्रेय जाता है इससे पहले किसी भी वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए

कभी भी इस तरह की सुविधा की शुरूआत नहीं की। हमारे पास साधनों की सुविधा है। लेकिन यह विस्तारित साधन सुविधा राज्य सरकारों हेतु एक विशेष प्रकार की सुविधा है।

इसके अतिरिक्त 850 करोड़ रुपये की केन्द्रीय योजना सहायता का प्रावधान है। कुल मिलाकर यह 13,769 करोड़ रुपये बैठती है। जहां तक मोटरकार तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान करने का संबंध है, हो सकता है श्रीमती गीता मुखर्जी यह कहें कि हमें कर्मचारियों को इसे प्रदान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी भी एक मजबूरी है क्योंकि इन्हें नियमानुसार ही दिया जाता है और हम इस पर पूरे खर्चे का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग यह ऋण लेते हैं। इसीलिए, हमने इस उद्देश्य के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह सब जोड़कर कुल 14,323 करोड़ रुपये में से 13,769 करोड़ रुपये हो जाते हैं। कुल मिलाकर मैं जो बात कहना चाहता हूं वो यह है कि जब मैं बजट तैयार कर रहा था, जब मैं 1999-2000 का व्यय निवरण तैयार कर रहा था उस समय इस व्यय की अधिकतर राशि का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसमें कोई तिकड़मबाजी करने या धोखा देने की बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण मुझे इस सम्माननीय सभा के सामने खड़े होकर शर्मिन्दा होना पड़े।

मैं इस सभा के विभिन्न सम्मानीय सदस्यों का आभारी हूं। श्री मणि शंकर अय्यर, श्री नीतीश सेनगुप्ता तथा कुछ अन्य सम्माननीय सदस्यों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि आर्थिक संकेत शुभ दिखायी दे रहे हैं। वो वास्तव में शुभ दिखायी दे रहे हैं। और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो यह कह रहा हूं।

वस्तुत: मैं इस संबंध में बहुत सावधान था मैं श्री मणि शंकर अय्यर की इस बात से सहमत हूं कि कोई भी वित्त मत्री बहुत अधिक आशावादी नहीं हो सकता। निश्चय रूप से मैं बहुत अधिक आशावादी नहीं हूं। न ही मैं इससे संतुष्ट हूं। न ही मैं इस मामले में चुप बैठूंगा। इस वर्ष की प्रथम तिमाही के परिणाम जब हमें प्राप्त हुए, तब यह कहने वाला मैं पहला व्यक्ति था कि आर्थिक दशा में सुधार के 'हल्के' संकेत मिल रहे हैं। मैंने 'हल्के' शब्द का प्रयोग किया था उसके बाद दूसरी तिमाही के परिणाम प्राप्त हुए। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि आर्थिक सुधार गति पकड़ रहे हैं। इसके बाद तीसरी तिमाही का भी कुछ समय बी गया है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि स्थितियां सुधर रही हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार निरन्तर जारी रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए हमें आगे भी कड़ी मेहनत जारी रखती है। इस संबंध में क्या किया जाना है, इस पर किसी को कोई श्रम नहीं है, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं।

श्री मणि शंकर अय्यर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं वास्तव में एक सक्षम वित्त मंत्री हूं या महज भाग्यशाली हूं। क्या अर्थव्यवस्था में सुधार स्वत: हो रहा है या इसका कुछ श्रेय सरकार को भी जाता है। मैं इसका श्रेय स्वयं लेकर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन शायद अर्थव्यवस्था में सुधार के दोनों ही कारण हैं। मेरे पास सीमेंट और इस्पात उद्योग में प्रगति के कुछ आंकड़े हैं। ये दोनों ही उद्योग मंदी से बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में सीमेंट उत्पादन में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इस्पात उत्पादन भी 4.3 प्रतिशत बढ़ा है। इन दोनों उद्योगों में लगातार सुधार हो रहा है। मैं इस बात का श्रेय अवश्य ले सकता हूं कि ये सब इस बजट में आवास निर्माण के क्षेत्र में घोषित की गई रियायतों के कारण संभव हो रहा है। रियायतों के कारण ही आवास निर्माण की गतिविधियों में तेजी आ रही है और सीमेंट तथा इस्पात की खपत में काफी वृद्धि हो रही है।

अब रही क्षेत्रीय असंतुलनों की बात। इन असंतुलनों को दूर किया जाना चाहिए। हम अपने कार्यक्रमों तथा आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि, हां, यह सच है। हममें से कई सदस्य यहां उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर, श्री मणि शंकर अय्यर तथा मैं संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर : आप सिर्फ मणि शंकर अय्यर को ही उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या आप? *(व्यवधान)* हम भी बहस में हिस्सा ले रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : बहस श्री अय्यर ने ही आरम्भ की थी *(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्षेत्री असंतुलनों के बारे में आप का क्या विचार है?

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हम दोनों ही संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। इसलिए, स्टॉक मार्केट की गतिविधियों के बारे में और कोई इतनी बारीक जानकारी नहीं रखता जितनी कि मुझे है। ऐसा इसलिए कि मैं संयुक्त संसदीय समिति का एक सदस्य मात्र नहीं था जिसने स्टॉक मार्केट के बारे में अध्ययन किया हो, अपितु मैं इस समय देश का वित्त मंत्री भी हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा और मैं पहले भी इस बात को सभा में कह चुका हूं, कि यदि स्टॉक मार्केट में उछाल आया है, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ घोटाला हुआ है। इस बात की कोई तुक नहीं है कि इसको लेकर हम अटकलें लगाने लगें कि अब सत्यानाश होने वाला है। क्योंकि मार्केट में उछाल आया है इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, यह सोचना ठीक नहीं है। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि मुंबई सैंसेक्स कितना है। मेरी रुचि तो केवल इस बात में है कि देश का वित्त मंत्री होने के नाते मैं यहां की मार्केट सुरक्षित बनाये रख सकूं। जहां तक मार्केट की सुरक्षा तथा निवेशकों के हितों की रक्षा का संबंध है, मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं कि सेबी जैसे बाजार नियामक द्वारा जो विभिन्न कदम उठाये गये हैं, उसके कारण अब प्रतिभूति तथा बाजार के किसी तरह के खतरे में पड़ने का कोई अंदेशा नहीं है।

अब, मैं सड़क उपकर के बारे में उठाये गये प्रश्न पर आता हूं क्योंकि बजट में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा उसकी मरम्मत के लिए 1900 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। सभापति महोदया, आप अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा इस बात को अच्छी तरह समझती होंगी कि वित्त मंत्री संसद में जब अपना बजट भाषण देता है। तो उसमें कई ऐसी

[श्री यशवंत सिन्हा]

बातें भी होती हैं जिनका उल्लेख बजट में नहीं होता क्योंकि बजट हफ्तों पहले तैयार किया जाता है। यदि हम भाषण को अंतिम रूप देने का ही इंतजार करते रहें तो न तो कभी राजस्व बजट और न ही व्यय बजट तैयार हो सकेगा। पहले व्यय बजट तैयार किया जाता है। फिर राजस्व बजट तैयार होता है। सबसे बाद में, बजट भाषण तैयार होता है। बजट भाषण में इसे शामिल करते हैं। मैं ही ऐसा नहीं करता। मुझसे पहले भी सभी वित्त मंत्रियों ने ऐसा ही किया है। बजट भाषण में हम कई नई बातों को शामिल करते हैं। डीजल पर प्रति लीटर एक रुपया अधिभार लेने का विचार एक ऐसा ही नया विचार था और इसे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त समाधन जुटाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था। इसलिए, बजट में इसका उल्लेख नहीं किया गया। बजट में सभी बातों पर उल्लेख नहीं होता। इसी कारण अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं। पूरी व्यवस्था इसी तरह कार्य करती है। इसी कारण हम राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में सहायता पहुंचाने के लिये अनुपूरक मांगों के माध्यम से यह 1900 करोड़ रु० प्रदान कर रहे हैं।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से हमें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह उपकर नहीं है। उपकर विधेयक सभा में बाद में प्रस्तुत किया जायेगा। वह तैयार हो रहा है। तब यह भारत की संचित निधि में से किसी अन्य निधि में जायेगा जोकि केन्द्रीय सड़क उपकर निधि होगी या आप इसको कुछ भी जान दे सकते हैं। इस समय संपूर्ण धनराशि संचित निधि से निकाली जा रही है। यहां से इसे राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राजमार्गों के निर्माण के लिये दिया जाएगा। अत: सड़क उपकर संबंध में यह स्थिति है।

अब इस चर्चा के दौरान अनेक अन्य मामले भी उठाये गये। एक मामला जो उठाया गया वह आपदा राहत निधि के संबंध में है। अब यह 100 करोड़ नहीं है जैसाकि डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था। इसे 1000 करोड़ रु० तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपदा राहत निधि या राष्ट्रीय आपदा राहत निधि या आपदा राहत के लिये निधि पर पहले इस सभा में चर्चा हो चुकी है। आपदा राहत के लिये राष्ट्रीय निधि की सिफारिश दसवें वित्त आयोग ने की थी। इस निधि को स्थापित कर दिया। इसमें 700 करोड़ रु० रखे गये थे। यह धनराशि पहले तीन वर्षों में खर्च हो गई और अब इस निधि में कुछ भी नहीं है।

यह निधि संयुक्त निधि है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है और 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है। इस प्रकार यह निधि बनायी गयी है। अब राष्ट्रीय निधि के अलावा राज्य निधि भी हैं। तिलकधर जी जिनका निर्वाचन क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकट है जब बिहार के तूफान के बारे में बता रहे थे तब राज्य आपदा राहत निधि का गठन कर लिया गया था। यह प्रत्येक राज्य में छोटी प्राकृतिक आपदा से निपटने के उद्देश्य से बनाया गया था। केवल तब जब देश क किसी भाग में अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा आती है तो आपदा राहत के लिये राष्ट्रीय निधि से धनराशि उपलब्ध कराते हैं। इस मामले में हमने प्रतीक्षा नहीं की है और प्रतीक्षा नहीं करेंगे।

जहां तक उड़ीसा का सवाल है हमने आगे आकर उड़ीसा को वो सभी सहायता दी जोकि उसे चाहिए थी। इस सभा को विश्वास में लेकर बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के तत्कालीन मुख्य मंत्री कुछ दिन पूर्व मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 300 करोड़ रु० की आवश्यकता है। उन्होंने 300 करोड़ रु० ही मांगे यह 300 करोड़ रु० उन्हें उन लोगों की मदद के लिए चाहिए थे जिनके घरों को फिर से बनवाने की जरूरत थी। सभापति महोदया, मैंने बिना पलक झपकाते कह दिया, मुख्यमंत्री महोदय, आप 300 करोड़ रुपया लीजिए इन्हें खर्च करिये और कि़सी बात की चिन्ता मत करिये। धनराशि पर ध्यान देने के कारण राहत कार्य रुकना नहीं चाहिए। हम साल के अन्त में हिसाब बराबर कर लेंगें कोई कठिनाई नहीं है। इस संबंध में कोई भी समस्या नहीं है।

परन्तु इस समय इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। मैंने विगत दिन को सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये स्पष्ट किया था कि प्रक्रिया सुस्पष्ट है। जब कोई राज्य किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है उड़ीसा की आपदा की भांति नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार या अन्य कोई राज्य हो तो उन्हें कृषि मंत्रालय में संपर्क करना पड़ता है। कृषि मंत्रालय एक दल का गठन करता है। वह दल वहां जाता है और सारी स्थिति का जायजा लेता है। राज्य सरकार अपना अभ्यावेदन तैयार करता है और फिर वे अपनी सिफारिश देते हैं। यदि प्राकृतिक आपदा राहत निधि से सहायता दी जानी हो तो मुख्य मंत्रियों की समिति बैठक करके यह निर्णय लेती है प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी जानी है। हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। जहां तक अन्य राज्यों का सवाल है किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है।

अब यह प्रश्न कि क्या मैं गरीब विरोधी, गरीब समर्थक, अमीर विरोधी इत्यादि-इत्यादि हूं। मुझे खेद है कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने यह असंगत मामला उठाया है जोकि पूर्णत: असंगत है। उनके साथ मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता किंतु मेरे पास 30 अगस्त 1999 का इकोनोमिक टाइम्स है। दूसरी बार इस सभा में कहा गया है कि मैं सी आई आई का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हूं केवल इसलिये किसी बेकार कि चर्चा में जब मैं यहां उपस्थित नहीं था, उस समय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा था और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था किसी ने यह कहा था कि यशवन्त सिन्हा वित्त मंत्री बने रहें। मैं पदस्थ वित्त मंत्री था। ऐसा नहीं था कि मैं ऊपर से टपका हूं। मैं देश का वित्त मंत्री था। परन्तु प्रश्न यह था कि मैं वित्त मंत्री रहूंगा या नहीं। यदि किसी ने यह कहा दिया कि मुझे वित्त मंत्री बने रहना चाहिये, तो इसमें न जाने क्या पाप हो गया था इससे कौन सी सांठ-गांठ का पता चलता है। इससे मैं अमीर समर्थक कैसे हो गया, इससे मुझे काफी दुख: हुआ है। अगर मुझे जवाब में कुछ कहना हो तो मेरे पास 30 अगस्त का इकोनोमिक टाइम्स है जैसा मैंने कहा था उसमें यह कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण सी०ई० ओज़ चाहते हैं कि श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री और महमोहन सिंह वित्त मंत्री बनें।

कार्पोरेट भारत के मुख्य कर्मचारियों का एक सर्वेक्षण किया गया था और 61.4 प्रतिशत ने अटल बिहार वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। 59.9 प्रतिशत ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने की बात कही है। मेरे पक्ष में केवल 20.8 प्रतिशत वोट पड़े हैं।

और बेचारे पी० चिदम्बरम को केवल 13.2 प्रतिशत वोट मिले थे। अब क्या इसे मैं डा० मनमोहन सिंह के विरुद्ध मुद्दा बना लूं और कहूं कि वे पूंजीपति और निगमित वर्ग के प्रतिनिधि हैं इत्यादि-इत्यादि। केवल इसलिए कि कोई उनके समारोह में जाता है। यदि मुझे फिक्की करता सीआईआई ऐशोचैम कोई व्यापारिक संघ या अन्य कोई उद्योग संघ आमत्रिंत करता है तो मैं जाऊंगा ठीक वैसे ही जैसे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के समारोह में जाता हूं ठीक वैसे ही जैसे मैं किसानों के समारोह में जाऊंगा। इतने दिनों में जो मैं वित्त मंत्री रहा हूं मैंने अपना समय सी आई आई के साथ खाने-पीने और ऐश करने में नहीं बिताया था। अत: यह आरोप कैसा है जो इस सभा में लगाया जा रहा है ?

सभापति महोदया : मैं नहीं समझती कि आपको इसे इस तरह से लेना चाहिये।

श्री यशवन्त सिन्हा : जी नहीं, महोदया, यदि इस तरह की बातें बार-बार कही जाती हैं तो मुझे दुख होता है। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे थे कि मुझे गरीब लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है जैसेकि मैं लंदन या न्यूयार्क से चुना गया हूं या कहीं और से मुझे नहीं पता है। वे जानते हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कितनी गरीबी है। *(व्यवधान)*

डा० नीतिश सेनगुप्ता : वे मजाक कर रहे थे *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : उन्होंने काफी गंभीरता से कहा था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : रघुवंश जी की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मणि शंकर अय्यर जी ने कहा था कि हम आपस में बहुत नजदीक है।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि देश के आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण मामले हैं। इन मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा अथवा इन सारे मामलों का उत्तर देने का यह अवसर नहीं है। क्षेत्रीय असमानताओं का मामला है; जातीय असमानताओं का सवाल है; उद्योग और कृषि को प्रोत्साहन देने का मामला है।

मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपने इरादों का खुलासा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया था कि हम अपनी विकास नीति का पुर्नविकास करेंगे। पर सुनिश्चित करने के लिये कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिये सड़कें बने ताकि उनको सड़क मार्ग से जोड़ा जा सके, उन्हें बिजली मिलें पीने और सिचाई दोनों के लिये जल प्राप्त हो, उनके लिये स्कूल हों, मकान हों, अस्पताल हों और सबसे जरूरी उन्हें रोजगार मिले, सरकार अपनी विकास नीति का पुनर्विन्यास करेगी। ये इस सरकार के साथ प्रमुख उद्देश्य हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास निधि का अधिकांश भाग इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसलिए हम इस सारी प्रक्रिया का पुनरावलोकन करने जा रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से संसद सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पहली सरकार होगी जो कि किसानों और खेती करने वालों के हितों की रक्षा करेगी। हम उनके प्रति पूर्णरूप से प्रतिबद्ध हैं और इस वर्ग के लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मुम्बई से बाबासाहेब अम्बेडकर के नेशनल मैमोरियल के लिए 100 करोड़ रुपये के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, उसका क्या हुआ ?

श्री यशवंत सिन्हा : रामदास जी ने जो प्वाइंट उठाया है, मैं संबंधित मंत्री के पास उसे पहुंचाऊंगा ताकि वह उस पर विचार कर सकें।

श्री रामदास आठवले : वित्त मंत्री जी पैसा तो आपको देना है।

श्री यशवंत सिन्हा : जब हमारे पास प्रोपोजल आयेगा, तब देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री के०पी० मुनियप्पा (कोलार) **:** क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों केलिए किए गए बजट आबंटन के बारे में जान सकता हूं। क्या यह पांच प्रतिशत से कम नहीं है ? यदि यह पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है तो आप कृपया स्पष्ट करें *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : बजट आबंटन व्यय विवरण में दिया गया है। कृपया पहले उसे देखिए और पढ़िए। ये सभी प्रकाशित दस्तावेज हैं।

सभापति महोदया : अब मैं वर्ष 1999-2000 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :-

मांग संख्या 3, 5 और 6, 8 से 12, 15, 17 से 20, 23, 29 और 30, 33, 38 और 39, 42 और 43, 45 से 48, 53 से 55, 57 से 59, 62, 65 से 67, 69, 71, 73, 75 से 77, 79, 81, 83 से 85, 87, 95 और 101 से 103।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.20 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1999*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : यह सदन अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 10 दिसम्बर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.22 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1999/ 19 अग्रहायण, 1921(शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 9.12.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

पी०एल०एस०-48/2/9/99 (एन०)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।